पंचम माला, खंड 23, अंक 3 बुधवार, 21 फरवरी, 1973/2 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIII, No. 3 Wednesday, February 21, 1973/Phalguna 2, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 1 से 10 तक है / Vol. XXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3—बुधवार, 21 फरवरी, 1973/2 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 3—Wednesday, February 21, 1973/Phalguna 2, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
21	वर्ष 1973–74 में रेडियो स्टेशनों तथा टेलीवीजन केन्द्रों की स्थापना	AIR and T. V. Stations in 1973-74	1–3
22.	सरकारी क्षेत्र में टायर फैक्टरी की स्थापना	Tyre Factory in Public Sector .	3–4
23	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Dispersal of Industries in Backward Regions	4–7
24	विदेशी फर्म द्वारा क्षमता से अधिक सिनेमा कार्बन का उत्पादन	Production of Cinema Carbon by the Foreign Firm beyond the Capacity . . .	7–9
26	तेज गति से औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों के लिये योजनायें	Schemes for areas with possibilities of rapid industrial growth .	9–11
27	राज्यों में सीमेंट के कारखानों के विस्तार के लिये नये लाइसेंस	New Licences for expansion of Cement Units in States . .	11–14
28	देश में अपराधों की संख्या में वृद्धि	Increase in Crimes in the Country	14–17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
25	काश्मीर के जनमत संग्रह मोर्चे पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना	Removal of Ban on Plebiscite Front of Kashmir . . .	17
29	राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक	Meeting of National Development Council	17
30	अनुसंधान के लिये उद्योगों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव	Proposal to levy cess on Industries for Research . . .	17–18
31	दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 1972–73 में किया गया योजना व्यय	Plan Expenditure during 1972-73 by Delhi Administration .	18
32	भारत में नाभिकीय सम्मेलन (न्यूक्लियर-फ्यूजन) के बारे में अनुसंधान	Nuclear Fusion Research in India	18
33	समाचारपत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण।	Diffusion of Ownership of Newspapers	19

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—20 L.S.S./72

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
34	मोनोटाइप मशीनों के फालतू पुर्जे	Spare Parts of Monotype Machines	19
35	भारतीय चलचित्रों के स्तर में गिरावट	Declining Standard of Indian Films	19–20
36	पानीसागर, त्रिपुरा की हालम वस्ती की एक जनजाति लड़की का अपहरण	Kidnapping of a Tribal Girl of Halam Basti of Panisagar, Tripura	20
37.	प्रशासनतन्त्र में गतिशीलता की कमी	Administrative machinery lacking dynamism	20
38.	दिल्ली में अवैध शराब बनाने के मामलों में वृद्धि	Increase in the cases of Illicit Distillation in Delhi . . .	20
39	अमृतसर टेलीविजन केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र	Range of Amritsar T. V. Station . .	21
40	सरकारी सेवा के लिये आयु की सीमा को 25 से बढ़ा कर 30 वर्ष करना	Extension of Age Limit from 25 to 30 for Government Jobs	21
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
201	पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े राज्यों की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के उपाय	Steps to increase national income of backward States during Fifth Plan	22–23
202	थुम्बा तथा श्रीहरिकोटा से छोड़े गये राकेट	Rockets fired from Thumba and Srihari kota	23–24
203	केरल के डाक व तार सर्किल के लिये विकास योजनायें	Development Schemes for P & T Kerala	24–25
204	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था में अधीक्षकों का स्थायीकरण	Confirmation of Superintendents in National Sample Survey Organisation . . .	25
205	राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों के लोगों को ही रोजगार देने की नीति	States Policy to provide employment to people of their own States . . .	25–26
206	दिल्ली में अपना टेलीफोन लगाओ योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतिक्षा सूची	Waiting list for telephone connection under OYT Scheme in Delhi	26–27
207	हिन्दुओं, मुसलमानों, बौद्धों, ईसाइयों पारिसियों, जैनों तथा सिक्खों की अलग अलग संख्या	Population of Hindus, Muslims, Buddhists, Christians, Parsis, Jains and Sikhs . . .	27
208	राजनैतिक दलों से दल बदल पर रोक	Ban on defections from Political Parties	27–28
209	डिब्रूगढ़ टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन	Constitution of Dibrugarh Telephone Advisory Committee.	28
210	तेंगाखाट, आसाम में उपडाकघर	Sub-Post Office at Tengakhat, Assam	28

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
211	विद्युत की कमी का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव	Effect on Industrial production of shortage of power . . .	29
212	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने संबंधी आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेना	Expediting decision on applications for grant of pension to freedom fighters . . .	29–30
213	देश में टायरों तथा ट्यूबों की मांग को पूरा करने के लिये उपाय	Steps to meet demand of tyres and tubes in the country. . .	30
214	नेशनल राइफल्स् एसोसिऐशन आफ इण्डिया को सूक्ष्म गोला बारुद की सप्लाई	Supply of precision ammunition in National Rifle Association of India	30–31
215	शिक्षा तथा रोजगार संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Education and Employment	31
216	दूर संचार उपकरण के उत्पादन में हंगरी से तकनीकी जानकारी	Hungarian-know-how in manufacture of Telecommunications equipment . . .	31–32
217	संपूर्ण देश में टेलीविजन व्यवस्था का विस्तार	Expansion of T. V. network to cover the entire country . .	92
218	मोगा (पंजाब) में राष्ट्रीय ध्वज का जलाया जाना	Burning of National Flags at Moga (Punjab)	32
219	आसाम में बंगाली विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिये समझाना बुझाना	Persuading Bengali boys for study in Assam	33
221	क्षेत्रीय भाषा मुद्रणालयों तथा सिनेमा में अश्लील सामग्री	Obscene matter in Regional Language Press and Cinema .	33
222	भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विज्ञान और प्रोद्योगिकी को अपनाना	Adoption of Science and Technology to Indian Circumstances	33
223	राज्य पुलिस सेवाओं का केन्द्रीयकरण	Unionisation of State Police Services	34
224	आन्ध्र प्रदेश के आन्दोलन में बाहरी तत्वों का हाथ	Involvement of Foreign Elements in Andhra Pradesh Movement	34
225	डकैतियों की समस्या के बारे में मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्रीयो की संयुक्त बैठकें	Joint Meetings of Chief Ministers of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh on Dacoity Problem	34
226	दुर्गापुर स्थित 'को-ऐक्सियल केबल्स' का निर्माण करने वाले कारखाने की क्षमता	Capaicty of Factory, producing Co-Axil Cables in Durgapur.	34–35
227	बदरपुर में इंजीनियरिंग सुपरवाइजर के लिए दिल्ली में आवासीय क्वार्टर	Regional Quarters in Delhi for Engineering Supervisor, Badarpur	35
228	मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिये प्रभावकारी लोक वितरण पद्धति का आरंभ	Introduction of Efficient Public Distribution System to Control Price Rise . . .	35–36

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
229	बिजली उत्पादन के बारे में विज्ञान और प्रोद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति की सिफारिश	Recommendation of Natioal Committee on Science and Technology Regarding Production of Energy	36
230	नई दिल्ली में उपग्रह प्रशिक्षणार्थक टेलीवीजन प्रणाली संबंधी संयुक्त राष्ट्र पेनल की बैठक	U. N. Panel Meeting in New Delhi on Satellite Instrumental Television System . . .	36–37
231	विज्ञान और प्रोद्योगिकी के विकास की योजना	Plan for development of Science and Technology . . .	37
232	देश में आपातकालीन स्थिति को समाप्त करना	Lifting of Emergency in the country	37
233	विज्ञान और प्रोद्योगिकी संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये सुपर कमेटी की स्थापना	Constitution of Super Committee for Implementing Science and Technology Plans . . .	38
234	विज्ञान के क्षेत्र में भारत फ्रांसीसी सहयोग	Indo-French Co-operation in the field of science	38
235	भारत ईरान आयोजना पैनल	Indo-Iran Planning Panel . .	38
236	पांचवीं योजना के दौरान आर्थिक सहयोग के लिये सोवियत संघ के साथ वार्ता	Talks with the Soviet Union for Economic Co-operation during Fifth Plan	39
237	पांचवीं योजना के आर्थिक सहयोग के लिये मित्र देशों के साथ बातचीत	Talks with Friendly Countries for economic Co-operation in Fifth Plan	39
238	डाक व्यवस्था और दूर संचार सेवा के आधुनिकीकरण के लिये कार्यक्रम	Programme to Modernise Postal System and Telecommunication Service	39–40
239	देश में सिनेमा घरों का विस्तार	Expansion of Cinema net work in the country	40
240	सीमेन्ट का उत्पादन और उसकी कमी	Production and Shortage of Cement	40–41
241	संयुक्त क्षेत्र में कागज निर्माण संयंत्र की स्थापना	Setting up of Paper Manufacturing Plant in Joint Sector . .	41-42
242	पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजली घर की स्थापना	Setting up of Atomic Power Plant in Eastern Region . . .	42
243	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र द्वारा मैसूर राज्य को मन्जूर की गई राशि	Amount Sanctioned by Centre to Mysore State for Fourth Five Year Plan	43
244	आंध्र प्रदेश में मुल्की नियम के संबंध में राज्य में हुए हाल ही के आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाना	Police Firings in Andhra Pradesh during recent agitation in the State on Mulki Rule Issue.	43
245	त्रिपुरा में आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र का सीमांकान	Demarcation of Tribal Scheduled Areas in Tripura . . .	44

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
246	त्रिपुरा में डाक कर्मचारियों के लिये दुर्गम क्षेत्र भत्ता	Difficult Area Allowance for Tripura Postal Employees . .	44
247	रोजगार देने के लिये एक पृथक विभाग की स्थापना	Constitution of Separate Department for Providing Employment	44
248	कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रधान मंत्री के दिल्ली स्थित निवास स्थान में घुसपैठ	Trespassing of Persons into the Delhi Residence of Prime Minister	45
249	युवा उद्यमकर्ताओं की समस्याएं	Problems of Young Enterpreneurs	45
250	दिल्ली में डकैती, चोरी और हत्याओं के मामलों में वृद्धि	Increase in Cases of Robbery, Theft and Murder in Delhi	45-47
251	औद्योगिक विकास मंत्रालय में तकनीकी जानकारी सेल ।	Cell of Technical Know-how in the Ministry of Industrial Development and Science and Technology	47-48
252	उत्तर प्रदेश के काश्तकारों द्वारा बिहार के ग्रामिणों की फसलों की लूट	Looting of Crops of Bihar Villagers by U. P. Tenants	48
253	बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा को अंकित करना	Demarcation of Boundry between Bihar and U.P.	48
254	1973 से 1975 तक छोड़े जाने वाले स्वदेशी राकेट	Indigenous Rockets to be Launched during 1973-75 . . .	48
255	पांचवीं योजना के लिये संसाधन जुटाना	Mobilisation of Resources for Fifth Plan	49
256	पांचवीं योजना की क्रियान्विति को सफल बनाने के लिये प्रशासनिक ढांचे में सुधार	Structural Reforms for Successful Implementation of Fifth Plan	49
257	पांचवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र	Fifth Plan Approach Paper	49
258	जेम्स फिनले एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के दस्तावेजों और कागजात का पकड़ा जाना	Seizure of Documents and Papers of James Finlay and Company, Calcutta	50
259	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में देश में हुए साम्प्रदायिक दंगे	Communal Incidents in the country during 1971-72 and 1972-73	50-51
260	बड़े उद्योग गृहों के बारे में सरकार समिति की रिपोर्ट	Report of Sarkar Committee on Larger Industrial Houses . .	51-52
261	सिनेमा आर्क कार्बन की मांग तथा उसका उत्पादन	Demand and Production of Cinema Arc Carbons	52-53
262	मेसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड द्वारा सिनेमा आर्क कार्बन निर्माण की क्षमता का विस्तार	Expansion of Capacity of Manufacturing Cinema Arc Carbons by M/s Union Carbide India Ltd.	53

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
263	डाक तार कर्मचारियों की कर्मचारी युनियनों के फैडरेशन का अखिल भारतीय केन्द्रीय संघ	All India Central Organisation of Federations of P & T Employees Unions . . .	54
264	कछार के बंगालीभाषी लोगों और उत्तर तथा पूर्वोत्तर ब्रम्हपुत्र घाटी के बोदो भाषी लोगों की मांगे	Demands of Cachar Bengali speaking people and Bodo speaking people of North and North East Brahmaputra Valley	54
265	मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये उपाय	Steps to check Upward Trend in Prices	54-55
266	मेसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की अंश पूंजी का बढ़ाया जाना	Raising of Share Capital of M/s Indian Oxygen Limited . .	55
267	उड़ीसा के तट पर रेत खनिज को पृथक करने संबंधी अध्ययन	Study on Separation of Beach sand Minerals on Orissa Coast .	55-56
268	इण्डियन आक्सीजन का विविधीकरण और विस्तार	Diversification and Expansion of Indian Oxygen . . .	56
269	पांचवीं योजना तयार करने तथा उसकी क्रियान्विति में लोगों का सहयोग	People's Participation in Preparation and Implementation of Fifth Plan	56-57
270	भारत और श्रीलंका के बीच सीधी टेलीप्रिंटर सेवा	Direct Teleprinter Service Between India and Sri Lanka . .	57
271	देश में आन्दोलनों के कारण केन्द्रीय सरकार को हानि	Loss to Central Government due to Agitations in the country	57
272	हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण डाक तथा तार विभाग को हुई हानि	Loss to P & T Department owing to Violent Agitations . .	57-58
274	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना	Scheme to provide jobs to Educated Unemployed	58
275	टेलीफोन और टेलीप्रिंटर सेवायें सुधारने संबंधी योजनायें	Schemes to improve Telephone and Teleprinter Services . .	58-59
276	लघु उद्योग एककों में इंजीनियरों को रोजगार देने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिये योजना	Scheme for Training and Employing Engineers in Small Scale Industrial Units . .	59
277	राज्यों की लाटरी टिकटों की बिक्री पर अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में केन्द्र को सुझाव	Suggestion to Centre for Removal of Inter State Ban on Sale of State Lottery Tickets . .	60
278	कटक में डाक तथा तार विभाग के लाइनमैनों द्वारा दिसम्बर, 1972 में हड़ताल	Strike by Cuttack P & T Linemen in December, 1972 . .	60
279	रुस के योजना आयोग दल का दौरा	Visit of Russian Planning Commission's Team . . .	60-61
280	पटना और जिल्हा मुख्यालयों के बीच माइक्रोवेव टेलीफोन व्यवस्था द्वारा सम्पर्क स्थापित करना	Micro Wave Connection between Patna and District Headquarters	61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
281	औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन और संयुक्त क्षेत्र की भमिका	Changes in Industrial Policy Resolution and Role of Joint Sector	61—62
282	मिदनापुर पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में परमाणुबिजली घर बनाने का प्रस्ताव	Proposal to set up Nuclear Power Station in coastal region of Midnapore, West Bengal . .	62
283	पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों और हुगली नदी का प्रधान मंत्री द्वारा सर्वेक्षण	P. M.'s Survey of Hooghly River and Sunderban areas in West Bengal	62—63
284	आन्ध्र प्रदेश के विभाजन की मांग संबंधी आन्दोलन के कारण जान और माल की हानि	Loss of life and property in Andhra Pradesh due to separate Andhra Agitation.	63
285	शाह इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के प्राधिकारियों के विरुद्ध कुप्रबन्ध, संबंधी शिकायतें	Complaints regarding mismanagement of authorities of Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta	63—64
286	बड़े उद्योग गृहों से संबंधित औद्योगिक कारखानों का विस्तार	Expansion of Industrial Units belonging to larger houses . .	64
287	भारत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पलायन	Brain drain from India	64—66
288	भारत ईराक संयुक्त आयोजना समिति की स्थापना	Setting up of Indo-Iraqi joint Planning Committee	66
289	सहायकों के लिये संयुक्त संवर्ग	Common cadre for Assistants.	66-67
290	कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शनी (दिसम्बर, 1972)	Exhibition at the Congress Session in Calcutta (December, 1972)	67
291	महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra-Mysore boundary dispute	68
292	रत्नागिरी जिले के एक स्वतन्त्रता सेनानी को गोवा की एक खान का हस्तांतरण	Transfer of a Mine in Goa to a Freedom Fighter from Ratnagiri District	68
293	भारत और श्रीलंका के डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की बैठक	Meeting of P & T Officials of India and Sri Lanka . .	68—69
294	देश में प्रशासनिक गठन संबंधी समिति	Committee on Administrative set up in the country	69—70
295	विदेशी तम्बाकू और सिगरेट उद्योग द्वारा धन भेजने पर रोक	Curb on remittances made by foreign tobacco and cigarette industries . . .	70
296	राष्ट्रीय डिजाइन संस्था अहमदाबाद के कार्यकरण के बारे में वांचू समिति की रिपोर्ट	Report of Wanchoo Committee on working of National Institute of designs, Ahmedabad	71
297	बिहार के मुख्य मंत्री का बिहार में परमाणु बिजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव	Bihar C.M.'s proposal for Atomic Power Station in Bihar	71

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
298	बिहार के स्वतन्त्रता सेनानियों पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Bihar	71
300	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to Freedom Fighters	72–73
301	केरल के विदेशी चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी अध्यादेश	Ordinance on Nationalisation of foreign owned plantations in Kerala	73
302	सेवा निवृत्ती की आयु 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करना	Lowering of retirement age from 58 to 55	73
303	चौथी योजना में टेलीविजन सेवा के अन्तर्गत क्षेत्र	Areas covered by T. V. in the Fourth Plan	74
304	परमाणु ऊर्जा के विकास के लिये हंगरी के साथ करार	Agreement with Hungary for Development of Atomic Energy	75
305	ग्रामीण औद्योगिक आयोग	Rural Industries Commission . .	75
306	वर्ष 1971–72 और 1972–73 में रोजगार के अवसर	Employment opportunities during 1971-72 and 1972-73 . .	75
307	पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये प्राप्त योजना	Schemes from Madhya Pradesh Government for development of backward Areas during 5th Plan	76
308	आन्ध्र प्रदेश में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को सहायता	Assistance to families of persons killed in Andhra Pradesh .	76
309	दिल्ली प्रशासन से प्राप्त विकास योजनाएं	Development Schemes from Delhi Administration. . . .	76
310	आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने के लिये राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाना	Invitation to leaders of Political Parties to broadcast over All India Radio	77
311	दमनगंगा जलाशय परियोजना की स्वीकृति	Approval of Damanganga reservoir Project	77
312	वर्ष 1974 में भारत निर्मित उपग्रह का छोड़ा जाना	Launching of Indian made Satellite in 1974	77–78
313	विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Representation from Employees' of Vikram Sarbhai Space Centre	78
314	बहराइच, उत्तर प्रदेश, में एडीशनल सिविल सर्जन, डा० जे० सी० गुप्ता की हत्या	Murder of Dr. J. C. Gupta, Additional Civil Surgeon, Baharaich, Uttar Pradesh . .	78
315	उद्योगों में उत्पादन की कमी	Loss of production in industries.	78–79
316	वर्ष 1972–73 में गुजरात में नये डाक तार घर	New P & T offices in Gujarat in 1972-73	79–80

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
317	हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1972–73 के दौरान नय डाक व तार घर	New Post and Telegraph offices in Himachal Pradesh in 1972-73	80—81
318	भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को कश्मीर राज्य से निकालना	Deportation of underground Pakistani Nationals from Kashmir State	82
319	पंजाब राज्य से भूमिगत पाकिस्तानी नागरिकों को निकालना	Deportation of underground Pakistani nationals from Punjab State	82
320	वैध पारपत्रों पर अण्डमान क्षेत्र में आने वाले पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani nationals visiting the territory of Andaman on valid passports	82
322	आई० सी० एस० संवर्ग के अधिकारियों के सेवा काल की अन्तिम रूप से समाप्ति	Final expiry of tenure of ICS Cadre	83
323	सूखा तथा अन्य दैवी प्रकोपों में राहत कार्यों के लिये आकस्मिक योजना	Contingency plans for relief in drought and other Natural Calamities	83
324	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to freedom Fighters	83
325	उड़ीसा में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Centre in Orissa	84
326	भारत में सूक्ष्म तरंग उपकरण का निर्माण	Manufacture Microwave equipment in India	84
327	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड	Central Board of Film Censors	84–85
328	कटक में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station, Cuttack.	85
329	भद्रक मुख्य डाकघर, उडीसा का विस्तार कार्य	Extension work of Bhadrak Head Post Officer, Orissa . .	85
330	बडे व्यापार गृहों के सहयोग को संयुक्त क्षत्र में सीमेंट एककों की स्थापना	Setting up of Cement Units in Joint Sector in cooperation with Big Business Houses . .	85
331	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योग	Consumer Goods Industry in Public Sector	86
332	अन्तरिक्ष टैक्नालाजी और अनुसन्धान के विकास के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance sought for developing space Technology and Research . . .	86
333	श्री हरिकोटा से रोहिनी 560 राकेट का छोड़ा जाना	Launching of Rocket Rohini 560 from Sriharikota . .	86–87
334	1972 में विस्तार कार्यक्रम और नये उद्योग लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Expansion and New Industrial Licences in 1972	87–88
335	शोलापुर में प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Station at Sholapur	88
336	आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार	Differential Treatment with people of Telengana Region in Andhra Pradesh	88

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
338	अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जन जातियों के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाना	Employment of Unemployed Scheduled Castes/Tribes . .	88–89
340	गुजरात में परमाणु बिजलीघर	Atomic Power Station in Gujarat	89
341	वर्ष 1973–74 के लिये लघु उद्योगों को आबंटित विदेशी मुद्रा	Allocation of Foreign Exchange for Small Scale Industries during 1973-74	89
342	संयुक्त क्षेत्र में लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licences in Co-operative Sector	89–90
343	लक्षदिव समूह में प्रवेश	Entry into Laccadive Islands .	90
344	पिछड़े क्षेत्रों में सहकारी इकाइयों को प्रोत्साहन	Incentive to Cooperative Units in Backward Areas. . .	90
345	संगीत व नाटक प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Employees of Song and Drama Division	90–91
346	सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति	Promotion of Assistants to Section Officers Grade . . .	91
347	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के लाभों का सामान्य वितरण	Equitable Distribution of Benefit of Planning during the Fifth Plan	92
348	तथाकथित नागा फैडरल सरकार द्वारा संयुक्त सैनिक कार्यवाही के लिये काछीन स्वतन्त्र सेना से करार	Agreement by so called Naga Federal Government with Katchin Independent Army for Joining Military Operations	92–93
349	अलीगढ़ में नरोरा परमाणु बिजलीघर	Narora Atomic power Station in Aligarh	93
351	मैसूर के गांवों और कस्बों में टेलीफोन सुविधायें	Rural Telephone facilities in Towns and Villages of Mysore	93–94
352	बेरोजगार इंजीनियरों के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की योजना	NIDC Scheme for Unemployed Engineers	94
353	दिल्ली में तस्करी, डकैती और चोरी के मामले	Cases of Smuggling, Dacoity and Burglary in Delhi	94–95
354	नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद द्वारा प्रतिलिप्याधिकार उल्लंघन	Infringement of C. right Act by Navjivan Tru Ahmedabad . .	95
355	सेवाग्राम के गांधी आश्रम के भवन की जर्जर अवस्था	Dilapidated Condition of the Building of Gandhi Ashram at Sewagram.	95–96
356	तिहाड़ जेल, दिल्ली से कैदियों का भाग निकालना	Escape of convicts from Tihar Jail, Delhi	96

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
357	डाक और तार बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC Recommendations on Re-organisation of P & T Board	96
358	विदेशों में फिल्म समारोहों में भारत द्वारा भाग लेना	Indian Participation in Film Festivals abroad	96
359	छोटे समाचार पत्रों के लाभार्थ उपाय	Steps for the benefit of Small Newspapers	97
360	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये उड़िसा से आवेदनपत्र	Applications from Orissa for Industrial Licences	97
361	उड़ीसा के आदिवासियों को मकान देना	Providing Housing to Tribals of Orissa	97–98
362	उड़ीसा को अतिरिक्त अनुदान	Additional Grant to Orissa	98
363	परमाणु बिजली घरों के डिजाइन और निर्माण कार्य का भारतीयकरण	Indianisation tn design and construction of Atomic Power Stations	98
364	जन शक्ति ओकड़ा बैंक की स्थापना	Setting up of Man Power Data Bank	99
365	भारत में जनसंख्या और तारघरों का अनुपात	Population Telegraph Office ratio in India . .	99
366	देहात में संचार सेवा	Rural Communication Services .	99–01
367	देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिये विधेयक	Bill for improving law and order situation in the country	102
368	केरल में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Kerala	102
369	पालघाट (केरल) में सूक्ष्म औजार कारखाना	Precision Instrument Factory at Palghat (Kerala) . . .	102
370	केरल का बन्धीकाधीन श्रम पद्धति (उत्पादन) विधेयक, 1972	The Bonded Labour System (Abolition) Bill, 1972 of Kerala	103
371	इंडियन रेयर अर्थ्स ट्रांसफार्मरों का बेचा जाना	Sale of Transformers of Indian Rare Earths	103
372	कालीनदी परियोजना के लिये मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for Kalinadi Project	103–104
373	मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार	Expansion of Telephone Exchanges in Madhya Pradesh	104
374	गीत एवं नाटक प्रभाग में कथित कुव्यवस्था	Alleged mismanagement in Song and Drama Division	105
375	सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में लाइसेंसों और आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Licences and Letters of intent to Public, Private and Co-operative Sectors	105

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
376	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को स्थायी बनाने/पदोन्नत करने/नियुक्त करने के संबंध में आदेशों को क्रियान्वित न करना	Non-Implementation of orders regarding confirmation/promotion/appointment of Scheduled Castes/Tribes . . .	105–107
377	जिला प्रशासन का पुनर्गठन	Reorganisation of District Administration	107
378	सीमेंट के कारखानों की स्थापना विषयक अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team on Setting up of Cement Factories .	107–108
379	भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिये सरकारी कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त अवसर	Additional chance for Government Employees to appear in IAS Examination	108
380	दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों की संख्या	Strength of Staff Artistes in Delhi T.V.	108–109
381	उदयपुर (राजस्थान) में सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialling system in Udaipur (Rajasthan)	109
382	नई दिल्ली में अमृतसर टेलीविजन केन्द्र का स्टूडियो	Amritsar T. V. station Studio in New Delhi	110
383	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चौथी योजना के लिये 140 करोड रुपये की मांग	Demand for Rs. 140 crores by Madhya Pradesh for Fourth Plan	110
384	जेलों की स्थिति सुधारने सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of the Working Group on the improvement of conditions of Jails	110
385	डाक द्वारा क्रयादेश संबंधी घोटाला	Mail Order Racket . . .	110–111
387	साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक	Ban on communal organisations .	111
388	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के बारे में बड़े औद्योगिक गृहों की प्रतिक्रिया	Response from Large Industrial Houses for setting up of Industries in Backward Areas . . .	111
389	परमाणु ऊर्जा की उत्पादन लागत	Production cost of Nuclear Energy	111–112
390	अपने स्वयं के भवनों में चल रहे डाकघर	Functioning of Post Offices in Building of their own .	112
391	विघटनकारी शक्तियों की गतिविधियाँ	Activities of Divisive Forces . .	113
392	पट्रोल के बिना चलने वाली कार का अविष्कार	Invention of Car to run without Petrol	113
393	उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस और आशय पत्र जारी करना	Issue of Licences and Letters of Intent for setting up of Industries in U. P	113–114
394	लघु उद्योग स्थापित करने के संबंध में डा० आर० के० भान समिति का प्रतिवेदन	Report of Dr. R. K. Bhan Committee for setting up of Small Scale Industries . . .	114

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
395	बिहार में नये शाखा डाकघर खोलना तथा नये सार्वजनिक टेलीफोन लगाना	Opening of New Branch Post Offices and P.C.Os. in Bihar	114–115
396	दरभंगा में ट्रांसमिटर भवन का निर्माण	Construction of Transmitter Building at Darbhanga . . .	115
397	लघु उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange for Small Scale Industries . .	115
398	केरल में पुनलूर कागज कारखाना	Punalur Paper Factory in Kerala	116
399	नये औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent to set up new Industrial Units . .	116–117
400	हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charges against Haryana Chief Minister	117–118
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि	Abnormal rise in prices of essential commodities . . .	118–126
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee. . .	118–119, 120–121
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri Fakrudin Ali Ahmed .	119–120
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	126–127
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प सम्बंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions . .	
	बाइसंवा प्रतिवेदन	Twenty-second Report . .	127
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee. .	
	63 वां प्रतिवेदन	Sixty-Third Report .	128
	कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee .	
	23 वां प्रतिवेदन	Twenty-third Report .	128
	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	128–187
	श्री आर० के० सिन्हा	Shri R. K. Sinha . . .	129–130
	श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K.P. Unnikrishnan . .	131–132
	श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan . .	179–182
	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	182–183
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	183–186
	प्रो० नारायण चंद पराशर	Prof. Narain Chand Parashar .	187
	श्री जम्बुवंत धोटे	Shri Jambuwant Dhote . .	187

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 21 फरवरी, 1973/2 फाल्गुन, 1894 (शक)
Wednesday, February 21, 1973/Phalguna 2, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वर्ष 1973-74 मे रेडियो स्टेशनों तथा टेलिविजन केन्द्रों की स्थापना

+
***21. श्री ए० सी० सामन्त :**
श्री एम० एस० संजीवराव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू तथा आगामी योजना में रेडियो तथा टेलीवीजन की सुविधाएँ और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके मन्त्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1973-74 में तथा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने और रेडियो स्टेशन तथा टेलिविजन केन्द्र स्थापित करने का विचार है और वे कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धन-राशि की आवश्यकता है और वास्तव में कितनी राशि नियत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) चालू योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर प्रत्येक राज्य में कम से कम 80 प्रतिशत जनसंख्या रेडियो प्रसारण सुन सकेगी। पांचवीं योजना में ऐसे क्षेत्रों में जहां इस समय कार्यक्रम नहीं सुने जा सकते प्रसारण सेवा उपलब्ध करने के लिये और रेडियो स्टेशन खोलने का प्रस्ताव है। उम्मीद है कि चालू योजना की स्कीमें कार्यान्वित हो जाने के बाद लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या टेलीविजन देख सकेगी। पांचवीं योजना के दौरान इस संख्या का 45 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4189/73**]

(ग) चौथी योजना में कुल स्वीकृत परिव्यय की राशि लगभग 68 करोड़ रुपए है जिसमें से 40 करोड़ रुपए की राशि योजना अवधि के दौरान खर्च करने के लिए है। पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रुप दिया जा रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : मंत्री महोदय का कहना है कि रेडियो प्रसारण देश की 80 प्रतिशत जनता तक पहुंच सकेंगे । मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान योजना तथा गत योजना के दौरान क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल : प्रगति संतोषजनक रही है । हम 80 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे जो कि हमने चौथी योजना में रखा है । वैसे पांचवीं योजना में तो हम समस्त जनसंख्या तक प्रसारण पहुंचाना चाहते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उक्त प्रसरण हेतु किसी प्रकार का विदेशी सहयोम भी लिया जा रहा है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस मामले में किसी देश का सहयोग नही लिया जा रहा है। हम सब कुछ स्वयं ही कर रहे हैं । मरे विचार से किसी विदेशी कंपनी का यहां कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : 80 प्रतिशत जनता कब तक लाभान्वित हो सकेगी । यह एक महत्वपूर्ण बात है ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : चौथी योजना के अन्त तक 80 प्रतिशत जनसंख्या रेडियो प्रसारण सुन सकेगी ।

श्री जगन्नाथ राव : पहले एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि वर्ष 1973-74 में जयपूर तथा उड़िसा स्थित रेडियो स्टेशनों का दर्जा बढ़ा दिया जायेगा । इस विवरण में उसका कोई जिक्र नहीं है । इसके क्या कारण हैं ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : विवरण में केवल नये स्थापित किये जा रहे केन्द्रों का वर्णन है । जहां तक दर्जा बढ़ाने का प्रश्न है हमारी कोशिश है कि चालू वर्ष में हम सभी सहायक केन्द्रों का दर्जा बढ़ा दें ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The statement laid by the hon. Minister gives the names of the places where TV centres and Radio Stations would be established during the Fourth Plan. But it does not include any place in Madhya Pradesh. May I know whether any places from that State have been selected for TV and Radio Stations there during the Fourth Plan?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : राज्यवार यह एक लम्बा विवरण है और यदि अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य को विवरण बता दूं । मध्य प्रदेश में हम अम्बिकापुर, छतरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जगदालपुर, रायपुर तथा रेवा को ले रहे हैं ।

†**श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुर्निया जिला कृषि विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा नेपाल और बंगला देश क भी समीप है, क्या पुर्निया जिले में एक मध्यम अथवा बड़ी शक्ति का आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना संभव है तथा क्या पुनिया में एक केन्द्र स्थापित करने के बार में कोई लिखा पढ़ी हुई है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह कार्यवाही हेतू एक सुझाव है जिसे मैं ध्यान में रखूंगा ।

Shri Hukam Chand Kachawai : I had asked about a TV centre in Madhya Pradesh but he replied for Radio Station.

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : मैंने समझा वह रेडियो के बारे में जानना चाहते हैं। पांचवी योजना के दौरान हम आरंभ में तो हर राज्य की राजधानी में टेलीविज़न केन्द्र खोलना चाहते है जोकि बूस्टर और रिले-स्टेशन होंगे। क्योंकि योजना आयोग ने पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया है, अतः ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। केवल इसी वर्ष अर्थात चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में, उठाई जाने वाली योजनाओं के नाम ही विवरण में दिय गये हैं ?

Smt. Sahadrabai Rai : May I know whether government propose to set up a Radio Station at Saugar, Madhya Pradesh, and if not, the reasons therefor ?

Shri I. K. Gujral : There is no proposal for Saugar because that place is already covered by the existing Stations.

Smt. Sahadrabai Rai : The voice does not reach there—(*interruptions*).

Shri I. K. Gujral : If there is any such complaint I would look into it.

सरकारी क्षेत्र में टायर फैक्टरी की स्थापना

+

***22. श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन सरकारी क्षेत्र में एक टायर फैक्टरी स्थापित करने के प्रस्ताव की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी की स्थापना कब तक की जायेगी; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में इस कारखाने द्वारा बनाये जाने वाले टायर और ट्यूबें गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने वाले टायरों और ट्यूबों की अपेक्षा सस्ती होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् को मोटरगाड़ियों के दस लाख टायरों तथा दस लाख ट्यूबों का उत्पादन करने के लिये एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की एकक स्थापित करने हेत एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र की परियोजना के लिये वे उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाएं। क्योंकि केवल सम्भाव्यता अध्ययन ही शुरू किया गया है इसलिए अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि कब तक कारखाना स्थापित होगा और उत्पादों का मूल्य कितना होगा।

Shri Naval Kishore Sharma : It appears from the hon. Minister's reply that study work for the feasibility has been started. I want to know when the feasibility study report would be available and whether any time limit has been fixed for that.

There is shortage of tyres and tubes in the country as a result of which they are either not available, or if at all available, you can have them only in black market and their prices are also soaring. Do the Government propose to keep a check on the prices ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : संभाव्यता प्रतिवेदन अगले कुछ महीनों में मिल जायगा।

जहां तक कमी का सवाल है, कमी केवल ट्रकों तथा बसों के टायरों की है । इसके लिये हम उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आयात भी करने का विचार है ।

Smt. Savitri Shyam : It was decided in 1971 to set up a tyre-tube factory in the public sector. But now after two years it is stated that only the study work has been initiated. The hon. Minister has stated that the shortage is that of heavy vehicle tyre and tubes *i.e.* those of trucks, buses and tractors. 50,000 tractors are being imported and the demand increases by ten percent every year. I want to know whether this demand for tyres and tubes is proposed to be met by import or by self-reliance. The tyre industry has clearly stated that they do not have any import substitution. They are not getting their componants even.

Mr. Speaker : Please don't make a speech. Ask your question.

Smt. Savitri Shyam : I want to know whether the requirements would be met by imports or by setting up additional units?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जबकि वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 40---50 लाख यूनिट है—वस्तुत: उत्पादन 50 लाख यूनिट है—हमने 50 लाख और यूनिटों के लिये आशयपत्र तथा लायसेंस दिये हैं, और इसीलिये उक्त मांग को आयात द्वारा नहीं बल्कि देशी उत्पादन द्वारा ही पूरा किया जा सकेगा ।

श्री आर० बी० स्वामिनाथन् : अब सरकार सरकारी क्षेत्र में एक टायर कारखाना खोलने का विचार कर रही है परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में टायर कारखाने स्थापित करने के लिये 6 कंपनियों को लाइसेंस दिये हैं, क्या सरकार का उक्त प्रस्ताव गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के अलावा है अथवा कि यह केवल सरकारी क्षेत्रीय उद्यम होगा ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : माननीय सदस्य के आंकड़े सही नहीं हैं । ग्यारह आशय पत्र गैर-सरकारी कंपनियों को तथा 6 आशय पत्र राज्य सरकार के उपक्रमों को जारी किये गये हैं । अत: कुल 17 हैं । यह एक करोड़ यूनिट इससे पूर्व जारी किये गये आशय पत्रों से अलग हैं .

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ट्रकों के टायर तथा बड़े टायर बनाने वाले कितने कारखाने इस समय भारतीयों के प्रबंधाधीन है तथा कितने विदेशियों के अधीन हैं । और जारी किये गये ग्यारह आशय पत्रों में से कितने भारतीयों को तथा कितने विदेशियों को जारी किये गये हैं ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : सभी आशय पत्र भारतीय कंपनियों को दिये गये हैं । शेष छ: राज्य सरकार के उपक्रम हैं और वर्तमान एककों में तीन में विदेशियों के बहुमत शेयर हैं तथा दूसर मुख्यत: भारतीय कंपनिया हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कोई भी भारतीय कंपनी बड़े (जाइंट) टायर नहीं बना रही है । मैंने तो ट्रकों के टायरों तथा बड़े (जाइंट) टायरों के बारे में पूछा था अन्य के बारे में नहीं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं मानता हूँ कि डनलप कंपनी बड़े टायरों की मुख्य निर्माता है । परन्तु अब हम अन्य कंपनियों का भी कह रहे हैं कि वे इन टायरों का भी निर्माण करें ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

*23. **श्री राजदेव सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दशक के लिये "आयोजना" विषय पर आयोजित 21वीं वार्षिक गोष्ठी में बड़े-बड़े नगरीय केन्द्रों की और ग्रामीण प्रवसन को निरुत्साहित करने के लिये कुछ उपाय करने की भी सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में व्यक्त किए गए विचारों के अनुसरण में, क्या सरकार उद्योगों को देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : "आगामी दशक के लिये आयोजना" पर हुई 21वीं वार्षिक गोष्ठी की सिफारिशें योजना आयोग के प्राप्त नहीं हुई हैं । इस गोष्ठी का आयोजन इन्सटीटयूट आफ टाउन प्लानर्स इंडिया ने किया था। यह एक व्यावसायिक निकाय है किन्तु, देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास, आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप होने वाले लाभों का अल्प विकसित क्षेत्रों में विस्तार और दूर-दूर तक उद्योगों का प्रसार नियोजित विकास के प्रमुख दीर्घकालीन लक्ष्यों में से हैं । संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के सम्बन्ध में योजना आयोग के "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण--1974--79" नामक दस्तावेज में भी जोर दिया गया है । इस दस्तावज की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी गई हैं ।

Shri Rajdeo Singh : Rural migration is going on at an alarming scale and it is evident from the 1971 Census that the male population is higher than the female population in the cities than in the rural areas. It clearly shows that the youth from the villages is rushing towards cities in search of livelihood. The speedy migration into the cities is due to the pressure on the land and vanishing of traditional industries in the villages. In this context we want to know what is being done to discourage the rural migration. We want a clear cut and specific reply.

श्री मोहन धारिया : सरकार को ग्रामों की ओर से शहरों में लोगों के प्रवसन की जानकारी है। सरकार ने कतिपय विशिष्ट उपाय किये हैं। पहले तो कम विकसित क्षेत्रों में सरकारी उपक्रम स्थापित किये जा रहे हैं । दूसरे उद्योगों को लाइसेंस देने में भी सावधानी बरती जा रही है ताकि इन ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी कपड़ा तथा अन्य उद्योगों की स्थापना हो । तीसरे रेलवे सम्पर्कों पर सीमेंट तथा इस्पात उसी दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि वे अपने उद्योगों का फैलाव कर सकें । चौथे राज्य सरकारें, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक व्यवसायों तथा औद्योगिक नगरों की स्थापना कर रही है । हमने 225 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना है । उन्हें रियायती दरों पर विशेष ऋण तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सिधे अनुदान के रूप में 10 प्रतिशत की राज सहायता भी दी जा रही है । पूंजी निवेश के बारे में तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में विभिन्न सुविधायें दी जा रही हैं ताकि वे लोग अपने उद्योगों का विशाखन कर सके ।

Shri Rajdeo Singh : By the Jugglary of words industrially backward and economically backward districts are being stated as two different categories—we are being confused. I want to know whether the Government and the Planning Commission would recommend to the Ministry of Industrial Development not to issue any licence to industrially developed areas and those should be given only to the backward areas ?

श्री मोहन धारिया : सन्तुलित प्रयास करना पड़ेगा। हम औद्योगिक विकास की प्रगति को रोक नहीं सकते और इसके साथ ही हमें उद्योगों का विविधीकरण करने पर भी जोर देना होगा। यही हमारा प्रयास है ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या सरकार को यह पता है कि देश के पिछड़े भागों में उद्योगों को फैलाने के लिये रेलों और संचार व्यवस्था के रुप में वहां मूलभूत ढांचा तैयार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। और यदि हां, तो क सरकार पश्चिमी समुद्रतटीय कोंकण रेलवे और महाराष्ट्र के पिछड़े भागों में अन्य रेलों के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा की गई कुछ घोषणाओं की दृष्टि में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि इन्हें रेलवे बोर्ड अथवा योजना आयोग में बेकार डाले रखने के बजाय क्रियान्वित किया जायगा ?

श्री मोहन धारिया : रेल बजट प्रस्तुत करते समय रेलमंत्री महोदय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि ये परियोजनाएं सरकार के सक्रिय रुप में विचाराधीन है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया है। रेल मंत्री महोदय ने कल कहा था कि वे इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से चर्चा करेंगे।

श्री मोहन धारिया : उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था। मैं यहां था और मैं रेल मंत्री महोदय की बात सुन रहा था। ये सब बातें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी, यह अच्छा सुझाव है। आप मंत्री महोदय की ओर से इस पर कार्यवाही करने हेतु इसे सुझाव के रूप में मान लें और सम्बद्ध मंत्री को भेज दें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : जहां तक मूलभूत ढ़ांचे का सम्बन्ध है, जब कभी हम उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने के लिए कहते हैं तो बहुधा यही कहा जाता है कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि मूलभूत ढ़ांचा अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। कहा जाता है कि यह उपलब्ध नहीं है और वहां कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार का विचार इस विवाद को कैसे सुलझाने का है ?

श्री मोहन धारिया : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम राज्य सरकारो से बात-चीत कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु इन मूलभूत ढ़ाचों को वहां ले जाने के लिए हम राज्य सरकारों को कैसे सहायता दे सकते हैं।

श्री नवल किशोर सिन्हा : उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने के महत्व का उल्लेख किया है जिसके लिये हम मंत्री महोदय के आभारी हैं। क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय कृत बैंकों के प्रत्यय जमा अनुपात में कोई सुधार नहीं हुआ है ?

श्री मोहन धारिया : जी हां, यह सच है। वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को ध्यान में रखा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपेक्षित अनुदेश भी जारी कर दिए हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इन 225 जिलों में औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है और राष्ट्रीय औसत प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में यह कितनी है ? गत दो वर्षों में इन पिछड़े क्षेत्रों में कितने लाइसेंस दिए गए हैं, क्योंकि हमने पिछड़े क्षेत्रों और विकसित क्षेत्रों के बीच अन्तर समाप्त करने के बारे में बहुत कुछ सुना है ?

श्री मोहन धारिया : मैं इस प्रश्न के लिए अलग से नोटिस चाहता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब ये हमें इन जिलों में औसत प्र।त व्यक्ति आय नहीं बता सकते तो उन्हें यह कैसे पता है कि ये पिछड़े क्षेत्र हैं ?

श्री मोहन धारिया : उन्होंने अत्यन्त विस्तृत प्रश्न किया है। मेरे विचार में उन्हें इस प्रश्न का नोटिस देना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस आधार पर किसी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है जैसे कि औसत प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि कितने लाइसेंस दिये गये हैं।

श्री मोहन धारिया : मैंने कहा है कि मुझे इस प्रश्न के लिए नोटिस चाहिए क्योंकि वह इन सब 225 जिलों की औसत प्रतिव्यक्ति आय जानना चाहते हैं। इस समय यह सूचना देना अत्यन्त कठिन है। माननीय सदस्य को पता है कि इन क्षेत्रों की आय राष्ट्रीय औसत प्रतिव्यक्ति आय से कम है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : किन्तु इन जिलों की औसत प्रतिव्यक्ति आय क्या है ?

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has stated about more than 200 districts are backward throughout the country which have to be developed. Central Government shall give them money. But I have come to know that a few particular districts, like Balia Jhansi and one more district of Uttar Pradesh have been selected for development. I want to know the Critaria adopted for this. Is it a fact that this decision is taken under political pressure. Those who quarrel get their Job done and the others are not selected. What is the Critaria for selecting these three districts in Uttar Pradesh when there are 36 districts there?

श्री मोहन धारिया : इस सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति हुई प्रतीत होती है। हमने सब राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों को चुना है। और इन में से झांसी और बलिया जैसे औद्योगिक रुप में पिछड़े हुए जिलों को दस प्रतिशत राज्य सहायता देने के लिए चुना गया है। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस सम्बन्ध में निर्णय कर और उन्होंने निर्णय कर लिया है।

श्री वसन्त साठे : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि ग्रामीण रोजगार की सम्भावना उपभोक्ता वस्तु उद्योग में है, सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाए क्या ठोस कदम उठाने का है जिससे इन्हें शहरी क्षेत्रों में आने से रोका जा सके और ये उद्योग बम्बई जैसे शहरी क्षेत्रों में युगल-शहर बना कर वहां इकठ्ठे न होने पायें ? मैं जानना चाहता हूं कि उद्योगों का विविधीकरण और फैलाव के प्रश्न के सम्बन्ध में युगल-शहर की विशिष्ट सुसंगति क्या है।

श्री पिलू मोदी : वह तो समाजवादी नीति का प्रत्यावर्तन करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं।

श्री मोहन धारिया : जहां तक युगल-शहर की समस्या का सम्बन्ध है ज्ञापन की योजना आयोग में जांच की जा रही है। किन्तु अभी तक यह मामला योजना आयोग में नहीं आया है और नाही हमने इस की कोई मंजूरी दी है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना करने का सम्बन्ध है पांचवीं पंचवर्षीय योजना की राज्य सरकारों से चर्चा करते समय यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास रहेगा कि उपभोक्ता उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाए अथवा उनका विविधीकरण किया जाए।

श्री पिलू मोदी : आशा होनी चाहिये।

विदेशी फर्म द्वारा क्षमता से अधिक सिनेमा कार्बन का उत्पादन

* 24. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यक्तिगत निर्माताओं द्वारा सिनेमा कार्बनों के निर्माण की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने सम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्णय का उल्लंघन करते हुए और राष्ट्रीय भौतिकि प्रयोगशाला द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग करने वाले देशी निर्माताओं की उपेक्षा करके एक विदेशी फर्म को अपनी उत्पादन क्षमता दुगुनी करने और 27 लाख रुपये मूल्य के पुंजीगत सामान का आयात करने की अनुमति दे दी गई थी;

(ख) उक्त फर्म की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति देने पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बड़ी आपत्ति की थी। और

(ग) क्या कुछ देशी निर्माताओं ने लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र देते समय अपनी जो आयात-आवश्यकता बताई थी वह विदेशी फर्म को मंजूर की गयी आवश्यकता की आधी ही थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया] देखिए / संख्या एल० टी० 4190/73

श्री नरेन्द्रकुमार सांधी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गये इस उत्तर को दृष्टि में रखते हुए कि यूनियन कार्बाइडस्, को 27.2 लाख रुपये मूल्य के पूंजीगत माल का आयात करने हेतु आयात लाइसेंस दिया गया था। और फिर 1962 में उन्होंने 60 लाख जोड़ी कार्बन के लिए अनुमति मांगी थी क्या इस मामले की जांच की गई थी कि उस समय दिए गए अन्य लाइसेंसों की तुलना में इस कम्पनी ने अपनी भौतिक क्षमता से कहीं बहुत बड़ी क्षमता के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त किया था ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : 1961 में जब यूनियन कार्बाइड को यह लाइसेंस दिया गया था तब कोई अन्य प्रत्याशी नहीं था। अन्य प्रत्याशी तो बाद में ही आए थे। 1962 में यह कम्पनी उन्हीं मशीनों से, सम्भवतः दूसरी पारी में काम करके, अपना उत्पादन 6 एम० जोड़ी स्तर तक बढ़ाना चाहती थी। इस का 1963 में निर्णय किया गया था। तब से आज तक यह कम्पनी इस स्तर तक उत्पादन कर रही है। अतः 10 वर्षों के पश्चात् अब इस स्थिति में इसकी जांच करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मंत्री महोदय ने बताया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है। क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने यह आग्रह नहीं किया था कि युनियन कार्बाइड को अपने उत्पादन के कुछ भाग का निर्यात करना चाहिए था ? यदि हां तो, क्या उन्होंने कुछ निर्यात किया है और क्या युनियन कार्बाइड के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाता है ? गत दस वर्षों में देश में मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : माननीय सदस्य सम्भवतः अनुवर्ती मामलों का उल्लेख कर रहे है। 1962-63 में जब 6 एम० जोड़ी तक उत्पादन में वृद्धि की अनुमति दी गई थी, तब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंन्धान परिषद द्वारा आपत्ति उठाए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तत्पश्चात् इस उद्देश्य के लिए देशी जानकारी विकसित हो गई थी। अतः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने यह आग्रह किया था कि भविष्य में देशी जानकारी को दृष्टि में रखते हुए लाइसेंस दिए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रख लिया गया है। किन्तु दुर्भाग्यवश देशी जानकारी के आधार पर विभिन्न फर्मों की आशय पत्र दिए जाने के बावजूद भी इसका उत्पादन करने हेतु कोई एकक अभीतक क्षेत्र में नहीं आया है यही वास्तविक कठिनाई है।

डॉ. महिपतराय मेहता : क्या यह सच है कि युनियन कार्बाइड ने मार्च 1970 से म तीव्रता वाले कार्बन का उत्पादन करना बन्द कर दिया है जिसके परिणाम स्वरुप हमें 10-12 लाख रुपये मूल्य का "लो इन्टेंसिटी" कार्बन प्रतिमास आयात करना पड़ रहा है ? उन्होंने हाई इन्टेंसिटी कार्बन की उत्पादन क्षमता 6 एम० की लाइसेंसे शुदा क्षमता से बढ़ाकर 9 एम० करदी है जिससे हाई इन्टेंसिटी कार्बन देश में बहुत बढ़ा दिया गया है ताकि नई कम्पनियाँ क्षेत्र में न आने पाये। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में इस के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट भी दी है। कम्पनी को नियमों का उल्लंघन करने देने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : निःसन्देह, युनियन कार्बाइड ने अपनी उत्पादन क्षमता और बढ़ाकर 9 एम० यूनिट करने के लिए आवेदन पत्र दिया है। इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है। 3 एम० की वृद्धि करने के बारे में हम आग्रह कर रहे हैं कि हाई इन्टेंसिटी कार्बन की वृद्धि करने के बजाए लो इन्टेंसिटी कार्बन की वृद्धि करनी चाहिए जिससे हाई इन्टेंसिटी कार्बन उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि नए एककों में की जा सके। अतः हाई इन्टेंसिटी कार्बन एककों के उत्पादन में वृद्धि करने की उन्हें अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। किन्तु हम उनसे आग्रह करेंगे कि विस्तार करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत अधिक कठिन क्षेत्रों में जाना चाहिए। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं जिससे कि नये एकक उत्पादन के कम दूषित क्षेत्रों का लाभ उठा सकें।

डॉ० महिपतराय मेहता : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने कहा है कि युनियन कार्बाइड ने 1970 में लो इन्टेंसिटी कार्बन का उत्पादन करना बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप देश को 10-12 लाख रुपये मूल्य का लो इन्टेंसिटी कार्बन प्रतिमास आयात करना पड़ रहा है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैंने इसी का उत्तर दिया है। हम आग्रह कर रहे हैं कि उत्पादन का और विस्तार लो इन्टेंसिटी कार्बन वाले क्षेत्र में ही करना होगा।

डॉ० महिपतराय मेहता : कम्पनी की चूक के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : युनियन कार्बाइड की किसी चूक के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यावाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तेज गति से औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों के लिए योजनायें

*26. **श्री बी० बी० नायक :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे जिलों या क्षेत्रों का चुनाव कर लिया गया है जहां कि औद्योगिक विकास तेज गति से होने की संभावनाएं हैं।

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों और क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इन स्थानों पर उपलब्ध साधनों का औद्योगिक उपयोग करने के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं जिस से वहां का औद्योगिक विकास तेजी से हो सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगा लिया है और उनके लिये विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चालु की हैं। इन जिलों/क्षेत्रों में यथा समय औद्योगिक विकास होने की संभावनाएं हैं। जहां औद्योगिक विकास और औद्योगिक कार्यक्रमों के तेजी से होने की संभावनाएं हैं ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए न तो कोई विशेष प्रयास किया गया है और न कोई योजना ही तैयार की गई है।

श्री बी० बी० नायक : प्रश्न के (क) से (ग) भाग में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, परन्तु उत्तर में "औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र" से शब्द ले लिये गए हैं। अब औद्योगिक दृष्टि से पिछडे माने गये 225 क्षेत्रों या जिल्हों में से केवल कुछ को ही औद्योगिक दृष्टि से अत्याधिक पिछडा हुआ माना गया है जिनकी संख्या 35 या 40 से अधिक नही है। क्या अत्याधिक पिछडे तथा पिछडे क्षेत्रों के मध्य कोई स्पष्ट भेद किया गया है, और यदि हां, तो अत्याधिक पिछडे तथा पिछडे क्षेत्रों के मध्य भेद करने के क्या आधार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : हमने 225 जिलों को पिछडे हुए जिले माना है। इन में से कुछ को अनुदान के रूप में 10 प्रतिशत राजसहायता का पात्र बनाया गया है। केवल यही भेद किया गया है। स्वाभाविक रूप से, इन जिलों के चयन में, राज्य सरकारोंनें यह निश्चय किया है कि ये जिले अन्य क्षेत्रों से अधिक पिछडे हुए हैं। केवल इस मानदण्ड के अनुसार उनको श्रेणीबद्ध किया गया है।

श्री बी० वी० नायक : सारे देश के इन विशिष्ट 35-40 जिलों के लिये कुल 5 लाख रुपये की राशि की राजसहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया गया जो कि पिछडे क्षेत्रों को दी गई राजसहायता से कहीं अधिक है। क्या यह संभव नहीं है कि पिछडे तथा अधिक पिछडे का भेद मिटाकर सभी पिछडे जिलों को अत्याधिक पिछडे जिलों की श्रेणी में रख दिया जाये?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है और माननीय सदस्य द्वारा पुछे गये प्रश्न से पैदा नही होता।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : रायल सीमा जैसे पिछडे जिलों को अनेक प्रोत्साहन देने के बावजूद, सरकार द्वारा प्रोत्साहनों की घोषणा के आदेश से ही उस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उद्योग स्थापित नहीं किया गया है हालां कि उस क्षेत्र में व्यापक रुप से खनिज क्षमता विद्यमान है। इस लिये, इसके क्या कारण है, तथा क्या वहां नौकरशाही के कारण कोई बाधा उत्पन्न होती है या उद्योगपति या कोई अन्य व्यक्ति वहां उद्योग नहीं स्थापित कर सकता? मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस और आकर बैठें तो आप इसका उत्तर दे सकते है। मैं अनुमती दे दूंगा।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : केवल रायलसीमा में ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों के अन्य जिलों में भी प्रगति कोई उत्साहवर्धक नहीं हुई है। इसलिये हम इस सारे मामले पर विचार कर रहे हैं कि पिछडे क्षेत्रों की समस्या को कैसे हल किया जाये।

श्री के० नारायण राव : मंत्री महोदय ने एक प्रकार से यह स्वीकार कर लिया है कि इन क्षेत्रों में संतोषजनक विकास नहीं हुआ है इस दृष्टि से, क्या यह वांछनीय है कि कतिपय ऐसे उद्योगों का चुनाव किया जाये जो कतिपय क्षेत्रों के तत्काल विकास में सहायक हों तथा उन उद्योगों को उन्हो क्षेत्रों के लिये आरक्षित कर दिया जाये। दूसरे, क्या सरकार यह ध्यान रखेगी कि वह स्वयं ऐसे क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित करें जहां गैर-सरकारी उद्योगपति आगे नहीं आ रहे हैं?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : पिछडे क्षेत्रों की समस्या को हल करने का एक उपाय तो इन जिलों के समान सर्वेक्षण पर तथा इस बात का पता लगाने पर आधारित होगा कि उन क्षेत्रों में कौन-कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है तथा वहां किस प्रकार का विकास कार्य किया जा सकता है। उसके लिये हमने एक मार्गदर्शी परियोजना बनाई है तथा आंध्र प्रदेश का जिला हमने चुना है और वहां इस कार्य पर वैज्ञानिकों का एक दल लगाया है जो सर्वेक्षण करेगा तथा विकास संबंधी संभावनाओं के बारे में अपनी सिफारिश देगा। अभी अभी एक प्रारंभिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है और इसे देखने से हमें लगता है कि शायद यह दृष्टिकोण अधिक सफल होगा बजाये इसके कि हम उद्योगपतियों को वहां उद्योग स्थापित करने को कहें, बिना यह बताये कि वहां क्या प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तथा वहां क्या क्या उद्योग आरंभ किये जायें।

अध्यक्ष महोदय : मोदी साहब आप तो किसी पिछडे क्षेत्र के नहीं हैं।

श्री पीलू मोदी : जी हां, मैं पिछडे क्षेत्र का ही हूँ ? और मेरा जिला उन कई जिलों में से एक है। क्या मैं अब एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्यों कि मंत्री महोदय श्री वेंकटा-सुब्बया के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, तो क्या मैं उनसे जान सकता हूँ कि क्या उन्हें मालम है कि इन तथाकथित पिछडे जिले में सरकार द्वारा राजसहायता दिये जाने के बाद भी इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है क्यों कि वहां उन क्षेत्रों में कोई मूलभूत ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तैयार नहीं किया गया है ? दी गई राजसहायता यथोचित मूलभूत ढांचे के अभाव में, न केवल आवश्यक सेवाओं तथा उनके उपयोग के बारे में बल्कि किसी उत्पाद के तयार होने के पश्चात उसके वितरण की व्यवस्था के बारे में भी पर्याप्त नहीं होती। इसलिये, क्या सरकार वितरण प्रणाली में अपरिपक्व मूलभूत ढांचे के कारण उत्पन्न कठिनाई पर काबू पाने के लिये राजसहायता को प्रभावी बनाने के संबंध में विचार करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे उन क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे में सुधार करें ताकि वहां उद्योग स्थापित हो सकें। मूलभूत ढांचा बनाने के लिये गैरसरकारी उद्योगपतियों को घनराशि अदा नहीं की जा सकती।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने मेरे कथन को बिल्कुल गलत समझा है। मूल ढांचे की आवश्यकतानुसार राजसहायता पर्याप्त नहीं थी, अथवा मूल ढांचे के अन्तर्गत प्रावधित न किये गये व्ययों की क्षतिपूर्ति उद्योगपतियों द्वारा की जाने की है, और इसलिये यदि सरकार राजसहायता में वृद्धि करती तो उनके लिये उक्त क्षेत्रों का विकास करना संभव हो सकता।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैंने माननीय सदस्य की बात को ठीक से समझा है जोकि राजसहायता को उस सीमा तक बढवाना चाहते है कि उद्योगपति मूल ढांचे का विकास कर सकें। यह सरकार की नीति नहीं है।

श्री एस० आर० दामाणी : अनेक सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये अनेक प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु अब तक बहुत ही कम उद्योगपति पिछडे क्षेत्रों में पहुंचे हैं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या परिवहन तथा संचार सुविधायें जुटाये बिना इन पिछडे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना संभव है ? यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में शीघ्र-गामी परिवहन तथा संचार व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य ने यही बात कही है मूल ढांचा ही सडक तथा अन्य संचार व्यवस्था का दूसरा नाम है। हम राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि वे इन सुविधाओं में सुकार करें परन्तु उसका परिणाम इतना उत्साही नहीं है । पिछडे क्षेत्रों से 1500 से अधिक आवेदन पत्र आये हैं । तथा उनमें से 350 पर निर्णय कर लिया गया और शेष पर विचार हो रहा है। तथापि ये आवेदन पत्र केवल कुछ ही राज्यों से आये हैं सभी राज्यों से नहीं। यही कठिनाई है।

राज्यों के सीमेंट के कारखानों के विस्तार के लिए नये लाइसेंस

27 श्री **रणबहादुर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : N· P. (क) क्या देश में सीमेन्ट की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने सीमेन्ट कारखानों के विस्तार के लिए नये लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ख) राज्यवार, सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य कच्चा माल अर्थात सीमेंट ग्रेड चुना उपलब्ध होने पर कोई भी इच्छुक उदयमी देश में किसी भी स्थान पर सीमेंट संयंत्र स्थापित कर सकता है। लाइसेंस के प्रत्येक आवेदन पर उसकी आर्थिक जीव्यता, क्षेत्र में मांग और खपत, स्थापनास्थल आदि के संदर्भ में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। अब तक स्वीकृति की गई राज्यवार नई क्षमता को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या ए० एल० टी० 4139 1/73**]

श्री रणबहादुर सिंह : विवरण में बताया गया है कि कुछ लाइसेंस मध्य प्रदेश राज्य को दिये गये हैं। विवरण में स्पष्ट है कि ये लाइसेंस उन क्षेत्रों के लिये दिये गये हैं जो कि पहले ही काफी विकसित हैं । यह भी सब को मालूम है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश उत्तर पूर्वी भागों में सीमेंट जैस चुना पत्थर पर्याप्त मात्रा में हैं। इस विवरण के अनुसार जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं तथा जहां चुना पत्थर उपलब्ध है उन्हें लायसेंस नहीं दिये गये हैं। क्या मैं सरकार से अनुरोध कर सकता हूं कि वह अपनी लायसेंस नीति को पिछडे क्षेत्रों का विकास करने, तथा उन क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने लगाने के लिये उपयोग में लाये जिन पिछडे क्षत्रों में सीमेंट जैसा चुना-पत्थर उपलब्ध है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम : कोई लाईसेंस आवेदन करने पर ही दिया जा सकता है यदि इन क्षेत्रों के लिये आवेदन ही न किया जाये तो हम लायसेंस नहीं दे सकते। यदि किन्हीं क्षेत्रों में चुना-पत्थर उपलब्ध है और गैरसरकारी क्षेत्र से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते तो निश्चय ही हम भारतीय सीमेंट निगम को इसकी जांच करने, उपलब्धता के बारे में अनुमान लगाने तथा उसके लिये आवेदन करने को कह सकते हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : देश में सीमेंट के अभाव को देखते हुए जिसके कारण देश में इसका काला बाजार हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस अभाव को दूर करने के लिये तथा काला बाजार को रोकने के लिये क्या तत्काल उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : हम नये एककों को लायसेंस दे रहे हैं और हम उन एककों का चुनाव कर रहे हैं जो तुरन्त ही उत्पादन आरंभ कर देंगे। उन्हें हम हर संभव सहायता दे रहे हैं। दुर्भाग्य से यह प्रश्न वहां उपलब्ध न होने वाली क्षमता का नहीं है। हम उस क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देश के जिन भागों में सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं वहां बिजली की कमी है। मैंने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे निर्माण कार्य के लिये सीमेंट के महत्व को समझते हुए सीमेंट के कारखानों को प्राथमिकता दें। मुझे आशा है कि कुछ प्राथमिकता मिल सकेगी ताकि उत्पादन में वृद्धि हो ।

श्री के० लकप्पा : विभिन्न राज्यों में सीमेंट के लायसेंस देने के बारे में, मैं देश में कार्य कर रहे कतिपय सीमेंट कारखानों विशेषकर मैसूर राज्य, मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थित बिडला के सीमेंट कारखानो को श्रेणीबद्ध करना चाहता हूँ। हमने अब तक देखा है कि वे अपने इस उद्देश्य के लिये बनाये गये अपने एजेन्टों के कहने पर तथा उनके साथ सांठगाठ करके न केवल सीमेंट का काला बाजार कर रहे हैं बल्कि देश में सीमेंट की कृत्रिम कमी भी पैदा कर रहे हैं। वे मैसूर में अपने ही एजेन्टों के द्वारा सीमेंट को काले बाजार में बेचने में सहायता कर रहे हैं । इस मंत्रालय की जानकारी कई शिकायतें लाये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । क्या सरकार का विचार समाज के हितों को देखते हुए इन कारखानों को अपने हाथ में लेने का है । इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों की मैं निश्चय ही जांच करूंगा ।

श्री दामोदर पाण्डे : यह देखते हुए कि सीमेंट के कारखाने अपनी निजी चूना-पत्थर की खानों का विकास कर रहे हैं, इस से संभव है कि उडीसा तथा बिहार की सीमा पर स्थित चुना पत्थर खानों में कार्य कर रहे, 10,000 व्यक्ति फालतू तथा बेरोजगार हो जायेंगे। क्या सरकार उस क्षेत्र में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ताकि ये मजदूर बेरोजगार न हो जायें ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह एक विशिष्ट प्रश्न है । मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री डी० एन० तिवाड़ी : देश में सीमेंट की कितनी कमी है ? यदि कमी नहीं है, तो मूल्य इतने क्यो चढ रहे हैं ? यदि कमी है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, अधिकांश महत्वपूर्ण राज्यों में जहां सीमेंट के कारखाने स्थित हैं, बिजली की कमी है। वहां 75 प्रतिशत तक बिजली की कटौती है । इस लिये सीमेंट के उत्पादन पर बडा कुप्रभाव पड रहा है । जब तक हम क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, तब तक उत्पादन कम होता जायेगा । हम स्थिति में सुधार करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि मनीपुर को लाइसेंस दिये जाने से इंकार कर दिया गया और यदि हां, तो सीमेंट कारखाने आरम्भ करने के लिये लाइसेंस देने से इंकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह प्रथक प्रश्न है तथा माननीय सदस्य को इस बारे में अलग सूचना देनी चाहिये ।

Dr. Laximinarain Pandeya : The hon. Minister has stated that due to power shortage, Cement Factories are not being started anywhere even if it is feasible to to start such factories. But there is no power shortage in the State of Madhya Pradesh. District of Mandsaur has been found suitable for Cement factory. It was also declared by the Central Government that a cement factory would be set up there. In view of the scarcity of cement may I know the reasons for not starting a cement factory there? When a factory will be set up there?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह दूसरा प्रश्न भी विशिष्ट प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य इस बारे में जानना चाहते हैं तो वह मुझे पत्र लिख सकते ह तथा मैं उन्हें जानकारी प्रस्तुत कर सकंगा ।

श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सीमेंट कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने के लिये एक नया प्रयत्न किया है तथा उस प्रयत्न के अनुसरण में सरकारने वहुत से आशयपत्र तथा लाइसेंस दिये हैं, जिनका उपयोग नहीं किया गया और यदि हां, तो मंजूर किये गये आशयपत्रों और लाइसेंसों की उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मेरे विचार से माननीय सदस्य का अनुमान सच नहीं है । वास्तव में जो लाइसेंस अथवा आशयपत्र दिये गये है उनके बारे में आगे कार्यवाही की जा रही है । मशीनों के उत्पादन के बारे में कुछ कठिनाई है। हम उस सम्बन्ध में भी प्रयत्न कर रहे है। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं...

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्हें कितना समय हो गया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस समय इस का उत्तर नहीं दे सकता कि उन्हें कितना समय हो गया है । हम आशयपत्रों के बारे में यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उन कारखानों में यथा सम्बन्ध शीघ्र उत्पादन आरम्भ हो सके।

श्री विक्रम महाजन : यह कहा गया है कि जहां कहीं भी चुना पत्थर उपलब्ध है तथा यदि कोई गैर सरकारी उद्यमी चुना पत्थर और सीमेंट पत्थर को निकालने के लिए तैयार नही है तो सरकार स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करेगी। क्या यह सच है कि कांगडा जिल में चुना पत्थर उपलब्ध है तथा वहां से उस पत्थर के खनन के लिये कोई गैर सरकारी उद्यमी तैयार नही है, और यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत एक कारखाना स्थापित करेगी ? यह एक पिछडा हुआ क्षेत्र है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यदि माननीय सदस्य जिस क्षेत्र का उल्लेख कर रहे है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें तो मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा ।

देश में अपराधों की संख्या में वृद्धि

*28. श्री समर मुखर्जी †
श्री देवेन्दर सिंह गरचा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है और अपराध ग्रस्त नगरों की सूची में दिल्ली का स्थान सर्वोपरि है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समूचे देश में फैली अराजकता से जनता को बचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो द्वारा संकलित 1970 के अपराध आंकड़ों से प्रतीत होता है कि देश में अपराधों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है ।

दिल्ली में सन् 1970 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध की दर 740.4 थी जो 10 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अधिकतम थी ।

(ख) और (ग) : जब कि अपराध के आंकड़ों में इस बढ़ोतरी के लिए कारणों के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, अपराधों में ऐसी बढ़ोत्तरी का कारण अन्य बातों में बढ़ोत्तरी के साथ जनसंख्या में वृद्धि के कारण दबाव व भार, सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, औद्योगीकरण, नगरीकरण इत्यादि प्रतीत होते हैं ।

अपराधों की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) पुलिस बल को जांच के लिए अधिक वैज्ञानिक यंत्रों से लैस करके तथा संचार की तुरन्त सुविधा देकर तथा उसकी गतिशीलता बढ़ा कर पुलिस का आधुनिकीकरण करना ।

(ii) अपराधों से अभिभूत क्षेत्रों नगर तथा देहात दोनों की गहन गश्त लगाना ।

(iii) बदमाशों तथा अपराधियों के बारे में उनकी कार्यविधि के सम्बन्ध में विशेष अध्ययन समेत आसूचना एकत्रित करने में अधिक सतर्कता बरतना ।

(iv) बड़े शहरों में गश्त लगाने के लिए नियमित बीट गश्त की पूर्ती वायरलैस से लैस वाहन वाले गश्त दलों से की गई है ।

(v) अपराध का पता लगाने की प्रणाली का आधुनिकीकरण, और

(vi) सरल और शीघ्र जांच की सुविधा के लिए अपराध रिकार्डों के रख रखाव की पद्धति में सुधार करना ।

श्री समर मुखर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अपराधों की संख्या में वृद्धि की दर जन संख्या की वृद्धि की दर से अधिक है तथा जैसा कि दिल्ली पुलिस अनुसंधान ब्यूरो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में आंकड़े दिये गए है क्या यह सच है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है ? उनके अनुसार 1960-70 के बीच जन संख्या में 27. 4 प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि अपराधों की संख्या में 57. 4 प्रतिशत वृद्धि हुई । यह वृद्धि बहुत अधिक है तथा विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी बलात्कार जैसे निंदनीय अपराध हो रहे हैं । अतः मेरा प्रश्न है कि निष्कर्ष के रूप में इन अपराधों का कारण क्या यह है कि सत्तारूढ़ दल और सरकार समाज विरोधी तत्वों तथा अपराधियों को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि 1960-70 की अवधि में जन संख्या में 27. 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत हस्तक्षेपीय अपराधों की संख्या में 57. 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है ? प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराधों की संख्या की दर में 23. 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस से सम्बन्धित यही आंकड़े हैं ।

इन आंकड़ों से तथा 1969-70 के आंकड़ों से विशेषकर यह ज्ञात होता है कि दर्ज किये गये अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है । हमने इस बारे में विशेष सावधानी बरती है कि सभी अपराधों को दर्ज किया जाए—दिल्ली में विशेष अभियान चलाया गया है—और इसका उद्देश्य यह है कि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए जिससे इस समस्या को आसानी से हल किया जा सके । वास्तव में जो कार्यवाही की गई है उसके अतिरिक्त हम उस ब्यूरो से जिसका मैंने उल्लेख किया है, इस सम्बन्ध में कहेंगे तथा उससे दिल्ली के बारे में अपराध के कारणों का पता लगाने तथा उस सम्बन्ध में ठोस सुझाव देने के लिये भी कहेंगे । मेरे विचार से माननीय सदस्य के प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर देना उचित नहीं है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्यों नहीं ? आपने कहा था कि अपराधों की संख्या में वृद्धि का एक कारण मद्यपान भी है ।

श्री समर मुखर्जी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ...

श्री पीलु मोदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह दूसरा प्रश्न कर सकते हैं ?

श्री समर मुखर्जी : किन राज्यों में सबसे अधिक अपराध होते हैं ?

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश में

एक अन्य माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : रिपोर्ट में आंकड़े दिये हुये हैं । मुझे यह नहीं पता कि अपराधों की संख्या किस राज्यों में सबसे अधिक है । यह प्रश्न दिल्ली के बारे में है । मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में गत कुछ महीनों में स्थिति में सुधार हुआ है ।

श्री समर मुखर्जी : मैं यही जानना चाहता था कि क्या बंगाल में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी । मेरा प्रश्न यह है कि किस राज्य में संख्या सबसे अधिक है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या यह सच है कि इन अपराधों में कुछ योजनाबद्ध विपक्षी दलों का हाथ है और यदि हाँ, तो उन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether it is a fact that in the states where crimes take place or where the number of such incidents is bigger, the criminals are protected by the Government and the Ministers? Is it a fact that they are also involved in these crimes directly resulting in increase in the crimes?

Shri K. C. Pant : There have been different Governments in the different states and every one might be having some experience about one's party.

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मंत्री महोदय ने अपराधों को रोकने के लिये जो उपाय किये गये हैं और जो किये जाते हैं, उनके बारे में बताया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जांच करने वाले अधिकारियों तथा पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में ये आपके अपने विचार हैं। सरकार हमेशा मनोबल बढ़ाती है। आप अपना प्रश्न पूछिये तथा अपने विचार मत बताइये।

श्री मोहम्मद खुदा बक्श : क्या अपराधों में वृद्धि का सम्बन्ध उन लोगों की निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ती गरीबी से है, जो पहले ही अत्यंत गरीब हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह धारणा सही नहीं है कि वे और गरीब होते जा रहे हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप को यह किसने बताया ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या आप उनके सिद्धांत से सहमत हैं ? आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं किन्तु यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि ये सामान्य अपराध हैं। मैंने दिल्ली में हत्या, अपहरण, डाकेबाजी, लूटमार और सेंध लगाने तथा सामान्य चोरी के बारे में आंकड़े दिये हैं। सामान्य चोरी के मामलों की संख्या सबसे अधिक है, 17,000 तथा सेंध लगाने के मामलों की संख्या 3,000 है। इस देश में गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है। दिल्ली में भी यही स्थिति है। किन्तु अपराधों का कारण यह नहीं है। इस बारे में आपको भ्रम नहीं होना चाहिये।

श्री योगेन्द्र झा : क्या जमाखोरी और चोर बाजारी जैसे अर्थ सम्बन्धी अपराधों को भी अपराध माना जाता है अथवा नहीं ? क्या इन अपराधों को अपराध की सुची में सम्मिलित किया जाता है ? सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सामान्यतः किस वर्ग के लोग प्रायः इस प्रकार के अपराध करते हैं। किन्तु सरकार इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये बहुत धीमी गति से कार्यवाही करती है क्योंकि उस वर्ग के साथ सरकार की सहानुभूति है। लूटपाट के माल का बंटवारा किया जाता है। और मैं इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं बता सकता हूं। उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। भूस्वामियों ने किरायेदारों को तथा खेतिहर मजदूरों को निकालने के लिये हत्या, आगजमी आदि का सहारा लिया है तथा ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई है। क्या सरकार इस प्रकार के अपराधों को समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है अथवा नहीं ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत हस्तक्षेपीय अपराधों को विवरण में सम्मिलित किया गया है तथा सभी प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि कोई भी पुलिसमैन समाजविरोधी तत्वों से मिला हुआ नहीं है। किन्तु जब भी ऐसी कोई घटना हमारे सामने आती है हम उस पर कार्यवाही करते हैं। माननीय सदस्य कुछ मामलों के बारे में जानते हैं तथा मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह हमें उनके बारे में जानकारी दे तथा हम उनपर यथा सम्भव कार्यवाही करेंगे। उन्हें ज्ञात होगा कि पुलिस तथा कानून और व्यवस्था सम्बन्धी मामलों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। दिल्ली के बारे में हम उत्तरदायी हैं। अन्य स्थानों के मामलों में हम एक एजेंसी के रूप में राज्य सरकारों से उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये अनुरोध कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र झा : आर्थिक अपराधों के बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ? क्या ऐसे अपराधों को अपराध माना जाता है अथवा नहीं ?

Shri B. P. Maurya : The hon. Minister has stated that the number of crimes is highest in Uttar Pradesh. Whether it is U.P. or any other part of the country most of the persons victimised in these crimes belong to the Scheduled Caste, and Scheduled Tribes. May I know whether government propose to take special care to minimise atrocities caused to them? May I know whether in pursuance of the provisions enshrined in the Constitution regarding the protection of these persons, Government will interfere in such crimes? I was away for a period of four and a half month. In my constituency two girls of 12 years and 14 years belonging to Scheduled Castes were raped, but no report was recorded in the Police station. May I know wheher Government will take special measures in this regard?

Shri K. C. Pant : All the crimes such as house breaking, ordinary thefts, dacoity, robbery etc. are mentioned in the statement and all such cases are crimes. It is also correct that in certain cases atrocities are caused to the persons of Scheduled Castes and Tribes in the country. It has been our endeavour and we will certainly try to see that in such cases Centre takes special care.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

काश्मीर के जनमत संग्रह मोर्चे पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

***25. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काश्मीर के जनमत संग्रह मोर्चे पर से प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दिक्षित) : (क) और (ख) : अखिल जम्मू व कश्मीर जनमत संग्रह मोर्चा 12 जनवरी, 1971 को अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन एक अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था। उस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी संस्था को अवैध घोषित करने से संबंधित अधिसूचना दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। तदनुसार मोर्चे पर प्रतिबन्ध "जनवरी, 1973 को समाप्त हो गया"।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

*29. श्री के० लकप्पा :

श्री पी० गंगादेव :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक 17 जनवरी, 1973 को आयोजित हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या-क्या निर्णय किए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख): "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक योजना आयोग के दस्तावेज पर विचार करने के लिए 19 और 20 जनवरी, 1973 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई तथा दृष्टिकोण दस्तावेज को इसने आम स्वीकृति प्रदान कर दी।

अनुसन्धान के लिए उद्योगों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव

***30. श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसन्धान के लिए उद्योगों पर उप-कर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) यह प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(ख) अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) उप-कर मुख्यतया एक वर्गीकृत आधार पर राजकीय तथा निजी क्षेत्र के सभी औद्योगिक एककों पर लागू होगा एवं इसका विभाजन उद्योग के अन्तर्गत प्राथमिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यों के कार्यान्वियन के लिये संयोजित रूप से किया जायेगा। इस योजना के सही ब्यौरे बनाए जा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 1972–73 में किया गया योजना व्यय

*31. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1972–73 में योजना के लिये आवंटित कुल परिव्यय में से कितनी धनराशि व्यय की ;

(ख) यदि वह आवंटित धन को व्यय करने में असफल रहा है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) व्यय करने में असफल रहने से योजना की कौन-कौन सी परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : वार्षिक योजना 1972–73 के लिये संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का वास्तविक व्यय अभी प्राप्त नहीं है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने प्रत्याशित व्यय 46.02 करोड़ रुपये बताया है जबकि स्वीकृत परिव्यय 41 करोड़ रुपये था (इसमें दिल्ली यातायात निगम के लिए 2 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं जो कि अब यातायात तथा जहाजरानी मंत्रालय के अधिकार में है)।

(ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार निधियों के अभाव में किसी भी महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

भारत में नाभिकीय सम्मिलन (न्यूक्लियर फ्यूजन) के बारे में अनुसंधान

*32. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नाभिकीय सम्मिलन (न्यूक्लिअर फ्यूजन) के क्षेत्र में अनुसंधान करने के बारे में प्रथम कदम उठा चुका है ;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिक नाभिकीय सम्मिलन के बारे मे अध्ययन करने के उद्देश्य से लेंसर की सहायता से ऊंचे तापमान वाले प्लाज़्मा का उत्पादन कार्यक्रम हात में लेंगे ; और

(ग) क्या नियोडिमियम ग्लास लेंसर तथा एक अन्य शक्तिशाली लेंसर कार्बनडाइआक्साईड लेंसर का विकास किया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नाभिकीय विलयन सम्बन्धी अनुसंधान, जिसमें लेंसर किरणों का प्रयोग किया जाता है करने के लिये भारत ने प्राथमिक कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) जी हां, एक बार परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध भी किया जा चुका है कि ऐसा कर सकना सम्भव है।

(ग) निओडिमियम ग्लास एवं कार्बनडाइआक्साइड लेंसों का विकास भाभा परमाणु अणुसंधान केन्द्र में किया जा रहा है।

समाचारपत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण

*33. **डॉ० रानेन सेन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में सरकार के निणय को क्रियान्वित करने के लिये अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहों की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में आवश्यक उपाय करने में विलम्ब के क्या करण हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) 1972-73 के लिय अखबारी कागज सम्बन्धी नीति पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी पहलुओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

मोनोटाईप मशीनों के फालतू पुर्जे

*34. **श्री अनन्त राव पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या सरकार को मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के मालिकों से इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें देश में मोनोटाइप मशीनों के फालतु पुर्जे नहीं मिल रहे और छोटे पुर्जे तक उन्हें इंग्लैंड से आयात करने पड़ते हैं ;

(ख) क्या जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य से मंगाई गई पोलीग्राफ की प्लामग रोटरी प्रिंटींग मशीनों के साथ भी यही कठिनाई है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि विदेशों के निर्माताओं के लिए भारत में फालतू पुर्जों का कारखाना स्थापित करना अनिवार्य कर दिया जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क) जी, हां। एक शिकायत मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय चलचित्रों के स्तर में गिरावट

*35 **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :

श्री डी० बी० चंद्र गौंडा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्रों का स्तर गिरता जा रहा है और अश्लील दृश्यों और पोस्टरों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिन्हे सभी राहगीर देखते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अश्लील दृश्यों और पोस्टरों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनमें अतिशय यौन संबंधी चित्र होते है ?

3—20 L.S.S./72

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) जैसा कि सभी देशों में है, भारतीय फीचर फिल्में मिश्रित श्रेणी की है, यद्यपि तकनीकी रूप से निम्न स्तर की नहीं है । केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड अश्लीलता तथा अन्य अवांछनीय बातों के प्रदर्शन को, जब भी वह होता है, रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करता रहा है ।

पोस्टरों पर नियन्त्रण राज्य सरकारों तथा नगरपालिका के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है । इनको एक से अधिक बार यह सलाह दी जा चुकी है कि वे आपत्तिजनक फिल्म पोस्टरों, आदि के प्रदर्शन को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं ।

पानीसागर, त्रिपुरा की हालम बस्ती की एक जनजाति लडकी का अपहरण

*36. **श्री दशरथ देब :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1972 के मध्य में पानीसागर, त्रिपुरा की हाल में बस्ती की एक जनजाति लड़की का केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसको अब तक बरामद नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अपहृत जनजाति लड़की को छुड़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Administrative Machinery Lacking Dynamism

37. **Shri M. C. Daga :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the steps taken or proposed to be taken by Government to remove lack of dynamism in the administrative machinery in the country?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : Continuous efforts are made by Government to improve the dynamism of the administrative machinery to meet the new requirements of the rapidly changing socio-economic conditions.

दिल्ली में अवैध शराब बनाने के मामलों में वृद्धि

*38. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध शराब बनाने के मामलों में वृद्धि हुई है और हाल ही में दिल्ली में ऐसी शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अवैध शराब का निर्माण रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**–4192/73]

अमृतसर टेलीविजन केन्द्र का प्रसारण-क्षेत्र

*39. **श्री मानसिंह भौंरा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर टैलीविजन केन्द्र का वर्तमान प्रसारण-क्षत्र कितना है ;

(ख) क्या केन्द्र के प्रसारण-क्षेत्र का पंजाब के अधिक क्षेत्रों तक विस्तार करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अमृतसर टेलीविजन ट्रान्समिटर केन्द्र की रेन्ज 65 किलोमीटर होगी ।

(ख) तथा (ग) जलन्धर, भटिण्डा और सरहिन्द । कसौली में उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं प्रदान कर समस्त राज्य को कवर करने का प्रस्ताव है ।

सरकारी सेवा के लिये आयु की सीमा को 25 से बढ़ा कर 30 वर्ष करना

40. **श्री कुमारी कमला कुमारी** : क्या **प्रधान** मत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए सरकार आयु सीमा को 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार कर रही है : और

(ख) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) एक विवरणः सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकारी सेवा में प्रवेशार्थ उपरी आयु सीमा में 25 से 30 वर्ष तक की वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं । विभिन्न पदों के लिए ऊपरी आयु सीमाएं उनके लिए आवश्यक योग्यताओं तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं । तथापि, संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप श्रेणी III अनुसचिवीय अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा को 21 से बढ़ाकर 25 वर्ष तक करने के आदेश मार्च, 1972 में जारी किए गए थे । इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को अप्रैल, 1972 में 24 से बढ़ाकर 26 वर्ष तक कर दिया गया है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 24 से बढ़ाकर 25 वर्ष तक कर दिया गया है । इसके साथ ही साथ, इंजीनियरी के रोजगार अवसरों में सुधार लाने के लिए वर्ष 1972–73 में होने वाली इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं में तथा वर्ष 1973 एवं 1974 की इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रानिकी) परीक्षाओं के लिए भी ऊपरी आयु में 30 वर्ष तक की वृद्धी कर दी गई है । इंजीनियरी सेवाओं तथा इंजीनियरी पदों के सम्बन्ध में जिनपर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न होकर अन्य प्रक्रिया से होती है, उनके सम्बन्ध में 35 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा को ध्यान में रखत हुए दो वर्ष कि अवधि के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है ।

पांचवी योजना के दौरान पिछडे राज्यों की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के उपाय

201. **श्री वयालार रवि :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से कम है तथा प्रत्येक उक्त राज्य की राष्ट्रीय आय कितनी-कितनी है ; और

(ख) इस अन्तर को दूर करने तथा पिछड़े राज्यों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए पांचवीं योजना के दौरान क्या उपाय किये जाने हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकारों द्वारा संकलित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का विवरण संलग्न है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति आय कम थी। राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिव्यक्ति आय के अनुमानों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उनके द्वारा प्रयुक्त संकल्पना, रीति-विधान साधन सामग्री और आधार वर्ष अलग अलग थे।

(ख) क्षेत्रीय असंतुलन, हटाने से सम्बन्धित नीति पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण पत्र में सम्मिलित कर ली गई है, जिसे सभा-पटल पर पहिले ही रखा जा चुका है। इसके प्रति जो विशेष प्रयत्न प्रस्तावित हैं उन पर कारवाई की जा रही हैं।

विवरण

चालू मूल्यों के आधार पर राज्यवार प्रतिव्यक्ति आय

क्रम सं०	राज्य	चालू मूल्य के आधार पर	
		संदर्भ वर्ष	प्रतिव्यक्ति आय (रुपये)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	1970–71	545
2	असम	1969–70	545
3	बिहार	1968–69	402
4	गुजरात	1969–70	657
5	जम्मू और कश्मीर	1968–69	513
6	हरियाणा	1969–70	788
7	हिमाचल प्रदेश	1969–70	563

1	2	3	4
8 केरल	. . . . . .	1968–69	526
9 मध्य प्रदेश	. . . . .	1970–71	554
10 महाराष्ट्र	. . . . . .	1970–71	778
11 मैसूर	. . . . . .	1970–71	532
12 उड़ीसा	. . . . . .	1967–68	325
13 पंजाब	. . . . .	1969–70	945
14 राजस्थान	. . . . .	1969–70	480
15 तमिलनाडु	. . . . .	1970–71	644
16 उत्तर प्रदेश	. . . .	1970–71	504
17 पश्चिम बंगाल	. . . . .	1970–71	524
18 मणिपुर	. . . .	1970–71	476
19 त्रिपुरा	. . . . . .	1967–68	459

थुम्बा तथा श्रीहरिकोटा से छोड़े गये राकेट

202. श्री **वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राकेट छोड़ने के थुम्बा तथा श्रीहरिकोटा स्थित केन्द्रों से वर्ष 1972–73 में कितने राकेट छोड़े गये तथा उनका विवरण क्या है ;

(ख) उनमें से कितने राकेट भारत में निर्मित हुए थे तथा कितने आयात किये गये थे ; और

(ग) क्या भारत में निर्मित राकेटों के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार पाया गया ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राकेट छोड़ने के थुम्बा तथा श्रीहरिकोटा स्थित केन्द्रों से वर्ष 1972–73 के दौरान छोड़े गये राकेटों की संख्या और उनका विवरण निम्न प्रकार है :

		थुम्बा	श्रीहरिकोटा
सेंचोर–2ए	. . . . . .	5	..
आर एच–125	. . . . . .		3
मेनका–2	. . .	..	3
आर एच–560	. . . .	..	1
नाइक अपाके	. . . .	2	..
एम–100	. . .	46	..

परीक्षण की दृष्टि से प्रक्षेपण	थुम्बा	श्रीहरिकोटा
रोहिणी–100	9	..
रोहिणी–125	7	..
मेनका–1	19	..
मेनका–2	12	..
योग .	100	7

(ख) 59 राकेट भारत में ही तैयार किये गये थे और 48 राकेट आयात किये गये थे ।

(ग) जी हां । राकेटों में श्रष्ठ डिजाइन निर्माण की नई तकनीके, विशेष सामग्री और अधिक ऊर्जा का प्रणोदक जुटाकर सुधार किया गया है । राकेट चैम्बरों को संयुक्त करने और पृथक करने की तकनीकों और दबाव के साथ प्रक्षेपण करने व नियंत्रित करने की प्रणाली की तकनीक में भी सुधार किया गया है ।

केरल के डाक व तार सर्किल के लिये विकास योजनाएं

203. **श्री वयालार रवि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1973–74 के दौरान केरल डाक व तार सर्किल में शुरू की जाने वाली विकास कार्यों की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस सर्किल में कर्मचारियों के कल्याण के लिए क्य कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) केरल सर्किल में वर्ष 1973–74 के दौरान निम्नलिखित डाक-तार विकास योजनाओं पर काम करने का प्रस्ताव है :—

(क) डाक सेवाएं

(1) नए डाकघर खोलना . .	40
(2) मौजूदा डाक घरों का दर्जा बढ़ाना .	50
(3) डाकघर की इमारतों का निर्माण . .	25

(ख) दूर संचार सेवाएं

(1) कन्नानोर एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाना .	1,500 लाइनें
(2) बालीपत्तनम एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाना	500 लाइनें
(3) मौजूदा एम० ए० एक्स०-II एक्सचेंजों में विस्तार	1,900 लाइनें
(4) छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज . .	800 लाइनें
(5) सेन्ट्रल बैटरी मल्टीपल एक्सचज .	600 लाइनें
(6) सार्वजनिक टेलीफोन घर . . .	70
(7) डाक-तार घर	25

(8) आशा है कि वर्ष 1973–74 में नीचे लिखे स्थानों के बीच एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता को एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध हो जाएगी :

(1) एर्नाकुलम-कोट्टायम
(2) एर्नाकुलम त्रिवेंद्रम
(3) एर्नाकुलम-नरक्कल

(9) एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम में 1000 लाइनों के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने का कार्य चल रहा है। आशा है कि अब ये एक्सचेंज वर्ष 1974–75 के प्रारम्भ मे चालू हो जाएंगे।

जहां तक कल्याण सुविधाओं का प्रश्न है, डाक-तार कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी और गैर-तकनीकी शिक्षा के लिए छात्र-वृत्तियां, किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को उनकी अस्वस्थता पर तथा बाढ़, आग लगने आदि के मामलों में भी आर्थिक सहायता दी जाती है। मनोरंजन क्लबों को और खेल-कूद के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है। डाक-तार कर्मचारियों के लिए टी० वी० बैंड आरक्षित करने और कैंटीन और टिफिन रूम आदि की व्यवस्था की जाती है।

इनके अतिरिक्त, 190 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है। और वर्ष 1973–74 के दौरान 360 अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था में अधिक्षकों का स्थायीकरण

204. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था में अधीक्षकों (सुपरिन्टैन्डैन्ट्स) और विशेष रूप से उन अधीक्षको को जो कि गत 8–10 वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे है, स्थायी करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस संबंध में अतिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग में अधीक्षकों के उपलब्ध स्थायी पदों पर पात्र अधिकारियों को स्थायी तौर पर नियुक्त करने के संबंध में अभी कार्यवाही की जा रही है। इस बारे में आवश्यक सिफारिशें संघ लोक सेवा आयोग को उनके अनुमोदनार्थ भेज दी गई हैं। इस मामले में अंतिम रूप में आदेश जारी करने हेतु उक्त अनुमोदन शीघ्र प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

States' policy to provide Employment to people of their own States

205. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether, some of the State Governments have adopted the principle for providing employment to the people of their own State in State Services; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : Article 16(1) of the Constitution prohibits discrimination in matters relating to employment or appointment to an office

under the State. However, Article 16(3) enables Parliament to make any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the Government of, or any local or other authority within a State or Union Territory, any requirement as to residence within that State or Union Territory prior to such employment or appointment. Under Article 35(a)(i) of the Constitution, only the Parliament has the power to make laws under Article 16(3). The Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957 was enacted by the Parliament repealing all the laws in force in the States and Union Territories with regard to requirement as to residence for purposes of any employment or appointment under the State or under any local or other authority, but Section 3 of the Act empowered the Central Government to make rules prescribing requirements as to residence within the Telengana area of Andhra Pradesh and the erstwhile Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur and Tripura or appointments in subordinate services or posts under the control of the State Government/Administration or to any service or post under a local authority in those areas. The Supreme Court has, however, decided that the provisions of the Public Employment (Requirement as to Residence) Act are *Ultravires* the Constitution in so far as they relate to the Telengana area. Thus the aforesaid exceptions contained in Section 3 of the Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957 now apply only to the areas of Himachal Pradesh, Manipur and Tripura and by virtue of the Amendment Act of 1969, these exceptions will continue to be in force upto 20 March, 1974. In view of the position explained above, there is no question of any State Government other than those of Himachal Pradesh, Manipur and Tripura restricting employment opportunities in posts/services under them only to local residents. However, normally, the vacancies in subordinate Non-gazetted posts in offices/establishments under a Government are usually filled through the Employment Exchanges and these vacancies are notified to the local Employment Exchange which sponsors suitable candidates out of those registered with it.

दिल्ली में 'अपना टेलीफोन लगाओ' योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

206. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में (नई दिल्ली सहित) एक्सचेंज-वार अपना टेलीफोन लगाओ तथा अन्य वर्गों के अन्तर्गत टलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं,

(ख) एक्सचेंज-वार किस वर्ष तक रजिस्टर हुए लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गये हैं, और

(ग) एक्सचेंज-वार 31-12-1972 को बकाया व्यक्तियों को "अपना टेलीफोन लगाओ" योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना अनुबन्ध में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4193/73**]

(ग) ओ० वाई०टी० के अन्तर्गत 31-3-72 की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उसका एक्सचेंज वार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

1. **शाहदरा :** 1,000 लाइनें डालने का काम शुरु किया जा रहा है। यह काम लगभग 18 महीनों में पूरा होगा।
2. **तीस हजारी :** तीस हजारी एक्सचेंज से लगभग 800 लाइनें स्थानांतरित करने का काम हो रहा है और आशा है कि यह काम मार्च, 1973 के अंत तक पूरा हो जाएगा। शक्ति नगर में जब एक अतिरिक्त उपस्कर स्थापित कर दिया जाएगा तो आगे और भी राहत देना सम्भव होगा। इस कार्य में लगभग 4 साल लग सकते हैं। तीस हजारी एक्सचेंज की मौजूदा इमारत में अतिरिक्त उपस्कर लगाने के लिए कोई स्थान नहीं है।
3. **दिल्ली कैण्ट :** 600 लाइनों के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। आशा है कि यह काम मार्च, 1973 तक पूरा हो जाएगा।

4. **जोरबाग** : मार्च, 1973 में चाणक्यपुरी एक्सचेंज के चालू होने से 1800 लाइनों की राहत दी जा रही है। जब जोरबाग के कुछ और इलाके चाणक्यपुरी एक्सचेंज के इलाके में कर दिये जाएंगे तो जोरबाग को और भी अधिक राहत दी जा सकेगी। तथापि चाणक्यपुरी एक्सचेंज में क्रास बार उपस्कर का कार्य-चालन स्थायी हो जाने के बाद ही यह कार्य हाथ में लिया जाएगा।

5. **ओखला** : वर्ष 1974–75 के कार्यक्रम में ओखला एक्सचेंज को 2,500 लाइनों की राहत देने की व्यवस्था की गई है।

6. **गाजियाबाद** : मार्च, 1973 तक 300 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जा रही है। जब गाजियाबाद में एक नये एक्सचेंज की स्थापना कर दी जाएगी तो आगे और भी राहत दी जा सकेगी। इसमें लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

7. **नजफगढ़** : वर्ष 1973–74 के दौरान 100 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जा रही है।

8. **बल्लभगढ़** : 1973–74 के दौरान बल्लभगढ़ में 100 लाइनें और जोड़ने का प्रस्ताव है। मौजूदा किराये की इमारत मे आगे और विस्तार की गुंजाइश नहीं है। अभी हाल ही में हरयाणा सरकार ने नये एक्सचेंज के लिए एक प्लाट प्रदान किया है। नये एक्सचेंज की योजना बनाने का काम हाथ में ले लिया गया है।

9. **बादली** : यहां वर्ष 1973–74 के दौरान 100 लाइनों का एक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक्सचेंज उपस्कर की स्थापना के लिए किराये पर मुनासिब इमारत प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

10. **नरेला** : 1972–73 में 100 लाइनों का एक उपस्कर अलाट किया गया है। यह उपस्कर प्राप्त होने पर उसकी स्थापना कर दी जाएगी। नये एम० ए० एक्स० के लिए जमीन प्राप्त की जा रही है।

हिन्दुओं, मुसलमानों, बौद्धों, ईसाइयों, पारसियों, जैनों तथा सिक्खों की अलग-अलग संख्या

207. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हिन्दुओं, मुसलमानों, बौद्धों, इसाइयों, पारसियों, जैनों तथा सिक्खों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ख) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) भाग (क) और (ख) के संबंध में सूचना क्रमशः विवरण I और II में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—4194/73]

Ban on Defections from political parties

208. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Law Ministry has advised the Central Government that there is no need to amend the Constitution to ban defections; and

(b) if so, whether Government propose to bring a Bill during the Budget session of 1973 for the purpose of banning defections from political parties?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) The Government intends to introduce a Bill on the subject in Parliament as soon as may be possible.

डिब्रूगढ़ टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

209. **श्री रोबिन काकोटी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति गठित कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो उक्त टेलीफोन सलहाकार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक गठित कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) जी हां। डिब्रूगढ़ टेलीफोन प्रणाली के लिए दिसम्बर, 1972 में एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

(ख) समिति के सदस्यों के नामों की सूची संलग्न है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

डिब्रूगढ़ टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

जिनके हित का प्रतिनिधित्व हुआ	नाम
1. राज्य सरकार .	उपायुक्त, डिब्रूगढ़
2. एम० एल० ए० •	श्री इद्रेश्वर खाउंड
3. एम० पी०	संसदीय कार्य विभाग की तरफ से अभी नामजद किया जाना है।
4. व्यापार और वाणिज्य	श्री एम० जालान
5. प्रेस	श्री बिपिन कुमार बोरगोहैन
6. चिकित्सा व्यवसाय . .	डा० ए० एम० रहमान
7. बगैर प्रतिनिधित्व वाले हित	श्रीमती लिली सेनगुप्ता

तेंगाखाट, आसाम में उप–डाकघर

210. **श्री रोबिन काकोटी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के डिब्रूगढ़ जिले में तेंगाखाट स्थान पर उप-डाकघर खोलने की मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) तेंगाखाट में एक विभागेतर उप-डाकघर पहले ही काम कर रहा है जिसमें तार सुविधा भी उपलब्ध है। इस डाकघर को विभागीय उप-डाकघर में बदलने के प्रस्ताव पर पिछली बार 1970 में विचार किया गया था। उस समय यह पाया गया था कि डाकघर का दर्जा बदलने पर इस डाकघर में घाटे की निर्धारित सीमा से अधिक घाटा आएगा। इसलिए इस डाकघर को विभागीय उप-डाकघर में न बदला जा सका। अलबत्ता, इस मामले की नये सिरे से जांच की जा रही है।

विद्युत की कमी का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

211. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक राज्यों में हाल में विद्युत में की गई कटौती से देश में औद्योगिक उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ;

(ख) विद्युत की कटौती का सर्वाधिक किन राज्यों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की कि इस प्रकार की घटना पुनः न घटे जिससे विद्युत में कटौती करनी पड़े ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) से (ग) विद्युत कटौती से अत्यधिक प्रभावित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, तामिलनाडू, बिहार तथा प० बंगाल बताए जाते हैं। सिंचाई और विद्युत शक्ति मंत्रालय ने क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलनों में इस समस्या पर विचार किया है जिसमें तत्काल किए जाने वाले अभ्युपायों तथा पंचवर्षीय योजना काल में किए जाने वाले कार्यों के लिए सिफारिशें की गई हैं। तत्काल किए जाने वाले उपाय स्वरूप इन कार्यों में सामान्यतया विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाना तथा प्राथमिकता के आधार पर उन एककों में मरम्मती काम जिनमें बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुई है, सम्मिलत हैं। कुछेक मामलों में निकटस्थ अधिशेष वाले क्षेत्रों से विद्युत शक्ति उधार लेकर कमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रिमण्डल समिति द्वारा भी इस विषय की सतत संमीक्षा की जाती है। दीर्घकालीन अभ्युपायों में, देश में विद्युत शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्तिहेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना में चालू किए जाने वाली नई परियोजनाओं की स्थापना सम्मिलित है।

जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में जहां सर्वथा वर्षा पर ही निर्भर रहे हैं तथा जलाशयों के इक्ट्ठे किए हुए जल की कमी रही है इस वर्ष के सूख के कारण विद्युत शक्ति की कमी हुई है। आशा है कि अगले मानसून में स्थिति में सुधार होगा।

उपर्युक्त राज्यों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर विद्युत शक्ति में कटौती की गई है तथा इससे विभिन्न राज्यों और विभिन्न उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन भिन्न भिन्न मात्रा में प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। कुछ राज्यों द्वारा बताई गई तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा बताई गई अनुमानित हानि संलग्न विवरण में दी गई है। केरल, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, मणीपुर तथा मिजोराम में न तो विद्युत शक्ति में कटौती हुई है और न ही उत्पादन में हानि बताई गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया**। देखिए **संख्या एल०टी०—4195/73**]

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने संबंधी आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय नालें

212. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा राजनीतिक पेंशन के लिए दिए गए आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने तथा उन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या अतिरिक्त कार्यवाही की गई है ;

(ख) कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनको निपटाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ रखी गई धनराशि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी ; और

(घ) यदि नहीं ; तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) शीघ्र निपटान के लिए अधिक कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। 14 अगस्त 1973 तक सभी आवेदन पत्नों की संवीक्षा पूरी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और पात्र पाये गये अधिक से अधिक मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है। उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जो बहुत वृद्ध हैं अथवा जिनको अस्वस्थता इत्यादि के कारण पेंशन की आवश्यकता है।

(ख) 31-1-73 तक प्राप्त 1,18,466 आवेदन पत्रों में से 8,778 मामलों में उस तारीख तक पेंशन की स्वीकृति दे दी गई थी।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में टायरों तथा ट्यूबों की मांग को पूरा करने के लिए उपाय

213. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में टायरों और ट्यूबों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता गाड़ियों के 45,79,200 टायर और ट्यूब बनाने की है। विगत 4 वर्षों में गाड़ियों के टायरों का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	गाडियों के टायरों का उत्पादन (ंख्या)
1969 .	40,15,014
1970 .	40,40,946
1971	46,59,129
1972 . .	49,78,218

गाड़ियों के टायरों के उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृति दिखाई पड़ती है। इस वस्तू की बढ़ती हुई मांग की पूतिहेतु 15 नये एककों तथा 3 विद्यमान एककों (एक पर्याप्त विस्तार तथा दो नये एकक स्थापित करने के) की कुल 65.8 लाख की क्षमता उत्पन्न करके गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने के लिए आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किये हैं।

नेशनल राइफल्स एसोसिएशन आफ इण्डिया को सूक्ष्म गोला बारुद की सप्लाई

214. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के कारण सूक्ष्म गोलाबारुद के उपलब्ध न होने के फलस्वरूप नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा चलाये जाने वाले सिविलियन राइफेल ट्रेनिंग तथा शूटिंग कार्यक्रम को धक्का पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन को नियमित रूप से ऐसे गोलाबारुद सप्लाई करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जहां तक नागरिक बन्दूक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है इस प्रयोजन के लिए देशी गोला बारुद प्रयोग किया जा रहा है और नैशनल राइफल एसोसिएशन ने इसकी उपलब्धता की कठिनाई के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने के लिए चुने हुए निशाने बाजों द्वारा सामान्यतः अच्छे किस्म का गोला बारुद प्रयोग में लाया जाता है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने नेशनल राइफल एसोशिएशन आफ इंडिया को अपनी आयात नीति में ढील देकर 1972 वर्ष में अच्छे किस्म के 23000 रूपये तक के गोलाबारूद को आयात करने के लिए विशेष अनुमति दी है और यह पर्याप्त समझा गया है ।

(ख) नेशनल राइफल एसोशिएशन आफ इंडिया द्वारा भविष्य में ऐसे गोलाबारूद का अनुरोध करने पर उसके गुण दोषों के अनुसार उस पर विचार किया जायेगा ।

शिक्षा तथा रोजगार संबंधी समिति की सिफारिशें

215. **श्री राज देवसिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा फोरम द्वारा स्थापित शिक्षा तथा पूर्ण रोजगार संबंधी समिति ने ये सिफारिश की है कि प्रत्यक्ष कराधान अधिक हो, रोजगार लक्ष्यों के साथ विकास योजनाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध हो, लघु उद्योगों के पक्ष में बड़े पैमाने के उद्योगों पर प्रतिबन्ध हो और समर्पित प्रबन्धक वर्ग हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया गया है तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) शिक्षा फोरम द्वारा स्थापित शिक्षा तथा पूर्ण रोजगार सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की है, योजना आयोग उनकी जांच कर रहा हैं। उपयुक्त सिफारिशों पर सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जाएगा ।

दूर संचार उपकरण के उत्पादन में हंगरी से तकनीकी जानकारी

216. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार बोर्ड तथा हंगरी की मैसर्स बुडाबोक्स, जो दूर संचार उपकरण के आयात निर्यात के लिए मुख्य एजेंसी है, के बीच हाल में 4.5 करोड़ रुपयों के मूल्य का एक करार हुआ है,

(ख) क्या उपकरणों की सप्लाई के साथ-साथ उक्त एजेंसी संयंत्र स्थापना के पहले चरण की देखभाल भीं करेंगी तथा भारतीय तकनीसियनों को मुफत तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगी जिससे वे उपकरणों का उत्पादन कर सके,

(ग) संयंत्र की स्थापना के पश्चात् किन बड़े नगरों को रेडियो-टेलीविजन की सूक्ष्म तरंगों से जोड़ा जायगा, और

(घ) क्या सरकार देश में अन्य क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस माइक्रोवेव प्रणाली से बम्बई, पंजिम, मंगलूर, मैसूर, बंगलोर, मद्रास, एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले स्पीच सर्किटों की व्यवस्था हो जाएगी। मद्रास और बम्बई को भी एक टी० वी० रेडिओ चैनल के जरिए जोड़ दिया जाएगा।

(घ) जी हां। माइक्रोवेव और को एक्सयल प्रणालियों के जरिए कई शहरों को दूसरे से जोड़ने की डाक-तार विभाग की योजना है। लेकिन टी० वी० की व्यवस्था आकाशवाणी की आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

सम्पूर्ण देश में टेलोविजन व्यवस्था का विस्तार

217. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन से सम्बन्धित प्रोद्योगिकी तथा कार्यक्रम के क्षेत्र में देश आत्म-निर्भर हो गया है।

(ख) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलिविजन सम्बन्धी कार्यक्रम के विस्तार से देश के प्रत्येक भाग में टेलिविजन कार्यक्रम देखे जा सकेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के प्रत्येक भाग को कब तक इसके अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) टेलिविजन से सम्बन्धित प्रोद्योगिकी में अभी आत्मनिर्भर होना है, परन्तु कार्यक्रमों के मामले में, टेलिविजन केन्द्र मुख्य रूप से आत्म-निर्भर है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सीमित स्त्रोतों के कारण, टेलीविजन केन्द्रों का विस्तार करने के बारे में क्रमबद्ध कार्यक्रमानुसार विचार किया जाना है। सारे देश को टेलीविजन द्वारा कवर किया जाना स्त्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मोगा (पंजाब) में राष्ट्रीय ध्वज का जलाया जाना

218. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** :
श्री आर० बी० बडे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणतंत्र दिवस के दिन मोगा (पंजाब) में राष्ट्रीय ध्वजों को मकानों की छतों से उतार कर सार्वजनिक रूप से जलाया गया था ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए किसी केन्द्रीय एजेंसी से कोई जांच करवाई गई है कि क्या यह योजनाबद्ध घटना थी तथा ऐसी शर्मनाक घटनाओं के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन्हें उचित दंड दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब छात्र संघ की एक रैली 25 जनवरी, 1973 को मोगा में हुई थी जिसमें गणतंत्र दिवस के समारोहों का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया था। उसके दूसरे दिन मोगा में कुछ छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वजों को उतारा था और सार्वजनिक रूप से जला दिया था। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधक अधिनियम, 1971 की धारा 2 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295/296क/114/117/120 के अधीन एक मामला मोगा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था जिसकी छानबीन की जा रही है। 16 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और जमानत पर छोड़ दिए गये। अन्य चार अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयत्न किय जा रहे हैं, जो फरार हैं।

आसाम में बंगाली विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए समझाना–बुझाना

219. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में आए हुए 150 बंगाली विद्यार्थियों को आसाम वापिस जाकर अपना अध्ययन आरम्भ करने के बारे में समझाने-बुझाने के प्रयास में कुछ संसद् सदस्यों को सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले मे वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) और (ख)** : ऐसे छात्रों को असम में अपने शैक्षणिक संस्थाओं में वापस जाने के लिए मनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

क्षेत्रीय भाषा मुद्रणालयों तथा सिनेमा में अश्लील सामग्री

221. श्री बी० वी० नायक ।

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखा गया है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम की अपेक्षा क्षेत्रीय भाषा मुद्रणालयों तथा सिनेमा में अश्लीलता के चित्रण में गत कुछ वर्षों से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इन माध्यमों से अश्लील सामग्री का चित्रण करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नही ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नही उठते ।

भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विज्ञान और प्रोद्योगिकी को अपनाना

222 श्री बी वी० नायक : क्या **विज्ञान** और **प्रोद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए क्या उपाय किए गए है ;

(ख) भारतीय उद्योग में उपयोग में लाई जाने वाली देश में विकसित प्रौद्योगिकी का देशी ढांचा क्या है ; और

(ग) क्या आत्म-निर्भरता का सिद्धान्त तकनीकी जानकारी के अतिरिक्त साज-सामान (मेटीरियल गुड्स) पर भी लागू होगा ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) भारत ने प्रचुर वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सामर्थ्य अर्जित की है परन्तु राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसका उपयोग अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्रों में ही किया गया है । चूंकि हमारे स्वयं-जनक विकास की क्षमता में इससे गम्भीर कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं अतएव भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकी सामर्थ्य उपस्कर तथा औजारो के विकास और उन्नयन के लिए स्वदेश अनुसंधान और विकास प्रयत्नों की सधन बनने की दृष्टिकोण से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ी विस्तृत योजना का निर्माण कर रही है ।

राज्य पुलिस सेवाओ का केन्द्रीयकरण

223. **श्री बी० वी० नायक** : क्या गृह ंत्री यह बताने ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य के बीच तनाव होने की स्थिति में राज्य पुलिस सेवाओं का केन्द्रीयकर करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Involvement of Foreign Elements in Andhra Pradesh Movement

224. **Shri M. S. Purty :**
Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received information to the effect that certain foreign elements are involved in the Andhra Pradesh movement or certain Political party is inspiring the movement; and

(b) if so, the main points in this regard?

The Minlster of state in the Ministry of home affairs (Shri K. C. Pant) :

(a) There is no such defenite information.

(b) Does not arise.

डकैतियों की समस्या के बारे मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्रियों की संयुक्त बैठके

225. **श्री रनबहादूर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या डकैतियों की समस्या के संबंध में कतिपय क्लिष्ट प्रश्नों को हल करने के लिय मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की कोई संयुक्त बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् । 20–1–1973 को एक बैठक हुई जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के मुख्य सचिव प्रतिनिधि थे क्योंकि राजस्थान के मुख्य मंत्री बैठक में भाग लेने में असमर्थ थे ।

(ख) बैठक में यह तय किया गया कि चम्बल घाटी के विकास के लिए एकीकृत व्यापक योजना शीघ्र तैयार की जाय ।

दुर्गापुर स्थित को–एक्सियल केबल्स का निर्माण करने वाले कारखाने की क्षमता

226. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में को-एक्सियल केबलों का, जो देश की संचार व्यवस्था में उपयोग में लाए जाते हैं, उत्पादन करने वाला कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता का केवल 20 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं। हिन्दुस्तान केबल्स द्वारा वर्ष 1971-72 में को-एक्सियल केबल का उत्पादन निर्धारित क्षमता के 35% के बराबर किया गया और 1972-73 में निर्धारित क्षमता के 60% के बराबर उत्पादन होने की आशा है।

(ख) उत्पादन दर में और वृद्धि करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

बदरपुर में इंजीनियरींग सूपरवाइजर के लिए दिल्ली में आवासीय क्वार्टर

227. श्री के० लकप्पा :

श्री मूलचन्द वर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर के इंजिनियरिंग सुपरवाईजर को दिल्ली में आवासीय क्वार्टर आवंटित किया जाता है हालांकि वह एस० डी० ओ० फरीदाबाद के अधीन हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें यात्रा-भत्ते/दैनिक भत्ते का भी अवैध लाभ दिया जा रहा है; और ;

(ग) यदि हां, तो दोहरा लाभ देने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बदरपुर के इंजीनियरी सुपरवाइजर, फोन को ओखला एक्सचेंज में एक क्वार्टर अलाट किया गया है क्योंकि बदरपुर में कोई विभागीय क्वार्टर सुलभ नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण के लिये प्रभावकारी लोक वितरण पद्धति का आरम्भ

228. श्री के० लकप्पा :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आवश्यक वस्तुओं के लिये एक प्रभावकारी लोक वितरण पद्धति बनाने के लिये कोई ऐसे उपाय किये हैं जिससे मूल्यों को भी कम रखा जाए ;

(ख) क्या योजना आयोग ने सामान्य जनता तथा विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जो अत्यधिक गरीब हैं, उचित दर की दुकानों पर जन उपभोग की वस्तुओं की व्यवस्था के बारे में सुझाव दिया है; और

(ग) किये गये अथवा सुझाये गये उपायों की रुपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : जी, हां। योजना आयोग ने कीमतों में वृद्धि को रोकने तथा विशेष रुप से समाज के गरीब वर्गों को इन वस्तुओं की उचित दामों पर आपूर्ति, दोनों ही के लिए, एक पर्याप्त तथा सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है।

(ग) खाद्यानों तथा चीनी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया गया है। कपड़े की नियंत्रित किस्मों के सार्वजनिक वितरण की एक स्कीम शुरू कर दी गई है। सरकार ने गेहूं तथा चावल तथा लेवी चीनी में थोक व्यापार को भी अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है।

जैसा कि "पांचवी योजना 1974–79 के प्रति दृष्टिकोण", नामक दस्तावेज संकेत किया गया है पांचवी योजना में आवश्यक वस्तुओं के व्यापार तथा वितरण में सार्वजनिक क्षेत्र के पर्याप्त विस्तार के महत्व को परिकल्पित किया गया है ।

बिजली उत्पादन के बारे में विज्ञान और प्रोद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति की सिफारिश

229. श्री के० लकप्पा :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विज्ञान** और **प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा गठित किए गए ईंधन और बिजली के संबंधी "पैनल" ने सुझाव दिया है कि बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयले का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उक्त "पैनल" द्वारा क्या अन्य सुझाव दिए गए है और उनमें से कौन से सुझाव सरकार ने स्वीकार किए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) और (ख) जी हां । द्रव ईंधन के संसाधनों की कमी तथा कोयला-उपलभ्य की बाहुल्यता की दृष्टिकोण से विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के पैनल ने ऊर्जा के क्षेत्र में कोयले के अधिकतम प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया है । पैनल द्वारा दी गयी अन्य सिफारिशें दो वाणिज्यिक कम ताप के कार्बनीकरण संयंत्रों की स्थापना के संबंध में हैं; पहली पूर्वी क्षेत्र में, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विधि पर आधारित अर्ध-कोककारी कोयले की विधि के संबंध तथा दूसरी गोदावरी घाटी में, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में विकसित आन्ध्र-प्रदेश के अकोककर कोयले के संबंध में है । यह भी सुझाव दिया गया है कि परामर्शी संगठन इन दो वाणिज्यिक संयंत्रों के लिए ब्यौरेवार प्रायोजना-प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं । बड़े शहरों में कोयला-गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना की सिफारिश भी घरेलू उपभोग के लिए तेल उत्पादों की निर्भरता को कम करने की दृष्टिकोण से की गई है ।

नई दिल्ली में उपग्रह शिक्षणार्थ टेलीविजन प्रणाली संबंधी संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक

230. श्री के० लकप्पा :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 दिसम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुए उपग्रह प्रशिक्षणार्थक टेलीविजन प्रणाली के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के पांच दिवसीय संम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो संम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) विकासशील संचार नीति के बारे में उन्होंने क्या सुझाव प्रस्तुत किए और उन पर अन्य भाग लेनेवालों की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक में जिन मुख्य विषय पर बहस हुई, वे इस प्रकार थे :—

(1) तुलनात्मक उपग्रह संचार प्रणालियां ।

(2) परम्परागत संचार के साधन ।

(3) शैक्षणिक संचार टैक्नालोजी ।

(4) उपग्रह टेलीविजन के लिए कार्यक्रम बनाना ।

(5) उपग्रह संचार के परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, पोषाहार तथा कृषि आदि क्षेत्रों में सम्भाव्य प्रयोग ।

(6) पद्धति विश्लेषण तथा डिजाइन, अनुसन्धान एवं विकास कार्य और प्रोटोटाइप विकास ।

(ग) दिये गए मुख्य सुझाव इस प्रकार थे :

(1) एक संचार नीति बनाने के सामने जो चुनौती है वह यह है कि औद्योगिक तथा कृषि संबंधी ढांचों में जो रुकावट है उनको दूर किया जाय । इस संबंध में दो उद्देश्य ध्यान में रखने जरूरी है । पहला, विस्तार कार्यकर्ताओं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से प्रभावशाली ढंग से सम्पर्क प्रस्थापित कर सके, के संवर्ग का प्रशिक्षण तथा दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक टेलीविजन सैटों की देखरेख तथा मरम्मत के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षण ।

(2) सं नीति बनाने के नगरीय जीवन की ऊंची चमक-दमक भय तस्वीर को दिखाने के बारे में ससे लोग नगरों की और भागते है, सावधानी रखना जरूरी है ।

(3) संच नीति को दंश की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से कुल विकास योजना से द्ध किया जाना चाहिए ।

इन सुझावों अच्छा स्वागत किया गया ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की योजना

231. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी के विकास के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्): (क) जी, हां ।

(ख) विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा जो विज्ञान और प्रोद्योगिकी योजना बनाई जा रही है उसके पीछे यही उद्देश्य निहित है कि यह सर्व-साधारण की आवश्यकताओं को पूरा करे तथा प्रत्यक्ष रुप से व्यापक गरीबी को दूर करने के लिए हमारे कार्यक्रम की बल प्रदान करे । हमारी विकास नीति में प्रौद्योगिकी आत्म-निर्भरता एक मुख्य आधार-स्तम्भ है परन्तु कुछ क्षेत्रों में जैसे खाद्य, ऊर्जा तथा रक्षा उपस्कर में भी अधिकतम आत्म-पर्याप्त उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे । यह योजना हमारी सामाजिक अर्थ-आवश्यकताओं के सन्दर्भ में अर्थ एवं विकास की कार्य-क्षमता के विभिन्न क्षेत्रों वर्तमान ज्ञान और क्षमता के विस्तृत मूल्यांकन पर आधारित होगी ।

देश में आपातकालीन स्थिति को समाप्त करना

232. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक समाप्त कर दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : सम्पूर्ण स्थिति, जिस पर निरन्तर पुनर्विचार किया जा रहा है, को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार है कि आपात कालीन घोषणा को समाप्त करने के लिए अभी समय नहीं आया है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 'सुपर कमेटि' की स्थापना

233. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन साइंस कांग्रेस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी योजना परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त "सुपर कमेटी" स्थापित करने का सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है, और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

विज्ञान के क्षेत्र में भारत–फ्रांसीसी सहयोग

234. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री वेकारिया :

क्या **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) भारत और फ्रांस के मध्य भविष्य में वैज्ञानिक सहयोग संबंधी कार्यक्रम तैयार करने के लिये सूचना एकत्र करने के हेतु फ्रांस का एक वैज्ञानिक दल भारत भ्रमण पर आया था । भ्रमण की समाप्ति पर विचारों के आदान-प्रदान के बाद भारत और फ्रांस के दलों ने दोनों देशों के मध्य वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र पर जो संयुक्त वक्तव्य दिया था, उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०** 4196/73]

भारत--ईरान आयोजना पैनल

235. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ईरान ने एक आयोजना पैनल का गठन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या होगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के दौरान आर्थिक सहयोग के लिए सोवियत संघ के साथ वार्ता

236. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान आर्थिक सहयोग के लिए रूस के साथ हुई वार्ता सफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने कहा है कि वह इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य अपेक्षित धातुओं का उत्पादन बढ़ाने में भारत की सहायता करने को तैयार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत संघ ने भिलाई और बोकारों इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने और तांबा तथा एल्यूमिनियम के उत्पादन के वास्ते कच्चा माल तैयार करने की सुविधायें उपलब्ध करने सम्बन्धी संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने में भारत की सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है।

पांचवीं योजना के आर्थिक सहयोग के लिए मित्र देशों के साथ बातचीत

237. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पांचवी योजना अवधि में मित्र देशों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए उच्च स्तर पर कई बार बात-चीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा भारत को सहायता देने के लिए वे कहां तक सहमत हुए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) ईराक, जापान, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटन, पौलण्ड, चैकोस्लावकिया और सोवियत संघ जैसे मित्र देशों के साथ पांचवी योजनावधि में भारत और इन देशों के बीच लम्बी अवधि के आधार पर आर्थिक सहयोग के लिए प्रारम्भिक विचार-विमर्श हुए हैं। भारत में विकास के विभिन्न क्षेत्रों को उपर्युक्त तथा अन्य देशों से कितनी मात्रा सहायता मिलेगी यह इस पर निर्भर करेगा कि भारत में विशेष परियोजनाओं और कार्यक्रमों का पता लगाया जाय, जिनके लिए परस्पर स्वीकार्य शर्तों के अनुसार इन देशों से सहायता सुलभ होगी ।

डाक व्यवस्था और दूर संचार सेवा के आधुनिकीकरण के लिये कार्यक्रम

238. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में डाक व्यवस्था और दूर संचार सेवा को आधुनिक बनाने के लिए एक दृहत कार्यक्रम पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केन्द्रों में कुल कितने डाक-घर खोले जायेंगे; और

(घ) पिछडे क्षेत्रों में कुल कितने डाक-घर स्थापित किये जायेंगे?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। डाक-तार विभाग ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1316 करोड़ रुपयों के खर्च से देश में डाक और दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बृहत कार्यक्रम तैयार किया है। ये प्रस्ताव अस्थायी किस्म के हैं, जिन पर योजना आयोग अभी भी विचार कर रहा है।

(ख) डाक-तार विभाग के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में प्रस्तावों की मुख्य बातें संलग्न अनुबन्ध में दी जा रही है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4197/73**]

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन ग्राम पंचायतों 29,000 नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है जो कि मौजूदा डाकघरों से 2 मील से ज्यादा दूरी पर स्थित है।

(घ) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन इलाकों में 5000 नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, जिन्हें डाक सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से "बहुत पिछडा इलाका" घोषित किया गया है।

देश में सिनेमा-घरों का विस्तार

239. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में सिनेमा-घरों का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : 8 दिसम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के संम्मेलन में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि राज्यों को मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का एक निश्चित भाग अधिक सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से रखना चाहिए।

सीमेंट का उत्पादन और उसकी कमी

240. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके मंत्रालय ने अगले वर्ष जून तक 15 लाख टन अतिरिक्त सीमेंट का उत्पादन करने के लिए कार्यवाही शुरु कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) इस समय (क) 17 अगस्त, 1972 से 29 अगस्त, 1972 तक श्रमिकों की आम हड़ताल, (ख) हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और मैसूर में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बिजली की लगातार कटौती का किया जाना, (ग) रेल विभाग से ढके हुए वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता, और (घ) यांत्रिक गड़बड़ियाँ आदि के कारण सीमेंट का कम उत्पादन होने से सीमेंट की कमी है। आन्ध्र प्रदेश में अशांत स्थिति के कारण, कोयले की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा है अत: बिजली पर भारी प्रतिबन्ध लगा और फलस्वरुप उत्पादन में हानि हुई, इसलिए इस कमी के और अधिक बढ़ने की संभावना है।

2. आवश्यकता पूरी करने के लिए लगभग 85.5 लाख मी० टन अतिरिक्त क्षमता के लिए विस्तार और नये एककों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। जिसमें से 1974 के मध्य तक लगभग 15 लाख मी० टन उत्पादन शुरू होने की आशा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	योजना	क्षमता (लाख मी० टन)
1973	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स, दुर्गापुर	3.00
1974	सेन्चूरी सीमेंट, टिल्डा	3.00
1974	सीमेंट कारपोरेशन, मान्दर (विस्तार) . . .	1.80
1974	जे० के० सिन्थेटिक्स लि० निम्बाहेरा	2.52
1974	आसाम सीमेंट, चेरापूंजी	2.00
1974	मद्रास सीमेंट, तुलुक्कापट्टी	2.10
1974	पन्यान सीमेंट, सीमेंट नगर .	1.00
	कुल योग .	15.42

3. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने भी बारुवाला (उ० प्र०), नीमच (मध्य प्रदेश) और तन्दुर, नेरागुन्तला और आदिलाबाद (आ० प्र०) प्रत्येक में 4 लाख मी० टन की क्षमता से और अकलतारा (मध्य प्रदेश) में 6 लाख मी० टन की क्षमता से नये एकक स्थापित करने के लिए सम्भाव्यता रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। ये रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं ।

संयुक्त क्षेत्र में कागज निर्माण संयंत्र की स्थापना

241. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र में कागज का निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) कागज बनाने के लिए संयुक्त क्षेत्र में दो परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है, ये परियोजनाएं (1) मै० सेंचुरी पेपर मिल, और (2) मै० बांगर ब्रादर्स हैं। इन दोनों परियोजनाओं की विस्तृत रूप रेखा संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

मै० सैन्चुरी पल्प लिमिटेड

निम्नलिखित क्षमता और वस्तुओं के उत्पादन के लिए फर्म को आशय पत्र जारी कर दिया गया है :—

	वस्तु	वार्षिक क्षमता
1.	रासायनिक लुगदी	30,000 मी० टन
2.	डिजोलविंग ग्रैड पल्प- . . .	20,000 मी० टन
3.	विशिष्ट लुगदी	10,000 मी० टन
4.	लिखने और छापने के काम में आने वाला कागज .	30,000 मी० टन

आशय पत्र की एक मुख्य शर्त है कि इस परियोजना के लिए अलग से सरकारी लिमिटेड कम्पनी निगमित की जायेगी जिसमें मै० सेंचुरी पल्प और इससे संबंधित उपक्रमों और कम्पनी के निदेशकों के संबधियों के इक्विटी शेयर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, सरकारी क्षेत्र और सरकारी वित्तीय संस्थाओं के 40 प्रतिशत शेयर होंगे जिसमें से 26 प्रतिशत हिन्दूस्तान पेपर कारपोरेशन तथा/अथवा केन्द्रीय सरकार के और 14 प्रतिशत जीवन बीमा निगम या अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं को दिये जायेंगे। शेष 20 प्रतिशत आम जनता को दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अपने द्वारा दिये गये ऋण सबंधी करार में ऋण को इक्विटी में बदलने की परिवर्तनीयता की धारा लगाने का अधिकार होगा।

सरकार संविधान और प्रबंधकीय व्यवस्था की जांच कर रही है।

मैं० बांगूर ब्रदर्स लि०

पार्टी को, निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आशय पत्र दिया गया है :—

वस्तु	वार्षिक क्षमता
लुगदी . . .	1,20,000 मी० टन
लिखने और कापने के काम आने वाला कागज	60,000 मी० टन
विशेष कागज	60,000 मी० टन

इसकी स्वीकृति इस शर्त पर दी गई कि इस परियोजना हेतु सरकारी लिमिटेड कम्पनी का गठन किया जायगा जिसमें कम्पनी के निदेशकों और उनके संबंधित उपक्रमों संबंधियों के शेयर कुल इक्विटी पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। शेष 60 प्रतिशत में से 26 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार तथा/अथवा हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को, 14 प्रतिशत सरकारी वित्तीय संस्थाओं के और 20 प्रतिशत आम जनता के शेयर होंगे। यदि फिर भी, सरकारी वित्तीय संस्थानों ने उनको दिये गये शेयरों को स्वीकार न किया तो वे भी आम जनता को दे दिये जायेंगे। सरकारी वित्तीय संस्थानों को अपने द्वारा दिये गये ऋण सम्बन्धी करार में ऋण को ईक्विटी में बदलने की परिवर्तनीयता की धारा लगाने का अधिकार है।

संविधान और प्रबंधकीय व्यवस्था कीं जांच की जा रही हैं।

पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजली घर की स्थापना

242. **डा० रानेन सेन : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजली घर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान अवस्था में, पूर्वी विद्युत क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से सस्ता नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र द्वारा मैसूर राज्य को मंजूर की गई राशि

243. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए मंजूर की गई 105.5 करोड़ रुपयों की राशि में से राज्य को शेष राशि का भुगतान किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि दी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग के अनुमान के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, मैसूर राज्य के संसाधनों में 105.72 करोड़ रुपये की राशि की—60.5 करोड़ रुपये योजना लेखा में और 45.22 करोड़ रुपये गैर-योजना लेखामें – कमी होने की सम्भावना थी। गैर-योजना व्यय में मितव्ययता की गुंजाइश, राजस्व व कर इकट्ठा करने तथा अन्य बजट सम्बन्धी संसाधनों को जुटाने के लिए किए गए प्रयत्न आदि सभी सम्बन्धीत बातों पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार के लिए विशेष व्यवस्था की मात्रा का निश्चय किया जाना था। परन्तु वित्त मंत्रालय से परामर्श कर योजना आयोग ने जो अनुमान लगाया है उससे मालूम होता है कि यद्यपि मैसूर सरकार राज्य की चौथी योजना के लिए विशेष व्यवस्था के रूप में 60.5 करोड़ रुपये पाने की हकदार है, परन्तु गैर-योजना लेखा में 1969–70 के वर्ष के दौरान दिए गए 6.18 करोड़ रुपये छोड़कर, वह विशेष व्यवस्था की हकदार नहीं है। मैसूर सरकार निवेदन करती रही है कि उनके लिए मूल रूप से परिकल्पित पूरी सीमा तक गैर-योजना लेखा में विशेष व्यवस्था की जाय। राज्य सरकार को इस बात की सूचना दी गई है कि पृथक-पृथक राज्यों के गैर-योजना लेखा में विशेष व्यवस्था करनेके लिए जो सामान्य मानदण्ड स्वीकार किया गया है उससे हटना सम्भव नहीं होगा।

(ख) जहां तक विशेष व्यवस्था का प्रश्न है मैसूर सरकार को अब तक 51.72 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है, जिसमें से 45.54 करोड़ रुपये योजना लेखा तथा 6.18 करोड़ रुपये गैर-योजना लेखा में हैं।

आन्ध्र प्रदेश में मुल्की नियम के संबंध में राज्य में हुए हाल ही के आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाना

244. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री मधु दंडवते :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुल्की नियम के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश में हुए हाल ही के आन्दोलन के दौरान पुलिस को कहां-कहां और कितनी बार लाठी चलानी पड़ी, गैस छोड़नी पड़ी, और गोली चलानी पड़ी; और

(ख) राज्य में उत्पन्न समस्या का हल निकालने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अनन्तपुर, कुड्डापा, नीलौर, गुन्तूर, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, विशाखापटनम् तथा श्रीकाकुलम जिलों में पुलिस ने 20 अवसरों पर लाठी चलाई। अश्रु गैस का प्रयोग केवल एक अवसर पर चित्तुर शहर में किया गया था। पुलिस ने 57 अवसरों पर गोली चलाई : ये कुरनूल, प्रकाशम्, गुन्तुर, श्रीकाकुलम्, कृष्णा, करीमनगर, अनन्तपुर, नीलौर, विशाखापटनम्, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, खम्माम तथा निजामाबाद और हैदराबाद शहर में हुए।

(ख) सरकार राज्य में सामान्य स्थिति तथा व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

त्रिपुरा में आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों का सीमांकन

245. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को 1972 में त्रिपुरा में आदिवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला था जिसमें मांग की गई थी कि त्रिपुरा के आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) त्रिपुरा के आदिवासियों के संरक्षण के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है जिन्हें आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों से भी निष्कासित किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (एफ० एच० मोहसिन) (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

त्रिपुरा में डाक कर्मचारियों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता

246. **श्री दशरथ देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक कर्मचारियोंको दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिये जाने के संबंध में सरकार ने अंतिम निर्णय कर लिया है.।

(ख) यदि, नहीं तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ; और

(ग) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह मामला अभी भी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।

(ख) अंतिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है ।

(ग) 27 ।

Constitution of Separate Department for providing employment

247. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) the factors which have weighed with Government for constituting a separate Department to deal with the work viz., providing employment to five lakh people during 1973-74; and

(b) whether the said Department will have connection with the labour department and if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia:) (a) and (b) No separate department has been set up. A special Cell in the Planning Commission, which will work directly under the Prime Minister, is created to formulate programmes for providing employment to five lakhs of educated persons during 1973-74 and process their implementation. Such an arrangement is necessary in view of the magnitude of the task involved. The intention is that the various questions relating to employment of educated personnel should receive direction and guidance at the highest level for quick decisions and effective implementation.

Tresspassing of Persons into The Delhi Residence of Prime Minister

248. **Shri M. C. Daga:**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether four persons were arrested while forcibly entering the Prime Minister's residence;

(b) whether the said persons have revealed that the purpose of their action was welfare of the Prime Minister;

(c) whether inquiries have been conducted into the incident; and

(d) if so, the gist thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (**Shri K. C. Pant**): (a) & (b) Yes, Sir.

(c) & (d) The matter is still under investigation.

Problems of Young Entrepreneurs

249. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing under the caption "Young Entrepreneur's Ordeal" published at page 3 of "The Hindustan Times" dated the 12th January, 1973; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the time by which effective steps are likely to be taken to solve the difficulties mentioned therein?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (**Shri C. Subramaniam**): (a) Yes, Sir.

(b) Efforts are being made by the Government to mitigate the difficulties encountered by the young entrepreneurs in acquiring land in Delhi.

दिल्ली में डकैती, चोरी और हत्याओं के मामलों में वृद्धि

250. **श्री मानसिंह भौरा :**

श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डकैती, चोरी और हत्या जैसे विशिष्ट की अपराधों संख्या हाल ही में बहुत बढ़ गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और 1972 में प्रति मास और जनवरी, 1973 में इन अपराधों के आकडे क्या हैं; और

(ग) दिल्ली में अपराध कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) 1972 के दौरान इससे पहले के दो वर्ष 1970 तथा 1971 की तुलना में ऐसे अपराधों में थोड़ी वृद्धि हुई थी ।

(ख) सूचना इस प्रकार है ।

वर्ष	हत्या	लूटपाट	चोरी
1970	123	363	18,011
1971	114	327	16,737
1972	131	379	18,720

1972 के दौरान माहवार आकड़े

जनवरी	11	28	1,429
फरवरी	11	15	1,252
मार्च	9	26	1,333
अप्रैल	10	19	1,358
मई	10	28	1,416
जून	9	30	1,413
जुलाई	11	33	1,604
अगस्त	10	37	1,642
सितम्बर	8	38	1,772
अक्तूबर	13	47	1,758
नवम्बर	19	30	1,807
दिसम्बर	10	48	1,936
जनवरी, 73	13	45	1,936

(ग) दिल्ली में अपराधों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

(i) अपनी विभिन्न एजेंसियों समेत दिल्ली पुलिस सतत सतर्क रहती है तथा आसूचना एकत्रित करने के उपाय किए जाते हैं । संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निराधात्मक गश्त लगाई जाती है और समाज विरोधी तत्वों की गतिविधि नियंत्रित की जाती है ।

(ii) वेतन भुगतान के दिन लूट तथा डकैतियां आदि रोकने की दृष्टि से बैंकों व व्यापारिक क्षे ों के पास निरोधात्मक गश्त और अन्य उपाय किए जाते हैं ।

(iii) शहर के कुछ क्षेत्रों में रात्रि के दौरान दिल्ली पुलिस का श्वान दस्ता पुलिस गश्त के साथ साथ कार्य करता है । पुलिस के साधारण कार्यों में भी श्वान दस्ते के कुत्तों को सूंघ कर अपराध का पता लगाने के काम में लगाया जाता है ।

(iv) दिल्ली के बाहरी तथा दूर के क्षेत्र जहां सामान्यतः अपराधियों के विद्यमान होने की सम्भावना होती है वहां विशेष हथियारबन्द गश्त लगाई जाती है । इसके अतिरिक्त सामरिक महत्व के स्थानों पर घुड़सवार पुलिस की गश्त तथा "नाकाबन्दी" आयोजित की जाती है ।

(v) बच्चों के अपहरण को रोकने के साथ ही आरक्षित तथा निराक्षित बच्चों को पकड़ने के लिए अपराध शाखा को खोये हुए व्यक्तियों को ढूंढने का दस्ता अपने कर्मचारियों को रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न स्थानों में तैनात करता है ।

(vi) जेब काटने की घटनाओं को रोकने तथा अन्य समाज विरोधी गति-विधियां जैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ इत्यादि को रोकने के लिए चलती हुई बसों में सादे वेष में पुलिस तैनात की जाती है ।

(vii) अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

(viii) अपराध शाखा का दुराचार-विरोधी दस्ता महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक कार्य को रोकने का कार्य करता है ।

(ix) अपराधियों के छिपने के स्थानों पर छापे मारे जाते हैं ।

(x) पुलिस कन्ट्रोल रूम के वाहनों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से रातदिन गश्त लगाई जाती है, इसका तात्पर्य सहायता के लिए किए गये आह्वान पर स्थानीय पुलिस की स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने तक तुरन्त कार्यवाही करके जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए सूचना को तुरन्त एकत्रित तथा प्रसार को सुनिश्चित्त करना है ।

(xi) जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए समय समय पर अपराध निरोधक सप्ताह आयोजित किए जाते हैं ।

(xii) डकैती हो जाने पर दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर निगरानी रखी जाती है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में तकनीकी जानकारी सेल

251. **श्री मानसिंह भौरा :** क्या **विज्ञान** और **प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने इस आशय का सुझाव दिया था कि भविष्य में तकनीकी जानकारी के बारे में परामर्श देने के लिये उन के मंत्रालय में वैज्ञानिकों का एक सेल सम्बध्द किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बाते क्या हैं; और

(ग) क्या कुछ मामलों में सरकार ने अपने यहां के वैज्ञानिकों का लाभ न उठाकर विदेशी तकनीकी जानकारी का प्रयोग किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग): सरकार को ऐसा कोई सुझाव नही दिया गया है लेकिन औद्योगिक विकास मंत्रालय में दीर्घ समय से एक तकनीकी विकास निदेशालय है जिसमें नये औद्योगिक उपक्रमों को अनुज्ञाप्त देने अथवा तकनीकी जानकारी के आयात के कार्यान्वयन की तकनीकी समीक्षा के लिए वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं का एक बड़ा स्टाफ है ।

सम्प्रोत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को, जिसकी स्थापना मई 1971 में की गयी थी, देश के प्रयोगशालाओं तथा संस्थानो में विकसित स्वदेश-जानकारी की प्रगति एवं देश के औद्योगिक विकास मे इसके उपयोग का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस प्रयोजन से औद्योगिक विकास मंत्रालय की अनुज्ञप्ति समिति तथा विदेशी-निवेश मंडल (फारेन इनवेस्टमेन्ट बोर्ड) में इस विभाग का प्रतिनिधित्व होता हैं। वैज्ञानिक ओर औद्योगिक अनुसंधान परिषद का भी ऐसा ही प्रतिनिधित्व होता हैं । विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि जब भी उद्योग के किसी भी क्षेत्र में विदेशी जानकारी के आयात का विचार लिया जाय इन विभागों का ध्यान स्वदेश विकसित प्रौद्योगिकी के दावों की ओर आकृष्ट करे ।

सरकार की यह नीति है कि इससे पहले कि विदेशी तकनीकी जानकारी के आयात का निर्णय लिया जाय, स्वदेश विकसित प्रौद्योगीकी तथा स्वदेश प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का पूर्ण मूल्याकन कर लिया जाय।

उत्तर प्रदेश के काश्तकारों द्वारा बिहार के ग्रामीणों की फसलों की लूट

252. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1971 को तथा वर्ष, 1972 में भी अनेक बार उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश के काश्तकार विवादग्रस्त सीमा क्षेत्र में बिहार के गांवों में घुस आये तथा उन्हें खड़ी फसलों को निःशुल्क काट लेने तथा लूटने में सहायता दी गई; और उन्होंने बिहार के ग्रामीणों को भी लूटा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा को अंकित करना

253. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा (विवादग्रस्त सीमा क्षेत्र) को अंकित करने से प्रभावित गांवों में काश्तकारों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) नहीं, श्रीमान्,।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1973 से 1975 तक छोड़े जाने वाले स्वदेशी राकेट

254. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 से 1975 तक देश में बने कितने राकेटों को छोड़े जाने की आशा है; और

(ख) देश में निर्मित प्रत्येक राकेट पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानीक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्ष 1973 और 1975 के दौरान देश में बने 254 राकेट छोड़ जाने की आशा है।

(ख) आजकल देश में बने रहे विभिन्न आकार और निर्माण की जटिलता वाले राकेटों की लागत प्रति राकेट 5,000 रूपये से लेकर 2.75 लाख रुपये तक है।

पांचवी योजना के लिए संसाधन जुटाना

255. **श्री सी० जनार्दनन् :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के लिए संसाधन जुटाने के प्रश्न पर बिस्तार से बिचार कर लिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो संसाधन जुटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है , और

(ग) अतिरिक्त कराधान द्वारा कितने अपेक्षित संसाधन जुटाये जायेंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) संसाधन जुटाने के लिए जिन उपायों का प्रस्ताव किया गया है उनमें ये सम्मिलित हैं — (1) वर्तमान कर-दरों पर सरकारी राजस्व में अधिकतम वृद्धि, (2) गैर योजना व्यय में होने वाली वृद्धि पर प्रतिबन्ध, (3) सरकारी उद्यमों की परिचालन क्षेमता में सुधार, (4) समुचित सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों की व्यवस्था करके निजी बचतों को प्रोत्साहित करना, तथा (5) नए कराधन सरकारी उद्यमों की मूल्य नीतियों में परिवर्तन तथा राज सहायता में कमी करके सरकारी क्षेत्र के द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना ।

(ग) अस्थायी तौर पर 5815 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कराधन होने का अनुमान है ।

पांचवीं योजना की क्रियान्विति को सफल बनाने के लिये प्रशासनिक ढांचे में सुधार

256. **श्री सी० जनार्दनन् :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के सफल क्रियान्वयन को निश्चित करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने प्रशासनिक ढांचे में किन सुधारों का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकारों से सलाह की गई है ; और

(ग) यद्रि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) प्रशासन पद्धति में अपेक्षित परिवर्तनों का रुप क्या हो, यह संक्षेप में पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण में बताया गया है ।

(ख) इस वर्ष योजना का प्रारुप तैयार करते समय राज्य सरकारों के साथ इस प्रकार का विचार किया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र

257. **श्री सी० जनार्दनन् :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र को अन्तिम रुप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) दृष्टिकोण पत्र की मुख्य बातें दर्शाते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4198/73]

जेम्स फिनले एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के दस्तावेजों और कागजात का पकडा जाना

258. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के प्रवर्तक निदेशालय ने गत वर्ष जेम्स फिनले एण्ड कंपनी, कलकत्ता के कार्यालय पर छापा मार कर कुछ अभिशंसी दस्तावेज पकड़ थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : जी नहीं, श्रीमान् । तथापि, दिसम्बर 1970 में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने तथाकथित विदेशी मुद्रा सम्बन्धि विनियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में जेम्स फिनले एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के अहाते की तथा उनके प्रबन्धाधीन कम्पनियों की तलाशी ली थी और कई दस्तावेज पकड़े गए थे । अब तक की जांच-पड़तालों के आधार पर तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिनके उत्तर भी प्राप्त हो चुके हैं और ये मामले प्रवर्तन निदेशक के पास न्याय-निर्णयन के लिए पड़े हैं । आग भी जांच पड़तालें जारी हैं ।

वर्ष 1971-72 और 1972-73 में हुए साम्प्रदायिक दगे

259. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय को वर्ष 1971–72 और 1972–73 में प्रत्येक राज्य से साम्प्रदायिक दंगों की कितनी-कितनी घटनाओं की सूचना मिली जिन में अल्पसंख्यक वर्ग पर हमले किए गए थे ;

(ख) इन में से मुख्य घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा दोषी व्यक्तियों को पकड़ने और शान्ति तथा साम्प्रदायिक सौदार्ह पुनहां स्थापित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है ; और

(घ) साम्प्रदायिक तनाव और घटनाओं में कमी न होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय ओर कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : यह कहना सही नहीं होगा कि साम्प्रदायिक तनाव के कम होने का कोई संकेत नहीं है । अपने स्त्रोतों से प्रीप्त केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार सन् 1971 में हुई गंभीर प्रकृति की 21 साम्प्रदायिक घटनाओं समेत कुल संख्या 321 थी और 1973 में गंभीर प्रकृति 12 घटनाओं समेत यह संख्या 240 थी जबकि सन् 1970 में साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या 521 थी । सन् 1971 में साम्प्रदायिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ व मुरादाबाद, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, आसम में बदरपुर और केरल में तेलीचेरी की घटनाओं का सम्बन्ध पांचवी लोक सभा के चुनावों से था । बदरपुर की घटना मामूली कारण से हुई, बहरानपुर की घटना धार्मिक समारोहों के अवसर में घटी और तेलीचेरी की घटना धार्मिक जलूस में कुछ गड़बड़ होने पर घटी । सन् 1972 में गंभीर प्रकृति की साम्प्रदायिक घटना ओं में मैसूर में गुल्बर्ग, हुबली तथा बंगलौर, असम में नौगांव, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ फिरोजाबाद, वाराणसी, दादरी, नौनारी तथा सजनी, गुजरात में पालनपुर और महाराष्ट्र में अकोला की घटनाएं शामिल हैं जबकि गुल्बर्ग, बंगलौर तथा पालनपुर के दंग धार्मिक समारोहों के अवसर पर दंगे के कारण हुए थे । जून, 1972 में अलीगढ़, फिरोजाबदा व वाराणसी में दंगे संसद द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972

के पारित किये जाने के बाद हुए। दादरी में दंगे गौहत्या की तथाकथित घटना पर हुए। अन्य गंभीर घटनाएं या तो मामूली विवादों अथवा महिलाओं के प्रति तथाकथित दुर्व्यवहार के कारण हुई ।

2 संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट मामलों में कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है और ऐसे मामलों की तुरन्त जांच पड़ताल व उनके विचारण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। केन्द्र सरकार एसे मामलों में राज्य सरकारों के साथ निकट का सम्पर्क भी रखती है। देश के विभिन्न भागों में बुलाए गये क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से ऐसी स्थितियों को रोकने व उन पर नियंत्रण करने के लिए प्रबन्धों की विस्तृत संवीक्षा हाल ही में की गई थी ।

बड़े उद्योग गृहों के बारे में सरकार समिति की रिपोर्ट

260. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : : क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े उद्योग गृहों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनधिकृत विस्तार और अन्य आरोपों के बारे में सरकार आयोग की नियुक्ति कब की गई थी ;

(ख) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना थी ;

(ग) क्या रिपोर्ट प्रस्तुत होने में अभी और विलम्ब होगा, यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) एक ऐसे मौके पर जब कि सरकार आयोग बड़े उद्योग गृहों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनधिकृत विस्तार सम्बन्धि विशिष्ट आरोप की जांच कर रहा था, सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनधिकृत विस्तार को विनियमित करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) : बड़े औद्योगिक गृहों की जांच के लिए आयोग सरकार द्वारा 18 फरवरी, 1970 को औद्योगिक लाइसेंस जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं चूकों का अनौचित्यों के बारे में जिनके विषय में यह बताया जाता है कि बड़े औद्योगिक गृहों ने उनका लाभ उठाया है और बिड़ला समूह के साथी के विरुद्ध कुछ विशिष्ट आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग को एक विचारार्थ विषयों में इस बात की जांच करना भी शामील है कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें कुछ उद्योगों में कुछ फर्मों ने अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से आगे क्षमता बढ़ाई थी, इन उद्योगों में वे उद्योग भी शामिल हैं जिसके विषय में सरकार की घोषित नीति थी कि उनको लघु क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। आरम्भ में आशा थी कि आयोग अपनी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। आयोग का कार्यकाल तीनबार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 1972–1974 तक है।

आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. आयोग के विचारार्थ विषय काफी बड़े तथा विभिन्न प्रकार के हैं ; और
2. जांच के लिए आयोग को सौंपी गई अनेक मदों के विषय में तथ्यों की जांच करने और साक्ष्य इकट्ठा करने का काम आयोग को स्वयं ही करना पड़ा है।

(घ) औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध क्षमता का यथापूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने 65 चुने हुए उद्योगों में विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों द्वारा क्षमता का पूर्णतः उपयोग करने के बारे में कुछ सुविधाओं की घोषणा की है ये सुविधाएं बृहन् औद्योगिक गृहों से संबंधित उपक्रमों के लिए स्वयं उपलब्ध नहीं थी जिन्हें टास्क फोर्स के पास विशेष रूप से आवेदन भेजना पड़ता है, जो उनके आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति की सिफारिश करता है।

सरकार ने पहले ही इस आशय के निर्देश जारी किए है कि जहां इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त क्षमता में संशोधन किया जा रहा है स्वीकृति पत्र में यह बात अलग से निर्दिष्ट हो कि इसका आशय आवेदक द्वारा उसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का अतिक्रमण करने सम्बन्धि अनियमितता को क्षमा करना अथवा उससे समझौता करना नहीं होना चाहिए।

ऐसे मामले में यथोचित दण्ड देने अथवा अन्य कार्यवाही करने का सरकार को अधिकार होगा।

सिनेमा आर्क कार्बन की मांग तथा उसका उत्पादन

261. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिनेमा आर्क कार्बन की अनुमानित मांग कितनी है और इन वस्तुओं का निर्माण करने वाले विभिन्न फर्मों को प्रति वर्ष स्वीकृत लाइसेंस शुदा निर्माण क्षमता के के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या कोई फर्म राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा देशी साधनों से विकसित सिनेमा आर्क कार्बन के लिए निर्माण की नई जानकारी के आधार पर सिनेमा आर्क कार्बन का निर्माण कर रही है ; और

(ग) क्या इस देश से सिनेमा आर्क कार्बन का निर्यात किया जाता है और यदि हां तो प्रति वर्ष कितना निर्यात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :

(क) (1) माँग . .	हाई इन्टेसिटी कार्बन	90 लाख जोड़े
	लो इन्टेसिटी कार्बन	25 लाख जोड़े
	रोटे टिगवेराइटी	4 लाख जोड़े
(2) लाइसेंस प्राप्त क्षमता	मे० यूनियन कार्बाइड	60 लाख जोड़े,
	मे० वेस्ट एण्ड कम्पनी	30 लाख जोड़े
	मे० ब्रिटलाइट कार्बन	30 लाख जोड़े
	मे० आर० जे० वूड एण्ड कम्पनी।	12 लाख जोड़े

इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र में अन्नपुर्णा कार्बन्स नामका एक एकक है जिसकी उत्पादन क्षमता 7.60 लाख जोड़े प्रतिवर्ष है।

(ख) संगठित क्षेत्र में कोई भी नहीं है।

(ग)

वर्ष	निर्यातित मात्रा नग	निर्यात का मूल्य (अनुमानित) रुपये
1967–68	17,244	8,600
1968–69	73,244	42,000
1969–70	109,810	78,000
1970–71	293,500	185,000
1971–72	227,750	200,000

मेसर्स यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० द्वारा सिनेमा आर्क कारबाइड कार्बन निर्माण की क्षमता का विस्तार

262. **श्री त्रिदिब चौधरी :**

श्री एम० कतामतु :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी दी गई है कि मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि० ने 60 लाख जोड़ों की अपनी निर्माण क्षमता जिसके लिए उनको लाइसेंस दिया गया था सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 90 लाख जोड़ों तक बढ़ा दी है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है :

(ख) सरकार ने उनके द्वारा निर्मित 30 लाख जोड़ों से अतिरिक्त आर्क कार्बन को निर्यात करने के लिए कम्पनी को राजी करने हेतु क्या कार्यवाही की है जिससे वर्ष 1965–66 में प्राक्कलन समिति के 103 वे प्रतिवदन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित नई तकनीकी जानकारी के आधार पर इस वस्तु का निर्माण करने की संभावना बन सके ; और

(ग) क्या कम्पनी ने अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक आर्क कार्बन निर्माण क्षमता बढ़ाने को नियमित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ग) मैसर्स यूनियन कार्बाइड आफ इण्डिया ने 60 लाख जोड़े प्रतिवर्ष से 90 लाख जोड़े प्रतिवर्ष तक क्षमता का विस्तार करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर 90 लाख जोड़े तक उत्पादन किया जा सकता है। यह आवेदन विचाराधीन है।

(ख) फर्म को पहले ही यह बता दिया गया है कि उसे प्रतिवर्ष 30 लाख जोड़े से जितना अधिक उत्पादन हो उसका निर्यात करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये। यद्यपि कुछ निर्यात किया जा रहा है, तो भी सरकार इस अवस्था में निर्यात की किसी विशिष्ट मात्रा पर जोर नहीं दे रही है क्योंकि फिलहाल सिनेमा कार्बनों का आयात किया जा रहा है।

डाक तार कर्मचारियों की कर्मचारी यूनियनों के फैडरेशन का अखिल भारतीय केन्द्रीय संघ

263. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष आल इंडिया सेन्ट्रल आरगेनाइजेशन आफ दी फैडरेशन आफ पोस्टस एण्ड टैलिग्राफ एम्पलाईज यूनियन में हुए विघटन के बाद डाक-तार सेवाओं के विभिन्न सेक्टरों में फैडरेशन के सभी यूनिटों को डाक-तार बोर्ड तथा सर्किल स्तर के अधिकारी मंडल में प्रतिनिधित्व का अवसर देने से इंकार किया गया है,

(ख) डाक-तार कर्मचारियों की किन-किन यूनियनों और फैडरेशन को अखिल भारतीय सर्किल तथा डिविजनल स्तरों पर डाक तथा प्रशासन द्वारा मान्यता दी गई है और क्या डाक तथा तार विभागों में पहले की भांति प्रशासन और कर्मचारी यूनिय ों के बीच संयुक्त सलाहकार प्रक्रिया अभी भी विद्यमान है, और

(ग) यदि नहीं तो कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन और विभिन्न स्तरों पर प्रशासन द्वारा इस पर किये गय विचार के बारे में डाक-तार विभाग द्वारा अब क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) अराजपत्रित गैर औद्योगिक डाक तार कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त फेडरेशनों और यूनियनों/एसोसिएशनों की एक सूची संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4199/73) डाक-तार विभागीय परिषद् (जे०सी०एम०) ने चार वर्ष के अंतराल के बाद उसी संविधान के आधार पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कछार के बंगलाभाषी लोगों और उत्तर तथा पूर्वोत्तर ब्रह्मपुत्र घाटी के बोदो भाषी लोगों की मांगें

264. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कछार के बंगला भाषियों और उत्तर तथा पूर्वोत्तर ब्रह्मपुत्र घाटी के बोदी भाषियों की, उन पर केवल असमिया भाषा को ही शिक्षा के माध्यम के रूप में ापने के विरुद्ध मांगों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने असम सरकार की सलाह से क्या उपाय किए हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में असम सरकार और असम के बंगला और बोदो भाषियों के प्रतिनिधियों का सभी को मान्य हल निकालने के लिए कोई संयुक्त सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार भाषा विवादों के सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने के उद्दश्य से असम सरकार तथा अन्य सम्बन्धित दलों के साथ सम्पर्क रखती हैं। संतोषजनक हल ढूंढने में असम सरकार को केन्द्र सरकार की सहायता सहज उपलब्ध कराई जायगी ।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उपाय

265. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी तीसरी और चौथी योजनाओं में हुए निरन्तर मूल्य-वद्धि से योजनागत परियोजनाओं के सभी अनुमान निरर्थक सिद्ध हुए ह ;

(ख) क्या यही प्रवत्ति पांचवी योजना-अवधि में भी जारी रहने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पांचवी योजना-अवधि में मूल्य-वद्धि न होने देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दूसरी, तीसरी तथा चौथी योजना अवधियों मे आयोजन की परि-योजनाओं के अनुमानों पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। कीमतों में वृद्धि के अलावा विभिन्न आयोजन की परियोजनाओं के अनुमानों में परिवर्तन के जो मुख्य कारण हैं वे हैं :—

मूल अनुमानों का अस्थायी रूप, कुछ परियोजनाओं के आकार-प्रकार मे बाद मे फेरबदल विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां, इस्पात तथा अलोह धातुओं जैसे आधारभूत कच्चे माल का अभाव, बिजली की कमी, कार्यान्वयन में विलम्ब इत्यादि।

(ख) तथा (ग) पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण में पांचवीं योजना अवधि के दौरान व्यापक रूप से कीमतों को स्थिर बनाये रखने की सर्वोच्च आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। जनवरी, 1973 में छपा पांचवी योजना, 1974–79 के प्रति दष्टिकोण नामक दस्तावेज़ में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाये जाने वाले प्रस्तावित उपायों की व्यापक रूपरेखा दी गई है।

मैसर्स इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड की अंश पूंजी का बढाया जाना

266. **श्री डी० के पंडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की 66 प्रतिशत अंश पूंजी का स्वामित्व ब्रिटिश आक्सीजन आफ यू० के० के पास है ;

(ख) क्या सरकार ने कम्पनी से अनुरोध किया है कि वह अपनी अंश पूंजी में भारतीय भागीदारी मे वृद्धि कर दें ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सरकार ने कम्पनी को अपनी अंश पूंजी में भारतीय सहभागिता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से नहीं कहा है। अत: कम्पनी की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु जब कभी कम्पनी अधिक पूंजी विनियोजना द्वारा विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेगी तो कम्पनी के लिय भारतीय सहभागिता की ऐसे मामलो में लागू होने वाले नियमों के अनुसार वद्धि करनी आवश्यक होगी।

उडोसा के तट पर रेत खनिज को पृथक करने सम्बंधी अध्ययन

267. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैयर-अर्थस द्वारा उड़ीसा तट पर रेत खनिजों को पृथक करने सम्बन्धि कोई तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धि अध्ययन आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या अब तक किये गये अध्ययन के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो किये गये अध्ययन का सारांश क्या है?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):(क) तथा (ख): उडीसा के समुद्र तट पर समद्री रेत के निक्षेपों के विद्यमान, व्यवसाइक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए इंडियन रेवर अर्थस् लिमिटड ने सलाहकार नियुक्त किये है। उन सलाहकारों की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

(ग) तथा (ग) : इन पहलुओं के बारे में जानकारी देना विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर संभव हो सकेगा।

इण्डियन आक्सीजन का विविधिकरण और विस्तार

268. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **औद्योगिक विकास** त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इण्डियन आक्सीजन लि० ने अपने उत्पादन के विविधिकरण और विस्तार हैतु अनेक परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की मांग की है;

(ख) यदि हां तो कम्पनी के विविधिकरण और विस्तार कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी के इस सम्बन्ध में कोई लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां तो उनकी संख्या और स्वरूप क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) : मे० इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड से 1972 में 7 आवेदन पत्र मिले थे। इस नयें से 3 नए उपक्रम स्थापित करने तथा शेष 'नई वस्तु' का निर्माण करने के बारे में हैं। ये आवेदन मुख्यत: औद्योगिक गैसों, लोहे का चुरा, सबमर्जड आर्क वेल्डिंग फ्लक्सेज टी० आई० जी० तथा एम० आई० जी० वेल्डिंग के लिए लिल्टर वायर बनाने के संबध में है।

(ग) और (घ) : उपरिलिखित आवेदनों में से अभी तक कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

पांचवीं योजना तैयार करनें तथा उसकी क्रियान्विति में लोगों का सहयोग

269. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना तैयार करने तथा उसकी क्रियान्विति मे लोगों का सहयोग आशा बहुत कम रहा है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पांचवीं योजना को तैयार करने तथा उसकी क्रियान्विति में लोगों के सक्रिय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : योजनाओं की तैयारी तथा कार्यान्वियन के काम में जनता का सहयोग आवश्यक स्तर तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्णय लेने के विकेन्द्रीकरण की प्रगति आमतौर पर मंद रही है। इसके अलावा विकास योजनाओं के निष्पादन तक समीक्षा के काम मे गैर-सरकारी विशेषज्ञों तथा लोगों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने के बारे में भी संस्थागत व्यवस्था नहीं की जा सकी।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन के काम भे जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्यों भे आयोजन संगठन स्थापित करने के बारे में कदम उठाये गये हैं। इन संगठनों भे योजना निष्पादन की प्रक्रिया तथा योजना कार्यान्वयन की समिक्षा करने की गैर-सरकारी विशेषज्ञों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय क्षमताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर क्षेत्रीय और जिला योजनाएं तयार करने पर भी बल दिया गया है। आशा है कि इन योजनाओं की तैयारी के क म में सूविज्ञ गैर-सरकारी व्यक्ति, जनता के प्रतिनिधि तथा पंचायती राज संगठनों के पदाधिकारी राष्ट्रीय रूप से भाग लेंगे। पांचवीं पंचवार्षीय योजना के प्रति दष्टिकोण पत्र का लोक प्रिय संस्करण सभी क्षेत्रीय भाषाओं भे तैयार किया जा रहा है ताकि गांवों, कस्बों, फक्टरियों, शक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, मजदूर संघों और राजनीतिक तथा सामाजीक संगठनों द्वारा इस पर विचार किया जा सके। दृष्टिकोण पत्र पर हुई प्रतिक्रियाओं पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रुप देते समय विचार किया जायेगा।

भारत और श्रीलंका के बीच सीधी टेलीप्रिंटर सेवा

270. **श्री एम० एस० सजीवी राव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच सीधी टेलीप्रिंटर सेवा आरम्भ की जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) भारत और श्रीलंका के बीच सीधी टेलीप्रिंटर सेवा पहले से ही मौजूद है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में आन्दोलनों के कारण केन्द्रीय सरकार को हानि

271. **श्री एम० एस० सजीवी राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में हुए हिंसक आन्दोलनों के कारण केन्द्रीय सरकार को हुई हानि के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) संविधान के अधीन सार्वजनीक व्यवस्था बनाये रखना मूलत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। किन्तु विधि और व्यवस्था की समस्या के संबंध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से निकट का सम्पर्क बनाये रखती है और इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित सभी उचित सहायता देती है।

हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण डाक तथा तार विभाग को हुई हानि

272. **श्री एम० एस० सजीवी राव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण गत तीन महीनों में डाक तथा तार विभाग को कितनी हानि हुई है; और

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नवम्बर 1972 से जनवरी 1973 की अवधि के घाटे का जमा एक जो हिसाव लगाया गया है । वह लगभग 8,67,000 रुपये का है ।

(ख) जान और सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक और समय पर जो कदम उठाए जाने जाहिए वे स्थानीय सिविल और पुलिस प्राधिकारियों के साथ सीधा ताल-मेल रख कर उठाए जाते हैं ।

शिक्षित वेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना

274. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री सेझियान :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी 15 मास म पांच लाख बेकार शिक्षितों को काम देने के लिए विशेष योजनाओं पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं और इन पर कितना धन खर्च होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हाँ ।

(ख) ये स्कीमें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों के परामर्श से बनाई जा रही हैं ।

टेलीफोन और टेलीप्रिंटर सेवायें सुधारने संबंधी योजनायें

275. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) देश भर में टेलिफोन और टेलिन्प्रिटर सेवायें सुधारने के लिए कौन कौन सी योजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ; और

(ख) ये योजनायें कब तक लागू कर दी जायेंगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) टेलीफोन और टेलिप्रिंटर सेवाओं की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए जो विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं उनका हवाला संलग्न पत्र में दे दिया गया है ।

(ख) इनमे से अधिकांश योजनाएं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की अंग हैं ।

जमींदोज केबिलों का प्रेसराइजेशन, उच्च श्रेणी के ट्रंक सर्किटों की व्यवस्था, जंक्शनों और सर्किटों की संख्या बढ़ाना आदि योजनाओं के कार्यान्वियन में सीमित साज-सामान और वित्त दोनों अड़चने हैं। अत: ऐसी योजनाओं को पूरा करने में 2 से 5 साल तक लगेंगे।

विवरण

क. टेलिफोन एक्सचेंज

(1) मुख्य प्रणालियों के कार्य चालन का मूल्यांकन करना ताकि उनकी खामियों का पता लगाया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके ।

(2) क्रासबार एक्सचेंज के कार्यचालन में सुधार लाना ।

(3) बड़ें शहरों में नलिकाओं में जमींदोज केबिल डालना ।

(4) शहरों और नगरों में खम्भों के ऊपर खिंची तार लाइनों की संख्या कम करना ।

(5) जमींदोज केबिलों को दबाव में रखना (प्रेसराइजेशन) ।

(6) रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों और तत्संबंधी उपस्करों को शीघ्र लाने-ले जाने के लिए अधिक गाड़ियों की व्यवस्था करना ।

(7) पर्याप्त मात्रा में फालतू पुर्जे उपलब्ध करना ।

(8) जिन एक्सचेंजों में ट्राफिक मात्रा क्षमता से अधिक बढ़ गई है वहां ट्राफिक के निपटारे के लिए सहायक उपस्कर की व्यवस्था करना ।

(9) शिकायत और खराबी दूर करने की कार्यविधि में सुधार करना ।

(10) कर्मचारियों की कार्य-कुशलता मे सुधार के लिए अभिनव प्रशिक्षण देना ।

ख. ट्रंक सेवा

(1) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग योजना का विस्तार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग से 300 स्टेशनों को जोड़ने के लिए 50 ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है ।

(2) डिमाण्ड सर्विस, आपरेटर डायलिंग सर्किट आदि चालू करके मैनुअल आपरेशन की गति तेज करना ।

(3) माइक्रोवेव और कोएक्सियल चैनलों जैसे स्थायी उच्च श्रेणी सर्किटों की व्यवस्था करना ।

(4) ट्रंक मार्गों के प्लान का निरंतर पुनरिक्षण और उसके औचित्य का निर्धारण ।

(5) प्रचालन कार्य-प्रणाली में समय-समय पर जरूरत के मुताबिक सुधार ।

ग. टेलेक्स सेवा

(1) कार्य चालन में सुधार के लिए सर्किटों में संशोधन ।

(2) जिन मार्गों पर अतिरिक्त सर्किट देने का औचित्य हो, उनमें सर्किटों की व्यवस्था करना ।

(3) लंबी दूरी की टेलेक्स कालें लगाने के लिए आवश्यक है कि लिंकों की संख्या घटाई जाय ।

(4) सेवा में सुधार लाने के लिए कार्यचालन का आकलन और उसके बाद की कार्रवाई ।

लघु उद्योग एककों में इंजीनियरों को रोजगार देने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए योजना

276. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग एककों में इन्जीनियरों को नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की राजसहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 के लिए स्थानों और धन के कुल आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त योजना से बेरोजगारी समस्या के किस सीमा तक हल होने की सम्भावना है ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख): स्थानों और धन का राज्य वार नियतन नहीं किया गया है। इस उद्देश्य के लिए 1972–73 में 50 लाख रुपयों का कुल प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से लघु और मझौले एककों में लगभग 2,000 इंजीनियरों/डिप्लोमा धारियो को प्रशिक्षुता प्रदान किये जाने की आशा है इस प्रकार उनको आगामी रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है ।

राज्यों की लाटरी टिकटों की बिक्री पर अन्तर्राज्यीय प्रतिबंध को हटाने के बारे में केन्द्र को सुझाव

277. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की लाटरी टिकटों की बिक्री पर से अन्तर्राज्यीय प्रतिबंध हटाने के बारे में हरियाना सरकार ने केन्द्र को सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) उन राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए जो एक नीति के वास्ते अपनी लाटरियां चलाना नहीं चाहते हैं, लाटरी के टिकटों की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना वांच्छनीय समझा गया है ।

कटक में डाक तथा तार विभाग के लाइनमेनों द्वारा दिसम्बर, 1972 में हड़ताल

278. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृप करेगें कि :

(क) क्या कटक तथा भुवनेश्वर में कार्य कर रहे डाक तथा तार विभाग के लाइनमैनों ने दिसम्बर, 1972 के अंतिम सप्ताह म अपना काम बंद कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या थीं और विभाग ने उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतों का संबंध गार्ड-वायरों की व्यवस्था करने से था ताकि लाइन स्टाफ को बिजली लगाने के भयंकर परिणामों से सुरक्षा मिल सके । पावर क्रासिगों पर सुरक्षा व्यवस्था करने के बार में राज्य सरकारों के साथ सबसे ऊंचे स्तर पर लिखा पढ़ी की जा रही है । एक बड़ी संख्या में उन स्थलों में सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, जहा टेलीफौन और बिजली के तार एक दूसरे को क्रास करते हैं । बाकी कामों को पूरा कराने के लिए डाक-तार विभाग बडी मुस्तैदी से लिखा-पढ़ी कर रहा है ।

रुस के योजना आयोग दल का दौरा

279. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के योजना आयोग के तीन दलों ने इस्पात, धातुविज्ञान और छोटे उद्योगों के बारे में सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए नवम्बर, 1972 में इस देश का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) मनोनीत रूसी संगठनों के विशेषज्ञों के दल पिछले साल भारत आये और भारतीय विशेषज्ञों के साथ इस्पात समेत लौहीय और अलौहीय धातुकर्म से सम्बन्धित क्षेत्रों में भारत और रूस के मध्य सहयोग के क्षेत्रों का अध्ययन किया। चुने हुए छोटे उद्योगों में भारत और रुस के मध्य सम्भावित सहयोग के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया ।

(ख) इस्पात के सम्बन्ध में भारत और रूस सिद्धान्तः इस बात पर सहमत हो गये हैं कि बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों का विस्तार कर प्रत्येक में प्रति वर्ष इस्पात के उत्पादन की क्षमता 40 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाय। इसके अलावा इस पर भी अध्ययन किया जाय कि किस प्रकार इन दोनों संयन्त्रों की क्षमता बढ़ाकर क्रमशः 70 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष तथा 100 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की जा सकती है क्योंकि प्रारम्भिक जांच करने पर यह सम्भव पाया गया है। जहां तक अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इस बारे में सहमति हो गई है कि भारतीय और रूसी विशेषज्ञ आगे और विचार-विमर्श करेंगे और जहां कहीं आवश्यक समझा जाय वहां सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करेंगे।

पटना और जिला मुख्यालयों के बीच माइक्रोवेव टेलीफोन व्यवस्था द्वारा सम्पर्क स्थापित करना

280. श्री **हरि किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और बिहार के सभी जिला मुख्यालयों के बीच माइक्रोवेव टेलीफोन व्यवस्था द्वारा सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। केवल ऐसा प्रस्ताव है कि राज्यों की राजधानियों को संबंधित राज्यों के जिला मुख्यालयों के साथ उचित दूरसंचार लिंकों से जोड़ दिया जाए, यह आवश्यक नहीं है कि यह लिंक माइक्रोवव प्रणाली के जरिये ही हो।

(ख) उपर्युक्त व्यवस्था के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति अभी होनी है। बिहार के 27 जिलों में से मुजफ्फरपुर, धनबाद, रांची और आरा नाम के चार जिलों को पटना के साथ माइक्रोवव या केबुल प्रणालियों के जरिये पहले ही जोड़ा चा चुका है। दूसरे जिला मुख्यालयों को पटना के साथ जोड़ने के मामलों पर उत्तरोत्तर कार्रवाई की जाएगी।

(ग) परस्पर लिंक के लिए कौन सा माध्यम चुना जाय इसका निर्णय प्रस्ताव के तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होने, आर्थिक दृष्टि से लाभकर होने और वित्त तथा साज-सामान के उपलब्ध साधनों के आधार पर किया जाता है।

औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन और संयुक्त क्षेत्र की भूमिका

281. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री के० बालदण्डायुतम :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति संकल्प को संशोधित करने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) औद्योगिक विकास से सम्बन्धित संशोधित नीति के अन्तर्गत संयुक्त क्षेत्र की क्या निश्चित भूमिका दिए जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : सरकार ने हाल ही में औद्योगिक नीति पर अपने निर्णय की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में 2-2-1973 को जारी किए प्रेस नोट की एक प्रतिलिपि संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4200/73) प्रेस नोट के अनुच्छद 10 और 11 संयुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में है।

मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में परमाणु बिजली घर बनाने का प्रस्ताव

282. **श्री समर गुह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल योजना समिति ने मिदनापुर के तटवर्ती क्षेत्र में परमाणु बिजली घर लगाने की आर्थिक और व्यावहारिक सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए किसी गोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) क्या उस गोष्ठी में सर्वसम्मति से ऐसा बिजलीधर बनाने के पक्ष में विचार व्यक्त किया गया था, यदि हां, तो इस निष्कर्ष के पक्ष में उस गोष्ठी में क्या मुख्य तर्क दिये गये थे ;

(ग) क्या राज्य में एक परमाणु बिजलीधर बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल योजना समिति द्वारा आयोजित संगोष्ठी की
जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों और हुगली नदी का प्रधान मंत्री द्वारा सर्वेक्षण

283. **श्री समर गुह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी के महीने में प्रधान मंत्री ने हुगली नदी और सुन्दरबन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रयोजन और निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों के विकास और हुगली नदी में नौवहन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : जी हां। प्रधान मंत्री 23 जनवरी, 1973 को हुगली नदी के परिभ्रमण पर गई थीं। यह परिभ्रमण सर्वेक्षण के प्रकार का था तथा इसका उद्देश्य कलकत्ता बन्दरगाह क्षेत्र में जहाजरानी तथा सुन्दरबन क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से विचार-विमर्श करना था।

(ग) हुगली नदी की नौगम्यता को और अच्छा बनाने के लिए कितने ही कदम उठाये गये ह जिनमें नदी प्रशिक्षण कार्य तथा निकर्षण पोतों का प्रावधान भी सम्मिलित है। फरक्का बांध से मुख्य जल की नियमित आपूर्ति उपलब्ध होने पर हुगली नदी में नौगम्यता की समस्या का दीर्घावधि समाधान मिल जाने की आशा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र के विकास की योजनायें तैयार की जा रही है जिन पर योजना आयोग द्वारा पांचवीं योजना में विचार किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश के विभाजन की मांग संबंधी आन्दोलन के कारण जान और माल की हानि

284. श्री समर गुह :

श्री गदाधर साहा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आन्दोलन के कारण जान और माल की कितनी हानि हुई है ;

(ख) पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से कितने व्यक्ति मारे गय हैं ; और आन्दोलन के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) अलग आन्ध्र राज्य बनाने संबंधी आन्दोलन के बारे में अन्य हिंसात्मक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक राज्य में मुल्कि नियमों के सम्बन्ध में हुए उपद्रवों में 68 व्यक्ति मारे गये हैं। सम्पत्ति की क्षति के मूल्यों का पता लगाया जा रहा है।

(ख) पुलिस के गोली चलाने से 60 व्यक्ति मारे गये हैं। कानून की निवारक धाराओं तथा विशिष्ठ अपराध दोनों के अन्तर्गत आन्दोलन के सम्बन्ध में 18,435 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) दो मामले हत्या के, 290 मामले आगजनी के, 47 मामले तोड़ फोड़ के, 13 मामले लटपाट इत्यादि के, 85 मामले सरकारी कार्यालयों पर आक्रमण के और 116 मामले सरकारी वाहनों पर आक्रमण करने के हुए हैं।

शाह इन्सीट्यूट आफ न्यूक्लियर (फिजिक्स, कलकत्ता) के प्राधिकारियों के विरुद्ध कुप्रबन्ध संबंधी शिकायत

285. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शाह इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लिअर फिजिक्स, कलकत्ता के प्राधिकारियों कि विरुद्ध कुप्रबन्ध सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार छात्रों, कर्मचारियों तथा इस्टीट्यूट के प्रोफेसरों का काफी समय से चल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस्टीट्यूट के कार्यों की पूरी जांच कराने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों तथा छात्रों की भारत सरकार के नियंत्रण की मांग के अनुसार शाह इस्टीट्यूट आफ न्यूक्लिअर फिजिक्स, कलकत्ता की प्रशासी परिषद् को निरस्त करके सरकार के पूरे नियंत्रण के अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग की एक सीधी यूनिट बनाने की है ?

प्रधान-मंत्री परमाणु, ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों की कुछ छोटी-छोटी शिकायतें सरकार की जानकारी में लाई गई हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

बड़े उद्योग गृहों से संबंधित औद्योगिक कारखानों का विस्तार

286. **श्री सरोज मुखर्जी :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े उद्योग गृहों से सम्बन्धित 83 औद्योगिक कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है।

(ख) यदि हां तो उन कारखानों के नाम क्या हैं और किनकिन बड़े उद्योग गृहों को लाभ पहुंचा है ; और

(ग) इस प्रकार के अनधिकृत विस्तार के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अभी तक क्षमता के पूर्ण उपयोग की योजना के अन्तर्गत सरकार ने 84 औद्योगिक उपक्रमों में क्षमता को बढाने की स्वीकृति दी है। इनमें से औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति की रिपोर्ट के अनुबन्ध II–ए (i) की सूची में दिये हुए बृह-तर गृहों के 43 उपक्रम है तथा शेष बहुतांश विदेशी शेयरों वाली कम्पनियां हैं।

(ख) बृह-तर गृहों के उन उपक्रमों की सूची जिनमें क्षमता बढ़ाई गई है तथा उनकी बढ़ी हुई स्वीकृत क्षमता का विवरण संलग्न है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–4201/73] में क्षमता के अनाधिकृत विस्तारके कुछ मामलो का उल्लेख किया था। ऐसे 45 मामलों का ब्यौरा औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति जांच समिति को रिपोर्ट जिसकी प्रतियाँ सदस्यों को बांट दी गई है, के अनुबन्ध 4–एक में दिया गया है। ये ही 45 मामले बड़े गृहों से सम्बन्धित जांच आयोग (सरकार कमीशन) को भेजे गये हैं।

भारत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पलायन

287. **श्री सरोज मुखर्जी :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 'हाल ही के वर्षों में विदेशों से आने वाले वैज्ञानिक तथा तकनिकी जानकारी वाले व्यक्तियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि भारत से आये वैज्ञानिकों और इंजिनीयरों में हुई है ;

(ख) भारत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पलायन के बारे में रिपोर्ट में अन्य क्या तथ्य बताये गये हैं ; और

(ग) रिपोर्ट में बताई गई गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार प्रतिभाशाली व्यक्तियों, के बाहर जाने की समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) प्रतिवेदन में दिए गए ब्यौरे के अनुसार यह पता चलता है कि 1965 तक अमरीका जाने वाले वैज्ञानिक इंजीनियर और चिकित्सक प्रधानत: यू० के०, कनाड़ा और जर्मनी के रहने वाले अधिक थे। अगले 5 वर्षों के बाद तक इस प्रकार का पलायन निरंतर जारी रहा लेकिन 1969 से वैज्ञानिक और इंजीनियरों का मुख्य स्त्रोत भारत था। 1970 तक भारत से जाने वालों की संख्या 2900 थी।

(ख) भारत से प्रतिभा पलायन के बारे में जो अन्य तथ्य प्रतिवेदन में बताये गये हैं, उनसे पता चलता है कि :—

(1) देश छोड़कर विदेश जाने वाले वैज्ञानिक व इंजीनियरों की एक श्रेणी है जो एक देश में पैदा हुए थे लेकिन अमरीका जाने से पूर्व वे किसी और दूसरे देश में रहते थे। इस श्रेणी में 620 भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक पाये गये थे।

(2) एशियन देशों को छोड़कर जाने वालों की संख्या में तेजी से जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण अक्तूबर 1965 में संयुक्तराज्य अमरिका इमिग्रेंट कानून का संशोधन था। अधिकतर आगसी वैज्ञानिक और इंजीनियर यूरोप से आये थे। संशोधन द्वारा कुछ यूरोप के देशों से एशिया के देशों को राष्ट्र-वार पुनर्आवंटित करने का क़ोटा संभव हो गया। इससे प्रतीक्षा सूची में रखे गए इन देशों से आकर बसनेवाले संभावित आवासियों के प्रवेश में बहुत लोगों को सुविधा मिली। परिणामस्वरूप 1969 तक अपना देश छोडकर अमरीका जाकर बसने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर प्रधानत: भारतीय थे। तुलनात्मक दृष्टिकोन से 1970 में आवासी स्वरूप में प्रवेश पाने वाले भारतीय चिकित्सकों की संख्या कम होकर 256 थी।

(3) प्रतिवेदन से यह भी ज्ञात होता है कि एशियन देशों से गये बहुत से विद्यार्थियों को 1968 में बढ़ाकर रिकार्ड किया गया लेकिन 1970 में कुछ कम हो गया। फिर भी, 5 वर्ष की अवधि में भारत से अमरीकन विश्वविद्यालयों में जाने वाले विशेषकर इंजीनियरी विषय के विद्यार्थियों की संख्या में काफी हद तक वृद्धि हुई है। 1966–67 में लगभग 6000 विद्यार्थी थे और 1969–70 में इनकी संख्या 50 % बढ़ गयी।

(ग) प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए, रोजगार संबंधी सुअवसरों को उन्नतिशील बना हुए और विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों आदि की वापसी को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर सरकार निरंतर विचार करती चली आ रही है। इस दिशा में जो उपाय पहले ही किए गए है, उनको संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4202/72]

प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित अग्रिम उपाय भी किए है :—

(1) चौथी योजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त कराने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की एक धनराशि आबंटित की है। इनमें से 20 करोड़ रुपये की एक धनराशि इसी वर्ष के बजट में आबंटित कर दी गयी है।

(2) योजना आयोग ने 27 करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्य सरकारों द्वारा रोजगार के विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिए अलग रख दी है। इस राशि के अलावा राज्य सरकारों को अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये की धनराशि इस कार्य के लिए लगानी होगी।

(3) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योग चलाने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(4) रोजगार के लिये योजना आयोग और राज्य सरकारें भी योजनायें तैयार कर रही हैं जिससे योग्य व्यक्तियों को रोजगार के अभाव में विदेश न जाना पड़।

(5) इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बेरोजगारी की कुल स्थिति का मूल्यांकन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक 'बरोजगार संबंधी समिति' नियुक्त की है। समिति ने रोजगार के लिए अल्पकालिन उपायों से संवंधित अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की है।

भारत-ईराक संयुक्त आयोजना समिति की स्थापना

288. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईराक के परस्पर लाभार्थ इन दोनों देशों की आयोजना सम्बन्धी गतिविधियों का अध्ययन करने और उनका उपयोग करने के लिए भारत-ईराक संयुक्त आयोजना समिति स्थापित की गई है ;

(ख) क्या उन्होंने ईराक के प्रतिनिधि-मंडल के साथ, जो दिसम्बर, 1972 के तीसरे सप्ताह में भारत आया था, विचार विमर्श किया था ; और

(ग) उस विचार विमर्श का स्वरूप तथा परिणाम क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) ईराक गणराज्य के योजन मंत्री के नेतृत्व में ईराकी प्रतिनिधि मंडल से दिसम्बर, 1972 में हुए विचार विमर्श में इस पर सहमति प्रकट की गई थी कि (1) दोनों देशों में योजना गतिविधियों के अध्ययन और उपयोग के लिए एक संयुक्त योजना समिति की स्थापना की जाएगी, ताकि आपसी सहयोग के जरिये दोनों देशों में आर्थिक विकास को सुदृढ़ किया जा सके (2) विशेषज्ञता वाले विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय परामर्शदात्री संगठन ईराकी संगठनों की सहायता करेंगे ताकि वे इंजीनियरी, प्रन्बन्ध और अन्य परामर्शदात्री गतिविधियों में अपनी क्षमतायें बना सकें (3) योजना और विशेषज्ञता वाले अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग की पूर्ति करने में भारत ईराक को यथा सम्भव अधिकतम सहायता प्रदान करेगा।

सहायकों के लिए संयुक्त संवर्ग

289. **श्री पन्नालाल बारुपाल :**

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बड़ी संख्या में सहायक, जिन्होंने सहायक ग्रेड में 25 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, अभी तक कुछ मंत्रालयों/विभागों में उसी ग्रेड में काम कर रहे हैं, जबकि कनिष्ठ सहायक जिन्होंने केवल 20 या 22 वर्ष का सेवा-काल पूरा किया है, लम्बे समय से अन्य मन्त्रालयों/विभागों में ऊंचे ग्रेड पर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों में काम कर रहे सभी अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त संवर्ग बना हुआ है जबकि पदोन्नति और स्थानान्तरण के लिए अन्य मंत्रालयों में प्रत्येक वर्ग के लिए विभागवार अलग संवर्ग बना हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रालय के सभी विभागों के लिए संयुक्त संवर्ग बनाने और सेवाकाल के आधार पर सहायकों की पदोन्नती का वर्तमान कोटा बढाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा): (क) सहायकों के संवर्ग में विभिन्न आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति शामिल हैं और उनकी परस्पर वरिष्ठता सुपरिभाषित नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायकों के इस प्रकार के मामले भी है जो कि दीर्घावधि से कार्य कर रहे हैं किन्तु वे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर सीधे सहायक के रूप में नियुक्त किए गये अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कनिष्ठ हैं। अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति विभिन्न माध्यमों के द्वारा की जाती है। उनमें से एक पद्धति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की है जिसके अन्तर्गत यह सम्भव है कि कनिष्ठ सहायक जो इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ले वे अपने वरिष्ठों की अपेक्षा पहले पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) तथा (ग) : सामान्यत: एक सचिव के कार्यभार के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग सचिवालय सेवाओं में अलग अलग संवर्ग रख सकते हैं, परन्तु प्रशासनिक सुविधा और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए दो या इससे अधिक विभागों के लिए एक सामूहिक संवर्ग होने पर कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि, वित्त मंत्रालय में है। प्रत्येक विकेन्द्रीकृत ग्रेड के लिए वरीयता सूचियां संवर्गवार उसी तरह रखी जाति है जैसी कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में व्यवस्था है। तथापि विभिन्न संवर्गों में कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में भिन्नता को कम करने के लिए, जैसा कि समय समय पर कार्मिक विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, वरीयता की उपयुक्त सीमा के अन्दर पदोन्नतियां देने के लिए एक योजना लागू की गई है। "सेवा-काल श्रेणी" से सम्बन्धित सहायक अब अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में चयन सूची की 1/3 रिक्तियों के लिए पदोन्नति पाने के पात्र हैं। अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में आस्थायी रिक्तियों पर की गई पदोन्नतियों में इस श्रेणी के लोगों को कुछ हिस्सा उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता भी विचाराधीन है।

कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शनी (दिसम्बर, 1972)

290. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता (दिसम्बर, 1972) में हाल में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राजनीतिक दलों के अधिवेशनों में भी ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने और यही सुविधाएं देने का है ;

(ग) क्या यह प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा कांग्रेस संगठन को कोई किराया दिया गया था; और

(घ) क्या दर्शकों को टिकटें बेच कर कोई आय भी हुई थी और यदि हां, तो कुल कितनी आय हुई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 74 वे खुले अधिवेशन में स्वागत समिति द्वारा विधान नगर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय ने भी 'आत्मनिर्भरता' पर एक मण्डप लगाया था, जिसमें कि परिवार नियोजन पर छोटी सी नुमाइश भी थी ।

(ख) सरकार ऐसे मौकों पर प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं करती, परन्तु प्रचार के दृष्टिकोण से किसी भी संस्थान द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने की प्रार्थना पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी गई 4050 वर्गफुट जगह का किराया दिया जा रहा है ।

(घ) प्रदर्शनी के प्रबंधकर्ताओं ने 18 पैसे का प्रवेश शुल्क लिया था परन्तु सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने इससे कितनी राशि एकत्रित की है। विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के मण्डप में प्रवेश कोई लिए को विशेष शुल्क नहीं लिया गया।

महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद

291. **श्री मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मैसूर सरकारों की अपने सीमा विवाद को हल करने में अ-सफलता को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार का इस दिशा में कोई नई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस कारण विकास कार्यों में बाधा पड़ी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस विवाद का परस्पर सहमत हल ढूंढने की दिशा में प्रयत्न जारी है।

(ख) सरकार किसी ऐसे मामले से अवगत नहीं है जहां इन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा-विवाद के कारण विकासात्मक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है।

रत्नागिरि जिले के एक स्वतन्त्रता सेनानी को गोवा की एक खान का हस्तांतरण

292. **श्री मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि जिले में कट्टा गांव के एक स्वतंत्रता सेनानी ने सरकार से अनुरोध किया है कि उसकी जीविका के साधन स्वरूप गोवा में स्थित एक छोटी खान उसके नाम हस्तांतरित कर दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस स्वतंत्रता सेनानी को आवश्यक जीविका साधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) खानों से संबंधित रिआयतें राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी जाती है और इस लिए स्वतंत्रता सेनानी को इस संबंध में गोवा प्रशासन से सीधे आवेदन की सलाह दी गई थी।

भारत और श्रीलंका के डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की बैठक

293. **श्री सी० टी० दडपाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की 25 जनवरी, 1973 को बैठक हुई थी,

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी, और

(ग) क्या क्या निर्णय किये गये थे।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) (1) दोनों देशों के बीच दूरसंचार सेवाओं से संबंधित प्रचालन और लेखा संबंधी कार्य-विधियों में संशोधन,

(2) श्रीलंका और भारत के बीच दूरसंचार संबंधों का आधुनिकीकरण,

(3) लेखाओं की बकाया रकमों का निपटारा,

(ग) दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं, जिनका अनु-मोदन अपने-अपने यहां की सरकारें करेंगी :

भारत-श्रीलंका की टेलीफोन सेवा के लिए भारत को दो क्षेत्रों में बांटा जाएगा। क्षेत्र-I में तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी का संघ-शासित क्षेत्र शामिल होगा और क्षेत्र-II में भारत का शेष भाग शामिल होगा।

क्षेत्र-I और श्रीलंका के बीच टेलीफोन ट्राफिक का कोई हिसाब-किताब नहीं होगा। जहां से भी ट्राफिक शुरू होगा वहां का प्रशासन उसकी रकम वसूली अपने यहां रोक लेगा। भारत के क्षेत्र II और श्रीलंका के बीच जो टेलीफोन ट्राफिक होगा उससे प्राप्त राजस्व में हिस्सेदारी का अनुपात 4 (भारत) और 1 (श्रीलंका) रहेगा।

तार सेवाओं में सम्पूर्ण भारत अकेला यूनिट माना जाएगा और तार सेवाओं से प्राप्त राजस्व में साझेदारी 3 (भारत) 2 (श्रीलंका) के अनुपात में होगी।

दोनों देशों में अपने-अपने यहां की लेखा-दर और वसूली दर में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा और मार्ग का उपयोग तार और टेलीफोन दोनों सेवाओं के लिए करने में स्वतंत्रता होगी।

(2) भारत-श्रीलंका दूरसंचार जाल के कार्य चालन में तुरन्त सुधार लाने और लम्बी अवधि का सुधार लाने तथा दूरसंचार जाल के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जाये इसकी रूपरेखा निश्चित की गई।

(3) (i) दोनों देशों ने अपने-अपने जहां ट्रंक काल की दरें बढ़ा दी थी और इसके लिए ोनों देशों ने एक दूसरे की सहमति नहीं ली थी। इसलिए दोनों देशों के एक दूसरे के ऊपर लनदारी के दावे है। चूंकि अब दोनों देशों के लिए अपने-अपने यहां की जनता से ट्रंक की बढ़ी दरों की रकमें वसूल करना एक मुश्किल काम होगा इसलिए यह फैसला किया गया कि दोनों देश अपने-अपने दावें खत्म कर दें।

(ii) सब मैरीन केबुल के रख रखाव के दावे के बारे में, जोकि भारत का श्रीलंका के ऊपर है यह निर्णय लिया गया कि परस्पर सहमति से तदर्थ आधार पर इसका निपटारा किया जाये। इसके लिए श्रीलंका सरकार भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजेगी।

देश में प्रशासनिक गठन संबंधी समिति

294. श्री सी० टी० दण्डपाणि :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त की गई छः सदस्यीय प्रशासनिक गठन सबंधी समिति की कई बैठक हुई तथा उनमें कई विषयों पर चर्चा की गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करने के लिए समिती ने कई दल गठित किए है, और

(ग) यदि हां, तो क्या यह समिति प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किए गए अध्ययन का विश्वास करेगी अथवा पूरे मामले को फिर से जांच करेगी।

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों की समस्याओं की जांच में सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ दल गठित किये है।

(ग) योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार राज्य सरकार और सरकारी क्षेत्र के प्रशासनिक तंत्र में सुधार हेतु अपनी नीति बनाते समय समिति प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों तथा उन पर सरकारों द्वारा लिये गय निर्णयों को निसंदेह ध्यान में रखेगी ।

विदेशी तम्बाकू और सिगरेट उद्योग द्वारा धन भेजने पर रोक

295. **श्री के० सूर्यनारायण : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी तम्बाखू और सिगरेट उद्योग द्वारा विदेशों को लाभ आदि की राशि भेजने के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों द्वारा लाभांशों की ऐसी बड़ी धनराशियों को विदेश भेजने पर रोक लगाने के बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रहमण्यम) : धन भेजने के दायित्व को कम करने के लिये निम्नलिखित अभ्युपाय किए गये हैं :—

(1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जिसे 2-4-1965 से लागू किया गया था की धारा 18 क के अधीन विदेशी शाखाओं और विदेशी बहुलांश कंपनियों पर केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सामान्य अथवा विशेष अनुमति प्राप्त मामलों को छोड़ कर तकनीकी और प्रबन्धकीय सलाहकार या व्यापार अथवा वाणिज्यिक क्षेत्रों में एजेंट के रूप में कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(2) विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों के मामलों में औद्योगिक लाइसेंस नीति को सख्त बना दिया गया है ताकि उनका और अधिक विस्तार उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखा जा सके जिन्हें देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक समझा जाता है। सामान्य रूप से इस प्रकार का विस्तार करने के लिये अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि कम्पनियों भारतीय राष्ट्रिकों को अतिरिक्त इक्विटी जारी करेंगी ताकि विदेशी अंशधारिता को कम किया जा सके ।

(3) संसद में एक पुनरीक्षित विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विदेशी कम्पनियों के कार्य कलाप अथवा 40 प्रतिशत या इससे अधिक विदेशी अंश वाली भारतीय कम्पनियों को नये सिरे से सरकार की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।

शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश भेजने सम्बन्धी सुविधाओं के अधीन आरक्षित निधि का अब रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी किये जाने पर लाभांश के रूप में उपयोग किया जा सकेगा :

(1) कि आरक्षित निधि पिछले पांच वर्षों के औसत या चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के आधार पर लाभांश की मात्रा को बनाये रखने के लिये निर्धारित की गई है ;

(2) कि आरक्षित निधि में से निकाली जाने वाली राशि कुल चुकता पूंजी तथा साल के शुरू में कम्पनी की निर्वाध आरिक्षत राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और

(3) कि निकालने के बाद बची निर्वाध आरक्षित निधि के शेष राशि कुल चुकता पूंजी और उक्त (2) में उल्लिखित आरक्षित राशि के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

(4) रायल्टी करारों की अवधि अब कम कर दी गई है तथा रायल्टी की दर भी घटा दी गई है ।

राष्ट्रीय डिजाईन संस्था, अहमदाबाद, के कार्यकरण के बारें में वांचू समिति की रिपोर्ट

296. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **राष्ट्रिय डिजाईन संस्था** अहमदाबाद के कार्यकारण के बारे में एन० एन० वांचू० समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग): श्री एन० एन० वांचू की नियुक्ति राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के कार्यकारण के लिए खिलाफ की गई कुछ विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिये की गई थी। उनकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और वह भारत सरकार के विचाराधीन है।

Bihar Chief Minister's proposal for atomic power station in Bihar

297. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Bihar has sent any proposal or memorandum in regard to the setting up of Atomic Power, Station in Bihar ;

(b) if so, the main contents thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, the minister of atomic energy, minister of electronics, minister of information and broadcasting and minister of space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No Sir.

(b) & (c) : Does not arise.

Grant of pension to freedom fighters from Bihar

298. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Freedom Fighters Assistance Committee and Bihar Government have sent to fighters to him the names of several thousand freedom fighters for the sanction of pension to them and if so, the total number of such names received up to 15th February.

(b) whether many of the 215 freedom fiighters of Bihar granted pension upto 4th December, 1972 have not even received the sanction letters so far ; if so, the reasons for delay; and

(c) the names of freedom fiighters whom the sanction for grant of pesnion has been accorded after 4th December, 1972 district-wise ?

The Deputy Minister in the ministry of home affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir ; 6,050.

(b) Intimations regarding sanction of pension have been sent to all the concerned freedom fighters. It is not known how many of them have not actually received the intimation.

(c) the required information is furnished in the attached Statement (Annexure I & II). (Placed in the Library. *See* No. LT-4203/73).

Grant of pension to freedom fighters

300. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of freedom fighters who applied for pension upto the 31st January 1973, State-wise ;

(b) the number of freedom fighters, State-wise, who started getting pension upto the 31st January, 1973 ;

(c) the reasons for slow progress and delay in sanctioning pensions to them ; and

(d) the action taken by Government to expedite sanction of pesnsion cases ?

The Deputy Ministry in the ministry of Home affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Information is given in the attached statement.

(b) Precise information is not available. However, 8778 freedom fighters' application have been approved for the grant of pension, by 31st January, 1973.

(c) & (d) : The number of applications for grant of pension from freedom fighters was very large and had exceeded the estimated number. More Staff has been appointed to expedite the disposal. It is expected that examination of all the applications will be completed by the 14th August, 1973 and pension approved in as many cases as are found eligible.

Statement

showing the Number of Freedom Fighters who Applied for Pension upto 31st January, 1973 State-wise

Sl. No.	Name of State	Number received
1	2	3
1	Andaman & Nicobar	6
2	Andhra Pradesh	8,616
3	Arunachal Pradesh	
4	Assam	3,644
5	Bihar	11,670
6	Chandigarh	83
7	Delhi	1,549
8	Goa	1,063
9	Gujarat	3,963
10	Haryana	3,301
11	Himachal Pradesh	1,065
12	Jammu & Kashmir	688
13	Kerala	3,552
14	Madhya Pradesh	3,681
15	Maharashtra	11,554
16	Manipur	169
17	Meghalaya	13

1	2	3
18	Mizoram .	1
19	Mysore .	8,584
20	Nagaland .	
21	Orissa .	2,738
22	Pondicherry	243
23	Punjab .	9,166
24	Rajasthan	973
25	Tamilnadu	6,579
26	Tripura .	831
27	Uttar Pradesh .	18,009
28	West Bengal	13,725
	TOTAL	118,466

केरल के विदेशी चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी अध्यादेश

301. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री 15 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार को उस राज्य में स्थित विदेशीय चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी अध्यादेश लागू करने के लिए स्वीकृति देने का निर्णय इस बीच कर लिया है ; और ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी नहीं श्रीमान् ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करना

302. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिये सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटा कर 55 करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान् । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति-आयु को सभी संगत तथ्यों की पूर्ण छान बीन करने के बाद तथा द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 30 नवम्बर, 1962 से 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना में टेलीविजन सेवा के अंतर्गत क्षेत्र

303. श्री राम सहाय पाण्डे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय टेलीविजन सेवा के अंतर्गत कितने क्षेत्र है ;

(ख) इस सेवा के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने क्षेत्र लाये जायेंगे; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) अभीतक केवल दो टेलीविजन केन्द्र दिल्ली और बम्बई में चालू हुए हैं। दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का सेवा क्षेत्र लगभग 11,300 वर्ग किलोमीटर और बंम्बई टेलीविजन केन्द्र का सेवा क्षेत्र लगभग 13,500 वर्ग किलोमीटर है ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें चौथी योजना में सम्मिलित टेलीविजन परियोजनाएं उनके मुकम्मल होने की तारीखें तथा प्रत्येक का अनुमानित सेवा क्षेत्र दिया गया है ।

निम्नलिखित विवरण चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में जिन टेलीविजन केन्द्रों के स्थापित होने का प्रस्ताव है उनकी लक्ष्य, तारीखें और प्रत्येक केन्द्र द्वारा जितने क्षेत्र को कवर करने की सम्भावना है, को बताता है :—

	चतुर्थ योजना में शामिल टेलीविजन परियोजना	लक्ष्य तारीख	कवर किये जाने-वाला अनुमानित क्षेत्र प्रतिवर्ग किलोमीटरों में
1.	अमृतसर टेलीविजन ट्रान्समिटिंग केन्द्र .	मई 1973	18,000
2.	पूना रिले केन्द्र . .	1973	23,000
3.	श्रीनगर टेलीविजन केन्द्र . . .	1973	23,000
4.	मद्रास टेलीविजन केन्द्र . . .	1974	10 000
5.	कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र . . .	1975–76	18,000
6.	लखनऊ टेलीविजन केन्द्र . .	1974–75	20,000
7.	कानपुर रिले केन्द्र . .	1974–75	20,000
8.	दुर्गापुर / आसनसोल रिले केन्द्र	1976–77	20,000
9.	मसूरी रिले केन्द्र . .	1974–75	50,000
10.	जलन्धर टेलीविजन केन्द्र . . .	1976–77	20,000
11.	भटिण्डा रिले केन्द्र .	1977–78	11,000
12.	सरहिन्द / कसौली रिले केन्द्र .	1977–78	11,000

परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए हंगरी के साथ करार

304. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करने के लिए पारस्परिक सहयोग करने हेतु भारत और हंगरी के बीच अभी हाल में एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अपनी अणु ऊर्जा प्रक्रियाओं के विकास में इस करार से भारत को किस प्रकार लाभ होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत तथा हंगरी के मध्य एक करार विद्यमान है। अभी हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के निमन्त्रण पर हंगरी लोक प्रजातन्त्र के राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष प्रो० ग्योर्गी कास्त्रौवस्की के नेतृत्व में हंगरी का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य विद्यमान सहयोगात्मक करार को कार्यान्वित करने के बारे में विचार विमर्श करना था। इस अवसर पर जारी किये गए प्रैस नोट की एक प्रति, जो अपेक्षित सूचना से युक्त है, संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–4204/72]

Rural Industries Commission

305. **Shri Atal Bihari Vajapayee :**

Shri Hari Singh :

Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government propose to solve the unemployment problem in the rural areas by setting up 'Rural Industries Commission';

(b) if so, the time by which the said Commission would be set up; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) : The Khadi & Village Industries Committee (1968) which reviewed the progress ot Khadi and Village Industries Programme *inter-alia* suggested that the present Khadi & Village Industries Commission should be transformed into a statutory body named "Rural Industries Commssion" with powers to advise, undertake and sponsor training and research and generally to coordinate the implementation of the programme for the development of rural industries. The suggestion of the Committee is under the examination of the Government.

Employment opportunities during 1971-72 and 1972-73

306. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Hari Singh :

Will the **Minister of Planning** be pleased to state the number of unemployed persons whom employment was proposed to be provided by the Government during 1971-72 and 1972-73 and the number of such persons whom employment could actually be provided during the period?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in the Library. *See* No. LT- 4205/72]

Schemes from Madhya Pradesh Government for Development of Backward areas during 5th Plan

307. **Shri B. S. Chowhan :** Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) the schemes received from Madhya Pradesh Government for the development of backward areas during the Fifth Five year Plan; and

(b) the salient features of the schemes and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No schemes for the development of backward areas during the Fifth Five Year Plan have been received from Madhya Pradesh Government.

(b) Does not arise.

Assistance to families of Persons killed in Andhra Pradesh

308. **Shri B. S. Chowhan :** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the question or granting financial assistance to the families of the persons killed by Police firing, or otherwise, in Andhra Pradesh so far in connection with separatist agitation after promulgation of the President's Rule;

(b) if so, the main points thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant): (a) & (b): The State Government has decided to grant *ex-gratia* an amount of Rs. 1,000 to the families of those killed and an amount ranging from Rs. 250 to Rs. 500 to those injured and disabled in Police firings.

(c) Does not arise.

Development schemes from Delhi Administration

309. **Shri B. S. Chowhan :** Will the **Minister of Planning** be pleased to state:

(a) the names of the development schemes received by the Government from Delhi Administration during the current year;

(b) the salient features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) & (b) Two Statements are placed on the Table of the House, one indicating the names of important development schemes proposed by the Delhi Administration in their Annual Plan for 1972-73 and the other giving physical targets proposed under different important heads of development.

[Placed in the Library. *See* No. LT-4206/73]

(c) Delhi Administration proposed an outlay of Rs. 45.36 crores for implementing the proposals put forward for the year 1972-73 . These proposals were discussed in the Planning Commission and an outlay of Rs. 43 crores was finally approved by the Planning Commission.

Invitation to leaders of political parties to broadcast over all India Radio

310. **Shri B. S. Chowhan** : Will the **Minister of Information & Broadcasting** be pleased to state:

(a) the names of the political parties, whose leaders were invited to broadcest speeches from the All-India Radio during 1971-72

(b) if no such leader was invited the reasons therefor;

(c) whether there is any proposal under consideration to invite Leaders of political parties to broadcast from the All India Radio; and

(d) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) All India Radio does not arrange any broadcasts by political parties or their members in their capacity as representatives of such praties. However, members of political parties are invited to broadcast in their personal capacity as and when required. The names of the political parties whose leaders/members broadcast during the period 1-4-71—31-3-72 are given in the enclosed statement.

[Placed in the Library. *See* No. LT-4207/73]

(b) Does not arise.

(c) No, Sir; not as representatives of the political parties.

(d) Does not arise.

दमनगंगा जलाशय परियोजना की स्वीकृति

311. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने दमन गंगा जलाशय परियोजना की स्वीकृति दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम की लागत अनुमानतः 24.40 करोड़ रुपए है। इस लागत से एक बांध और दाहिने भाग में एक नहर का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। इस नहर से गुजरात में 868 हैक्टेयर, दादर-नागर हवेली में 6880 हैक्टेयर और दमण में 2833 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। सिंचाई के अतिरिक्त इस स्कीम से गुजरात राज्य के बुलसार जिले की, दादर-नागर और दमण की घरेलू तथा औद्योगिक जरुरतों को पूरा करने के लिए भी पानी मिलेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत 1,000 किलोवाट तक बिजली बनाने का भी प्रस्ताव है।

Launching of Indian Made satellite in 1974

312. **Shri Vayalar Ravi** : Will the **Minister of Space** be pleased to state:

(a) what further progress has been made in our preparations for the launching of an Indian made satellite in 1974;

(b) whether the Satellite Systems division of the Thumba Space Centre has been developed to take up this task; and

(c) if so, the main features thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The laboratory for the fabrication of prototype of the satellite has become operational and assembling of systems has started.

(b) Yes, Sir.

(c) The Vikram Sarabhai Space Centre of which the Satellite Systems Diviosn is a part has overall responsibility for the entire project. The Satellite Systems Division at Thumba has designed the construction of the Satellite and will be associated with all stages of work relating to the launching.

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

313. **श्री वयालार रवि** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) निम्न श्रेणी लिपिकों/टाइपिस्टों की भर्ती–परीक्षा के सम्बन्ध में कुछ कर्मचारियों की एक याचिका सहित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारी संघ की ओर से सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

बहराइच, उत्तर प्रदेश, में एडीशनल सिवील सर्जन, डा० जे० सी० गुप्ता की हत्या

314. **श्री झारखण्डे राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई पत्र मिला है जिस में 8–9 मई, 1972 को रात को बहराइच, उत्तर प्रदेश के एडीशनल सिविल सर्जन डा० जे० सी० गुप्ता की हत्या की जांच करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या दिसम्बर, 1972 तक अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी; और

(ग) इस मामले की जांच करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) याचक के ससुर डा० जे० सी० गुप्त की हत्या के मामले में जांच का अनुरोध करते हुए अजमेर के श्री सी० पी० गुप्त से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन पत्र प्राप्त किये जाने की सूचना है ।

(ख) तथा (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामला जांच पड़ताल के लिए राज्य गुप्तचर विभाग को सौंप दिया गया था । अपराधी के बारे में अभी तक कोई लाभप्रद सुराग नहीं मिला है । मामले की अभी तक छान बीन हो रही है ।

उद्योगों में उत्पादन की कमी

315. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या लोगों की क्रयक्षमता का लगभग 80 प्रतिशत ह्रास हो जाने के कारण हमारे उद्योग संकटग्रस्त हैं और मंडियों की कमी के कारण उन का उत्पादन कम हो रहा है; और

(ख) उद्योगों में उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य से देश की मंडियों में वस्तुओं की खपत बढ़ाने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

New P. & T. Offices in Gujarat in 1972-73

316. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of Post and Telegraph Offices in the various districts of Gujarat at present; and

(b) the number of new Post and Telegraph offices being opened in the districts during the financial year 1972-73.

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Number of Pos Offices and Telegraph Offices functioning in Gujarat State at present, districtwise :—

Name of District	Number of Post Offices	No. of Telegraph Offices
1	2	3
1. Ahmedabad	446	58
2. Amreli	279	20
3. Banaskantha	298	21
4. Baroda	486	36
5. Bhavnagar	438	22
6. Broach	414	31
7. Bulsar	461	45
8. Dangs	37	1
9. Gandhinagar	46	14
10. Jamnagar	237	24
11. Junagarh	447	41
12. Kaira	567	64
13. Kutch	417	36
14. Mehsana	495	52
15. Panchamahals	343	26
16. Rajkot	412	44
17. Sabarkantha	399	32
18. Surat	461	51
19. Surendranagar	244	19
TOTAL	6,927	637

(b) Number of new Post Offices and Telegraph Offices opened/likely to be opened in Gujarat State, districtwise during the financial year 1972-73 is as follows :—

Name of District	No. of Post Offices	No. of Telegraph Offices
1	2	3
1. Ahmedabad	10	Nil
2. Amreli	9	Nil
3. Banaskantha	7	Nil
4. Baroda	17	1
5. Bhavnagar.	34	Nil
6. Broach	11	1
7. Bulsar	16	2
8. Dangs	1	Nil
9. Gandhinagar	3	Nil
10. Jamnagar	7	1
11. Junagadh	8	Nil
12. Kaira	13	Nil
13. Kutch	6	1
14. Mehsana	13	Nil
15. Panchamahals	7	2
16. Rajkot	13	Nil
17. Sabarkantha	3	Nil
18. Surat	25	Nil
19. Surendranagar	21	Nil
TOTAL	224	8

New Post and Telegraph Offices in Himachal Pradesh in 1972-73

317. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of Post and Telegraph Offices in the various Districts of Himachal Pradesh at present; and

(b) the number of new Post and Telegraph Offices being opened in the Districts during the financial year 1972-73?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) No. of Post Offices and Telegraph Offices functioning in the various districts of Himachal Pradesh at present are as follows:

Sl. No.	Name of District	No. of Post Offices	No. of Telegraph Offices
1	2	3	4
1	Simla .	253	38
2	Solan .	109	14
3	Bilaspur	80	10
4	Sirmour	110	6
5	Kinnaur .	50	2
6	Lahaul Spiti	22	1
7	Mandi	205	19
8	Kulu . .	92	10
9	Kangra .	441	29
10	Chamba .	81	14
11	Hamirpur .	197	10
12	Una . .	104	22
	TOTAL .	1,744	175

(b) No. of new Post Offices and Telegraph Offices likely to be opened in the various districts of Himachal Pradesh during the remaining period of the financial year 1972-73 are as follows :—

Sl. No.	Name of District	No. of Post Offices proposed to be opened	No. of Telegraph Offices proposed to be opened
1	2	3	4
1	Simla	Nil	Nil
2	Solan	Nil	Nil
3	Bilaspur	Nil	3
4	Sirmour	Nil	Nil
5	Kinnaur	Nil	Nil
6	Lahaul Spiti	1	Nil
7	Mandi	3	Nil
8	Kulu	1	Nil
9	Kangra	5	3
10	Chamba	Nil	Nil
11	Hamirpur	Nil	1
12	Una	Nil	Nil
	TOTAL	10	7

Deportation of underground Pakistani nationals from Kashmir State

318. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals at present staying in Kashmir State Districtwise who came there from Pakistan on valid passports and visas and have gone underground in various Districts on the expiry of the period of their passports and visas;

(b) the action taken so far by Government to extern them; and

(c) the future policy and plan of the Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (**Shri K.C. Pant**) :

(a) According to the information furnished by the Government of Jammu and Kashmir there are no such instances in the State.

(b) Does not arise.

(c) Government are vigilant in this regard and appropriate action as and when necessary will be taken.

Deportation of underground Pakistani nationals from Punjab State

319. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals at present staying in Punjab State, District-wise, who came there from Pakistan on valid passports and visas and have gone underground in various districts on the expiry of the period of their passports and visas;

(b) the action taken so far by Government to extern them; and

(c) the future policy of Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (**Shri K. C. Pant**) :

(a) Amritsar	23
Sangrur	1

(b) Look-out notices have been issued and efforts are being made to trace and deal with them according to law;

(c) Instructions already exist that all Pakistani nationals visiting India on visas be made to return to Pakistan within the validity of their visas. In order to ensure that they do not overstay, the concerned authorities have been instructed to exercise stricter control over their stay to prevent them from overstaying and going underground.

Pakistani nationals visiting the territory of Andamand on valid passports

320. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who visited centrally-administered territory of Andaman on valid passports during the last three years; and

(b) the number of those out of them who went back before the expiry of their visas?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (**Shri K.C. Pant**) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

Final expiry of tenure of ICS Cadre

322. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the date by which the service tenure of the officers of I.C.S. cadre in the country would expire finally; and

(b) the names of the last officers to be retired as I.C.S. officers?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). : There is no cadre of the Indian Civil Service at present. Some of the persons appointed to the Indian Civil Service are continuing in service either as a member of the Indian Administrative Service or as a Judge of a High Court. All such persons would normally have retired from service by the 16th January, 1979, the date of compulsory retirement of Shri M. G. Kaul, an .ICS member of the Indian Administrative Service.

सूखा तथा अन्य दैवी प्रकोपों में राहत कार्यों के लिये आकस्मिक योजना

323. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ सूखा राहत-कार्य अथवा किसी अन्य दैवी प्रकोप में राहत कार्य के लिए आकस्मिक योजनायें बनाने के अनुदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी प्रस्तावित योजनाओं में ऐसा उपबन्ध किया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का कितनी धन राशि स्वीकृत करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : यद्यपि अभी तक आकस्मिक योजना तैयार करने के सम्बन्ध में विशेष अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं, किन्तु हाल ही में यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में वहां की स्थानीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप ऐसी उत्पादक-श्रम सघन परियोजनाओं। स्कीमों का अभिनिर्धारण कर लें जिनको प्राकृतिक प्रकोप आने की स्थिति में बहुत कम समय में ही आरम्भ किया जा सके।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

324. **श्री के० बालदण्डायुतम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रत्येक राज्य में, जिलेबार, कितने-कितने तथा किन-किन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई है ; और

(ख) इस संबंध में कितने प्रार्थना पत्र रद्द किए गए और किन कारणों से ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जिलावार आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) 15-2-1973 तक अस्वीकृत किये गये आवेदनपत्रों की संख्या 1076 हैं। आवेदन-पत्र मुख्यत: निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत किये जाते हैं :-

(i) आवेदक की वार्षिक आय 5000 रुपये से अधिक हो।

(ii) सामान्य छूट की अवधि समेत वास्तविक सजा 6 महीने से कम हो।

(iii) आवेदकों के अपात्र होने पर जैसे स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र, विवाहित पुत्रियों, भाई आदि।

उड़ीसा में टेलीविज़न केन्द्र

325. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० प्रधानी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या सरकार का विचार उड़ीसा में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है और यदि हां,तो कब और इसका प्रसारण क्षेत्र कितना होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : पांचवी योजना में उड़ीसा में एक टलीविज़न केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यदि इसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजना में शामिल कर लिया गया तो परियोजना पांचवी योजना काल के दौरान हाथ में लेकर पूरी कर दी जायेगी। टेलीविज़न ट्रान्समिटर की रेंज लगभग 80 किलोमीटर होगी।

भारत में सूक्ष्म तरंग उपकरण का निर्माण

326. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सूक्ष्म तरंग का निर्माण करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) सरकार राष्ट्रीय सूक्ष्म तरंग संचार पद्धति कब तक उपलब्ध कराएगी ; और

(ग) राज्यों की उन राजधानियों के नाम क्या है जिनको निकट भविष्य में सूक्ष्म तरंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बंगलौर स्थित कारखाने में सूक्ष्मतरंग उपस्कर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रारम्भ में दो प्रणालियों अर्थात् 7 जैगाहर्टज 300 सरणियों और 6 जैगाहर्टज 960 सरणियों का निर्माण हो रहा है। डाक-तार विभाग के लिए प्रतिवर्ष 100 टर्मिनलों के उत्पादन के लिए योजना बनाई जा रही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में यह उत्पादन और बढ़ाया जाएगा। दूरवर्ती पारेषण उपस्कर के उत्पादन के लिए इलाहाबाद के निकट नैनी में स्थापित किये गए इंडियन टैलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एक नए एकक में भी सूक्ष्म तरंग उपस्कर का निर्माण शुरु करने का प्रस्ताव है।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनेक शहरों को मिलाने वाले एक राष्ट्रव्यापी सूक्ष्मतरंग तंत्र की क्रमिक स्थापना की जायेगी और इसमें लगातार वृद्धि की जायेगी।

(ग) कलकत्ता, शिलांग, नई दिल्ली, जयपुर, श्रीनगर, चण्डीगढ़, शिमला, पटना और भुवनेश्वर, सूक्ष्मतरंग सम्पर्क से जुड़े हैं, बम्बई, बंगलौर, मद्रास, लखनऊ, त्रिवेन्द्रम, हैदाराबाद, गांधीनगर और भोपाल को पांचवी पंचवर्षीय योजना के शुरू के वर्षों में सुक्ष्मतरंग से जोड़ने की योजना है।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड

327. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड स्थापित करने और उसे अपील सम्बन्धी कृत्य सौपने का है; और

(ख) यदि हां तो इसका गठन कब होगा और इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या होंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति की मुख्य सिफारिशें फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन करने और प्रमाण पत्र देने की प्रक्रियाओं में संशोधन करने से सम्बन्धित है। प्रस्तावित परिवर्तन करने के लिए संसद के चालू अधिवेशन के दौरान एक बिल पेश करने का प्रस्ताव है।

कटक में आकाशवाणी केन्द्र

328. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री कटक (उड़िसा) स्थित आकाशवाणी केन्द्र के विस्तार के बारे में 23 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक स्थित आकाशवाणी केन्द्र में इस बीच कितने प्रतिशत कार्य हुआ है; और

(ख) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने में क्या कठिनाइयां है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) **हाई पावर ट्रान्समिटर:**—भवन निर्माण का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उपकरण स्थान पर पहुंच चुके हैं। कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए विभागीय निर्माण कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं।

स्थायी स्टुडियो :—स्थान ले लिया गया है। सिविल निर्माण कार्य शीघ्र ही हाथ में लिए जाने की उमीद है।

(ख) किसी विशिष्ट कठिनाई की आशंका नहीं है।

भदरक मुख्य डाकघर, उड़ीसा का विस्तार-कार्य

329. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के भदरक मुख्य डाकघर के विस्तार-कार्य के, जो वर्ष 1973–74 के शुरू में आरम्भ होने वाला है, कब तक पूरा होने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : भदरक मुख्य डाकघर के अहाते का विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान की जांच की जा रही है ताकि मुख्य डाकघर का विस्तार और स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था की जा सके। इस स्थिति में इस समय यह निश्चित कर पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब शुरू होगा या कब तक पूरा होगा।

बड़े व्यापार गृहो के सहयोग की संयुक्त क्षेत्र में सीमेन्ट एकको की स्थापना

330. श्री **इन्द्रजीत गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र में सीमेन्ट निर्माण एककों की स्थापना करने के लिये सरकार ने देश के कुछ बड़े व्यापार गृहों से सहयोग की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बड़े व्यापार गृहों से इस प्रकार से सहयोग मांगने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सम्बद्ध पार्टियों से कोई आशाजनक उत्तर प्राप्त हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री **सी० सुब्रह्मण्यम**) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योग

331. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की विशेषताएं क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : सरकार का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के कार्य को नए क्षेत्रों में, विस्तार करने और बढ़ाने का है विशेषत: ऐसे क्षेत्रों में जिसमें अधिक मात्रा में खपत होने वाली ऐसी वस्तुओं का उत्पादन शामिल है जिनके उत्पादन में भविष्य में काफी अन्तर आ जाने की संभावना है, सहकारी समितियों को, और लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को भी अधिक मात्रा में खपत होने वाली वस्तुओं के उत्पादन में हिस्सा लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा ।

अन्तरिक्ष टेक्नालाजी और अनुसन्धान के विकास के लिए विदेशी सहायता

332. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **आन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तरिक्ष टेक्नालाजी और अनुसन्धान के विकास के लिए विदेशों से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे सहायता मिलने की आशा है ; और

(ग) वास्तव में किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : भारत ने कुछ देशों जिनमें पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ सम्मिलित हैं, के साथ मिलकर कार्यक्रम बनाया है । मिलकर कार्य करने में थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से ऊपरी वायुमण्डल, आयन मण्डल का अध्यायन तथा उनके सहयोग से विज्ञान सम्बन्धी अन्य परीक्षण करना भी सम्मिलित है । भारत मौसम विज्ञान के अध्ययन के मामल में सोवियत संघ जल मौसम-विज्ञान विभाग को भी सहयोग दे रहा है । भारत में दूर-दर्शन और दूरसंचार के लिए संचार उपग्रह के उपयोग के बारे में विगत वर्षों में अमरीका के सहयोग से अध्ययन किया गया है । 1975 में उपग्रह शिक्षण दूरदर्शन परीक्षण करने के लिए नासा (नेशनल एरोनाटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के साथ एक समझौता हो चुका है । भारत में भूमि पर प्रयोग आने वाले भूमि केन्द्र, दूर-दर्शन सैट, कार्य-क्रमों आदि का व्यवस्था की जा रही है । फ्रांस के साथ मिलकर काम करने में उनसे लाइसेंस लेकर भारत में सेंचोर साउंडिंग राकेटों का निर्माण करना सम्मिलित है ।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन, मिलजुल कर किये जाने वाले कार्यक्रमों को लागू करने में उपरोक्त देशों के इसी प्रकार के संगठनों से निकट सम्पर्क बनाया रखता है ।

श्रीहरिकोटा से "रोहिणी 560" राकेट का छोड़ा जाना

333. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **आन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित राकेट छोडने के केन्द्र से देश में विकसित दो चरण वाला एक राकेट रोहिणी-560 हाल ही में छोड़ा गया था;

(ख) क्या इस राकेट का कार्य निष्पादन सामान्य था;

(ग) अन्तरिक्ष से बाहर उपग्रहों को ले जाने वाले राकेटों का निर्माण कब तक हो सकेगा; और

(घ) क्या भू-उपग्रहों को छोड़ने की भारत की कोई योजना है; और यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) उपग्रह छोड़ने में कितना समय लगेगा, यह बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है । वर्तमान अनमान के अनुसार हम वैज्ञानिक उपग्रह का प्रक्षेपण 1976–77 तक कर सकेंगे ।

(घ) जी हां । उपग्रह प्रक्षेपण करने के हमारे कार्यक्रम का विवरण "आण्विक ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान—1970–80 की दशाब्दि के लिए रूपरेखा" में दिया गया है जिसकी प्रतियां सदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । यह विवरण पांचवीं पंचवर्षीय योजना में समावेश के लिए निर्धारित कर दिया गया है ।

1972 में विस्तार कार्यक्रम और नये उद्योग लाइसेन्सो के लिए आवेदन पत्र

334. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में विस्तार-कार्यक्रमों और नये औद्योगिक लाइसेंसो के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत कितनी मदें हैं और उनकी क्षमताएं क्या हैं ;

(ग) कितने मामलों में स्वीकृति दे दी गयी है और लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(घ) उनमें कब तक कार्य आरंभ होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) वर्ष 1972 में नये उपक्रम स्थापित करने के 1973 तथा पर्याप्त विस्तार करने के 408 आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

(ख) ये आवेदन पत्र मुख्यतः निम्नलिखित उद्योगों के संबंध में हैं :–

1–धातुकर्मी उद्योग

2–विद्युत उपकरण

3–रसायन

4–वस्त्र

5–गेहूं से बने तथा परिष्कृत खाद्य पदार्थ

6–औद्योगिक मशीनें

7–परिवहन

सभी आवेदन पत्रों का विष्लेषण करना तथा हर औद्योगिक क्षेत्र की आवेदित क्षमता बताना एक कठिन कार्य है ।

(ग) इनके लिए नये उपक्रम स्थापित करने हेतु 9 औद्योगिक लाइसेंस और 97 आशयपत्र तथा पर्याप्त विस्तार करने के लिए 7 औद्योगिक लाइसेंस तथा 11 आशयपत्र जारी किए गये हैं

(घ) व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि आशयपत्र जारी होने के समय से औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने तथा उनमें उत्पादन प्रारंभ होने में लगभग तीन से चार वर्ष लग जाते हैं।

शोलापुर में प्रसारण केंद्र

335. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्त तक शोलापुर में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : शोलापुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कार्य पांचवी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई चालू योजना काल के दौरान प्रारम्भ की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार

336. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी बातें सरकार के ध्यान में आयी हैं कि आन्ध्र प्रदेश में कहीं भी तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के साथ रोजगार के अवसरों अथवा शिक्षा सुविधाओं अथवा नागरिकों के अपना कारोबार खोजने के मामले में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिससे परामर्श किया गया था सूचित किया है कि ऐसे कोई मामले सूचित नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Employment of unemployed Scheduled Castes/Tribes

338. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) the number of members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who were unemployed during 1971-72 and 1972-73 and how many out of them were to be provided with employment as per scheme of Government;

(b) the extent of success achieved by Government in this regard; and

(c) if no success has been achieved, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) to (c) : The data available from Employment Exchanges show that members belonging to scheduled castes and scheduled tribes on the live Registers of Employment Exchanges on 30-6-71 were respectively 4,84,775 and 1,01,401. The corresponding numbers as on 30th June 1972 were 6,03,856 and 1,18,114 respectively. The number of placements effected during 1-7-1970 to 30-6-1971 in case of scheduled castes and scheduled tribes were 61,916 and 14,554 respectively and during the period 1-7-71 to 30-6-72 placements effected were 71,454 and 17,334 respectively. Since all unemployed persons do not necessarily register with Employment Exchanges and all those on the Live Registers are not necessarily unemployed, the Live Register figures do not show complete picture of unemployed of these communities.

It is difficult to assess the success of various schemes at this state. However Government has taken various measures to provide employment. During 1971-72 and 1972-73, a number of employment generating schemes were taken up both as part of rural development programmes and through special employment schemes. These special programmes include 46 Small Farmers Development Agency Projects (SFDA), 41 Marginal Farmers and Agricultural Labour (MFAL) projects and six addition al pilot projects in Tribal Areas, Crash Scheme for Rural Employment and the Drought Prone Area Programmes. Special employment schemes for the educated include appointment of personnel for spread of primary education and for surveys on engineering and agricultural aspects. Besides, the special schemes also covered agro service centres, consumer cooperatives, road projects and rural water supply programmes. A number of special employment programmes have also been taken up by State Governments and Union Territories for the benefit of the rural and urban unemployed persons, both educated and uneducated, including scheduled castes and scheduled tribes. No separate data are, however, available regarding employment opportunities provided to members belonging to scheduled castes and scheduled tribes under the aforementioned programmes.

गुजरात में परमाणु बिजलीघर

340. **श्री अरविन्द पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में परमाणु बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानीक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1973–74 के लिए लघु उद्योगों को आबंटित विदेशी मुद्रा

341. **श्री अरविन्द पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में लघु उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन में वृद्धि करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) : लघु क्षेत्र के लिये विदेशी मुद्रा का कोई निश्चित अग्रिम आवटंन नहीं किया जाता। विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने में पिछले कुछ वर्षों में अगामी रुप से वृद्धि हुई है। 1973–74 मे भी यह प्रवृत्ति चलते रहने की आशा है।

Issue of Licences in Co-operative Sector

342. **Shri Hari Singh :** Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the number of new licences issued for the setting up of industries in the Cooperative Sector together with the names of the Societies in whose favour they were issued during 1972 ?

The Minister of Industrial Development and Science and technology (Shri C. Subramaniam) : A statement is attached.

[Placed in the Library. *See* No. LT-4208/73]

Entry into Laccadive islands

343. **Shri Hari Singh :** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is a permit system for travel between India and Laccadive Islands;

(b) if so, the names of the other parts of the country where this system is in vogue and the reasons therefor; and

(c) the reaction of Government in regard to the constitutionality and usefulness of this system in the Islands ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes. Sir. Rule 3 of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Restrictions on Entry and Residence) Rules, 1967, provides that no person who is not a native of the Islands shall enter or reside in or attempt to enter or reside in the Islands except under and in accordance with a permit issued by the competent authority, provided that no such permit shall be necessary in the case of certain classes of persons specified in the proviso to that rule.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Restrictions on Entry and Residence) Rules 1967, were framed under the provisions of section 9 of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Laws) Regulations, 1965, which provides for framing of rules imposing reasonable restrictions on the right of any person who is not a native of the islands to reside in or visit the islands, in the interest of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe. The inhabitants of the territory are classified as scheduled Tribes. The constitutionality of the restrictions on entry and residence in these Islands is the subject matter of a writ petition which is at present pendfng before the Hon'rable High Court of Kerala. The matter is, therefore, *sub judice*

Incentive to Cooperative Units in Backward Areas

344. **Shri Hari Singh :** Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any scheme for providing incentives to the Cooperative Units for the development of industries in backward areas is under consideration of Government; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) and (b) : Cooperative Industrial Units can avail of existing concessional Finance and 10% Central Outright Grant of Subsidy Scheme. No special incentive scheme exclusively for Cooperative Units is under consideration.

संगीत व नाटक के प्रभाग कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

345. **श्री शिवकुमार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत व नाटक प्रभाग के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उनकी कुछ मांगे कार्यक्रम के चयन के सम्बन्ध में है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) गीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों का एक ग्रुप 10 जनवरी, 1973 से 24 घन्टे की भूख हड़ताल पर था।

(ख) जी, हां। विभिन्न मांगों में कार्यक्रमों के स्तर से सम्बन्धित मांग भी शामिल है।

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों का मत है कि कार्यक्रम विशेषकर ए० एफ० ई० डब्ल्यू के कार्यक्रम पुराने हैं और उनकी मांग है कि नये कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। यह धारणा कि कार्यक्रम पुराने है, सही नहीं है। सालों से नये-नये कार्यक्रम बराबर जोड़े जा रहे हैं और इस प्रकार कार्यक्रम नये बनते जाते हैं। कुछ पुराने कार्यक्रम भी जारी रहे हैं क्योंकि वे अभी भी रोचक लगते हैं।

सहायक अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति

346. **श्री शिवकुमार शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मन्त्रालयों/विभागों में कनिष्ठ सहायक लगभग गत दो वर्षों से अनुभाग अधिकारों के रुप में स्थानापन्न रूप में से कार्य कर रहे हैं जबकि वरिष्ठ सहायक ग्रेड में लगभग 28 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, अभी तक सहायक ही बने हुए हैं;

(ख) क्या गृह मन्त्रालय द्वारा सहायकों की सेवावधि के आधार पर अनुभाग अधिकारियों का पैनल तैयार करने के लिए नियुक्त विभागीय पदोन्नीत समिति उक्त स्थानापन्न अनुभाग अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के रूप में आचरण-पत्र के आधार पर उन वरिष्ठ सहायकों के मुकाबले तरजीह देती है जो अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न नहीं किए गए;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार विद्यमान चयन प्रणाली को बदलने और वरिष्ठतम सहायकों को स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद वरिष्ठ सहायकों का, अनुभाग अधिकारियों के पदों के लिए, पैनल न निकालने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सहायकों के संवर्ग में विभिन्न आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति शामिल हैं और उनकी परस्पर वरिष्ठता सुपरिभामित नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायकों के इस प्रकार के मामले भी हैं जो कि दीर्घावधि से कार्य कर रहे हैं, किन्तु वे संघ लोक सेवा आयोग की परिक्षाओं परिक्षणों के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गये अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कनिष्ठ हैं। अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति विभिन्न माध्यमों के द्वारा की जाती है। उनमें से एक पद्धति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की है, जिसके अन्तर्गत यह सम्भव है कि कनिष्ठ सहायक जो इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लें, वे अपने वरिष्ठों की अपेक्षा पहले पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक चयन समिति द्वारा प्रतिवर्ष दीर्घावधि से कार्य कर रहे सहायकों का पैनल तैयार किया जाता है जो सभी पात्र सहायकों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन करती है। यह पैनल सामान्यत: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उसी वर्ष ली जाने वाली भारतीय प्रशासन सेवा तथा सम्मिलित सेवाएं परीक्षाके आधार पर, अनुभाग अधिकारी के रुप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित सीधी भर्ती वालों के नामों के पूर्व ही प्राप्त हो जाता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के लाभों का सामान्य वितरण

347. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना में विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के मध्य योजना के लाभों के वितरण पर बल देने की अपेक्षा अभी तक उत्पादन में वृद्धि करने पर बल दिया गया ;

(ख) क्या योजना–लाभों के साम्य वितरण के बारे में निश्चित नीति न होने के कारण धनी वर्गों को अधिक लाभ पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न श्रेणियों और वर्गों के बीच साम्य वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अब तक योजनाओं में जिस विकास कार्यनीति का अनुसरण किया गया है उस पर योजना आयोग का विश्लेषण उसके "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" दस्तावेज में बताया गया है। सम्बद्ध उदाहरण इस प्रकार है :

> "ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व योजना दस्तावेजों में विकास कार्य–नीति का प्रतिपादन करते समय हम यह मान बैठे थे कि राष्ट्रीय आय में तेज रफ्तार से वृद्धि होने से अपने आप अधिक और भरपूर रोजगार सुलभ हो जायेगा और इसके साथ साथ गरीबों का जीवनस्तर भी ऊपर उठ जायेगा। हम यह भी मान बैठे थे कि आय और सम्पत्ति की असमानतायें घटाने में पुर्नवितरण संबंधी नीतियां बहुत ही कम कार्य कर सकती हैं।

(ख) योजना आयोग ने पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज में जो विश्लेषण दिया है, वह इस प्रकार है :

> "विगत दो वर्षों के दौरान हुए आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप प्रतिव्यक्ति आय में सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है। उपभोग के आधारभूत निम्मतम स्तर से नीचे जीवनयापन करने वालों के रूप में परिभाषित गरीबों के अनुपात में थोड़ी कमी हुई है। फिर भी गरीबी की पंक्ति से नीचे जीवन निर्वाह करने वालों की कुल संख्या आज भी उतनी ही है जितनी कि दो दशक पूर्व थी"।

(ग) पाँचवीं योजना में असमानतायें घटाने पर उतना ही बल दिया गया है जितना कि विकास पर। असमानतायें घटाने सम्बन्धी विस्तृत नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है और सितम्बर, 1973 तक तैयार किए जाने वाले पांचवीं योजना के प्रारुप में उन्हें शामिल कर दिया जायेगा। अन्य बातों के अलावा, आग उपयोग की वस्तुओं की उत्पादन प्रणाली को प्राथमिकता प्रदान कर और उपभोग में असमानतायें घटाने सम्बन्धी उपाय अपनाकर आयोजन के लाभों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा।

तथाकथित नागा फैडरल सरकार द्वारा संयुक्त सैनिक कार्यवाही के लिए काछी स्वतन्त्र सेना से करार

348. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–बर्मा सीमा के दोनों और संयुक्त सैनिक कार्यवाही करने के लिये तथा–कथित नागा फैडरल सरकार ने काछी स्वतंत्र सेना से कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसी किसी संभावित कार्यवाही के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार को ऐसी कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नागालैण्ड और मणीपुर सरकारों तथा सुरक्षा बलों द्वारा पूरी सीमा पर अत्याधिक सतर्कता बरती जाती है।

अलीगढ़ में नरोरा परमाणु बिजलीघर

349. श्री के० कतामुतु : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ में नरोरा परमाणु बिजली घर का डिजाइन-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) बुलन्दरशहर जिले में स्थापित किये जाने वाले परमाणु बिजलीघर का डिजायन बनाने का काम चल रहा है। यद्यपि डिजायन से सम्बन्धित कार्य परियोजना के समाप्त होने तक चलता रहेगा, किन्तु डिजायन का मुख्य भाग तैयार करने का काम, जिसे विकास-कार्यो से सहयोग मिलेगा, लगभग तीन वर्षों में पूरा होने की आशा है।

(ख) नरोरा परमाणु बिजलीघर के पहले चरण के अन्तर्गत 200/235 मैगावाट क्षमता के दो रिएक्टर बनाने की योजना है। इसका डिजायन राजस्थान तथा तमिलनाडु में क्रमश: राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना एवं मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के कांडू किस्म के रिएक्टरों के डिजायन के समान है। वर्तमान डिजायन को नरोरा में परियोजना के निर्माण-स्थल पर विद्यमान परिस्थितियों के अनुरुप बनाने के लिए उसमें अनेक सुधार किये गए हैं ताकि एक ऐसा डिजायन तैयार किया जा सके जिसकी सहायता से अपेक्षाकृत बड़ी क्षमता के रिऐक्टर बनाये जा सकें तथा देशी माल को और अधिक मात्रा में काम में लाया जा सके।

(ग) नरौरा परमाणु बिजलीघर का निर्माण कार्य लगभग दो वर्षों में शुरू करने की योजना है।

मैसूर के गांवों और कस्बों में टेलीफोन सुविधायें

351. श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

श्री के० मालण्णा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में टेलीफोन की सुविधा प्राप्त कस्बे और गांव कौन से हैं ;

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरान कोल्लार जिले के किन गांवों में टेलीफोन की सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस उद्देश्य की कितनी राशि आवंटित की गई है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) मैसूर राज्य में जिन नगरों और गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्राप्त हैं, उनकी एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी–4209/73]

(ख) मल्लानया कनाहाली, (2) बाइराकुर, (3) दारीनयाकनापालया और (4) बुडी कोट में सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था करने के प्रस्ताव हाथ में लिए गए हैं लेकिन आशा है कि ये कार्य 1973–74 में पूरे होंगे ।

(ग) जैसा कि वर्ष 1972–73 में व्यवस्था की गई है, इन चार स्थानों के लिए लगभग 60,000 रुपये है ।

बेरोजगार इंजीनियरों के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की योजना

352. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा इंजिनियरिंग स्नातकों को अपने छोटे छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता देने हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटड ने कोई परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब आरंभ की गयी थी और परियोजना में अब तक कितने स्नातकों को रोजगार मिला है? और

(ग) ये परियोजनायें किन किन राज्यों में स्थापित की गयी हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) उद्यमी मार्गदर्शक सेवा (एण्ट्रप्रीन्यूरल गाइडेंस सर्विस) नामक योजना फरवरी 1972 में चालू की गई थी और इसका उद्देश्य अपने निजी उद्योग स्थापित करने में तकनीकी दृष्टि से अर्हता प्राप्त उद्यमियों का पथ-प्रदर्शन करना है । इस योजना के अन्तर्गत अब तक सारे देश के 150 उद्यमियों की सहायता दी गई है ।

दिल्ली में तस्करी, डकैती और चोरी के मामले

353. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के दौरान राजधानी में अब तक तस्करों, डकैतों और चोरों के कितने गिरोह पकड़ गए हैं;

(ख) इ बारे में कितने व्यक्ति बन्दी बनाये गये हैं और इस समय उनके विरुद्ध मामले किस स्थिति में हैं; और

(ग) कुल कितने मूल्य का सामान पकड़ कर उसके स्वामियों को सौंप दिया गया है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली में 1972–73 के दौरान डाकूओं के 6 गिराहों तथा चोरों के 26 दलों का पता लगाया गया था ।

(ख) डाकुओं के 6 गिरोहों में 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और चोरों के 26 गिरोहों में 99 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । उनके विरुद्ध मुकदमों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

मामले

रिपोर्ट की गई	चालान किए गए	सजा दी गई	मुक्त किए गए	विचारण के लिए निलंबित	जांच के लिए निलम्बित
डकती 6 . .	1	..	..	1	5
चोरी 46 .	42	12	..	30	4

व्यक्ति

गिरफ्तार किए गए	चालान किए गए	सजा दी गई	मुक्त किए गए	विचारण के लिए निलंबित	जांच के लिए निलम्बित
डकैती 45 .	10			10	35
चोरी 99 .	83	6	..	77	16

(ग) डकैती के मामलों में 43,820 रुपये मूल्य की वस्तुएं बरामद की गई और वे संबंधित पुलिस थानों के मालखानों में रखी हैं और यथाशीघ्र उनके मालिकों को सौंप दी जायेगी। चोरों से 6,68,625.50 रुपये मूल्य की वस्तुएं बरामद की गई थी। उनमें से अब तक 39,886 रुपये मूल्य की वस्तुएं उनके मालिकों को सौंप दी गई हैं और शेष संबंधित पुलिस थानों के माल खाने में रखी हैं उनको भी यथासमय उनके मालिकों को दे दिया जायेगा।

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद द्वारा प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन

354. **श्री सतपाल कपूर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद के उन प्रकाशनों की ओर दिलाया गया है जिनमें सरदार पटेल के नेहरु जी के साथ पत्र व्यवहार के खण्ड में प्रकाशित किए गए हैं;

(ख) क्या इस प्रकार नवजीवन ट्रस्ट ने भारत सरकार के प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन करने के षड़यंत्र में भाग लिया है और शासकीय भेद अधिनियम की आवश्यकताओं की उपेक्षा की है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग) : प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 अथवा शासकीय भेद अधिनियम, 1923 के किसी उपबन्ध का कोई विशिष्ट उल्लंघन अब तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

सेवाग्राम के गांधी आश्रम के भवन की जर्जर अवस्था

355. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम में स्थापित गांधी आश्रम का भवन इन दिनों दयनीय अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो क्या बार-बार अनुरोध करने पर भी इसकी दशा सुधारने के लिए न ही गुजरात सरकार ने और न ही भारत सरकार ने कोई ध्यान दिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आश्रम को अच्छी अवस्था में बनाये रखने और इसे नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायगी।

तिहाड़ जेल, दिल्ली से कैदियों का भाग निकलना

356. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 दिसम्बर, 1972 को तिहाड़ जेल से एक बन्दी (कन्विक्ट आफिसर) समेत तीन बन्दी तिहाड़ जेल से भाग निकले थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है और क्या उन बन्दियों को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ग) उक्त घटना के लिए उत्तरदायी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि एक कन्विक्ट आफिसर समेत तीन बन्दी 23 दिसम्बर 1972 को जेल फार्म से बचकर भाग गए। कन्विक्ट आफिसर समेत दो बन्दी क्रमशः 24 व 28 दिसम्बर 1972 को पुनः गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस तीसरे बन्दी का पता लगाने के प्रयत्न कर रही है।

(ग) घटना के समय तैनात बन्दियों के वार्डर इन्चार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है।

डाक और तार बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

357. **श्री शशि भूषण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की डाक और तार बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड अथवा सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्ड के ढंग पर करने की सिफारिश पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) तथा (ख) : डाक व तार के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विदेशों के फिल्म समारोहों में भारत द्वारा भाग लेना

358. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में ऐसे कितने फिल्म समारोह हुए जिनमें भारत ने भाग लिया और ये फिल्म समारोह किस किस देश में आयोजित किये गए;

(ख) वहां किन-किन भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया और इस प्रकार प्रदर्शित की गई फिल्मों में से किस-किस फिल्म की वहां प्रशंसा हुई; और

(ग) क्या उन में से किसी देश में भारत फिल्म केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4210/73]**

(ग) फिल्म वित्त निगम द्वारा प्रायोजित नई भारतीय फिल्मों के समारोह के सम्बन्ध में निगम के अध्यक्ष की हाल ही में लन्दन की यात्रा के दौरान, लन्दन के एक वितरक द्वारा उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार के समारोह आयोजित करने और पश्चिमी यूरोप में इन फिल्मों के बेचने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए इंग्लैंड में एक भारतीय फिल्म केन्द्र खोला जाए। फिल्म वित्त निगम के बोर्ड ने मामले पर विचार किया है, किन्तु उसका इस प्रकार का केन्द्र खोलने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

छोटे समाचार-पत्रों के लाभार्थ उपाय

359. श्री शशि भूषण : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे समाचार पत्रों के लाभ के लिए कुछ कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है और उन उपायों के फलस्वरूप छोटे समाचार पत्रों को किस सीमा तक लाभ पहुंचेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4211/73]

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये उड़िसा से आवेदन-पत्र

360. श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार ने नये औद्योगिक एककों को लाइसेंस देने के लिए केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदन पत्र भेजे हैं ;

(ख) कितने अवेादन पत्र मंजूर किए गए हैं; और

(ग) कितने आवेदन पत्र नामंजूर किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : औद्योगिक एकक स्थापित करने संबंधी आवेदन पार्टियों से सीधे प्राप्त किए जाते हैं। किन्तु आवेदन पत्रों की प्रतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को उनकी राय और सिफारिश के लिए भेजी जाती हैं। 1970 से 1972 की अवधि में उड़ीसा में नये उपक्रम स्थापित करने के लिए 63 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 3 को औद्योगिक लाइसेंस और 13 को आशयपत्र जारी किए गए हैं। आगे क्षमता के विस्तार की गुंजाइश न होने, विशेष वस्तु लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित होने आदि कारणों से छः आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया।

उड़िसा के आदिवासियों को मकान देना

361. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उड़ीसा सरकार को आश्वासन दिया है कि उड़ीसा में आदिवासी लोगों को मकान देने के लिये वर्ष 1973–74 के लिये 50 लाख रुपये दिये जायेंग;

(ख) उड़ीसा सरकार ने आदिवासीयों को मकान देने के लिए अब तक यदि कोई योजनाएं भेजी हैं तो उनकी मोटी बातें क्या हैं;

(ग) चौथी योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गई थी; और

(घ) चौथी योजना में उड़ीसा में अब तक कितने आदिवासियों को मकान दे दिये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उड़ीसा की वार्षिक योजना 1973–74 पर विचार विमर्श के दौरान योजना आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि जनजातीय लोगों को मकान सुलभ करने के लिए वे एक बोर्ड स्थापित करने के बारे में विचार कर सकते है। यह भी कहा गया था कि 1973–74 के लिए 50 लाख रुपये की राशि तभी प्रदान की जा सकती है जबकि राज्य सरकार द्वारा एक उपयुक्त अभिकरण का सृजन किया जाय और जनजातीय लोगों के आवास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किये जाये ।

(ख) राज्य सरकार से अभी तक स्कीमें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) उड़ीसा में जनजातीय आवास के लिए चौथी योजना में कोई विशेष राशि निर्धारित नहीं की गई थी। फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में, आवास के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय के अलावा चौथी योजना के दौरान 1972–73 के अन्त तक "पिछड़े वर्गो का कल्याण" नामक क्षेत्र से उड़ीसा में 1 लाख रु० की राशि व्यय किये जाने की सम्भावना है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा को अतिरिक्त अनुदान

362. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग वर्ष 1972–73 के लिये उड़ीसा सरकार को अतिरिक्त अनुदान देकर 2.51 करोड़ रु० के घाटे की पूर्ति करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) वर्ष 1972–73 के लिये उड़ीसा के लिये स्वीकृत योजना परिव्यय कितना था; और

(ग) क्या स्वीकृत योजना परिव्यय पूरा-पूरा खर्च कर दिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। योजना आयोग ने राज्य के योजना संसाधनों में कमी को देखते हुए उड़ीसा को चालू वर्ष में 2.51 करोड़ रुपये की अग्रिम केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

(ख) वर्ष 1972–73 के लिए उड़ीसा का स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय 57.42 करोड़ रुपये बैठता है।

(ग) राज्य की वार्षिक योजना 1972–73 पर वास्तविक व्यय अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि उड़ीसा सरकार द्वारा भजी गई सूचना के अनुसार 1972–73 में प्रत्याक्षित व्यय 57.35 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

परमाणु बिजली घरों के डिजाइन और निर्माण कार्य का भारतीयकरण

363. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु बिजली घरों के डिजाइन और निर्माण कार्य का भारतीयकरण करने के लिए हाल ही में क्या प्रमुख कदम उठाये गए हैं; और

(ख) क्या निरोरा परियोजना का डिजाइन भारतीय वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : तारापुर परमाणु बिजलीघर, जो भारत का पहला बिजलीघर है, एक विदेशी ठेकेदार द्वारा "टर्न की" (Tern-Key) आधार पर तैयार किया गया था। दूसरे बिजली घर अर्थात राजस्थान परमाणु बिजलीघर का डिजाइन कनाडा के परमाणु ऊर्जा आयोग तथा वहां की एक परामर्शदात्री फर्म द्वारा तैयार किया गया था। इसे बनाने का काम भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया है।

मद्रास मे कलपक्कम मे स्थापित किये जाने वाले तीसरे परमाणु बिजली घर का डिजाइन तयार किया जा चुका है तथा इसका निर्माण कार्य परमाणु उर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। बिजलीघर मे न्यूक्लीय ऊर्जा के प्रयोग स सम्बन्धित भाग का डिजाइन तैयार करने का उतरदायित्व परमाणु ऊर्जा विभाग का है तथा इसके पारम्परिक भाग का डिजाइन बनाने का उत्तरदायित्व भारतीय सलाहकारों को सोंपा गया है। नरोरा परियोजना मे न्यूक्लीय ऊर्जा का प्रयोग करनेवाले भाग का डिजाइन तयार करने का काम परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू किया जा चुका है। तथापि, परियोजना के पारम्परिक भाग का डिजाइन बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही भारतीय सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

जन-शक्ति आंकड़ा बैंक की स्थापना

364. **श्री भागवत झा आजाद : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का विचार एक जन शक्ति आंकड़ा बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह बैंक वैज्ञानिक तथा कार्यो (जाब्स) की किस तरह एक दूसरे को ढूंढने में सहायता करेगा; और

(ग) यह बैंक कब तक कार्य करना आरम्भ करेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर को पूर्ण करने के द्वारा ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की मांग के विरुद्ध एक संगणक प्रणाली के आंकड़ा संसाधन एवं समतुल्यन द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय रजिस्टर में समतुल्यन करने के द्वारा।

(ग) प्रायोजना प्रतिवेदन को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिये पूर्व ही से कार्य हाथ में ले लिया गया है।

भारत में जनसंख्या और तारघरों का अनुपात

365. **श्री भागवत झा आजाद : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या और तार के अनुपात में भारी अन्तर है;

(ख) देश के किस राज्य में अनुपात सर्वाधिक है; और

(ग) विभिन्न राज्यों के बीच विद्यमान भारी विषमता को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठानें का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या और तारघर के अनुपात में अन्तर है। यह अन्तर की तार घर 18759 से 70904 जनसंख्या तक है।

(ख) मैसूर सर्किल में जनसंख्या की दृष्टि से तारघरों का सर्वोत्कृष्ट अनुपात है।

(ग) विभिन्न राज्यों के बीच विद्यमान भारी विषमता की ओर डाकतार सर्किल-अध्यक्षों का ध्यान आकर्षित किया गया है और इस मामले में जो सर्किल पिछड़े हुए हैं उनसे कहा गया है कि वे अपने यहां यथाशीघ्र तार घर खोलने की व्यवस्था करें।

Rural Communication Services

366. **Shri Mulki Raj Saini**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Post Offices, Telegraph Offices and Telephones in various States of the country; and

(b) the scheme under the consideration of Government to improve communication services in the villages?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Number of Post Offices and Telegraph Offices in various states of the country:

Sl. No.	Name of State	No. of Post Offices	No. of Telegraph Offices (as on 15-1-1973)
1	2	3	4
1	Andaman & Nicobar Islands .	41 (as on 15-11-72)	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
	Andhra . .	13,854	1,010
3	Arunachal Pradesh	72	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
	Assam .	2,390	Do.
	Bihar	8,721	991
6	Chandigarh	28	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
7	Dadra & Nagar Haveli . .	9 (as on 14-11-72)	Do.
8	Delhi	369	Do.
9	Goa, Daman & Diu . . .	163 (as on 14-11-72)	Do.
10	Gujarat	6,914	Do.
1	Haryana	2,083	Do.
12	Himachal Pradesh . . .	1,742	Do.
13	Jammu & Kashmir . . .	1,030	110
14	Kerala	3,926	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
15	Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands.	10	Do.
16	Madhya Pradesh . . .	6,044	724
17	Maharashtra	9,215	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.

1	2	3	4
18	Manipur .	313	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
19	Meghalaya .	229	Do.
20	Mysore .	8,567	1,564
21	Mizoram	127	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
22	Nagaland .	96	Do.
23	Orissa	5,613	574
24	Punjab .	3,243	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
25	Pondicherry . .	85	Do.
26	Rajasthan . .	7,371	759
27	Tamilnadu . . .	10,462	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
28	Tripura	349	Do.
29	Uttar Pradesh	13,960	1,252
30	West Bengal.	6,206	Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.
	TOTAL .	1,13,232 (as on 31-11-72)	Do.

As regards the number of telephones in various States of the country, the information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha.

(b) *Postal Services:* It is proposed to open 3,700 new post offices in the country during the year 1973-74 most of which will be located in the rural areas. It is also proposed to open about 31,000 new post offices during the Fifth Five Year Plan and of these, about 29,000 are proposed to be located at Gram Panchayat villages which are situated at a distance of more than 2 miles from the existing post offices.

Telecommunication Services : It has been decided to use aluminium wire instead of copper wire for opening long distance public call offices to guard against disturbances due to copper wire thefts. Some minimum standards for transmission loss and Nation-wide Switching Plans have also been fixed for opening Public Call Offices to ensure proper speech on the circuit and improve the working. It is proposed to open 5000 Public Call Offices and 7000 Telegraph Offices in the country under the Fifth Five Year Plan.

Bill for improving law and order situation in the country

367. **Shri Mulki Raj Saini :**

Shri C.K. Jaffer Shariff :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the law and order situation in the country is becoming critical;

(b) the scheme of Central Government for improving this situation; and

(c) whether Government propose to introduce any Bill in this House on the basis of the recommendations of various Commissions and Committees and if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) : The Government view with serious concern the recent agitations and disturbances in certin parts of the country. The Government of India keep in constant touch with the State Government concerned and provide all reasonable assistance to enable them to deal firmly with violent activities.

केरल में अखबारी कागज का कारखाना

368. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रस्तावित अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के मामले को लेकर केन्द्र और केरल राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मतभेद की बात क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मतभेद की बातों को हल करने और प्रस्तावित कारखाने को यथा-शीघ्र स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पालघाट (केरल) मे सुक्ष्म औजार कारखाना

369. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पालघाट के स्थान पर सूक्ष्म औजार कारखाने की स्थापना के बारे में कोई कार्यवाही की है, और

(ख) इसमें उत्पादन कब से आरंभ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इंस्टू-मेंटेशन लिमिटेड कोटा में जिन्हें इस परियोजना के स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है, स्थान का निर्णय तथा परियोजना में प्रमुख अधिकारी भेजने का काम पुरा कर लिया है। अपेक्षित तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से वे इस समय बातचीत कर रहे है, इन यंत्रणाओं के शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है। तत्पश्चात् परियोजना के कार्यान्वियन का कार्य आगे बढ़ाया जायेगा।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार परियोजना के वर्ष 1974 में चालू हो जाने की संभावना है। इस एकक में कंट्रोल वाल्व, रिलीफ एण्ड सेफ्टी वाल्व, तथा उनसे सम्बद्ध वस्तुएँ जैसे एक्टुयटर, वाल्व पोजीशनर आदि बनाए जायेंगे।

केरल का बन्धकाधीन श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक, 1972

370. श्री एम० के० कृष्णन् : क्या गृह मंत्री 29 नवम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2261 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायनाड क्षेत्र में कोजीकोड, मालापुरम और कन्नामूर जिलों में प्रचलित बन्धकाधीन श्रम पद्धति को खत्म करने के लिए केरल सरकार द्वारा तैयार किए "बन्धकाधीन श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक, 1972" पर केन्द्रीय सरकार ने सहमति दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : केरल सरकार के बन्धकाधीन श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक 1972 पर स्वीकृति 3० जानवरी 1973 को दे दी गई है ।

इंडियन रेयर अर्थर्स ट्रांसफार्मरों का बेचा जाना

371. श्री एम० के० कृष्णन् : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेयर अर्थर्स द्वारा केरल के दी 11 के० वी० ट्रांसफार्मरों को हाल ही में बेचा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या नीलामी के लिए कोटेशन मांगी गई थी और इस बारे में समाचार-पत्रों मे विज्ञापन दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर कोटेशन मंगाये गए थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काली नदी परियोजना के लिए मंजूर की गई राशि

372. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि काली नदी प्रयोजना को योजना से बाहर रख कर आरम्भ किया जाय ;

(ख) क्या योजना आयोग ने उक्त परियोजना के प्रथम चरण की स्वीकृति दे दी है और कुछ राशि मंजूर की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बात क्या हैं और कितनी राशियां मंजूर की गई हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। भारत सरकार केवल चौथी योजना के दौरान उक्त स्कीम के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि मैसूर राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली काली नदी का उपयोग किया जाय तथा 374 मीटर वाले परिचालनशीर्ष (आपरेटिंग हेड) के लिए 135 मेगावाट वाले दो उत्पादन एककों सहित एक बिजली घर का निर्माण किया जाय ।

परियोजना की अनुमानित लागत 37.94 करोड रुपये है। वर्ष 1972-73 के दौरान 10.58 करोड रुपये की धनराशी व्यय होने की सम्भवना है । 1973-74 में स्किम के लिए विभिन्न मदों पर वास्तविक प्रगति तथा किए गए भुगतानों के आधार पर 11,89 करोड रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

Expansion of Telephone exchanges in Madhya Pradesh

373. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the time by which the expansion work of Telephone Exchanges in Neemach, Mansaur and Ratlam in Madhya Pradesh would be completed;

(b) the present capacity of each of them and the capacity thereof after expansion; and

(c) the number of persons on the waiting list for telephone connections at these places?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) The telephone exchanges at Neemuch, Mandsaur and Ratlam are expected to be expanded as shown below:

(1) *Neemach Exchange :* Upto 360 lines in 1973-74 and upto 480 lines in 1974-75.

(2) *Mandsaur Exchange :* It will be replaced by 400 lines auto exchange in 1973-74 and will be expanded to 500 lines in 1974-75.

(3) *Ratlam Exchange :* It will be expanded to 840 lines during 1973.

(b)

Name of Exchange	Present Capacity	Capacity after expansion in	
		1973-74	1974-75
1	2	3	4
1. Neemach	300 lines	360	480
2. Mandsaur	300 lines	400	500
3. Ratlam	600 lines	840	840

(c)

Name of Exchange	Waiting List as on 31-12-1972
1. Neemach	111
2. Mandsaur	100
3. Ratlam	99

Alleged mismanagement in Song and Drama Division

374. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints regarding mismanagement in Song and Drama Division;

(b) whether complaints have also been received against the high officials of the Division; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinha) : (a) to (c) : Government have received some complaints about the working of the Song and Drama Division as well as about individual officials of the Division. These have been carefully examined. Some of these are also being investigated by the CBI. Besides, urgent steps have been taken to strengthen the administrative staff in the Division with a view to improving its functioning.

सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में लाइसेंसों और आशय पत्रों का जारी किया जाना

375. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के लिए कितने लाइसेंस और आशयपत्र जारी किए गए ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने लाइसेंस जारी किए गए ; और

(ग) लाइसेंस लेने के बाद कितने उद्योग स्थापित किए गए ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तथा (ख) : गत तीन वर्षों में विभिन्न उद्योगों को जारी किए गए लाइसेंसों तथा आशयपत्रों की संख्या निम्नप्रकार थी :—

वर्ष	लाइसेंस	आशयपत्र
1970	363	438
1971	625	1015
1972	563	877

(ग) ये लाइसेन्स कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को स्थायी बनाने/पदोन्नत करने/नियुक्त करने के सम्बन्ध में आदेशों को क्रियान्वित न करना

376. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति/उन्हें स्थायी बनाने/उनकी पदोन्नति के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/निदेशों को क्रियान्वित न किए जाने के संबंध में शिकायतें बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि उक्त आदेशों और निदेशों को सही रूप में क्रियान्वित किया जाय ;

(ग) क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो उक्त आदेशों और निदेशों की कडी क्रियान्विती का पुनर्विलोकन करे ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बारे में विभिन्न आदेशों तथा उनके लिए नियुक्ति स्थायीकरण तथा पदोन्नति के संबंध में दी जाने वाली अन्य रियायतों को सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संलग्न एवं अधीनस्य कार्यालयों आदि के द्वारा अपनी भाषा तथा भावना दोनों के अनुसार सुनिश्चित रूप से अनुपालन किए जाने की सम्भावना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों के सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकारियों से इन आदेशों के कार्यान्वियन न किए जाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि ये शिकायतें/अभ्यावेदन विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त हुई हैं, उनकी संख्या का तत्काल पता नहीं लगाया जा सकता । तथापि ऐसी शिकायतोंपर निरन्तर विचार किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक हों उपचारी कार्रवाई की जाती है ।

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं और स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए एक तंत्र भी विद्यमान है जो कि इस सम्बन्ध में विभिन्न आदेशों के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है जैसे कि अनुबन्ध में ब्यौरे दिये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

आरक्षण आदेशों को पूरी तरह कार्यान्वयन सूनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :—

(1) **आरक्षण के लिए माडल रोस्टर :**—अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षणों को लागू करने के लिए 40-40 सूत्रों वाले मॉडल रोस्टर निर्धारित किए गए हैं। श्रेणी iii तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भर्ती में आरक्षणों के लिए 100-100 सूत्रों वाले रोस्टर निर्धारित किए गए हैं। नियुक्ति प्राधिकारियों को रोस्टरों के अनुसार ही रिक्तियों को आरक्षित या अनारक्षित मानना होता है।

(2) **सम्पर्क अधिकारी तथा विशेष एकक :**—मंत्रालयों/विभागों द्वारा उप सचिव के स्तर के अधिकारियों को सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नामित किया जाता है जिन्हें जो कि अपने अपने मंत्रालयों में तथा सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में विशेष प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित कार्य के लिए समूचे रूप से प्रभारी होते हैं तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं कि इस सम्बन्ध में जारी हुए अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। सम्पर्क अधिकारी को एक विशेष उत्तरदायित्व यह सौंपा गया है कि वह उसके कार्यभार के अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों में रखे जा रहे रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा।

सम्पर्क अधिकारियों को नामित करने की प्रणाली प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों पर भी लागू की गई है।

1969 में मंत्रालयों/विभागों से भी कहा जा चुका है कि वे सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत मंत्रालय/विभाग के भीतर एक एकक की स्थापना करें। एकक का कार्य मुख्यतः सम्पर्क अधिकारी को अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकने में उसकी सहायता करना है। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने इस प्रकार के एकक स्थापित किये हैं।

सम्पर्क अधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षणों से अथवा अंन्यथा ध्यान में आने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित आरक्षण तथा अन्य आदेशों का पालन करने के सम्बन्ध में लापरवाही अथवा कमियों के मामले सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों में सरकार के सचिव/अपर सचिव तथा विभागाध्यक्ष के अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों की स्थिति में विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करने होते हैं तथा सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(3) **वार्षिक विवरण** :—वार्षिक विवरण भर्ती के ब्यौरे जिनमें भरी गई रिक्तियों की संख्या तथा भर्ती किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की संख्या देनी होती है वे नियुक्ति प्राधिकारियों के लिए निर्धारित किए गए हैं जो उन्हे अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करने होते हैं।

(4) **अनारक्षण के लिए पूर्व अनुमोदन** :—जब कभी स्थायी अथवा दीर्घकालीन अस्थायी नियुक्ति के लिए रोस्टर में सम्मिलित किसी आरक्षित रिक्ति के आरक्षण को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार मिलने के कारण रद्द करना जरूरी होता है तो उसके लिए नियुक्ति प्राधिकारियों को कार्मिक विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है ।

जिला प्रशासन का पुनर्गठन

377. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला प्रशासन को सिविल प्रशासन का आधार एकक मानते हुए देश भर में जिला प्रशासन का पुर्नगठन करने का है ;

(ख) क्या क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर जिलों का पुर्नगठन करने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) प्रशासनिक कुशलता पर्याप्त देखभाल और जिला स्तर पर जन-सहयोग के लिये कौन से अन्य कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : जिलों की सीमाओं को निर्धारित करने अथवा उनको बदलने की शक्ति अनिवार्यता एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। "राज्य प्रशासन" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने "जिला प्रशासन" पर अन्य बातों के साथ साथ विचार किया और आयोग की सिफारिशें विचार के लिए राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में यथासमय भारत सरकार को सूचित किया जाय।

सीमेंट के कारखानों की स्थापना विषयक अध्ययन दल का प्रतिवेदन

378. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल ने सीमेंट के नये कारखानों की स्थापना और देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने क्या क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम रहा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग): योजना आयोग द्वारा गठित कृतिक बल ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (वर्ष 1978-79) की सीमेंट की मांग का अंदाजा 28 मेट्रीक टन किया है जबकि क्षमता के 88 प्रतिशत उपयोग के आधार पर यह क्षमता 33 मेट्रीक टन है। सीमेंट उद्योग की वर्तमान क्षमता 19.7 लाख मेट्रीक टन है। अतएव (1978-79 तक 13 लाख मेट्रीक टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करनी होगी। संभावी मांग की पूर्ति हेतु विस्तार द्वारा तथा नये एककों की स्थापना द्वारा लगभग 8.55 लाख मीट्रिक टन की क्षमता का अनुमोदन कर दिया गया है तथा लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन और क्षमता बढ़ाने की बात विचाराधिन है।

अभी तक कृतिक बल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार के विचाराधिन है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा मे बैठने के लिये सरकारी कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त अवसर

379. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, जो पहले से प्रथम श्रेणी सेवा में नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर देने के बारे में 20 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : यह मामला अभी सरकार के विचाराधिन है।

दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों की संख्या

380. श्री लालजी भाई : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन केन्द्र, नई दिल्ली, में विभाग-वार कुल कितने स्टाफ आर्टिस्ट है ; और

(ख) विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरुष है तथा कितनी महिलाएं है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख): एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, संलग्न है।

विवरण

पद की श्रेणी	कुल संख्या	पुरुष	महिला
1	2	3	4
प्रोड्यूसर कन्सलटेंट म्यजिक	1	—	1
प्रोड्यूसर	16	7	9
प्रेजेन्टेशन अनाऊंसर (सीनियर ग्रेड) . . .	2	—	2

पद की श्रेनी	कुल संख्या	पुरुष	महिला
प्रेजेन्टेशन एनाऊंसर (जूनियर ग्रेड) . . .	2	1	1
कैमेरा मेन ग्रेड-1	1	1	—
कैमेरा मेन ग्रेड-2	21	21	—
स्क्रिप्ट राइटर	2	2	—
फिल्म संपादक	5	5	—
साउंड रिकार्डिस्ट	6	6	—
प्रोडक्शन असिस्टंट	20	11	9
प्रोडक्शन असिस्टंट (सेट इरेक्शन)	3	3	—
प्रोपर्टी असिस्टंट	3	3	—
फोटोग्राफर (प्रोडक्शन असिस्टंट) . . .	1	1	—
फिल्म प्रोसेसिंग	3	3	—
फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट	1	1	—
फ्लोर मेनेजर	8	8	—
ड्रामा आर्टिस्ट	2	1	1
मेक-अप आर्टिस्ट	2	2	—
मेक-अप असिस्टटं	2	2	—
विज्युल आर्टिस्ट	8	6	2
म्यूजिक आर्टिस्ट	5	5	—
सीनिक डिजाइनर	1	1	—
लेबोरेटरी असिस्टंट	5	5	—
क्राफटसमेन	19	19	—
फ्लोर असिस्टंट	28	28	—
जनरल/कापीस्ट असिस्टंट	19	11	8
योग .	186	153	33

उदयपुर (राजस्थान) में सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

381. **श्री लालजी भाई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर (राजस्थान) में सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने का **प्रस्ताव** विचाराधिन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा प्रस्ताव है कि स्ट्राउजर टाइप का एक आटोमेटिक एक्सेंज लगाया **जाए,** प्रारंभ में जिसकी क्षमता 2100 लाइनों की होगी । आशा है कि यह एक्सचेंज वर्ष 1975 में चालू हो जाएगा।

नई दिल्ली में अमृतसर टेलीविजन केन्द्र का स्टुडिओ

382. **श्री लालजी भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर के लिए टेलीविजन कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए एक स्टडिओ नई दिल्ली में बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अमृतसर टेलीविजन केन्द्र के लिये कार्यक्रम तैयार करने के लिये दिल्ली टेलीविजन केन्द्र में एक स्टूडिओ को विस्तृत तथा रूपांतरित किया जा रहा है।

(ख) वास्तु परिवर्तन तथा स्टुडियो में ध्वनि सम्बन्धी व्यवस्था पूरी हो गई है। कुछ उपकरण भी प्राप्त हो चुके है। शेष उपकरण प्राप्त होने वाले हैं।

Demand for Rs. 140 Crores by Madhya Pradesh for Fourth Plan

383. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have demanded a sum of Rs. 140 crores from the Centre for the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

जेलों की स्थिति सुधार ने सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

384. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **गृह** मंत्री जेल सुधारों की योजनाओं में केन्द्र के अधिक योगदान के लिए राज्यों के सुझाव के बारे में दिनांक 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3349 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकारी दल का प्रतिवेदन अब प्राप्त हो गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों के विचार भी आमंत्रित किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख): कार्यकारी दल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है ताकि सरकार द्वारा बजट प्रस्तावों पर विचार करना संभव हो सके। कार्यकारी दल द्वारा अप्रैल, 1973 के अन्त तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

(ग) कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों पर राज्य सरकारों से प्राप्त मत पर दल द्वारा विचार किया जा रहा है।

डाक द्वारा क्रयादेश सम्बन्धी घोटाला

385. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक अधिकारियों को 'डाक द्वारा क्या क्रयादेश सम्बन्धी घोटाले' के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) क्या इसमें कुछ डाक कर्मचारियों की मिलीभगत की भी सूचना मिली है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : रेडियो और ट्रांजिस्टर बेचने वाली कुछ फर्मो द्वारा वी० पी० पी० के जरिये जनता को धोखा देने के सम्बन्ध में लोगों से 65 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों को सी० आई० डी० (क्राइम) दिल्ली के पास भेज दिया गया। यह विभाग इस मामले की तफतीश कर रहा है।

(ग) मेल आर्डर रेक्ट में कोई डाक कर्मचारी शामिल नहीं है। अलबत्ता एक कर्मचारी को 'इस्तेमाल किये गए डाक टिकट के मामले' में गिरफतार किया गया था, जिस से मेल आर्डर रेक्ट का पता लग सका।

साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक

387. **श्री भोला मांझी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्घा) : (क) और (ख) : गत बजट अधिवेशन में संसद द्वारा अधिनियमित आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 में अन्य बातों के साथ साथ उन संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था है जिनकी गतिविधियां साम्प्रदायिक समन्वय बनाये रखने तथा राष्ट्रीय एकता के हितों के प्रतिकूल हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के बारे में बड़े औद्योगिक गृहों की प्रतिक्रिया

388. **श्री भोला मांझी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग चालू करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने की सरकारी योजना के प्रति बड़े औद्योगिक गृहों ने बहुत कम उत्साह दिखाया है, और

(ख) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में बडे औद्योगिक गृहों में उत्साह की कमी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : सरकार की प्रोत्साहन देने की योजना के परिपेक्ष्य में बड़े औद्योगिक गृहों की प्रतिक्रिया को आंकना समय पूर्व है।

परमाणु ऊर्जा की उत्पादन लागत

389. **श्री भोला मांझी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणू ऊर्जा का प्रति एकेक उत्पादन लागत क्या है और रूढिगत स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन लागत से इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह सूचना है कि रूस जैसे कुछ देशों में परमाणू ऊर्जा की उत्पादन लागत बिजली की उत्पादन लागत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विभाग ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि उक्त देश परमाणू ऊर्जा की उत्पादन लागत किस प्रकार कम रख सके हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्तमान में परमाणु बिजली का उत्पादन-मूल्य परम्परागत किस्म के उन बिजलीघरों मे पैदा हुई बिजली के उत्पादन मूल्यों से कम पड़ता है जो कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित हैं। ज्यों-ज्यों परम्परागत किस्म के ईंधन के मूल्य में वृद्धि होगी त्यों-त्यों परमाणू बिजली का उत्पादन मूल्य परम्परागत किस्म के बिजलीघरों में पैदा हुई बिजली के उत्पादन मूल्य की तुलना में घटता जायेगा। परम्परागत किस्म के बिजलीघरों में पैदा हुई बिजली के उत्पादन मूल्य का लगभग 40-60% अंश ईंधन के मूल्य के रूप में होता है जबकि परमाणु बिजली के उत्पादन मूल्य में यह अंश केवल 10-15% होता है। इसलिए, परम्परागत किस्म के बिजलीघरों में पैदा हुई बिजली का उत्पादन मूल्य परमाणू बिजली के उत्पादन मूल्य की तुलना में ईंधन के मूल्य पर अधिक निर्भर करता है। भारी पानी से मंदित न्युक्लीय रिएक्टरों में पैदा हुई बिजली का प्रति यूनिट औसत मूल्य इस समय 9.2 पैसे प्रति किलोवाट घंटे पड़ता है।

(ख) तथा (ग) : प्रगतिशील देशों में परमाणू बिजली की लागत अपेक्षाकृत कम होने का कारण यह है कि उनमें परमाणू बिजलीघर बनाने पर अपेक्षाकृत कम पूंजीगत व्यय होता है। इसका कारण यह है कि उन देशों के सहायक उद्योगों का आधार पर्याप्त रुप से सबल है इसलिए वे बिजली घरों का निर्माण अधिक तेजी से कर सकते हैं, साथ ही, उनके पास यूरेनियम के अधिक समृद्ध निक्षेप हैं। भारतीय परमाणू विद्युत कार्यक्रम का दीर्घकालीन लक्ष्य ऐसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना करना है, जिनमें थोरियम का प्रयोग किया जायेगा। भारत में इस धातू के बड़े भंडार हैं। उस अवस्था में, परमाणू बिजली पारम्परिक किस्म के बिजलीघरों से पैदा होने वाली बिजली से काफी सस्ती पड़ेगी।

अपने स्वयं के भवनों में चल रहे डाकघर

390. **श्री भोला मांझी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने डाकघर हैं,

(ख) इनमें से कितने अपने ही भवनों में चल रहे हैं

(ग) गैरसरकारी भवनों में चल रहे डाकघरों का, डाक-तार विभाग को कुल कितना वार्षिक किराया देना पड़ता है, और

(घ) क्या इन डाकघरों के लिए विभागीय भवन बनाने की कोई योजना है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1-1-73 को देश में 1, 13, 232 डाकघर थे। इन में से 18,946 विभागीय डाकघर थे।

(ख) 2,117।

(ग) पंजाब सर्किल के डाकघरों को छोड़कर जिनके संबंध में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, विभाग द्वारा अदा किया जाने वाले वार्षिक किराया 1.77 करोड़ रुपये है।

(घ) विभाग की यह नीति है कि सभी विभागीय डाकघरों के लिए विभिन्न चरणों में विभागीय इमारतों की व्यवथा कर दी जाए। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान, जो कि योजना आयोग के विचाराधीन है, ऐसा एक अस्थायी प्रस्ताव है कि डाकघरों के लिए विभागीय इमारतें बनाने में 76 करोड़ रुपये खर्च किये जाएं।

विघटनकारी शक्तियों की गतिविधियां

391. **श्री भोला मांझी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विघटनकारी शक्तियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख): जबकि विघटनकारी शक्तियों की गतिविधियां सरकार के लिए एक गम्भीर चिन्ता का कारण है, वृद्धि के सम्बन्ध में कोई परिणामात्मक तुलना करना सम्भव नहीं होगा। जहां ऐसी गतिविधियों को कानून के अधीन अपराध माना जाता है वहां उनसे निपटने के लिए निरोधात्मक व अन्य प्रकार के प्रभावशाली उपाय किये जाते हैं।

पैट्रोल के बिना चलने वाली कार का अविष्कार

392. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी कार का आविष्कार किया गया है जो बिना पेट्रोल, केवल बै रियों से चलेगी;

(ख) क्या इस तकनीक का विकास करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो कहां; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विदित हुआ है कि कालेज आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग, रक्षा मंत्रालय ने एक बैटरी-परिचालित मोटर कार विकसित की है ।

(ख) और (ग) : विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के फ्यूल सेल का एक विशेषज्ञ-दल यात्री तथा हल्के वाणिज्यिक प्रयोग के लिए एक बैटरी-परिचालित हल्की गाड़ी के विकास की संभावना पर अनुसंधान कर रहा है। ऐसी गाड़ी की उपलब्ध तेल-उत्पादो की निर्भरता को कम कर सकती है ।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस और आशय पत्र जारी करना

393. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए किस प्रकार के लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र दिए गए,

(ख) उनके नाम, पते और प्रयोजन क्या हैं,

(ग) इन आवेदन पत्रों पर कितने लाइसेंस या आशयपत्र दिए गए हैं, और

(घ) उनके मंत्रालय के पास ये आवेदन पत्र कितने समय से अनिर्णित पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री एस० सुब्रह्मण्यम्) : (क) 1972 में उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापीत करने के लिए 341 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 263 आवेदन पत्र नए उपक्रम स्थापित करने, 26 पर्याप्त विस्तार करने, 46 नई वस्तुओं का उत्पादन करने, 3 "काम चालु रखने" तथा 3 स्थान बदलने के बारे में हैं।

(ख) ये आवेदन पत्र मुख्य रुप से, आक्सीजन तथा एसिटिलीन, वस्त्र, वैद्युत उपकरण, चीनी तथा वनस्पति, दुग्ध तथा गेहूं से बने पदार्थों, चमड़े के जूते आदि बनाने के संबंध में हैं।

(ग) और (घ) : इन 341 आवेदनों में से, 31 आशयपत्र और 5 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए जा चुके हैं और 38 अन्य आवेदनपत्रों का निपटान रद्द करके अथवा अन्य प्रकार से कर दिया गया है। शेष 267 आवेदन पत्रों पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है। अनिर्णित आवेदनों में से 114 आवेदन 1 जुलाई 1972 से पहले तथा शेष 153 आवेदन पत्र 1-7-1972 से 31-12-1974 की अवधि में प्राप्त हुए थे।

लघु उद्योग स्थापित करने के संबंध में डा० आर० के० भान समिति का प्रतिवेदन

394. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री रामशेक प्रसाद सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० आर० के० भान की अध्यक्षता में गठित समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) क्या समिति ने नए बड़े उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाने, छोटे उद्योगों की स्थापन को तरजीह देने और एक समर्पित प्रबंधक संवर्ग बनाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में नये शाखा डाकघर खोलना तथा नये सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

395. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **संचार** मन्त्री दरभंगा (बिहार) में नए शाखा डाकघर खोलने तथा सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के बारे में 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3389 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरघाट तथा अन्य स्थानों के लिए जिन 51 शाखा डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी दी गई थी, क्या वे अब खुल गये हैं और उन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया है,

(ख) आने वाले वर्ष के दौरान कितने शाखा डाकघर खोलने और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का विचार है अथवा उनके लिए मंजूरी दी गई है और क्या खजौली में मारूकिया स्थान पर शाखा डाकघर खोलने और बाबू बढ़ही तथा बिस्फी में सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने का प्रस्ताव उसमें शामिल है, और

(ग) क्या बिहार में जो मधुबनी, समस्तीपुर, तथा अन्य नये जिले बनाये गये हैं, वहां पर नए डाक मंडल बनाए जा रह हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण क्या है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दरभंगा जिले में जो 51 शाखा डाकघर खोलने की मन्जुरी दी गई है, उन में से 12 शाखा डाकघर खोल दिए गए है। शहर घाट के लिये जो पी० सी० ओ० खोलने की मंजूरी दी गई है, वह अभी नहीं खोला गया है।

(ख) ऐसा प्रस्ताव है कि दरभंगा ज़िले में वर्ष 1973-74 के दौरान 84 डाकघर और 1 पी० सी० ओ० खोला जाए। ये डाकघर और पी० सी० ओ० किन जगहों पर खोले जाएंगे यह निश्चित करना उन खास प्रस्तावों की जांच पर निर्भर करेगा जो डाकतार विभाग द्वारा निर्धारित मानक पूरा करते हों। ऊपर जो 84 डाकघरों का उल्लेख है, उन में मारूकिया गाव का डाकघर भी

शामिल है। इसके प्रस्ताव की पहले से ही जांच हो रही है। बाबू बढ़ही में पी० सी० ओ० खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी। लेकिन मौजूदा नीति के अनुसार इस प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध नहीं हो पाया। बिस्फी में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच हो रही है।

(ग) समस्तीपुर में 15-2-1973 को एक नया डाक डिवीजन खोला जा चुका है। नालंदा, रोहतास और पालामऊ में भी डाक डिवीजन खोल दिए गए हैं। बगूसराय, वैशाली और सिवान जिलों में नए डाक डिवीजन खोलने और मौजूदा पटना सिटी डाक डिवीजन को दो भागों में विभाजित करने के प्रस्तावों की इस समय जांच की जा रही है। डाक-तार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मधुबनी जिले में डाक डिवीजन खोलने का औचित्य सिद्ध नहीं हुआ।

दरभंगा में ट्रांसमिटर भवन का निर्माण

396. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आकाशवाणी के मिथिला प्रसारण केन्द्र के बारे में 20 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5220 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसमिटर भवन का निर्माण आरम्भ हो चुका है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या उसका निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए उसे विभागीय आधार पर किया जा रहा है; और

(ग) क्या दरभंगा में शक्तिशाली ट्रांसमिटर लगाने का विचार है ताकि भारत और नेपाल के मिथिला-भाषी लोग इसके कार्यक्रम सून सकें? यदि नहीं तो क्यों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दरभंगा में भवन निर्माण कार्य का ठेका दिया जा चुका है। भवन तथा ट्रांसमिटर स्थापना कार्य 1974-75 के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

(ख) यह कार्य आकाशवाणी के सिविल विंग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) दरभंगा में मध्यम शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि यह ट्रांसमिटर तथा भागलपुर का वर्तमान मीडियम वेव ट्रांसमिटर दोनों अधिकांश मिथिली भाषी जनता के लिए पर्याप्त कार्यक्रम प्रदान करेंगे ।

लघु उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन

397. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) लघु उद्योगों के लिए 1972-73 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई,

(ख) क्या सरकार का विचार इसे बढ़ाने का है, और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) : चालू आयात नीति के अन्तर्गत लघु क्षेत्र के लिए कोई किसी निश्चित विदेशी मुद्रा का आवंटन नहीं किया गया है। विगत कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा उपलब्धि प्रगामी रूप से बढ़ी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

	करोडों रु० मे
1969-70	65.75
1970-71	83.26
1971-72	117.95

यही प्रवृत्ति चलती रहेगी यह आशा है।

9—20 L.S.S./72

केरल में पुनलूर कागज कारखाना

398. **श्री ए० के० गोपालन : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में पुनलूर कागज कारखाने की उत्पादन क्षमता के विस्तार की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तार के लिए लाइसेंस दे दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) फर्म को 33,000 मी० टन प्रतिवर्ष से 50,000 मी० टन प्रतिवर्ष तक हाई स्ट्रेन्थ ड्राफ्ट पेपर, अब्रेसिव बेस पेपर और केबल इन्सुलेशन पेपर का निर्माण करने के लिए पुनालूर स्थित उनके विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का पर्याप्त विस्तार करने हेतु 25 जनवरी, 1973 को एक आशयपत्र जारी कर दिया गया है।

नये औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए आशय पत्रों का जारी किया जाना

399. **श्री ए० के० गोपालन : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राज्य सरकारों या राज्य सरकार के प्रभुल वाली एजेंसियों को नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए गत वर्ष जारी किए गए आशयपत्रों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उनमें से कितने संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इन आशय पत्रों के कार्यान्वियन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम की है। इस विषय में सरकार के पास निश्चित सूचना नहीं है।

विवरण

1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 की अवधि में नये औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों तथा पूर्णरुपेण सरकारी एजेंसियों यथा, राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी किये गये आशयपत्रों का ब्यौरा।

	राज्य	जारी किये गये आशयपत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल	—
3.	आसाम	
4.	बिहार	
5.	चंडीगढ़ . .	
6.	दिल्ली . .	
7.	गोवा	

1	2	3
8.	गुजरात	3
9.	हरयाणा	4
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और काश्मीर	1
12.	केरल	8
13.	मध्य प्रदेश	2
14.	महाराष्ट्र	3
15.	मणीपुर	—
16	मेघालय	—
17.	मिजोराम	—
18.	मैसूर	2
19.	नागालैण्ड	—
20.	उड़ीसा	1
21.	पांडीचेरी	—
22.	पंजाब	2
23.	तमिलनाडु	3
24.	राजस्थान	4
25.	उत्तर प्रदेश	6
26.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	49

हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

400. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री फूलचंद वर्मा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रिमंडल ने हरियाणा के मुख्य मंत्री, श्री बंसी लाल को विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा भेजे गये चार ज्ञापनों में उल्लिखित राजनीतिक और वैयक्तिक भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर, और

(ग) विपक्षी दलों द्वारा भेजे गये चार ज्ञापनों में से प्रत्येक पर मंत्रिमंडल उप-समिति ने क्या टिप्पणियां की हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग): श्री भगवत दयाल शर्मा, संसद् सदस्य तथा हरियाणा विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को मई, 1969 तथा जुलाई, 1969 में दो ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे जिनमें हरियाणा

के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आदि के कतिपय आरोप समाविष्ट थे। सावधानी से जांच करने के बाद, उन ज्ञापनों में समाविष्ट आरोपों की अभिपुष्टि नहीं हुई। दिसम्बर 1971 में श्री शर्मा को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

श्री भगवत दयाल शर्मा, संसद् सदस्य द्वारा 27 अक्तूबर, 1971 तथा 24 फरवरी, 1972 को दो अन्य ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गए थे जिसमें हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आदि के कुछ अन्य आरोप समाविष्ट थे। इन ज्ञापनों में समाविष्ट आरोपों की विस्तृत जांच करने के पश्चात् यह मामला, प्रधान मंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल के चार सहयोगियों अर्थात् श्री फखरुद्दीन अली अहमद, सरदार स्वर्णसिंह, श्री एच० आर० गोखले तथा श्री एस० मोहन कुमार मंगलम के पास आगे की संवीक्षा के लिए भजा गया था। मंत्रिमंडल के चारों सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन आरोपों को किसी जांच-आयोग के सुपूर्द करने का कोई मामला नहीं है। 19 दिसम्बर, 1972 को श्री शर्मा को तदनुसार सूचित किया गया था। उन्हें आगे सूचित किया गया कि ज्ञापन में समाविष्ट हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड में खरीदारी सम्बन्धी लेन-देन के बारे में आरोप राज्य सरकार द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पास विशेष लेखापरीक्षा के लिए भेजे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर विचार किया जायेगा (**अन्तर्बाधाएं**) माननीय सदस्यों को प्रतिदिन इस प्रकार बोलने के लिये नहीं ऊठना चाहिए। मैं इस बारे में पहले ही कल स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। मैं इस बारे में कल अपना विनिर्णय भी दे चुका हूं। (**अन्तर्बाधाएं**) मैं किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। (**अन्तर्बाधाएं**) आप कृपा करके बैठ जायें। यदि आप बिना अनुमति के बोलेंगे तो उसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। (**अन्तर्बाधाएं**) श्री बसु आप प्रतिदिन इस प्रकार ऐसा नहीं कर सकते। मूल्यों के बारे में पहले ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है (**अन्तर्बाधाएं**) इस विषय पर हम गत दो सत्रों से चर्चा करते आ रहे हैं। ऐसे मामलें पर निरन्तर चर्चा चर्चा होती आ रही है इसलिये यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता (**अन्तर्बाधाएं**) यह मामला हाल ही की घटना नहीं है। मैं किसी भी सदस्य के भाषण के सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं करुंगा। (**अन्तर्बाधाएं**) आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं आप सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट कर सकते हैं। बजट पर चर्चा के अवसर पर भी आपको अनेक ऐसे अवसर मिल सकते है। मैं नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, सरकार पर अविश्वास प्रकट कर सकते हैं। मैं आपकी इच्छानुसार नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता। (**अन्तर्बाधाएं**) आपको सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने के अनेक अवसर मिलेंगे।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं कृषि मंत्री का ध्यान........

श्री श्यामनंदन मिश्र : (बेगुसराय) : माननीय सदस्य को अपना ध्यानआकर्षण प्रस्ताव वित्त मंत्री को सम्बोधित करना चाहिये था (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री एस० एम० बनर्जी : पिछली बार मैंने अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव वित्त मंत्री को सम्बोधित किया था लेकिन बाद में हमारे अनुरोध पर इस विषय पर कृषि मंत्री ने हस्तक्षेप किया था। हम खाद्यान्नों के मूल्यों, खाने के तेलों के मूल्यों और चीनी आदि जैसी िजों के मूल्यों के बारे में अधिक चिन्तित हैं। ये सब वस्तुएं कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम सब अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में चिन्तित हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस मामले के बारे में वित्त मंत्री भी बोल सकते हैं क्योंकि समस्त सरकार का यह संयुक्त दायित्व है।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री कहां है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : संभवतः वह राज्य सभा में हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम इसी लिये स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे। (**व्यवधान**) मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :–– "आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सरकार के लिए खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि एक चिन्ता का विषय बना रहा है। प्रायः 1972 के शुरू से मूल्यों पर बढ़ोतरी का दबाव बना रहा है। अक्तूबर-दिसम्बर, 1972 के दौरान मूल्यों में सामान्य मौसमी गिरावट आने के बाद अनाजों के मूल्यों में फिर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई है। मोटे अनाजों के मूल्यों में विशेषतया बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। अनाजों के थोक मूल्यों का सूचकांक 3 फरवरी, 1973 को पिछले वर्ष की उस अवधि की तुलना में 16.2 प्रतिशत ऊंचा था। तथापि, दालों के मूल्य जोकि अप्रैल और नवम्बर, 1972 के बीच बहुत ऊंचे चल रहे थे, 16 दिसम्बर, 1972 से 3 फरवरी, 1973 की अवधि के बीच उनमें नरमी आयी। खाद्यान्नों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होने के मुख्य कारण इस प्रकार है :––

(1) 1971-72 में खरीफ के अनाजों की पैदावार में गिरावट और बहुत से राज्यों में चल रही सूखे की स्थिति के कारण 1972-73 की खरीफ की फसलों की पैदावार में प्रत्याशित कमी होना।

(2) जनता के पास मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि होना।

(3) व्यापारियों तथा अन्य लोगों द्वारा सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी।

(4) देश के कुछ भागों में कमी की स्थिति के कारण उत्पन्न कमी होने की भावना।

2. नया चीनी मौसम प्रारम्भ होने से इस के मूल्य स्थिर और नरम चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों के दौरान चीनी और उसके गौण पदार्थों के थोक मूल्यों के सूचकांक में कुछ गिरावट आई है। गन्ने के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि होने और सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क में छूट देने से पिछले दो मौसमों की उन्हीं अवधियों की तुलना में चीनी का अधिक उत्पादन होने में सहायता मिली है। उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि से मूल्यों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को काबू में रखने में मदद मिली है।

3. तिलहनों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में लगातार सूखा पड़ने से कच्चे तेलों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी का रूख रहा है और इसके परिणामस्वरूप वनस्पति के मूल्यों को स्थिर रखना उत्तरोत्तर मुश्किल हो गया है। वनस्पति के मूल्यों में 2 जनवरी, 1973 से 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से वृद्धि करनी पड़ी थी। इस स्थिति का सामना करने के लिए तिलहनों विशेषतया ग्रीष्म मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन तोरिया/सरसों सनफ्लावर की पैदावार बढ़ाने और तेल के अन्य साधनों विशेषतया बिनोला और चावल की भूसि से तेल प्राप्त

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सहायता कार्यक्रम के अधीन कन्नाडा से 80,000 मी० टन तोरिया प्राप्त करने के अतिरिक्त लगभग 100,000 मी० टन खाने के तेल का आयात करने के प्रबंध किए गए हैं।

4. खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से लोगों को जो कठिनाई हुई हैं सरकार उस से पूरी तरह सजग है। अतः सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कई पग उठाए हैं। इस वर्ष रबी और ग्रीष्म फसलों की पैदावार बढ़ाकर खरीफ की पैदावार में हुई कमी को शीघ्र पूरा करने के लिए एक व्यापक आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके साथ साथ राज्य सरकारों की खाद्यान्नों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उचित मूल्य की दूकानों से खाद्यान्नों का वितरण काफ़ी अधिक बढ़ा दिया गया है। 1972 के दौरान यह वितरण लगभग 106 लाख मी० टन था जब कि 1971 में 78 लाख मी० टन खाद्यान्न वितरित किए गए थे। खाद्यान्नों की सीमित मात्रा आयात करने के अलावा देश में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति तेज करने के लिए कई पग उठाए गए हैं ताकि सरकारी एजेंसियों के पास भरपाई तथा स्टाक तैयार हो सके। खाद्यान्नों के मूल्यों में उचित स्थिरता लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने हेतू इन उपायों के साथ साथ जमाखोरी रोकने और अन्य नियामक और मितव्ययिता सम्बधी उपाय भी किए गए हैं। खाद्यान्नों के प्रति दी जाने वाली पेशगियों पर नियंत्रण कड़ा कर दिया गया है और बैंक से सतर्कता के साथ उधार देने की नीति का अनुसरण करने के लिए कहा गया हैं। दीर्घ कालिक उपाय के रूप में गेहूं और चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय किया गया है जिससे व्यापारियों द्वारा सट्टेबाजी के लिये खाद्यान्नों की जमाखोरी को पर्याप्त रूप से रोके जाने की सम्भावना हैं।

श्री **एस० एम० बनर्जी** : 14 नवम्बर, को जब मैंने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा था तब इसी प्रकार का उत्तर दिया गया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया था कि ऐसा समय पर वर्षा न होने के कारण हुआ है। मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य विरोधाभासी है। उन्होंने मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण 1971-72 में खरीफ के उत्पादन में कमी, जनता को अधिक धन की सप्लाई, व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा जमाखोरी बताया है। सरकार ने इस का एक कारण चूहों तथा अन्य कीडों द्वारा अनाज का खाना भी बताया है। उन्होंने इसका भी उल्लेख किया है कि वस्तुओं की बनावटी कम भी कर दी गई है।

मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि देश में खाद्यान्नों के सूचकांक में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद भी माननीय मंत्री हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश में खाद्यान्न की स्थिति अधिक खराब नहीं है।

सरकार को शीघ्र ही अनाज का थोक व्यापार अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। हमें यह बताया गया है कि इस महीने की 24 तारीख को मुख्य मंत्रियों की बैठक में गेहूं और चावल के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के बारे में निर्णय किया जायेगा। लेकिन अन्य वस्तुओं के व्यापार को अपने अधिकार में लेने के बारे में क्या हुआ? चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात का क्या बना?

तथ्य यह है कि मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण घाटे का बजट है। पहली योजना में 333 करोड़ रुपये के घाटे का बजट था; दूसरी योजना में 954 करोड़ रुपये के घाटे का बजट था; तीसरी योजना में यह बढ़कर 1133 करोड़ रुपये हो गया और चौथी योजना में यह 850 करोड़ रुपये था। वांचू आयोग के अनुसार उन लोगों के द्वारा समानान्तर अर्थ व्यवस्था चलाई जा रही है जिनके पास 7,000 करोड़ रुपये का काला धन है। सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ स्थानों पर खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी हुई है। दिल्ली में आज अच्छे किस्म के चावल का मूल्य 2 रुपये 85 पैसे किलो और आटे का मूल्य डेढ़ रुपये किलो है। हरी सब्जी का मूल्य बढ़ गया है। दूध का मुल्य भी बढ़ गया है। मांस, मछली और अंडों के मूल्य बढ़ गये हैं। सारांश में प्रत्येक वस्तु के मूल्य बढ़ गये हैं। सरकार को स्पष्ट उत्तर देना चाहिये कि वह मूल्यों को कम करने के बारे में क्या ठोस कार्यवाही कर रही है?

क्या सरकार केवल गेहूं और चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेगी और दालों के व्यापार को अपने हाथ में नहीं लेगी? दालों के मूल्यों में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाने के तेलों के मूल्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस पर भी हमसे यह कहा जाता है कि हमें इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यदि मंत्री महोदय कभी अपनी वस्तुएं स्वयं खरीदते तो उन्हें मूल्यों के बढ़ने का दर्द होता। संसद् सदस्यों के लिए ही मूल्यों की वृद्धि को सहना कठिन हो रहा है तो गरीब जनता का क्या होगा? माननीय मंत्री को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि वह स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

सरकार को चीनी उद्योग को भी अपने अधिकार में ले लेना चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उचित दाम वाली दुकानें खोली जानी चाहिये। सरकार द्वारा चीनी का समस्त स्टाक वितरण के लिये अपने हाथ में ले लेना चाहिये। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। सरकार को बड़े व्यापार गृहों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये।

सरकार को काले धन का पता लगाना चाहिये। जनता में यह विश्वास है कि सरकार जिस वस्तु का व्यापार अपने अधिकार में लेती है वह वस्तु या तो बाजार से गायब हो जाती है अथवा वह वस्तु भ्रष्ट व्यक्तियों के हाथ में चली जाती है। वस्तुओं के वितरण का काम ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिये जो भ्रष्ट न हों और जो वस्तुओं का उचित वितरण कर सकें।

खाने के तेलों के मूल्यों में कमी की जानी चाहिये। प्रत्येक बार तेलों का मूल्य केवल बड़े एकाधिकार गृहों को लाभ पहुंचाने के लिये किया जाता है।

क्या सरकार जो अनाज की स्थिति का मुकाबला करने में बुरी तरह असफल हुई है, इसका मुकाबला शक्ति, ईमानदारी, समझदारी और निश्चित रूप से करेगी?

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि देश में अनाज की स्थिति का मुकाबला करने के लिये सब जिलों में संवैधानिक समितियों का गठन किया जाना चाहिये जिनमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल किये जाने चाहिये।

अनाज की कमी का कारण प्रत्येक वर्ष वर्षा न होना बताया जाता है। यदि देश में छः महीने के भीतर खाद्यान्नों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो, यद्यपि हम संसदीय लोक तंत्र में विश्वास रखते हैं, हमें लोगों को अनाज और चीनी की दुकानों को लूटने के लिये मजबूर करना पड़ेगा।

मैं अपने बच्चों को भूखे मरते नहीं देख सकता। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हमें जनता को ऐसा कहने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : खाद्यान्नों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के बारे में माननीय सदस्य द्वारा दिये गये तर्कों को मैंने ध्यान से सुना है। मैंने मूल्य वृद्धि के कारण पहले ही बताएं हैं। क्या घाटे की अर्थव्यवस्था भी इसके लिये उत्तरदायी है अथवा नहीं, यह अलग प्रश्न है।

श्री एस० एम० बनर्जी : वित्त मंत्री ने ऐसा कहा है ....

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : दो वर्ष पूर्व जब घाटे की अर्थ-व्यवस्था चल रही थी तब खाद्यान्न के मूल्य स्थिर रहे क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होती रही। सरकार द्वारा स्थिति के सुधार के लिये खरीफ की फसल में प्रयत्न नहीं किये होते और रबी के मौसम में भी ऐसा ही न किया होता तो स्थिति और भी खराब होती। अन्न की समस्या इस देश की ही नहीं है अपितु विश्वव्यापी घटना है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या किसी अन्य देश में लोग एक समय खाना भी नहीं खाते और पटरियों पर मरते हैं ?

श्री फ रुद्दीन अली अहमद : इस बार की सूखे की स्थिति 1965–66 से अधिक गम्भीर रही है। 1965–66 में अन्न के मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

श्री योगेन्द्र झा (जयनगर) : सरकार ने वनस्पति और चीनी के मूल्य बढाये हैं। चावल के उत्पादन में तथा थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण में सरकार विफल रही है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम 20 लाख टन अनाज के आयात से विषम परिस्थिति से निकल सकते हैं। यदि इस वर्ष अच्छी फसल हो जाती है और हम थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम कठिनाई से बाहर निकल सकेंगे।

थोक व्यापार को हाथ में लेने में विभिन्न राज्यों की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिये बैठक 24 तारीख को हो रही है। इस सम्बन्ध में निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। बैठक में तथ्य और आंकड़े एकत्र करने वाली सरकारी अधिकारियों की समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा। इस बारे में मुख्य मंत्रियों की बैठक 24 तारीख को हो रही है।

चीनी के बारे में एक समिति नियुक्त की गई है। उसकी सिफारिशों के प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। चीनी का वितरण उचित मूल्यों की दूकानों से समान मूल्यों पर किया जा रहा है। इन दुकानों को पर्याप्त स्टाक दिये जा रहे हैं। इस वर्ष चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक रहा है।

यह ठीक है कि तेलों के दामों में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है? हमने 10,000 टन तिलहन का आयात किया है। उनका देश में उत्पादन बढ़ाने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : हमारे देश की 40 प्रतिशत जनता दरिद्र के स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रही है। बढ़ती हुई महँगाई ने उनकी कमर ही तोड़ दी है।

पीछले एक वर्ष में मूल्यों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कुछ अन्य कारणों से भी मूल्य वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा इस बारे में की गई कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। हमें निर्यात करके भी अन्न का अधिक भंडार रखना चाहिए। चोर बाजारी को रोकने के लिये हमें कानूनी मशीनरी में दृढ़ता लानी चाहिए। लोगों को बचत के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि रोकने के लिए शीघ्र ही समुचित कार्यवाही करेगी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करते हैं तथा इसका ध्यान रखेंगे ।

हमारा पहले की भांति बफर स्टाक निर्मित करने का विचार है। यह ठीक है कि जमाखोरी से हमें कठिनाइयां होती हैं। हम मूल्य में वृद्धि रोकने के सभी संभव उपाय करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वित्त मंत्री के नाम दिया था। मैं समझता हूं कि अच्छा होता यदि यह वित्त मंत्री को भेजा जाता।

मूल्य में वृद्धि की गति इतनी तेज है कि सरकार को उसे रोकने के उपाय कारगर नहीं सिद्ध होते ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है जैसे कि 6 फरवरी के समाचार पत्रों में छपा है, कि सरकार ने कोई गुप्त पत्र सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों के पास भेजा है कि किसी भी हालत में वेतनों में संशोधन न किये जाये ? वित्त मंत्री का इस प्रकार का कार्य निन्दनीय है ।

निःसंदेह मूल्यों में वृद्धि का कुछ सीमा तक सूखे की स्थिति से संबन्ध है। परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार की सूखे का मुकाबला करने की नीति अग्नि शामक जैसी ही है। जिन राज्यों में सूखे की स्थिति बार बार पैदा होती है वहां के लिये भी दीर्घकालीन उपाय नहीं किये गये हैं। अतएव मेरा सुझाव है कि ऐसे राज्यों के लिये स्थायी आधार पर सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये उपाय किये जायें।

गन्ने के मूल्यों के बारे में 1948 तक स्वीकृत परम्परा यह थी कि चीनी के मूल्य का 1/16 वाँ भाग गन्ना उत्पादकों को मिलता था। परन्तु अब उत्पादकों को यह मूल्य उपलब्ध नहीं होता ।

चीनी के बारे में गुंडु राव समिति ने स्पष्ट रूप से बताया था कि 215 चीनी मिलों में से अधिकांश 35–60 वर्ष पुरानी हैं। दूसरे मिल मालिकों को यह आश्वासन नहीं है कि मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में चीनी के उत्पादन में कमी आ रही है ।

मैं पूरे उत्तरदायित्व से कह सकता हूं कि निर्वाचन से पूर्व चीनी मिलों के अधिपतियों और देश के शासक दल के बीच एक दूषित समझौता हुआ था जिसके अनुसार चीनी मिलों को पर्याप्त छूट दी गई थीं। चीनी की कीमत में वृद्धि का यह एक कारण है।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी आप निश्चित नीति अपनाएं। इस उद्योग के अधिक आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है ।

मैं तो उद्योग के उत्पादन और वितरण के समाजीकरण के पक्ष में हूं।

यदि आप मिली जुली अर्थव्यवस्था को जारी रखते हैं तो मूल्यों की वृद्धि का भली प्रकार सामना नहीं किया जा सकता। सरकार का पूंजी लगाने पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस मामले का संबंध वित्त मंत्रालय से है और उक्त मंत्रालय द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिए था।

अनाज की वसूली पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। वसूली कार्य के लिये हमें परामर्श समितियों का गठन करना चाहिए जिसमें सरकार, को आपरेटिवस, उपभोक्ताओं, व्यापार संगठनों, श्रमिक संगठनों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे।

[प्रो० मधु दंडवते]

विमुद्रीकरण द्वारा 7,000 करोड़ रुपये का काला धन पकडा जा सकता है। इस के बारे में वांचू समिति ने सुझाव दिया था।

कृषि मंत्री ने कहा है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था का मूल्यों की वृद्धि से संबंध नहीं है। पहली योजना में 333 करोड़ रुपये, दूसरी योजना में 954 करोड़ रुपये, तीसरी योजना में 1133 करोड़ रुपये और चौथी योजना के पहले तीन वर्ष में 850 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था रही। पांचवीं योजना के लिये सरकार ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है।

हमारे देश में मूल्य वृद्धि का एक कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार पर होने वाले व्यय का 67 प्रतिशत गैर-उत्पादक और विकासेतर कार्यों पर होता है। इस बारे में मेरा मत है कि जिस ढंग से समस्या का सामना करने की चेष्टा की जा रही है उससे उसका समाधान नहीं हो सकता है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि कुछ मंत्री वित्त मंत्री से कुछ जानकारी चाहते हैं तो वे उनसे पूछ सकते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि समस्या का स्थायी आधार पर समाधान खोजा जाना चाहिए। हमने यह कार्यक्रम सदा के लिये हाथ में लिया है। राज्य सरकारें अधिकाधिक धन उत्पादन कार्यों में लगा रही हैं। सरकार स्थायी प्रकार के सहायता कार्य हाथ में ले रही है। मैं मानता हूं कि चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के कार्यों की गति धीमी रही है जिससे चीनी का उत्पादन घटा है। इस बारे में समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : सरकारी उपक्रमों को भेजे गये अनुदेशों के बारे में मैं वित्त मंत्री को उत्तर देने को कहूंगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम कनाडा से और अधिक तिलहन और ताड का तेल आयात कर रहें हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जब कोई ध्यानाकर्षण का मामला उठाया जाता है जिसका उत्तर कोई मंत्री देता है तो उसके सहायक मंत्री को सभा मे अवश्य उपस्थित रहना चाहिए।

Shri. Hari Singh (Khurja) : The day to day life of the people has been very badly affected due to rising prices, when the people were facing the serious situation of drought, the opposition parties encouraged the Electrical Engineers to go on strike and thus aggravated the serious drought situation.

Similarly when the Government tried to take progressive measures to do away with the middle men, these parties tried their best to obstruct these measures. The traders. hoarded wheat rice, vanaspati, soap, oil etc, and increased the prices by causing artificial scarcity. The Government should try to liquidate these hoarders.

The Government's action to take over whole sale trade in foodgrains is commendable. I would like to know whether any raids have been made on the stocks of hoarders and speculators and if so what has been the result thereof.

The prices of fertilizers have gone up considerably. I would like to know whether the Government would take over the distribution of fertilizers from private firms. I would also like to know whether Government would make arrangment to supply foodgrains to the persons belonging to scheduled castes and weaker sections of society at subsidised rates?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : किसानों को उर्वरक वितरित किये जाने के बारे में हमारा दृष्टिकोण यही रहा है कि उन्हें उर्वरक सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किये जायें और इस बारे में हम राज्य सरकारों से अनुरोध करते रहे हैं।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों और खाद्य मन्त्रियों से मैं जमाखोरी रोकने के बारे में उपाय करने के लिए अनुरोध करता रहा हूँ और कई जगह कार्यवाही भी की गई है। विस्तृत ब्यौरा मेरे पास इस वक्त नहीं है और अगर माननीय सदस्य चाहें तो राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना एकत्रित करके उन्हें दी जा सकती है।

अनुसूचित जातियों को कम मूल्य पर अनाज की सप्लाई पहले से ही की जा रही है।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : 10 अगस्त, 1972 को आवश्यक उपभोक्त सामान की मूल्य-वृद्धि रोकने में सरकार की विफलता के बारे में प्रस्ताव का उत्तर देते हुए वित्त मन्त्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है। कल राज्य सभा में दिये गये एक उत्तर के अनुसार गेहूँ, दाल, खाद्यान्न, चीनी, तेल आदि सभी वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है।

पिछले सत्र में प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद के दौरान सदन में सभी की यह सर्व-सम्मत राय थी कि सरकार मूल्यों में वृद्धि रोकने में असमर्थ रही है। अब राज्य सभा में मन्त्री महोदय ने भी मूल्यों में वृद्धि होने के तथ्य को स्वीकार कर लिया है।

सरकार मूल्य वृद्धि को स्वयं प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने चीनी की कीमत 20 पैसे किलो के हिसाब से बढ़ा दी है। वनस्पति की कीमत 40 पैसे किलो के हिसाब से बढ़ा दी है। बम्बई में सरकारी डेरी के दूध की कीमत में 42 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

गुजरात और महाराष्ट्र के सूखापीड़ित क्षेत्रों में केन्द्रीय पूल से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई नहीं की जा रही है। गुजरात में पिछले ढाई तीन महीनों से लोगों को प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम गेहूँ भी हर महीने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कम से कम प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम गेहूँ हर महीने दिया जाना चाहिए।

मूंगफली के तेल में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और वह बाजार में 6.75 रु० प्रति किलो की दर से बिक रहा है। उचित दर दुकानों पर सरकार ने मूंगफली के तेल की बिक्री बन्द कर दी है। गुजरात की जनता को कब पर्याप्त मात्रा में तेल सप्लाई किया जायगा? क्या गुजरात सरकार ने एक तेल निगम स्थापित करने का सुझाव दिया है, और अगर हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गुजरात को दी जानेवाली चीनी का कोटा 25,000 टन प्रति मास से घटा कर 16,000 टन प्रति मास कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि चीनी का कोटा फिर से बढ़ाकर 25,000 टन प्रति मास कब किया जायेगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से तीन मामलों को उठाया है। उनमें से एक प्रश्न गुजरात राज्य को खाद्यान्न की सप्लाई करने के बारे में है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम गुजरात, महांराष्ट्र, राजस्थान और मैसूर की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। पिछले वर्ष के 70 लाख टन खाद्यान्न की तुलना में इस साल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 100 लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस वर्ष जो 30 लाख टन अधिक खाद्यान्न का वितरण किया गया, उसमें से अधिकांश खाद्यान्न का वितरण उपरोक्त चार राज्यों को किया गया। लोगों को 7 किलो-ग्राम का पूरा कोटा नहीं मिल रहा है, परन्तु उचित दर दुकानों से मोटा अनाज भी सप्लाई किया जा रहा है।

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

देश में उचित दर दुकानों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर 1.65 लाख हो गई है और इनमें से अधिकांश दुकानें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में खोली गई हैं। गुजरात सरकार इस दिशा में सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

जहाँ तक तेल निगम का सम्बन्ध है, यह योजना आयोग के विचाराधीन है और मामले में कोई अन्तिम निर्णय लेते समय हम राज्य सरकार के विचारों को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे।

चीनी की सप्लाई में कमी करने का जहाँ तक सम्बन्ध है, यह सारे देश में ही कम कर दी गई है। जनसंख्या और उपभोग के आधार पर गुजरात का कोटा भी कम कर दिया गया है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार नियम, 1972

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1583 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया**—देखिए **संख्या एल० टी०** 4184/73।]

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत 29 नवम्बर, 1972 को सभा पटल पर रखी गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1446 और 1447 की संख्याओं को शुद्ध करके क्रमश: सा० सां० नि० 1445 और सा० सां० नि० 1446 करने वाले शुद्धि पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया**—देखिए **संख्या एल० टी०** 4185/73।]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री राम निवास मिर्धा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पत्र-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 478(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन अवकाश) दूसरा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972, में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1617 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 7(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 49(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा, (संवर्ग) पहला संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 58(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 59(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 4186/73]

(2) भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) (अनर्हता निवारण) आदेश संख्या 1 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 55(ङ) में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 4187/73]

वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से अन्दमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 4188/73

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

22 प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वेल : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 22वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

63वां प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान : मैं अन्वेषी नलकूप संगठन के संबंध में लोक लेखा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 63वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

कार्य यन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

23वां प्रतिवेदन

श्री के० रघुरामैय्या : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के 23वें प्रतिवेदन से, जो 20 फरवरी, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के 23वें प्रतिवेदन से, जो 20 फरवरी, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 15 घंटे नियत किये गये हैं। आप अब कोईभी विषय उठा सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं । मैंने स्थगन प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जाँच की थी, परन्तु सदस्यों की अपनी कठिनाइयां है । और मेरी अपनी कठिनाइयां है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय को सुनने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गये होंगे कि स्थगन प्रस्ताव आवश्यक था ।

MR. SPEAKER : If you change the rules, I would have no objection.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Morena) : According to the rules, it should have been admitted.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen of the clock

(लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर दो मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई)
(The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past Fifteen of the clock)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्ताव
MOTION ON ADDRESS BY THE PRESIDENT

SHRI R. K. SINHA (Faizabad) : Sir, I beg to move.

"That an Address be presented to the President in the following terms :—

"That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 19th February 1973".

The hon. President referred to the difficulties which are before the country in his Address He also mentioned refugee problem and told that 1.06 crore tonnes of foodgrains had been distributed resulting in bad effect on the prices of foodgrains. He has also pointed out the need of several measures to be taken to face this problem. He has also referred in 7 per-cent industrial growth in the last year. Hon. Members belonging to opposition parties may demand that Government should take speedy steps to check the Price rise. The manner adopted by them to-day can not be said justified. If countries other than India can import foodgrains from America and Austrelia etc., why Government of India should be criticised badly if they import foodgrains from foreign countries.

I urge upon the various parties that they should not try to weaken the Parliamentary system. They should consider the fact that Government have solved the situation more effectively in 1972 in comparison to 1965. Now Government have decided to take over the trade in wheat and rice. With this measure Government can ensure distribution of foodgrains to the people through fair price shops and can curb blackmarketing in the food-grains.

Our green revolution produced good results and the foodgrains produced in the country were enough for the people of our country. But we had to feed one crore of Bangla Desh refugees resulting in shortage of foodgrains.

It is our moral obligation to support Bangla Desh and to give every kind of help to the people of Bangla Desh. It has been observed that even those who call themselves nationalists and patriots are engaged in destroying Railway property and killing Railway employees . What is happening in Andhra Pradesh and in other parts of country? They are doing anti-national activities.

I would not like to express my views off hand on the issue of seperation of Telangana from Andhra Pradesh. But I would urge upon the leaders of several opposition parties to express their views on this issue. May I also know from them whether they can justify such natorious activities as calling a newly appointed minister a traitor and as foreing the son of an hon. Minister to perform last rituals of his living father?

Certain defeated parties have resorted to violence. They have sent anti-social elements to Andhra Pradesh (*interruptions*) Sir, the heavy loss caused to the Railway property can not be compansated for a period more than four years. They have created many difficulties to the farmers and traders of Andhra Pradesh by destroying the transport systems. I therefore appeal to the people of Andhra Pradesh, separatists or integrationists that they should find out peaceful solution of this problem and they should have faith in the able leadership of our Prime Minister.

A grand alliance has been formed. It is strange that Marxists have been spear heading the Rightish alliance. A demand is being made to appoint a new states Reorganisation Commission. Agitations and strikes are being launched in the various parts of the country. Certain leaders of opposition parties have been arrested in Andhra Pradesh with explosives. With these activities they want to hamper the movement of removal of poverty.

[Shri R. K. Sinha]

Is it not a fact th at foreign and black money is being used for all these activities ?

So far as the movements regarding celling on rural property are concerned big capitalists came forward in the guise of farmers and they tried to kill the spirit of this movement.

In the Presidential Address of 1972 mention has been made regarding the slow growth of Industrial production. In this context I would like to suggest that Government should not embark upon the establishment of Capital oriented industries. They should set up labour oriented industries so that more and more employment opportunities can be created in the country and the problem of unemployment can be solved. I also suggest that for the establishment of such industries entire country should be divided into district lavel so that people belonging to various region may get employment. I also suggest that offices, head-quarters and industrial units should be decentralised. Government should made district based planning. I also demand that an amount of Rs. 25 crores should be allocated to each backward district in the new plan.

I am sorry to point out that Rs. one lakh were sanctioned to a backward district for constructing a stadium but it has not been utilised so far. An amount of Rs. 55 lakhs was sanctioned for a dairy farm but nothing has been done in this direction. I am doubtful whether the decision in regard to set up an Agricultural university in Faizabad taken by the U. P. Government would be implemented. Central Planning Commission should take care of the proper development of the vaoious backward regions.

Existence of poverty and backwardness in the country is contradictory in the socialism. I would like to appeal to central Government and our leaders that they should take special steps for the betterment of the Harijans and backward people of the Country. It has been observed by Shri Laski that the characteristics of bureaucracy are 'passion for routine administration, sacrifice of flexibilityof rule, delay in making decisions and refusat to enbark upon experiment.' I, therefore demand that bureaucracy should not be allowed to put obstacle in the way of our progress.

There are so many faithful officers in our country but they have been forced to follow a rigid system as a a result of which they cannot show their ability. I would like to suggest that promotion should be based on the peformance shown by an officer so that suitable environment should be created in all the services.

It is also desirable to set-up a land army of graduates and they should be asked to do compulsory social service for two years. I also suggest that Government should constitute committees to implement land reforms. Those committees should decide the way of distributing land to the poors. There should be an all Party view to make plans in this direction.

I would like to suggest that to ensure early disposal of cares by the courts Government should constitute judicial Committees. Legal procedure should also be made simple. I also suggest that our parliamentary system should be improved. During inter-session there should be meetings of the committees headed by Ministers and various matters should be discussed therein. Members of the opposition parties should be the members of those committees and they should be given chances to express their views.

So far as the anti-Indian propaganda being made by Pakistan is concerned our Government should convince the foriegn countries that Pakistani Forces surrendered before the joint Armies of India and Bangla Desh. Pakistan Government is trying to prove that India's stand is wrong. We should not be afraid of Pakistan.

Actually, Government of India want to have friendly terms both Bangla Desh and Pakistan.

The Prime Minister of India tried to clear our stand that we want friendship with Pakistan at the time of Simla agreement. The Hon. President mentioned the objectives before the country, there objections can only be achieved in the domocratic system.

श्री के० पी० उन्नीकृष्ण (बडागरा) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव का राजनितिक महत्व हो गया है क्यों कि इस अवसर पर दोंनों सदनों को देश के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने का समय मिलता है। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष विपक्षी दलों द्वारा असंतोष भी व्यक्त किया जाता है।

किन्तु इस वर्ष सभा में एक अभूतपूर्व नाट्य खेला गया तथा राष्ट्रपति के प्रति अशिष्टता दिखायी गई। इस कार्य से उसी पुरानी आपसी सांठ गांठ का पता चलता है जो कुछ महीनों से देश में पनप रही है। इन प्रतिक्रिया वादी गतिविधियों में उन्हीं लोगों का हाथ है जिनको जनता ने साथ नहीं दिया तथा जो चुनाव में हार गये हैं।

प्राकृतिक तथा अन्य संकटकों के कारण हम अपनी प्रगति नहीं कर सके हैं जितनी करनी चाहिये थी किन्तु हमने जितनी प्रगति की है उससे हम असन्तुष्ट नहीं है। विपक्षी दलों को तो यहि कार्य है कि वह सरकार के कार्यों में बाधा उपस्तित करते हैं। अब उन्होंने इन्दीरा हटाओ का अभियान चलाया है।

(व्यवधान)

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक समस्याओं तथा देश के समक्ष गंभीर समस्याओं पर अधिक महत्व दिया गया है। मैं देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत कारणों का उल्लेख करना चाहता हूं। (व्यवधान) गत वर्ष सूखे की स्थिति में दश के बहुत बडे भाग के लिये कठिनाइयां उत्पन्न कर दी । किन्तु इसके साथ साथ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इस वर्ष जितना अभूतपूर्व राहत कार्य किया गया उतना कभी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पहले कभी महाराष्ट्र, मैसूर, अथवा गुजरात आदि में ऐसे प्रयत्न नहीं किये गये।

यह भी सच है कि मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण देश के असंख्य व्यक्तियों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या की प्रधान मंत्री को अत्याधिक चिंता है। किन्तु यह समस्या किन्ही नीतियों के कारण उत्पन्न नहीं हुई वरन यह देश की अर्थव्यवस्था की जटिलता के कारण उत्पन्न हुई है। सरकार का खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय सराहनीय है।

मूल्यों में वृद्धि की समस्या तभी हल हो सकती है जब जनता में खाद्यान्न की वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए तथा इस बारे में प्रभावकारी नीति बनाई जाए। जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी ने सरकार के इन उपायों में बाधा उत्पन्न की है। जनसंघ ने एक संशोधन संख्या 59 में थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के निर्णय की सरकार की निभर्त्सना की है। इससे पता लगता है कि जनसंघ की क्या विचारधारा है। अब हमें ज्ञात होता है कि चोरबाजारी में किन का हाथ है। सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहियें जिसके खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं का जनता में उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

माननीय राष्ट्रपति ने सार्वजनीक संग का भी उल्लेख किया है। हम इस क्षेत्र के द्वारा अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। हमने लगभग 6800 करोड़ रुपयों की राशि लगाई है तथा जब तक कारखानों और उपक्रमों में प्रबन्ध के लिये तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी लगाया जाएगा हम इन नौकरशाहों और पूंजीपतियों के माध्यम से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कलकत्ता और अहमदाबाद में प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये अच्छे स्कूल विद्यमान है तथा उनमें से प्रतिवर्ष योग्य व्यक्ति निकलते हैं किन्तु उन्हें गैर-सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियाँ मिल जाती हैं। हमें सार्वजनिक उपक्रमों में चल रही वर्तमाण प्रणाली में सुधार करना होगा तथा उनमें इस नए कुशल व्यक्तियों को लाना होगा। हमारी अतिरिक्त अन्य प्रकार की कठिनाइयां भी हमारे सामने हैं।

10—20 L.S.S./72

[श्री के० पी० उन्नीकृष्ण]

गत वर्ष बजट पर बोलते समय मैंने यह सुझाव दिया था कि श्रमिकों को बोनस की राशि में से 50 प्रतिशत राशिका भुगतान न किया जाए तथा उस राशि से उसे उद्योग का साझीदार बनाया जाए। इस सुझाव का मजदूर संघों के नेताओं ने उपहास किया था। मैं मजदूर संघों के नेताओं से यह अनुरोध करता हूं कि वे शतप्रतिशत बोनस की मांग न करके इस ओर भी ध्यान दें।

पांचवी योजना के दृष्टिकोण पग पर विचार करते समय सभा को पूंजीनिवेश मजूरी और रोजगार सम्बन्धी नीतियों पर निर्णय करने होंगे। इस बारे में मजदूर संघों को भी अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा जिसमें देश में वास्तविक समाजवाद आ सके।

कृषि के सम्बन्ध में हमें काफी सफलता मिली है जिसका श्रेय हरित क्रांति के साथ-साथ उठाये गये मौलिक कदमों को है। किन्तु मुझे इतने से संतोष नहीं है। अभी हमें बहुत से सुधार करने होंगे। कृषि प्रणाली में सुधार के लिये हमें जापानी अर्थशास्त्री शिंगारो इशिकावा के मत से सहमत होना चाहिये।

राष्ट्रपति महोदय ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार पांच लाख रोजगार बनाने के लिये उपाय कर रही है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस दिशा में वास्तव में कार्य भी करके दिखाये। ऐसा न हो कि यह घोषणा मात्र ही रह जाए।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है श्रीमति इन्दिरा गांधी ने वार्धा में शिक्षाविधों के समक्ष यह सच ही कहा था कि शिक्षा केवल स्कूल और कालेजों के माध्यम से ही नहीं दी जा सकती वरन् फार्मों और कारखानों के माध्यमों की भी दीला सकती है। इस प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा के बिना हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता।

अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश के कुछ वर्गों को हिंसात्मक कार्यों के लिये भड़काया जा रहा है। दूसरी और बैठे हुये माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश की जनता की भावनाओं को भड़का कर अपनी इस सांठ गांठ को पुन: जीवित करना चाहते हैं जिसे जनता ने परास्त कर दिया था।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा पीलू मोदी जैसे नेता देश मे हिंसा को उभार रहे हैं, यह लाज की बात है ... मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि यदि वह आंध्र प्रदेश में पृथक्ता वादी शक्तियों के सामने आज झुकता है तो वह सारे देश के लिये घातक सिद्ध होगा। मैं श्री पीलूमोदी को यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि वह कांग्रेस विरोधी अभियान चलाने की धमकी देते हैं तो हम उसे स्वीकार करते हैं तथा हम आंध्र के बारे में ही नहीं वरन् सारे देश के बारे में उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आंध्र प्रदेश की जनता राष्ट्रीय हितों की तुलना में अपने व्यक्तिगत हितों को कभी महत्व नहीं दे सकती।

श्री ए० के० गोपालन, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने केरल में आंध्र की तरह के संघर्ष की धमकी दी है। उन्होंने जनसंघ और केरल कांग्रेस के साथ सांठगांठ करली है, अत: हमें इस सम्बन्ध में सावधान रहना होगा। मैं स्वीकार करता हूं कि आंध्र प्रदेश की जनता की कुछ वास्तविक कठिनाइयां हो सकती हैं किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि वे राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे।

इस मामले को लोकतांत्रिक ढंग से निपटाया जाना चाहिये। हिंसा, भय आदि की घटनाओं का दृढ़ता से सामना किया जाना चाहिये तथा प्रभावी ढंग से निपटायी जानी चाहिये।

राष्ट्रपति महोदय ने कई प्रश्नों का संदर्भ दिया है। शिमला समझौते में द्विपक्षकार विजयी हुआ है। चीन के साथ भी इसी प्रकार हमारे सम्बन्धों में सुधार होगा क्योंकि हम उपमहाद्वीप में शान्ति चाहते हैं और शान्ति से निर्धनता, निरक्षरता आदि की समस्यायें सुलझायी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 19 फरवरी 1973 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं" ।

श्री अटल बिहारी वाजपयी (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए किसी निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है ।"

2. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन को समाप्त करने के लिये प्रभावी उपायों की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है ।"

3. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी सरकारी कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस तुरन्त देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है ।"

4. कि प्रस्ताव के अंत में जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक ऐसा बृहत ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, विशेषकर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में, जिसके माध्यम से स्थायी राष्ट्रीय सम्पत्ति बन सके और एक निश्चित अवधि में प्रत्येक ग्राम में पेयजल की व्यवस्था हो सके, आरम्भ करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

5. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में फालतू और कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि के तुरन्त पुनः वितरण का, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों में भूमिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता प्राप्त हो, और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष अभिकरण हों, कोई उल्लेख नहीं है ।"

6. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का काम कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"

7. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश के विभिन्न भागों में कृषि और उद्योगों की आवश्यकताओं के लिये विद्युत् की न्यूनतम मांग को भी पूरा करने में सरकार की घोर असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

8. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के उत्पादनहीन व्यय में भारी कमी करने और फालतू उपभोग को रोकने के लिये उच्चतम सरकारी स्तरों पर मितव्ययता बरतने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

[श्री अटल बिहारी वाजपयी]

9. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार, मूल्यों, उत्पादिकता और आय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करने के लिये सभी आर्थिक हितों का एक गोल मेज सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

10. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों में वित्तीय परामर्श सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

11. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में फसलों और पशुओं के लिये विस्तृत बीमा योजना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

12. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे किसानों को सरकारी अभिकरणों से बिन व्याज ऋण देने का जिसका भुगतान आसान किश्तों में पांच वर्षों के बाद किया जाये, कोई उल्लेख नहीं है।"

13. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी क्षेत्रों में महिलाओं तथा पुरुषों को समान कार्य के लिये समान मजूरी देने का उल्लेख नहीं किया गया है।"

14. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में उच्च स्तरों पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के संबंध में चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।"

15. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने का, जो आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के हित में, पृथक राज्य बनाने सम्बन्धी विभिन्न मांगों की जांच करे तथा जिसके निर्णय सरकार को मान्य हों, कोई उल्लेख नहीं है।"

16. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में, जम्मू तथा काश्मीर राज्य को अन्य राज्यों के समान बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को तुरन्त समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

17. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को पास करने में हुए असाधारण विलम्ब का कोई उल्लेख नहीं है।"

18. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में आपात की स्थिति को समाप्त करने की घोषणा का कोई उल्लेख नहीं है।"

19. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विक्रय कर को उत्पादन शुल्क में बदलने का कोई उल्लेख नहीं है।"

20. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र तथा राज्यों के बीच स्थायी आधार पर वित्तीय आवंटन के प्रश्न को हल करने के लिए एक स्थायी वित्त आयोग नियुक्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

21. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों को कड़ी सजायें देकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने, एकाधिकार गृहों का अधिग्रहण करने तथा काले धन का पता लगाने के लिए प्रभावी पग उठाने के बारे में सरकार के दृढ़ संकल्प का कोई उल्लेख नहीं है।"

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I beg to move:

22. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for following a non-capitalistic policy for development after abandoning the capitalistic path."

23. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for taking away the economic power from the clutches of 75 capitalists in the country."

24. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of nationalization of monopoly establishments in the country."

25. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of effective steps to arrest the increase in prices of necessities of life and to reduce them."

26. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of taking over without delay whole sale trade in foodgrains, sugar, edible oils and cloth."

27. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the delay in publishing the Report of Third Pay Commission constituted for about 30 lakhs Central Government employees."

28. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of payment of bonus to the employees of Railways, Posts and Telegraphs, Defence establishments, Civil Aviation, Reserve Bank, Insurance, Hospitals, Municipal Corporations, Municipalities, District Boards and Universities."

[Shri K. M. Madhukar]

29 That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of minimum need-based wages."

30 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for fixing the minimum national wage at Rs. 250/- per month."

31 That at the end of the motion, the followling be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address that no restriction whatsoever will be imposed on the workers and employees to go on strike."

32 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of change in Government's anti-labour policy."

33 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of effective steps to remove the increasing unemployment."

34 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any positive steps to raise the standard of living of the workers."

35 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any move to increase the pay and other benefits of the workers."

36 That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to enforce strictly the labour-laws."

37 That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to punish the capitalists for violating labour-laws."

38 That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to stop the use of police to suppress workers' and farmers' movements."

39 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of Government's failure to end the hold of bureaucrats over the Government machinery."

40 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to eradicate bribery and corruption reampant in national life.

41 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any effective steps to remove discontentment among the students."

42 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address to define national pattern of education."

43 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to introduce a uniform syllabus for schools and colleges throughout the country with a view to strengthening national unity."

44 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of any positive steps to end casteism, communalism, provincialism, parochialism and conservatism in the society."

45 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address to ban communal organisations and communal propaganda."

46 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to grant pension to freedom-fighters as early as possible."

Shri Atal Bihari Vajpayee : I beg to move :

47 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure of policies regarding the continuous rise in prices of consumer goods required to meet the basic necessities of daily life."

48 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of Government's failure to ensure early submission of the Third Pay Commission's Report."

49 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address no declaration has been made of the need for creating separate States of Andhra and Telengana."

50 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the failure of Goverment's planning in the context of the drought conditions and acute shortage of foodgrains in Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Mysore and several areas in other parts of the country, heavy loss of live-stock and large scale starvation."

51 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the failure of the special campaign lauched by Government for bumper production in Rabi crop."

52 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the Government policies responsible for economic stagnation and steep fall in the rate of development."

53 That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address of the Government's inaction on the problem increasing unemployment in rural areas and among the educated people."

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

54 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no declaration has been made in the Address regarding inclusion of the right to work in the fundamental rights in the Constitution."

55 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the gravity of chaos created in the educational field throughout the country, especially in Haryana and Rajasthan, as a result of inadequate pay scales and unsatisfactory service conditions, of the teachers."

56 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that serious concern has not been expressed in the Address about the prescription of the Holy books like Srimad Bhagwat Gita and Upnishads in Turkey."

57 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need of complete change in priorities for invesment of capital under the Fifth Five Year Plan in favour of extensive minor irrigations schemes, small industries and balanced atomic technology."

Shri Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : I beg to move :

58 That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of any effective steps to provide relief to people badly hit by scarcity of foodgrains."

59 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the wrong policy of nationalisation of the wholesale trade in foodgrains."

60 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no definite declaration has been made in the Address to solve effectively the problem of unemployment including unemployment among educated persons."

61 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of a definite policy to provide relief to the common man hit by steep rise in prices and scarcity of consumer goods."

62 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about payment of bonus to all employees."

63 That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address a bout re ducing the voting age to 18 years."

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

64. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान एकाधिकारोन्मुख मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी अर्थ-व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

65. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में काले-धन का पता लगाने के लिये विमुद्रीकरण जैसे उपाय अपनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

66. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास-कार्यों के लिये धनाढ्य कृषकों पर आवश्यक कर लगाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

67. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक सुदृढ़ एवं चमत्कारी नीति को पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण का आधार बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

68. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बोनस अदायगी अधिनियम लागू करने के मामले में कमचारियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच भेदभाव समाप्त करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

69. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वेतन आयोग का प्रतिवेदन अविलंब प्रकासित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

70. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठा तथा कार्य-निष्पत्ति बढानेके लिये इसकी कार्यकुशलता, प्रबन्ध तथा दायित्व के मापदण्डों में सुधार एवम संशोधन करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।

71. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सुखाग्रस्त क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देने के मापदण्डों में संशोधन करने तथा वर्तमान अकाल संहिता में सुधार करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

72. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र राज्य के विभाजन के लिये आन्ध्र प्रदेश के लोगों की लोकतंत्रात्मक ढंग से अभिव्यक्त की गई इच्छाओं को पूरा करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

73. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये प्रभावी उपाय अपनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

74. कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे पश्चिम तटीय रेल तथा अन्य रेल परियोजनाओं जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन मे, जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास का आधार हैं, सरकार की ढूलमुल नीति समाप्त करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :–

75. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में बढ़ते हुए छात्र असंतोष को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले सार्थक उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

76. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में नवयुवकों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए अपनाये जाने वाले आवश्यक उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

77. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि चुनावों में अनियमितताओं को तुरन्त रोकने के लिये अपनाये जाने वाले ठोस उपायों तथा मतदाता सूचियों आदि में संशोधन करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

78. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है अभिभाषण में कि समस्त देश में स्वच्छ तथा सक्षम प्रशासन की तुरन्त आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया है।"

79. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि नर्मदा के मामले पर, जो कि एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है प्रधान मंत्री अपने निर्णय की घोषणा कब करेगी इसके लिये किसी समयावधि का कोई उल्लेख नहीं है।"

80. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश के सूखाग्रस्त क्षत्रों में जिस द्रुतगति से मानव यातनायें बढ़ रही हैं और पशु मर रहे हैं और इन क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता किस प्रकार उपलब्ध करायी जाय, इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है।"

81. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि श्रमिक वर्गों के रहन सहन की दशा सुधार के लिये अपनाये जाने वाले ठोस उपायों का और विशेषकर गंदी बस्तियों में सुधार की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :–

82. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

83. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु भयंकर रूप से बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

84. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्ण स्थिरीकरण दूर करने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

85. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु देश में बढ़ती हुई अराजकता को रोकने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

86. कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परंतु सुखा पीडीत लोगों को राहत पहूंचाने अपनाएमे गए अपर्यात साधनों को बढ़ाने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

87. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलंब पर खेद व्यक्त करते हैं।"

88. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु आन्ध्र राज्य के विभाजन के लिये लोगों की सर्वसम्मत तथा लोकप्रिय मांग को दबाने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा बढ़े पैमाने पर की जा रही हत्याओं तथा दमन को रोकने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

89. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार दल बदल रोकने में असफल रही है और इस प्रकार दल बदल विरोधी विधेयक न लाकर, जिसके लिये सभी दलों ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी, संसदीय लोकतंत्र के उचित संचालन में बाधक सिद्ध हुई है।"

90. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

91. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु कृष्णा गोदावरी अन्तर-राज्य जल-विवाद का न्यायालय से निपटारा कराने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

92. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु उड़ीसा में जखपुर को बांसपानी के साथ और तलचेर को बीमलागढ़ के साथ रेल लाइनों द्वारा मिलाने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

93. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

94. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों तथा दैनिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जरूरी उपभोक्ता सामग्री के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में सरकार की नीतियों की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

[श्री दशरथ देव]

95. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त रूप में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने के लिये कोई पग उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

96. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में सरकार की असफलता, जिन्हें उच्च जातियों के उपद्रवी लोगों द्वारा जीवित जलाया जा रहा है, का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

97. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मैसूर, त्रिपुरा तथा देश के अन्य भागों के अनेक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति तथा खाद्यान्न के अत्यंत अभाव की चुनौती का मुकाबला करने में सरकार की विफलता का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

98. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा में 150 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने में, जिनकी हाल में भूखमरी के कारण मृत्यु हो गई, सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

99. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अविलम्ब अपने हाथ में लेने का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

100. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी त्रिपुरा के झुमियां लोगों के आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करने में सरकार की विफलता का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

101. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा में आदिम जातीय तथा गैर-आदिमजातिय लोगों के बीच भूमि विवाद रोकने के लिये स्थायी स्तम्भ लगा कर त्रिपुरा के वर्तमान अनुसूचित क्षेत्रों का सीमांकन करने में विफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।'

102. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के आदिमजातीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में जहां भी यह सम्भव हो क्षेत्रीय परिषद् स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

103. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब तथा भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

104. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में "नेपाली भाषा" को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने के सरकार के इरादे का कोई उल्लेख नहीं है।"

105. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरी, सन्थाल, ओरायन, भील तथा अन्य आदिम जातीय बोलियों के लिये लिपि का विकास करने तथा इन आदिम जातीय समूहों में क्रमशः इनकी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

106. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिम जातीय लोगों को उनकी भूमि पुनः देने में जो कि गैर-कानूनी रूप से गैर-आदिम जातीय लोगों के कब्जे में चली गई है, सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

107. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षित स्थानों को भरने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

108. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लगभग 90 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये गठित तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन में हुए विलम्ब का उल्लेख नहीं किया गया है।"

109. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के आदिम जातीय क्षेत्र के लिए आदिम जातीय विकास परिषद् बनाने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

110. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों तथा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

111. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का कोई उल्लेख नहीं है।"

112. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी बेरोजगार लोगों को विशषतया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को रोजगार देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

113. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्पादकों को पटसन तथा कपास आदि का न्यूनतम मूल्य दिलाने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : I beg to move :

114. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for immediate distribution of surplus available land after fixing ceiling of land, among the agriculture labour and poor farmers."

115. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for fixing of ceiling on land throughout the country on the basis of the suggestions made by the nine member Committee set up by the All India Congress Committee on ceiling on land."

116. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for carrying out a constant fight against the zamindar and bourgeois elements which are opposed to the progressive land reforms."

117. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for enacting a progressive land ceiling law for the entire country on the basis of the suggestions made by the Akhil Bhartiya Kisan Sabha."

118. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any affective steps to stop the eviction of farmers from the land."

119. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to impose graded income-tax after abolishing land revenue system."

120. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to take most stringent action against those zamindars and big landlords who perpetrate atrocities on the farmers and agricultural labourers."

121. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to condemn the communal riots taking place in some parts of the country and for taking stringent action against the rioters."

122. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need to condemn the inhuman atrocities being perpetrated on Harijans in various parts of the country and for taking stringent action against the persons committing such atrocities.

123. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for taking appropriate and correct steps for protecting the lands of the Adivasis."

124. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for taking any concrete steps for removing acute shortage of power in the country."

125. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for reducing the rates of power for irrigation."

126. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for setting up an atomic power station in Bihar."

127. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for taking concrete steps for safeguarding the rights of minorities."

128. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for giving a respectful place to Urdu."

श्री खेम चन्द भाई चावडा (पाटन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

129. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार मूल्य वृद्धि, विशेषतया आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा पाई है, जिसके परिणामस्वरूप जन-साधारण को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।"

130. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार ने देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति का सामना करने तथा सूखा पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की है।"

131. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार खाद्यान्न के मामले में विफल रही है तथा नियंत्रित मूल्यों पर खाद्यान्न का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए समुचित रूप से वसूली तथा वितरण पद्धति लागू नहीं कर पाई है।"

132. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति को सुधारने में विफल रही है, जिसके परिणामस्वरुप कृषि तथा उद्योग दोनों के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है, जिससे मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी में बहुत वृद्धि हुई है।"

133. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार देश में शिक्षित तथा अशिक्षित युवकों की बेरोजगारी का उन्मूलन करने में विफल रही है।"

134. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार नदी जल विवादों विशेषतया नर्मदा जल विवाद, को सुलझाने में प्रभावी भूमिका निभाने में विफल रही है जिसके परिणामस्वरूप नदी जल की अनावश्यक बरबादी हुई है।"

[श्री खेम चंद भाई चावडा]

135. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पदों, विशेषतया श्रेणी 1, 2 तथा 3 के पदों को भरने में विफल रही है।"

136. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार देश में अस्पृश्यता का आमूल उन्मूलन करने में विफल रही है।"

137. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार औषद् उद्योग में विदेशी आधिपत्य वाली फर्मों की गतिविधियों को रोकने में विफल रही है, जिन्होंने अपने लाभ के लिए दवाइयों के मूल्य बहुत अधिक निर्धारित कराए हुए हैं तथा जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो जैसी विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों को क्रियान्वित न किया जाये, हर सम्भव दबाव डाल रही है तथा जिनके पास अभी तक औसत बाजार में लगभग 90 प्रतिशत अंश हैं और जिन्होंने विदेशों में भारी मात्रा में राशि भेजी है, जो कि उनके प्रारम्भिक निवेश से कई गुणा अधिक है।"

138. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लाटरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले पगों का कोई उल्लेख नहीं है।"

139. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में मद्यनिषेध लागू करने की आवश्यकता का कोइ उल्लेख नहीं है।"

140. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि गत चुनावों में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए सत्ताधारी दल द्वारा अपनाये गए "गरीबी हटाओ" नारे को कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया है।"

141. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में व्यापक अनुशासनहीनता है जो कि कुछ राज्यों में सरकारी सेवाओं द्वारा की गई हड़तालों से स्पष्ट है, जिनसे सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तथा जनता को बहुत असुविधा और कठिनाई होती है।"

142. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है, क्योंकि देश के कुछ भागों में हिंसात्मक उपद्रव हुए है, जिनसे जनता की सम्पत्ति को हानि हुई है।"

143. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार ने पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए कुछ नहीं किया है, जिन्हें अपनी पेंशन की राशि से, जिसका बढ़ती हुई मुद्रास्फीती के कारण गतवर्षों में बहुत ह्रास हुआ है, अपना जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा है।"

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

144. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई कीमतों को कम करने, चोर बाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने, बेरोजगारी समाप्त करने और देश में गरीबी हटाने के लिये प्रभावी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

145. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आपात स्थिति हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

146. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य नियंत्रण के लिए उठाये जाने वाले प्रभावी पगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

147. कि प्रस्तात्र के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भयंकर बेरोजगारी की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।"

148. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की वर्तमान बिगड़ती हुई शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

149. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिजली के भारी संकट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

150. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोढ़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आवश्यक भूमि सुधारों के बारेमें कोई उल्लेख नहीं है।"

151. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों समेत सभी कर्मचारियों के लिए 8.3 प्रतिशत न्यूनतम बोनस के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

152. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

153. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार और सत्तारुढ़ दल की तानाशाही प्रवृत्ति में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

(श्री दिनेन भट्टाचार्य)

154. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मुद्रास्फीतिमलक आर्थिक स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।"

155. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन के बिना रोक-टोक प्रचलन का कोई उल्लेख नहीं है।"

156 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में हरिजनों पर निरंतर आक्रमण किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

157. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

158. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों में बिजली लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

159. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षमता के पूर्ण उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

160. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पी० एल०—480 और अन्य विदेशी सहायता बन्द करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

161. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

162. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगो में बड़े पैमाने पर हो रहे उत्पीडन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

163. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अपराधों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

164. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई अतिराष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

165. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खाद्यान्नों की कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

166. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिक संघों में गुप्त मतदान प्रणाली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

167. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में छात्र असतोष के पीछे सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

168. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

169 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

170. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समस्त देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

171. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी लोगों के लिए कार्य के अधिकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

172. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वृद्ध, बीमार और विकलांग होने पर राज्य सहायता दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

173. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

174. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 18 वर्ष की आयु होने पर मताधिकार दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

175. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस से मिल कर विरोधी दलों के श्रमिक संघों के कार्यालयों पर कब्जा किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

[श्री दिनेन भट्टाचार्य]

176. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समस्त देश में भूमि से किसानों और खेतिहर मजदूरों तथा काश्तकारों की बेदखली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

177. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में एकाधिकरियों की अत्यधिक वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

178. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विरोधी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों तथा एम० आई० एस० ए०, पी० डी० ए० और पी० वी० ए० की नजरबन्दी से रिहाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

179. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों पर दमनकारी शक्तियों के बढ़ते हुए प्रयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

180. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों, चीनी, खाद्य तेलों, वस्त्र और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के थोक व्यापार को तुरन्त सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

181. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों, कर्मचारियों, खेतिहर मजदूरों तथा किसानों के आन्दोलनों को दबाने के लिए पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सैन्य दल तथा अन्य दमनकारी बलों के प्रयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

182. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में बेरोजगारी समाप्त करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

183. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री के० सूर्य नारायन (एलरू) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

184. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र और तेलंगना के क्षेत्रों के लोगों की इच्छाओं के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य के विभाजन को तुरन्त आवश्यकता की कोई घोषणा नहीं की गई है।"

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

185. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों तथा अन्य भागों के लोगों को जो सूखे से पीड़ित हैं निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

186. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती हुई कीमतों को रोकने तथा कीमतों को घटा कर सामान्य स्तर पर लाने के लिये कोई प्रभावी उपाय करने का प्रस्ताव नहीं है।"

187. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है।"

188. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल, डाक तथा तार विभाग, प्रतिरक्षा कारखानों, मुद्रणालयों तथा अन्य सरकारी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को 80.33 प्रतिशत बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।"

189. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नर्बदा परियोजना को शीघ्रताशीघ्र क्रियान्वित करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

190. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में परमाणु बिजली घर स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I beg to move

191. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any steps to unearth the unaccounted black-money in the country."

192. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of nationalisation of the Aluminium factories."

193. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the nationalisation of sugar mills."

194. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the reactionary forces agitating for division of Andhra Pradesh into pieces."

[Shri K. M. Madhukar.]

195. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any firm stand against the division of Andhra Pradesh."

196. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of granting recognition to the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam."

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I beg to move :

197. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for the nationalisation of the three foreign oil companies."

198. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for complete natinalisation of foreign trade."

199. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any concrete proposal for the democratisation of the administrative machinery."

200. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for natinalisation of all the monopoly establishments."

201. That at the end of the motion, the following be added namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for the total and speedy conversion of the amount of public debts in all big capitalistic establishments in the share capital."

202. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for taking away the economic power from the clutches of 75 monopoly capitalists in the country."

203. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the determination for removing unemployment by compulsory provision of employment to all persons fit for mental and manual labour."

204. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for providing land for residential purposes invariably to all the landless people."

293. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the determination to check price rise completely by eradicating blackmarketing and profiteering."

206. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of workers' participation in management in all factories and establishments."

207. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the determination to ensure the implementation of the progressive land reforms by statutory non-official bodies at all levels throughout the country and to provide punishment to big landlords who create hurdles in that and submit false statements in regard to land holdings."

208. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the violence and destruction let loose by big landlords, bus owners, wholesale dealers and other vested interests and reactionary political parties and elements in the separatist agitations in Andhra."

209. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

" but regret that no mention has been made in the Address of the need for nationalisation of all the high schools and colleges throughout the country."

210. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the need for immediate publication of the report of the Third Pay Commission constituted for Central Government employees."

211. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for fixing a need based minimum wage for all categories of workers."

212. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for eradicating corruption prevalent in the administration."

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I beg to move :

213. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no surprise has been expressed in the Address in regard to exoneration of the Chief Minister of Haryana, in spite of concrete charges levelled against him by 120 Members of Parliament."

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

214. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु 120 संसद सदस्यों द्वारा भारत सरकार को दिय गये एक ज्ञापन के आधार पर हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त करने में सरकार की असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं।"

श्री सरोज मुखर्जी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

215. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में जिनके विरुद्ध न्यायालयों में मामले लम्बित है जैसा कि हाल में हावड़ा न्यायालय में सिद्ध हो गया है, कोई उल्लेख नहीं है।"

(श्री सरोज मुखर्जी)

216. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसद सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में जो कि उन्हें जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं प्राप्त नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है।"

217. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि कई राज्य सरकारों तथा विशेषतया पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विपक्षी दलों को बुनियादी तथा लोक-तंत्रात्मक अधिकारों से वंचित रखने का कोई उल्लेख नही है।

218. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि फरक्का बांध पर हो रहे भयंकर भू-कटाव को रोकने में, जिससे मानव जीवन तथा सम्पत्ति को भारी नुकसान हो रहा है, विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

219. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में मार्टिनबर्ग रेलवे को पुनः चालू करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।

220. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि लोगों को गुमराह करने के लिये सत्तारुढ दल के प्रचार हेतु आकाशवाणी के लगातार प्रयोग किये जाने और विरोधी दलों द्वारा इसका उपयोग न करने देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

221. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिये एक महत्वपूर्ण साधन बनाने हेतु तुरन्त ठोस कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

222. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि स्वतंत्रता की रजत जयंती के वर्ष में भी हरिजनों, आदिवासियों और समाज के अन्य पीड़ित और दलित वर्गों पर हुए घोर अत्याचारों और उनकी मुसीबतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

223. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मंत्रियों और अन्य उच्च दर्जे के व्यक्तियों के जीवन-स्तर में मितव्ययता और प्रशासन में मितव्ययता की तुरन्त आवश्यकता पर कोई जोर नहीं दिया गया है।"

224. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत को वियतनाम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की सदस्यता से निकालने के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।"

225. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंधाधुंद राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को समाप्त करने और इसके बदले सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अभी तक लाए गये उद्योगों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

226. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकतंत्री नीति के सरकारी और राजनीतिक मामलों में नवयुवक को पूरी तरह और अच्छी तरह शामिल करने के उद्देश्य से 18 वर्ष की आयु वाले सभी वयस्कों को मताधिकार देने का समर्थन नहीं किया गया है।"

श्री सुरेंद्र महंती (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

227. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सबको समान न्याय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि इसमें मात्रा और विकास की दर पर अनावश्यक रूप से अधिक बल दिया गया है।"

228. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय विषमता को, जो गत चार योजनाओं के दौरान अधिक से अधिकतर होती चली गई है, दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

229. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों को कम करने के लिये विशेष कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

230. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस पर ध्यान न देने की सरकार की नापाक कोशिशों का कोई उल्लेख नहीं है।"

231. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के रूप में राजकीय पूंजीवाद के हानिकर परिणामों का कोई उल्लेख नहीं है।"

232. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तू खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र राज्य के विभाजन, जैसा कि आन्ध्र और तेलंगना के लोगों ने मांग की है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I beg to move :

233. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention of the setting up of a Thermal Power Station n Katihar in district Purnea of Bihar."

234. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret the failure to publish the names of Railway Stations in Urdu as well."

[Shri K. M. Madhukar]

235. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret the failure to publish ration cards, voters lists etc., in Urdu also for the convenience of Urdu speaking people."

236. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for giving the right of writing answer books in Urdu, Oriya and Bangla in the universities of Bihar and maintaining the same right for ever."

237. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for giving recognition to trade unions on the basis of secret voting."

238. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in Address of the need for supplying food grains to Government employees at cheap rates."

239. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for appointing only those persons who have faith in the principle of nationalsiation, to the top posts in the public undertakings."

240. That at the end of the motion , the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for removing from the top posts those persons who have no faith in nationalisation and who sabotage from within the idea of nationalisation."

241. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for imposing the deterrent penalty on the industrialists failing to deposit the amount of provident fund of the workers."

242. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for realising the arrears of Rs. 4 crores due from Bharat Coking Coal Company Limited on account of the royalty to the Bihar Government."

243. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of failure to give the right of adult franchise at the age of 18 years."

244. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of failure to effect radical changes in the present educational system."

245. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of failure to make effective efforts to stop social victimisation."

246. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure to maintain communal harmony and inspire confidence among the minorities and provide them with the facticilties for education, service and development."

247. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of adopting strict attitude against the elements inciting communal riots."

248. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of adopting proper approach to the problems faced by Muslims and Adivasis."

249. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of imposing restrictions on spending money from P. L. 480 by U. S. A Embassy."

250. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address in regard to the question of repayment of loans of foreign companies in foreign exchange."

251. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of steps for removing the backwardness of the most backward areas of Bihar, Uttar Pradesh, Orissa, Assam and Madhya Pradesh."

252. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of regulating the distribution of essential consumer goods through public distribution system at fair price shops."

253. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of nationalising Pharmaceutical industry."

254. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of giving exemption to the people of the drought affected areas from land revenue."

255. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the negative approach of the Government on the suggestions of the National Agriculture Commission in regard to land reforms."

256. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of Government's failure to protect the ownership rights of cuttivators and share croppers."

257. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"bul regret that the Address makes no mention of granting democratic rights including the unconditional recognition of trade unions on the basis of voting."

258. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the failure to fix need-based minimum wage."

259. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the failure to provid employment to women by imparting them vocational training."

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) :-- मैं प्रस्ताव करता हूं :

260. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षत्रीय असन्तुलन को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

261. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूंजीवाद के मार्ग का परित्याग करने का, जो कि सामान्य रूप से क्षेत्रीय असन्तुलन और विशेषतया उड़ीसा के पिछड़ेपन का मूल कारण है, कोई उल्लेख नहीं है।"

262. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र में बड़े कारखानों, अर्थात् (क) पारादीप में जस्ता पिघलाने का संयंत्र (ख) पारादीप में तेलशोधक कारखाने की स्थापना (ग) पारादीप में रिफ्रेक्टरी की स्थापना (घ) पारादीप में उर्वरक संयंत्र की स्थापना (ड) पारादीप में जहाज निर्माण कारखाने की स्थापना (च) कोरापुट में सीमेंट संयंत्र की स्थापना और (छ) नायजश में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना के प्रस्तावों को तुरन्त क्रियान्वित करने का उल्लेख नहीं है।"

263. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि उड़ीसा में गरीबी को कम करने के लिये जो कि वहां सब से अधिक है, कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

264. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि उड़ीसा में सभी गांवों में बिजली लगाने के लिये, जहां कि केवल 2.73 प्रतिशत गांवों में बिजली है, जो कि देश में सब से कम है, कोई प्रभावी पग उठाने का उल्लेख नहीं है।'

265. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सामान्य रूप से देश में तथा विशेष रूप से उड़ीसा में आदिवासियों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिये आदिमजातीय कल्याण समिति की वर्ष 1968 की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

266. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

267. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सामान्य रूप से सभी कर्मचारियों तथा विशेष रूप से चीनी मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों, जिन्हें सब से कम वेतन मिलता है, के लिये 250 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय मजूरी निर्धारित करने की आवश्यकता का उल्लेखनहीं है।"

268. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि चीनी मिलो मे काम करने वाले श्रमिकों के वर्तमान वेतनक्रम का, जो कि सब से कम है, पुनरीक्षण करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

269. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि चीनी मिलों के श्रमिकों को 50 रुपये का धारक भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।"

270. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में 102 एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये किसी स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।"

271. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि बिड़ला की हिंडालको तथा इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी सहित सब एल्यूमिनियम कम्पनियों का तुरन्त अधिग्रहण करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"

272. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि हड़ताल के अधिकार सहित श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों, गुप्त मतदान द्वारा निर्धारित बहुमत के आधार पर कार्मिक संघों को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी के लिये प्रत्येक कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के द्वारा विवादों के हल करने तथा प्रत्येक उद्योग में चाहे वह कितना भी पिछड़ा हो प्रत्येक कर्मचारी के लिये 250 रुपये न्यूनतम मजूरी सुनिश्चित करने की तात्कालिक आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ?"

273. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकारी क्षेत्र में सब स्तरों पर प्रबन्ध में श्रमिकों को शामिल करने की किसी स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।"

274. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में चीनी तथा कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके, चीनी तथा कपड़े की कीमतों को कम करने के लिये प्रभावी कदमों का उल्लेख नहीं है।"

275. कि प्रस्ताव अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि खाद्यान्न उद्योग में थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"

276. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि शिक्षा की उपनिवेशवादी पद्धति को समाप्त करने और देश भर में एक समान शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली अपनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"

[श्री डी० के० पंडा]

277. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सामान्यतया देश के सभी भागों में छोटे तथा बड़े पत्तनों और विशेष रूप में उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन का अविलम्ब विकास करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"

278. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकारी परती भूमि को आदिवासियों और भूमिहीन हरिजनों में और विशेषकर उड़ीसा में, जो कि बहुत पिछड़ा राज्य है, तुरन्त वितरण करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"

279. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि देश में उर्वरकों के मूल्य तथा उनकी वितरण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण करने की अविलम्ब आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

280. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिये कोई प्रभावी पग उठाने का उल्लेख नहीं है।"

281. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि व्यापार तथा वाणिज्य के विकास के लिये तुरन्त रेल लाइनें बिछाने, अर्थात् गोपालपुर से बालमगीर तक बरास्ता अस्का, भंजनगर और फूलबनी तथा जाखापुरा से बनसपानी तक रेल लाइनों का उल्लेख नहीं है।"

282. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सामान्य तौर पर देश में और विशेषकर उड़ीसा में गंजम जैसे प्रायः सदा सूखाग्रस्त रहने वाले जिलों में जनता के कष्ट दूर करने के लिये सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करने हेतु स्थायी उपाय करने की तुरन्त आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

283. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात —

"परन्तु खेद है कि सामान्यतया देश में और विशेषकर उड़ीसा में सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने और उठाऊ सिंचाई परियोजनाओ को तुरन्त क्रियान्वित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

284. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में देशवासीयों की भावनाओं को चोट पहुंची है।"

285. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विभिन्न स्थानों पर अल्पसंख्यकों और हरिजनों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने में प्रशासन की असफलता पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है।"

286. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण से बेरोजगारों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।"

287. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कीमतों में हो रही भारी वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे लोगों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है।"

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I beg to move :

288. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the policy for taking over wholesale trade in foodgrains immediately and distribution of commodities to the public at fair prices."

289. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of failure to arrest spiralling prices and of Government's resolute determination to check the tendency of rising prices effectively."

290. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of bringing about improvement in the credit policy of the nationatized banks to enable the cooperative societies of peasants and agricultural labour to get loan."

291. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the policy for conversion of loans advanced to private companies by Government into Government shares."

292. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the policy to abolish monopolistic capital."

293. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the policy to nationalize the foreign oil companies."

294. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any declaration of resolute policy for rapid industrialization of backward areas in the country."

295. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for enactment of a law to obviate the delay caused by legal hurles in taking over sick industries.

296. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of bureaucratic tendencies rampant in the public sector institutions."

297. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the need for providing workers participation in the management of public sector establishments to hand over gradually the entire management to the workers."

[Shri K. M. Madhukar]

298. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the determination to curb the activities of C.I.A. in the country."

299. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need to solve on war footing the problems of rural areas, like social victimization, non-payment of minimum wages to agricultural labour, provision of drinking water in Harijans' colonies etc. and Government's failure to achieve their objectives."

300. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the determination to take over the entire import and export trade."

301. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the determination to enact and enforce laws on ceiling of land holdings expeditiously."

302. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the policy to make laws for fixing the minimum price of sugarcane at Rs. 15 per quintal to boost the sugarcane production."

303. That at the end of the motion, the following be added; namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any declaration in regard to nationalization of sugar mills."

304. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure to eradicate corruption, bribery and nepotism prevailing at every level in the administration.'

305. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the determination to eradicate illiteracy in the country within a fixed period."

306. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure in checking the situation in Andhra Pradesh from deterioration by not solving the problems connected therewith in time."

307. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to indicate the cooperation of the government in the reconstruction of Vietnam and to condemn the barbarous war mongering policy of the U. S. imperialism."

308. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure to publish the report of the Third Pay Commission."

309. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of enacting a law to enforce the payment of Bonus Act in respect of workers in all the public and private sector institutions uniformally."

[Shri K.M. Madhukar]

310. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the steps proposed to be taken by government to unearth black money in the country."

311. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of checking forthwith the smuggling being carried on at the borders and via sea routes."

श्री एम० कतामुत (नागापट्टिनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

312. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त दद्द्मवेशी नियोजन तथा अर्द्ध नियोजन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।"

313. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकार ने बेरोजगारी के विरुद्ध तथा कथित त्वरित कार्यक्रम के लिये आवंटित 50 करोड़ रुपयों में से केवल 30 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।"

314. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है कि बहुत से राज्यों में वर्तमान तथा संशोधित भूमि हदबन्दी कानूनों को मेहनतकश किसानों के हित में लागू नहीं किया जा रहा है।"

315. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को यह आदेश नहीं दिया गया है कि किसानों पर होने वाले अत्याचारों तथा उनके उत्पीड़न और वर्तमान भूमि सुधारों में हो रही धोखेबाजी को एक प्रमुख राष्ट्रीय नीति के रूप में किसी भी कीमत पर अवश्य रोका जाये।"

316. कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को स्वामित्व अधिकार देने के महत्व में कोई रूचि नहीं दिखाई गई है जबकि भूमि सुधारों के सन्दर्भ में इसका बड़ा महत्व है।"

317. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन करोड़ों हरिजनों के प्रति जिन्हें न केवल अत्यधिक आर्थिक शोषण का बल्कि सामाजिक दमन का भी शिकार बनाया जाता है, कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।"

318 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों को राष्ट्रीय नीति के रूप में जीवन-निर्वाह के लिये न्यूनतम मजदूरी देने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया है।

12—20 L.S.S./72

(श्री एम० कतामुतु)

319. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे मेहनतकश किसानों की इन शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि उन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक ऋण, उर्वरक, बीज और अन्य सामान नहीं दिया जाता।"

320. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की भारी ऋणग्रस्तता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उन्हें ऋण के इस भारी बोझ से मुक्त कराने के लिये कि ी उपाय का सुझाव नहीं दिया गया है।"

321. कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख तो किया गया है किन्तु इस बात की ोर ध्यान नहीं दिया गया है कि इसका हिसाब 1971 की वृद्धि-दर की 4 प्रतिशत की कम वृद्धि पर लगाया गया है।"

322. कि प्रस्ताव के अन्त में यह ोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तू खेद है कि अभि ाषण में इस तथ्य ी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि ी ी पंचवर्षीय योजना में 8 से 9 प्रतिशत तक का औद्योगिक विकास सुनिश्चित नहीं किया गया है।"

323. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सतत स्थिरता और दूसरी ओर क्षेत्रीय असंतुलनों से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता का कोई उल्लेख नहीं है।"

324. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक विकास में कठिनाइयां और अड़चनों तथा उसमें कमी के लिये एकाधिकार पूंजी और उसका समर्थन करने वाली नीतियों को उत्तरदायी ठहराने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।"

325. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अभी भी यह अनुभव नहीं किया गया कि देश के तुरंत और संतुलित औद्योगिक विकास के लिये 75 एकाधिकार गृहों से संबंधित उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।"

326. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि जहां अभिभाषण में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का उल्लेख किया गया है, वहां इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के बावजूद भी, जो वर्तमान औद्योगिक नीति के संबंध में निर्णय लेने का आधार है, 75 एकाधिकार गृह और विशेषकर टाटा और बिरला की सम्पत्ति में और उनके साथ बड़े व्यापारियों के कदाचारों और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है।"

327. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के लिये एक चमत्कारिक औद्योगिक नीति, जिसका स्पष्ट उद्देश्य एकाधिकार के विरुद्ध हो और साथ साथ जिसमें कुछ मुख्य उद्योगों सहित महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण का भी उपबन्ध हो पुन: निर्धारण करने की आवश्यकता का कोई ध्यान नहीं दिया गया है।"

328. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि आधुनिक औद्योगिक नीति से एकाधिकार पूंजी अथवा बड़े-बड़े व्यापार गृहों को उदयोगों के बढ़ाये गये महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल होने के लिये बढ़ावा मिलता है।"

329. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात के लिये कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है कि एकाधिकारियों को, जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था से समाप्त किया जाना चाहिये, सरकार के साथ तथाकथित संयुक्त क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।"

330. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकार गृहों को सरकार और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये ऋणों को सरकार अथवा ऐसे संस्थानों की इक्वीटिज में बदलने में सरकार की असफलता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।"

331. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ राज्यों में औद्योगिक विकास के नाम पर एकाधिकारियों को नई रियायतें देने की प्रवृत्ति की ओर गंभीर रूप से कोई ध्यान नहीं दिया गया है।"

332. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण एक ऐसा विचित्र उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि देश में विद्यमान आर्थिक स्थिति का यथार्थ पूर्ण ढंग से मूल्यांकन और विश्लेषण नहीं किया गया है और इसमें शोषण करने वाले वर्गों पर काबू पाने तथा जनता की जीवन निर्वाह स्थिति में सुधार करने के लिये नीतियों में न्यूनतम आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में भी किसी आश्वासन का आभास नहीं होता है।"

333. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि 'गरीबी हटाओं' के नारे का इस नौकरशाही व्यवस्था में कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है और नारे को कार्यान्वित करने के लिये ठोस उपायों के लिये निश्चित वचनबद्धता की बजाय अनापशनाप और नीरस बातों का ही उल्लेख किया गया है।"

[श्री एम० कतामुतु]

334. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण इस बात का एक दस्तावेजी प्रमाण है कि सरकार सत्तारूढ़ दल की चुनाव सम्बन्धी प्रतिज्ञाओं को कार्यान्वित करने के लिये बिलकुल भी चिन्तित नहीं है।"

335. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो देश में दक्षिणपंथी शक्तियों के एक नये 'विशाल गगठबंधन' की पुनः स्थापना और न ही व्यापक निराशा और असंतोष वाली स्थिति की ओर जिसका ये शक्तियां अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिये उपयोग करना चाहती हैं, ध्यान दिया गया है।"

336. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि हिंसा के विरुद्ध देश को चेतावनी देते हुए अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि सामान्य लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं और चुनावों में पराजित होने के बाद भी दक्षिणपंथी और साम्प्रदायिक शक्तियां अब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये देश को विघटन और अराजकता की स्थिति में लपेटने के प्रयोजन से उत्तेजना पैदा करने हेतु प्रान्तवाद, अलगाव, भाषावाद और यहां तक कि साम्प्रदायिकता को भी भड़काने का प्रयास कर रही हैं।"

337. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में यह बात स्वीकार नहीं की गई है कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों ने न केवल श्रमजीवी वर्ग और लोकतंत्र के लिये खतरा पदा कर दिया है, अपितु देश की एकता के लिये खतरा पैदा कर दिया है।"

338. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों की, जो निर्वाचन में बुरी तरह पछाड़ दिये गये हैं और जो देश की आर्थिक सामाजिक जीवन में जड़ जमाये बैठ हैं, संग्राम नीति के अभिन्न भाग के रूप में आंध्र प्रदेश में हो रही घटनाओं का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है।"

339. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है कि आंध्र प्रदेश की एकता कायम रखी जायेगी और निहित स्वार्थ वालों तथा दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों की चाल नहीं चलने दी जायेगी।"

340. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि आंध्र प्रदेश का पृथकतावादी आन्दोलन, जिसके कारण हिंसा और आतंक फैल रहा है जमींदारों, थोक व्यापारियों तथा अन्य निहित स्वार्थवालों द्वारा इस उद्देश्य से प्रेरित किया गया है कि हदबन्दी कानून तथा अन्य प्रगतिवादी कानून लागू न हो सकें तथा खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में न ले सके और सार्वजनिक परिवहन आदि का स्पष्टीकरण न हो सके।"

341. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई संकेत नहीं है कि कुछ राजनीतिक दल तथा अन्य तत्व पृथकतावादी आन्दोलन में सम्मिलित हो गये हैं ताकि आंध्र प्रदेश में पृथकतावादियों के नापाक इरादों को बढ़ावा मिल सके और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति–क्रान्ति तथा प्रतिक्रियावाद पनप सके ।"

342. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अन्य राजनीतिक दलों के कतिपय लोगों को सत्ताधारी दल में एक मात्र अवसरवादी कारणों के लिए ले लिया गया है और यह तत्व पृथकतावादी हिंसा तथा गड़बड़ी में अग्रणीय है ।"

343. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस तथ्य से कोई सही सबक नहीं लिया गया है कि राजनीतिक स्थिरता विधानमण्डल में एक मात्र बहुमत पर निर्भर नहीं करती विशेष रूप से जब कि इस प्रकार का बहुमत प्रतिक्रियावादियों तथा निहितस्वार्थ के एजेंटों से वना हुआ है ।"

344. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उलेल्ख नहीं किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में प्रशासन स्थिति के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में पूर्णतया असफल रहा है और कई स्थानों में उच्चाधिकारी स्वयं पृथकतावादी आन्दोलन के हिमायती रहे हैं ।"

345. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करत हैं कि अभिभाषण में ऐसी कोई आवश्यक चेतना नहीं दिखाई गयी है कि पृथकवादियों को किसी भी बहाने कोई भी रियायत दिये जाने से समस्त देश में अस्तव्यस्ता तथा पृथकतावाद की ताकतों को प्रोत्साहन ही मिलेगा ।"

346. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश में पृथकतावादी आन्दोलन को पराजित करने के उचित उपायों के महत्व को मान्यता नहीं दी गयी है यदि देश के अन्य भागों में भी पृथकतावादी गड़बड़ी को रोक दिया जाना है ।"

347. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में राष्ट्र के लिये आवाहन नहीं किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में पृथकतावादीं आन्दोलन को देश की एकता तथा संगठन के लिये और लोकतन्त्र के विकास और प्रगति के लिये एक चुनौती माना जाये ।"

348. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस प्रकार की चिंता का कोई संकेत नहीं है कि यह स्वयं सत्ताधारी दल ही है जिसने पृथकता की आवाज को उठाया है ।"

[श्री० एम्० कतामुत्]

349. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन जमींदारों और अन्य निहित स्वार्थी तथा दक्षिणपंथी और साम्प्रदायिक शक्तियों में, जिन्होंने एक ओर पृथकतावादी आन्दोलन को उत्तेजित किया तथा उन अन्य छात्र सामुदाय और सरकारी कर्मचारियों में जो कि दुर्भाग्य से इसके शिकार हुए हैं, कोई अन्तर नहीं किया गया है।"

350. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि यह ठीक है अभिभाषण में कि शांतिपूर्ण तथा युक्ति संगत चर्चा करने का सुझाव दिया गया है किन्तु इस प्रकार की चर्चा का मुख्य प्रयोजन यह होगा कि आन्ध्र प्रदेश की एकता और संगठन के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत एक समाधान ढूढ़ा जायेगा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के पंचसूत्रीय प्रस्ताव के अन्तर्गत समाधान ढूंढ़ा जायेगा।"

351. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि यद्यपि आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिये कहा गया है कि वे सरकार के साथ एक शांतिपूर्ण समाधान ढूढ़ने में पूरी तरह से सहयोग दें जो कि एक सही अपील है किन्तु अभिभाषण में साथ ही इस बात पर कोई जोर नहीं दिया गया है कि इस प्रकार का सामूहिक तथा सम्मिलित प्रयत्न करें जिससे आन्ध्र प्रदेश की एकता बनी रहे और सुरक्षित रहे तथा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गैर-सिद्धान्तिक तथा लोकतंत्र विरोधी राज्य पुनर्गठन के नाम पर विभाजनकारी शक्तियों को उन्मुक्त न छोड़ा जाये।"

352. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश के एकतावादी लोगों की सराहना नहीं की गयी है जिन्होंने पृथकतावादीयों के आतंक तथा आक्रमण को बहादुरी से सहन किया है और अपनी जान तथा सम्पत्ति का खतरा उठाकर भी एकता का झंडा ऊंचा रखा है।"

353. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र के पृथकतावादी आन्दोलन के कुछ नेताओं द्वारा दक्षिण को उत्तर से पृथक करने के बारे में उठाई गई मांग का कोई उल्लेख नहीं है।"

354. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि जहां अभिभाषण में संसद् का राष्ट्र के सामने पेश आ रही समस्याओं का आकलन करने तथा जनता का मार्ग दर्शन करने के लिये आह्वान किया गया है, वहा कथनी को करनी का रूप देने के लिये सरकार ने मूलभूत ईमानदारी का परिचय नहीं दिया है।"

355. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निरन्तर बढ़ रहे मूल्यों के कारण सामान्य जनत द्वारा उठाये जा रहे कष्टों को बहुत ही कम आंका गया है।"

356. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में, बढ़ रहे मूल्यों पर काबू पाने के लिये प्रभावी कदम उठाने की तो बात ही क्या, मूल्यों के मामले में अपनी असफलता स्वीकार करने तथा मूल्य वृद्धि के वास्तविक कारणों को स्पष्ट करने में सरकार ने साहस तथा अपनी रुचि का अभाव ही दर्शाया है।"

357. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1972 में थोक मूल्य सूचकांक में 12 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने के पश्चात् इस में 1973 के पहले दो महीनों में पुनः वृद्धि होने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है।"

358. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के निर्धन तथा पिछड़े वर्गों के, विशेषकर हरिजनों के उत्थान के लिये किन्हीं ठोस योजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।"

359. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी राज्यों तथा केन्द्र शामिल क्षेत्रों में सभी कृषि मजदूरों की मजूरी निर्धारित करने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाने तथा उसके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है।"

360. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर किये जा रहे नृशंस अत्याचारों, अर्थात्, झुग्गियों का जलाया जाना, लूट, हत्या तथा महिलाओं को सताया जाना, तथा उनकी ऐसे अत्याचारों से रक्षा करने के लिय ठोस तथा प्रभावकारी कदम उठाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है।"

361. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों के लिये आवास तथा सामाजिक बीमा सम्बन्धी किसी व्यापक योजना के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है।"

362. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने तथा उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मजदूरों को मुआवजा तथा औद्योगिक मजदूरों को मिलने वाली अन्य सुविधायें दिलाने के सम्बन्ध में तत्काल एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"

363. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अस्पृष्यता (अपराध) अधिनियम के उपबन्धों को कारगर ढंग से लागू करने में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

[श्री एस० कतामुतु]

364. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी नौकरियों में, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

365. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि, अभिभाषण में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के विरुद्ध आरापों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए तमिलनाडु में सभी वर्गों के लोगों द्वारा की गई मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।"

366. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अथात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतन्त्रता सैनानियों द्वारा राजनीतिक पेंशन के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्रों का शीघ्र निपटारा करने हेतु, सरकार को नहीं कहा गया है।"

367. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

368. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं है।"

369. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तृतीय वेतन के प्रतिवेदन को प्रकाशित करने की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया गया है।"

370. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हथकर्घा मजदूरों की समस्याओं और कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

371. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण के अन्तर्गत मूल्यों में वृद्धि का कोई एक मुख्य कारण नहीं बताया गया जैसा कि हमारी वर्तमान अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकारियों का नियंत्रण होना और न हीं इसमें सट्टाबाजार और मूल्य बढ़ाने वाले अन्य कार्यों पर कोई रोक लगाने का उपाय बताया गया है।"

372. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कतिपय क्षेत्रों के इस प्रयास की आलोचना नहीं की गई है जो कि मूल्य वृद्धि का कारण पूर्व बंगाल से विस्थापितों का आगमन और अल्पकालिक भारत-पाक युद्ध बता कर, इसे उचित ठहराते हैं।"

373. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह विश्वास भी नहीं दिलाया गया है कि अव्यवहारिक अग्रिमों तथा मूल्यों में सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करने वाली सभी गतिविधियों को रोकने के लिये बैंकों की ऋण नीती में परिवर्तन किया जायेगा ।"

374. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की नीति तैयार करने में असमर्थ रही है ।"

375. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि कई राज्य सरकारों द्वारा चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण के पक्ष में घोषित नीति भी कार्यान्वित नहीं की जा रही है और उनमें से कुछ राज्य जैसा कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान सरकारों ने तो इस नीति का खुलेआम विरोध करना आरम्भ कर दिया है ।

376. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय खाद्य निगम की खरीफ़ की वसुली के अपने साधारण लक्ष्य की प्राप्ति में भी उसकी असफलता का कोई गंभीर उल्लेख नहीं किया गया है ।"

377. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि यद्यपि अभिभाषण में लोक पद्धति का उल्लेख किया गया है किन्तु रुई, चीनी, अत्यावश्यक दवाईयों और आम उपभोग की इसी प्रकार की अन्य ऐसी वस्तुओं के तत्काल राष्ट्रीयकरण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई है जो लोक वितरण पद्धति की कारगर व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है ।"

378. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि बड़े जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध न तो कोई कारगर कदम उठाये गये हैं और न अनाज, कपड़ा और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के जमा स्टाकों का पता लगाया गया है ।"

379. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये किसी प्रकार की मूल्य संबंधी नीति नहीं दी गई है ।"

380. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि उत्पादन के स्तरपर एकाधिकारी लागत-लेखाविद्या की अपनी प्रणाली का लाभ उठाकर और टैरिफ आयोग पर अपने प्रभाव का प्रयोग करके मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं ।"

(श्री एम० कतामत्)

381. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं किया गया है जिन्हें विशेष-कर बढ़ते हुए लागत-व्यय को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुएं सरकारी दुकानों से उचित मूल्यों पर मिलनी चाहिये।"

382. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि उपभोक्ताओं को मोटी तथा मध्यम किस्मों का कपड़ा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये महीन तथा अति-महीन कपड़े के उत्पादन में भारी कमी करनी होगी और कुछ मामलों में इसे बिल्कुल बन्द करना होगा।"

383. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि कृषि-उत्पादकों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता हालांकि उन्हें न केवल उपभोक्ता वस्तुओं के लिये बल्कि खेती के लिये आवश्यक अन्य वस्तुओं के लिये भी ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं।"

384. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तृतीय वेतन आयोगके प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब्र पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है और न ही इसमें यह आश्वासन दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी जायगी।"

385. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित नवयुवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी समेत देश में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता को समुचित रुप से समझने का प्रयास नहीं किया गया है।"

386. प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तू खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार से आग्रह नहीं किया गया है जबकि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या एक करोड़ 50 लाख से भी अधिक होगी।"

387. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि हमारे जैसे विकास-शील देश में आज लगभग 100,000 इंजीनियर और डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं।"

388. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की वर्तमान समस्या के गम्भीर सामाजिक परिणामों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा राजनीतिक जीवन में और एकाधिकारियो द्वारा आर्थिक जीवन में मजदूरी कम करने और अधिक लाभ कमाने के लिये सदैव दुरुपयोग किया जाता है।"

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I beg to move :

389. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the withdrawal of tax levied in the name of refugees."

390. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the seizure of excess and undeclared excess stock of foodgrains from stockists and of stringent action to be taken against the defaulters."

391. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the setting up of more industrial units in backward districts and thus providing employment to unemployed persons."

392. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the cancellation of industrial licences granted to those persons who have not started production and are hesitant to start productions."

393. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of taking over of the management of closed textile mills resulting in more unemployment among workers and of their proper management and of establishing new industries in backward areas of U. P. and Madhya Pradesh."

394. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of ensuring payment of bonus to workers in time and providing more housing facilities to them."

395. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of granting recognition on an all India basis to the all India level labour unions having a membership of more than four and a half lakhs."

396. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of allotment of cultivable land to landless persons to boost production."

397. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of steps to be taken to maintain law and order in Andhra Pradesh, bifurcation of Andhra Pradesh into separate Andhra and Telangana States and appointment of a State Reorganisation Commission."

398. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of immediate steps to be taken to recover Pakistan-occupied part of Kashmir."

399. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of steps to be taken to secure sick Indian POWS released from Pakistan and request Pakistan to extend humane treatment to Indian POWs."

[Shri Hukam Chand Kachwai]

400. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any steps to maintain peace in the Indian sub-continent and to prevail upon Pakistan to accord recognition to Bangla Desh and to secure its admission in the U. N. O."

401. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of extending adequate assistance to Vietnam for her reconstruction."

402. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of reovering the territory in Ladakh and NEFA, occupied by China."

403. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of steps to be taken by the Government to secure compensation for Asians expelled from Uganda for the movable and immovable property left behind by them."

404. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of condemnation by Government of India of the activities of Labanese guerrillas during Olympic Games at Munich where many Israeli sportsmen were killed and that no shelter shall be provided to Arab and Lebanese guerrillas in India."

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) मैं प्रस्ताव करता हूं :

405. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में वेग समिति की सिफारिशों की पूर्ण उपेक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।"

406. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिये एक जांच आयोग नियुक्त करने के संबंध में 121 संसद सदस्यों द्वारा समर्थित हरियाणा विधान-मण्डल के बहुत से सदस्यों द्वारा की गई मांग को स्वीकार न करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय को संशोधित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

407. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी की गारण्टी नहीं दे सकी है।"

408. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि सरकार देश की श्रमिक जनता को संविधान में उपबन्धित मजदूर संघ और लोकतांत्रिक अधिकारों की गारण्टी नहीं दे सकी है।"

409. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार काले धन का पता लगाने के लिये कारगर उपाय करने में असफल रही है, जो देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रही है।"

410. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार देश में साक्षरता के ऊंचे प्रतिशत को कम करने हेतु प्रभावी पग उठाने में असफल रही है।"

411. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार की शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप सभी राज्यों में और विशेषत्य से पश्चिम बंगाल में शिक्षा क्षेत्र में गड़बड़ी और तोड़फोड़ व्याप्त है।"

412. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार पश्चिम बंगाल में काम कर रहे उन मजदूर संघों की सुरक्षा की गारन्टी देने में असफल रही है जिनके लिये सत्ताधारी दल के किराये के टट्टुओं ने गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।"

413. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार ऐसे व्यतिक्रमी नियोजकों को कड़ी सजा देने के लिये विधान बनाने में असफल रही है, जो भविष्य निधि में अंशदान जमा नहीं करते।"

414. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार मजदूरों के हित में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सुधारने के लिए कोई प्रभावी उपाय करने में असफल रही है।"

415. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार हेमन्त बसु के, जिनकी 1971 के चुनाव के उस समय हत्या की गई जब पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन था, हत्यारे को गिरफ्तार करने के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच कराने में असफल रही है।"

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

416. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र और तेलंगाना प्रदेशों के लोगों को मान्य समाधान ढूंढने के लिये तुरन्त कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

417. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है, कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के मनमाने उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है।"

[श्री ईरा सेझियान]

418. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश में सभी राजनीतिक नजरबन्दों को रिहा करने, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना वापस बुलाने और उन सभी सरकारी कर्मचारियों को बहाल करने की आवयकता का, जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, कोई उल्लेख नहीं है।"

419. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि प्रस्ताव में आन्ध्र प्रदेश राज्य के भविष्य के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छा जानने के लिये उस राज्य की विधान सभा की बैठक शीध्र बुलाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

420. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी का कोई उल्लेख नहीं है।"

421. प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि प्रस्ताव में देश की बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये कारगर कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

422. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े आय-कर दाताओं से कर की बढ़ती हुई बकाया राशि की वसूली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

423. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडू के हाथ-करघा बुनकरों के लिये अपेक्षित धागे की अपर्याप्त सप्लाई और बढ़ती हुई कीमत का कोई उल्लेख नहीं है।"

424. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अपातकालीन स्थिति समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है जबकि अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है।"

425. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बिजली की आवश्यकताओं के लिये योजना बनाने में, आवश्यक योजनाओं को प्राथमिकता देने में तथा बिजली के संकट को दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय अपनाने में सरकार की असफलता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।"

426. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तावित विद्युत योजनाओं की ओर तुरंत ध्यान देने तथा उनके लिये मंजुरी देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

427. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेवेली ताप बिजली केन्द्र की सृजित क्षमता के अधिकतम उपयोग की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।"

428. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई मुद्रास्फीति मूलक आर्थिक नीतियों का कोई उल्लेख नहीं है।"

429. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिये किसी ठोस उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।"

430. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मूलभूत और आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में निश्चित विभिन्न लक्ष्यों के पूरा न किये जाने के विशिष्ट कारणों का कोई उल्लेख नहीं है।"

431. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में जन-आन्दोलन और लोकप्रिय मांग का कोई उल्लेख नहीं है।

432. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिक बिजली के उत्पादन के लिये नेवेली में दूसरा माइन कट खोलने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

433. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में परमाणु ऊर्जा द्वारा विद्युत् उत्पादन की कलपक्कम योजना के पूरा करने में परिहार्य विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।"

434. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तावित छोटी जलविद्युत् योजनाओं के लिये मंजूरी देने में हुए विलंब का कोई उल्लेख नहीं है।"

435. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तूतीकोरिन क्षेत्र में 1,000 मेगावाट क्षमता के दूसरे आणविक संयंत्र के लिय मंजूरी देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

436. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण का देश में आर्थिक राजनीतिक स्थिति की वास्तविकता से कोई मेल नहीं है।"

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

437. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1972 में कीमतों में अत्यधिक और अभूतपूर्व वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।"

438. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि औद्योगिक कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बेरोकटोक वृद्धि हो रही है।"

439. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि मूल्य नीति एकाधिकारियों, बड़े व्यापारियों, बड़े स्टोरियों और बड़े जमींदारों के हित में बनाई तथा कार्यान्वित की गई है तथा की जा रही है जो मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि के लिये जिम्मेदार है।"

440. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु घाटे की अर्थ व्यवस्था और काले धन की समानान्तर अर्थ व्यवस्था को रोकने और सम्भावित आर्थिक आधिक्य को जुटाने के लिए कारगर पग उठाने में असफलता पर खेद व्यक्त करती है।"

441. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि तथाकथित हरित क्रान्ति का देश में हाल के अभूतपूर्व सूखे से भंडा-फोड़ हो गया है।"

442. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी अभूत-पूर्व स्तर पर बढ़ रही है।"

443. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि "गरीबी हटाओ" तथा आर्थिक सत्ता के समान वितरण के नारे के बावजूद भारतीय तथा विदेशी एकाधिकारी गृहों के विकास में वृद्धि हुई है और हो रही है।"

444 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार विदेशी बैंकों और विदेशी एकाधिकारी फर्मों का राष्ट्रीय-करण करने के लिए ठोस कदम उठाने में अनिच्छुक रही है जो प्रत्येक वर्ष लाभ, लाभांश, तकनीकी फीस, ब्याज, प्रशासनिक और मुख्यालय खर्च के रूप में करोड़ों रुपये देश से बाहर भेज रह हैं।"

445. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि भ्रष्टाचार पक्षपात और भाई-भतीजावाद बढ़ा है और बढ़ रहा है, जिसके उदाहरण भारत के स्टेट बैंक, नई दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा से 60 लाख रुपय को धोखाधड़ी, मारुति एंड कम्पनी एक छोटी कार निर्माण कम्पनी, जो हरियाणा में जिन परिस्थितियों में स्थापित की गयी है, चिथड़ों सम्बन्धी घोटाला जिससे सारे देश में तहलका मच गया था, इश्तहार घोटाला, तथा हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप है।"

446. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सत्ताधारी दल ने दल के और व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग किया है और उपयोग कर रहा है और साल्ट लेक क्षेत्र, कलकत्ता में 75 वें अधिवेशन के दौरान राज्य तंत्र जिसमें रक्षा विभाग का तंत्र भी शामिल है, का उपयोग किया है।"

447. प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने सारे देश में आतंक का शासन फैला रखा है; आन्ध्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की ज्यादतियां सभी सीमाएं पार कर चुकी है और वाम पक्षी दलों, विशेषकर साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के लगभग 3000 कार्यकर्त्ताओं को गुप्त रुप से मार दिया गया है; पश्चिम बंगाल में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्त्ताओं की हत्या और उत्पीड़न बन्द नहीं किया गया है।"

448. प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सत्ताधारी दल ने संसद् सदस्यों के अधिकारों को गुप्त रूप से कुचलना शुरू कर दिया है जैसा कि गत पांच वर्षो में लोक सभा की बैठकों में की गयी कमी से स्पष्ट है, बहुत से विरोधी संसद् सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उनके निवास स्थानों की सादे कपड़ों में पुलिस के सिपाहियों द्वारा निगरानी रखी जा रही है, टेलीफोन बीच में सुने जाते हैं और पत्र खोल कर पढ़े जाते हैं।"

449. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सत्ताधारी दल द्वारा पश्चिम बंगाल, काश्मीर, त्रिपुरा, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में चुनावों में बहुत बड़े पैमाने पर सब प्रकार की गड़बड़ी की गई है।"

450. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है तथा साम्प्रदायिक घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई है।"

451. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार हरिजनों तथा भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है, तथा हरिजनों पर अत्याचार किया जाना, दिन प्रतिदिन की घटना बन गया है।"

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त निराशजनक है। आज देश में चारों ओर संकट की स्थिति बनी हुई है किन्तु सरकार को इस संकट का बोध नहीं, और समस्याओं का समाधान ढूंडने करने का प्रयास नहीं किया जा रहा।

आज देश के अनेक राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है। मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, बिहार, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश मे राशन की दुकानों में अनाज और मिट्टी का तेल इत्यादि उपलब्ध नहीं। लाखों व्यक्ति अपने ही देश में शरणार्थी हो गए हैं। अकाल ग्रस्त राज्यों में ग्रामीण लोगों के लिए काम नहीं है, घर नहीं है और किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और जिन लोगों को रोजगार प्राप्त है उन्हें इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि वे

13—20 LSS/72

(श्री ए० के० गोपालन)

अपने खाने के लिए अनाज खरीद सकें। क्या श्रीमती गांधी को सरकार की इस स्थिति की कुछ जानकारी है ? आवश्यक खाद्य पदार्थ तथा मिट्टी का तेल इत्यादि खरीदना आम जनता की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। 1972 के दौरान मूल्य स्तर 7.8 प्रतिशत बढ़ा और यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में दुगुनी है और यदि वृद्धि इसी दर से हुई तो कायदे अनुसार 1972-73 के दौरान मूल्य स्तर 15 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। खाद्यान्नों और दालों के अतिरिक्त, चीनी की मूल्य वृद्धि भी 33.4 प्रतिशत से कम नहीं हुई।

जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है, यह बड़ी विडम्बना है कि जहाँ एक ओर चीनी की किमत बढ़ रही है, वहां दूसरी ओर गन्ने की कीमत कम हो रही है। 1968-69 में फैक्टरी को दिए जाने वाले गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 12 से 15 रुपये तक थी और चीनी की कीमत 1 रुपया 75 पैसे थी। किन्तु आज गन्ने की कीमत कम हो गई है और चीनी की कीमत बढ़ गई है। कृषकों द्वारा उत्पादित पदार्थों—गन्ने कपास इत्यादि—की कीमत कम हो रही है पर वही कृषक जब बाजार में कपड़ा, चीनी आदि खरीदने जाता है तो उसे आभास होता है कि इन वस्तुओं की कीमत कितनी बढ़ी हुई है। इसी प्रकार रबड़ की कीमत कम है पर रबड़ से बने टायर की कीमत बढती जा रही है। कई राज्यों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है इससे श्रमजीवियों पर सबसे अधिक असर पड़ता है। इसीलिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी अध्यापक और औद्योगिक श्रमिक सभी कष्ट सह रहे हैं। तीन वर्षों के बाद भी वेतन आयोग ने प्रतिवेदन पेश नहीं किया। प्रतिवेदन स्थगित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुछ अंतरिम राहत दी गई है, पर वे अधिक राहत चाहते हैं। किन्तु राज्य सरकारों के कर्मचारियों को वेतन आयोग के प्रतिवेदन से कुछ लाभ नहीं होने वाला और न ही उन्हें अंतरिम राहत दी गई है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों में भेद भाव क्यों किया जा रहा है ? केन्द्रीय सरकार ने कुछ राहत देने का आश्वासन दिया है परन्तु उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और हरियाणा में भी राज्य सरकारों के कर्मचारी राहत की मांग कर रहे हैं। राज्यों में भी उसी दल की सरकार है, फिर राज्यों और केन्द्र की नीतियों में अन्तर क्यों है ? हरियाणा में बढ़ती हुई कीमतों के कारण अधिक महंगाई भत्ते की मांग करने पर परसो 1,000 तथा कल 800 अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान बजट पेश होने के बाद भी निश्चय ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी।

बेरोज़गारी की समस्या भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं, सरकार द्वारा बड़ेबड़े दावे करने के बाद भी, बेरोज़गारी द्रुतगति से बढ़ रही है और जो लोग काम पर लगे हुए है उन्हें लाखों की संख्या में बाहर निकाला जा रहा है। कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में मशीनीकरण किया जा रहा है, इससे बेरोजगारी और बढ़ रही है। हम मशीनीकरण के खिलाफ नहीं है, किन्तु जब तक लोगों को वैकल्पिक रोज़गार प्रदान नहीं किया जाएगा, आम जनता को इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी।

सरकार प्रतिवर्ष 186 संगणकों का निर्माण कर रही है, लेकिन संगणक यदि इसी रफ्तार से बनते रहे तो रोज़गार पर लगे व्यक्तियों का क्या होगा। क्या उनके रोजगार के लिए सरकार के पास कोई और ज़रिया भी है ?

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में मैं पहले बता चुका हूं कि देश में अकाल पड़ा हुआ है। लोग भूखे मर रहे हैं। चारों तरफ हिंसा का बोलबाला है। लोग मिल कर "बंद" का आयोजन कर रहे हैं। लोग "बंद" अपनी खुशी से नहीं करते। "बंद" के दौरान, जनता ही सब से अधिक दुखी होती है पर वे चाहती है कि सरकार इनकी समस्याओं को समझे और महसूस करे। वह यह देखे कि इन लोगों को वास्तव में कष्ट है। किन्तु सरकार इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही।

केरल में 6000 अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया और वे विलंबित कर दिए गए सभी गैर–सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। एम० जी० कालेज में धरना दिया जा रहा है। वहां 200 गज के भीतर सभी लोगों को पीटा गया। प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना पुलिस कालेज में दाखिल हो गई। वहां विद्यार्थियों को बुरी तरह से पीटा गया। क्या यह सब हिंसा नहीं है ? यदि कालेज वालों की कुछ गलती थी तो मामला न्यायालय में ले जाना चाहिए था। पुलिस सज़ा देने वालीं कौन होती है। जुलूस निकालने और सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन जब लोगों के पास खाने को अनाज़ नहीं, करने को काम नहीं, तो वे निश्चय ही शोर व आन्दोलन करेंगे। लेकिन जब तक वह कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करते, उन्हें अनावश्यक रूप से पीटा नहीं जाना चाहिए। मेरे ही राज्य में पांच स्थानों पर पुलिस द्वारा लोगों को शांति–पूर्वक जलूस निकालने पर बर्बरतापूर्वक पीटा गया। जलूसों पर प्रतिबंध केवल तीन दिन पहले लगा है, जबकि यह जलूस प्रतिबंध लगने से पहले निकाला गया। पुलिस मारने में कोई पक्षपात नहीं करती। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी दल का हो, उसे मारते वक्त वे यह नहीं पूछती कि वह किस दल का है।

देश में आज भारी संकट विद्यमान है और मूल्य बढ़ रहे हैं। अपने वेतन से लोग उस प्रकार निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है जिस प्रकार आज से दो वर्ष पूर्व थे। अन्तरिम सहा-यता मांगने और वेतन आयोग की नियुक्ति की मांग करने पर 6,000 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

त्रिपुरा में 3,000 लोगों को, जिनमें अधिकांश किसान और आदिवासी के, अकाल सम्बन्धी राहत मांगने पर गिरफतार कर लिया गया। अकाल के कारण, त्रिपुरा में भूख से 139 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 15 फरवरी को 50,000 सत्याग्रहियों ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। इसके कारण लोगों को पीटा गया। पुलिस की ज्यादातियों के कारण त्रिपुरा में 'बन्द' का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी कमी है।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था ठप्प पड़ी है। गुण्डो को पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो रहा है और वे लोगों पर हमला करते हैं और मजदूर संघो की बैठकों में अशान्ति पैदा करते हैं।

आंध्र राज्य में रोजगार के सिलसिलेमें अवश्य कुछ न कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। पृथक आंध्र के बारे में हमने सरकार को हल बताया था लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। देश के समस्त भागों में प्रतिदिन गोली चलती है। देश के किसी भी क्षेत्र में बेरोज-गारी और पिछड़े पन को दबाव से दूर नहीं किया जा सकता। सरकार को पिछड़े क्षेत्रो की ओर ध्यान देना चाहिये। राष्ट्रपति के शासन से राज्य की समस्या हल नहीं हुई है। मुलकी नियमों के भी राज्य की समस्या हल नहीं हुई है। समस्या के मूल कारणों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। क्या राज्य में गोली चलाने और लोगों को मारने से राज्य की समस्या हल हो जायेगी ? आंध्र की समस्या का मूल कारण बेरोजगारी और राज्य का पिछड़ापन है। लेकिन लोगों को संतुष्ट करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आम जनता बहुत परेशान है। राज्य में सारे महीने अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल और बिजली उपलब्ध नहीं हुई।

तमिलनाडु में बिजली की भारी कमी है। राज्य में रेल डिब्बों का निर्माण करने का कारखाना काम नहीं कर रहा है। बिजली उपलब्ध न होने के कारण, अस्पताल में रोगियों को आक्सीजन नहीं मिल रही है।

बिजली उपलब्ध न होने के कारण, न केवल तमिलनाडु को कठिनाई होगी बल्कि समस्त दक्षिण क्षेत्र को कठिनाई होगी।

(श्री ए० के० गोपालन)

लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार को अवश्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये। तमिलनाडु में बिजली की कमी से अब भारी संकट उत्पन्न हो गया है और सरकार को इस बारे में भी अवश्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

हरिजनों पर प्रतिदिन हमले होते हैं और उनका अनेक स्थानों पर अभी भी बहिष्कार किया जा रहा है। अकाल, सूखे और अभाव के कारण सबसे अधिक हरिजन, आदिवासी और किसान प्रभावित हुए हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकार की उद्योगों को लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति से बड़े बड़े एकाधिकार गृहों को सहायता मिली है। अधिकांश मुख्य मंत्रियों ने संयुक्त क्षेत्र में उद्योग लगाने और बड़े बड़े एकाधिकार गृहों को लाइसेंस जारी करने का समर्थन किया है और इन्हीं मुख्य मंत्रियों ने भूमि सुधार और नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में रोड़ा अटकाया है।

अनाज और रोजगार के बारे में लोग शान्तिपूर्ण आन्दोलन तक नहीं कर सकते। क्या अपनी समस्याओं की सम्बद्ध अधिकारियों को जानकारी देना हिंसा है? यदि सरकार विकास के लिये पूंजीवादियों का रास्ता अपनाती है तो ऐसा ही होगा। लोगों का अधिक से अधिक दमन होगा और लोग मुह नहीं खोल सकेंगे और यह नहीं कह सकेंगे कि मूल्य बढ़ रहे हैं अत: उन्हें अधिक वेतन दिया जाना चाहिये। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस लोंगो को उनकी उचित मांगो के लिये शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भी करने नहीं देगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में व्याप्त गम्भीर संकट का उल्लेख नहीं किया गया है और इसमें समस्याओं को हल करने का भी कोई तरीका नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में अवश्य कुछ न कुछ कहा जाना चाहिये था।

*महोदय मुझे इस फोटो को सभा पटल पर रखने के लिये आपकी अनुमति चाहिये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : देश में जिस समय निराशा का वातावरण विद्यमान है उस समय राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में कुछ आर्थिक कार्यक्रमों को लाकर देश को समाजवाद की ओर अग्रसर करने का उल्लेख करना प्रशंसनीय है। देश की जनता विरोधी राजनितिक दलों के बहकावे में आने वाली नहीं है उसने 1967 और 1971 में भी इस बात का आभास दिया था।

हमने हाल ही में एक बड़ी स्वतंत्रता की लडाई जीती है। इस लड़ाई में हमें बहुत अधिक त्याग करना पड़ा है। वर्ष 1972-73 के वित्तीय वर्ष में बंगला देश को आर्थिक सहायता देने के लिये 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त, बंगला देश से आये शरणार्थियों को राहत देने पर 323.04 करोड़ रूपये व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त, बंगला देश को 1,000 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के खाद्यान्न और अन्य राहत सामग्री सप्लाई की गयी। यदि इस वर्ष के आंकड़े भी शामिल कर लिये जायें तो उनपर इस कार्य के लिये 1500 करोड़ रूपये से अधिक व्यय किये गये।

हमारी औद्योगिक क्षमता अन्य देशों की तुलना में कहीं अच्छी है लेकिन बिजली की कमी के कारण हम अपनी पूरी औद्योगिक क्षमता का उपयोग नही कर सके। एक लोकतन्त्र को संरक्षण देकर भारत ने निश्चय ही बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है।

*** अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनंतर आवश्यक अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण कागजात, दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।**

The speaker not having subsequetnly accorded the necessary permissioı the Paper/Document was not treated as paper Laid on the Table;

हमारा उद्देश्य देश में समाजवाद लाना है। हमने क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने का वचन दिया है। हम इस सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन समानता प्राप्त कर रहे हैं।

यह सम्भव है कि हमें अपने प्रयासों में कठिनाइयां आई हों और हमे असफलताओं का सामना करना पड़ा हो लेकिन हमें विश्वास के साथ देश को उन्नति की ओर ले जाना है

बैंको और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार को लगभग 10,000 करोड रूपये की राशि उपलब्ध हो गई है। जब तक उक्त राशि का उत्पादक क्षेत्रों में प्रयोग नहीं किया जायेगा इसका कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को बड़े एकाधिकारी। गृहों की प्रगति को रोकना चाहिये सरकार को उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन देना चाहिये। बैंकों और ऋण देने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के कारण हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रही है। उक्त धन का उत्पादक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना चाहिये।

सरकार ने परिवहन , संचार, विद्युत, कोयला, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, बैंकिंग, बीमा और आन्तरिक और विदेश व्यापार, तांबे जैसे अधिकांश प्रमुख उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लेने का प्रयास किया है । ऐसा समाजवादी नीति के अनुसरण में किया गया है। सरकारी क्षेत्र में पूंजी-निवेश 12,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। यह एक प्रशंसनीय उपलब्धि है।

आशा है सरकार सरकारी क्षेत्र में सुधार करने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेगी। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर सरकारी क्षेत्रों को बोनस दिया जाना चाहिये।

उत्पादन में वृद्धि के लिये भूमि सुधार आवश्यक है। लगभग पांच लाख हैक्टेयर भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया गया है। यह भी एक प्रशंसनीय उपलब्धि है।

सरकार समाजवाद लाने और एकाधिकार और सामान्तशाही को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करने में सफल रही है।

सरकार का मुख्य कार्यक्रम गरीबी को हटाकर देश को आत्म निर्भर बनाना है।

इस समय हम प्रतिवर्ष 1700 करोड़ रूपये का निर्यात कर रहे हैं। हमें 900 करोड़ रूपये का और अधिक उत्पादन करना होगा जिससे 3,000 करोड़ रूपये की निर्यात किया जा सके। हमें गरीबी को हटाना तो है परन्तु गरीबी को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता।

आंध्र राज्य की मुख्य समस्या लाखों लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना नहीं है। यदि गरीबी हटाना और बेरोजगारी दूर करना ही वहां की समस्या है तो हम सब मिल कर उसका समाधान करने को तयार होंगे। आंध्र और तेलंगना के लोगों से मैं अपील करूंगा कि वे मिल-बैठ कर अपनी समस्या को सुलझायें। हमारे सामने मुख्य समस्या 22 करोड़ लोगों की जिन्हें 40 और 30 रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है, आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी सुझाव दिये हैं। वर्ष 1973 में सरकार को समाज के पिछड़े लोगों के लिये, जिन्हें वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कार्य करना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई नई बात नहीं कही गई है ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।]
[Shri K. N. Tiwari on the Chair]

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि गेहूं के थोक व्यापार को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस प्रयोजन के लिये क्या कार्यवाही की गई है। यह सर्व विदित है कि कुछ राज्य इसके लिये सहमत नहीं हुए हैं और सम्भव है कि वे इस बारे में पूरा सहयोग देने की बजाये बाधा डालें।

यदि औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति एकाधिकार गृहों के विरूद्ध होती, तो एकाधिकारी उक्त नीति का समर्थन क्यों करते ?

राष्ट्रपति के अभिभाषण में रूपये के अवमूल्यन का उल्लेख नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण मे विश्वविद्यालय स्तर पर फले संकट का उल्लेख नहीं किया गया है। देश के प्रमुख विश्वविद्यालय कमी न कभी दीर्घावधि के लिये बन्द रहे हैं। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमे अध्यापकों मे बडे पैमाने पर असंतोष व्याप्त न हो। आज ही हरियाणा के 1500 अथवा 1600 अध्यापकों को दिल्ली मे गिरफतार किया गया है ।

देश में औद्योगिक सम्बन्धों के समूचे ढांचे को नये रूप में ढालने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार बिल्कुल मुक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रबन्धकों और श्रमिकों को उपदेश मात्र दिये गये हैं जिससे कार्मिक संघों में आपसी प्रतिस्पर्धा में रहे। इस समस्या पर काबू पाने के लिये औद्योगिक सम्बन्धों को एक नया रूप देना होगा और पुराने सम्बन्धों के ढांचे को पूर्णतया समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन अभिभाषण में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं।

हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में उचित ढंग से कार्य हो। हमें इस बात को देखते हुए दुःख होता है कि सरकारी क्षेत्र में लगे धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

देश में घटने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का भी अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।

हाल के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सबसे बडी घटना वियतनाम में युद्ध का बंद होना है। इससे वियतनाम और लाओस में केवल शांति ही स्थापित नहीं हुई है बल्कि इसका विश्व में महत्व भी बहुत अधिक बढा है। इस समय यह अवसर प्राप्त हुआ है कि दक्षिण पूर्व एशिया की समस्त शक्ति को राष्ट्र मुक्ति और शांति स्थापना के लिये लगाया जा सके। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि बंगला देश और वियतनाम में लोगों की विजय का उपयोग हमारे देश में तथा अन्य देशों में साम्राज्यवाद और नवउपनिवेशवाद के विरुद्ध किया जाना चाहिए और उनके साथ कोई समझोता नही किया जाना चाहिए।

वियतनाम में पराजित होने के बाद यह खतरा है कि राष्ट्रपति निक्सन अब इस क्षेत्र में राजनैतिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ायेंगे ।

कुछ महीने पहले भी मैंने युद्धबंदियों का प्रश्न सभा में उठाया था । युद्धबंदियों के मामले को एक बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय मामला बनाया जा रहा है। विश्व भर में भारत का ऐसा रूप प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसने न्याय के विरुद्ध युद्धबंदियों को रिहा करने से इन्कार कर दिया है। परन्तु वास्तविकता तो हम जानते ही हैं। हम इस मामले में बंगलादेश की सहमति के बिना कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हाल ही में हमने बीमार और घायल युद्धबंदियों को जो पूर्वी सीमा पर पकड़े गये थे, रिहा कर दिया है। हमने इससे यह सिद्ध कर दिया है कि युद्धबंदियों के सम्बन्ध में हमारा कोई बुरा इरादा नही है। परन्तु इतना ही काफी नही है। बंगलादेश में निर्वाचन के बाद भारत को अपने मित्र देशों

के माध्यम से इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि जिन युद्धबंदियों पर बंगलादेश ने कोई आरोप नही लगाये हैं अथवा जो युद्ध अपराधों के लिये जिम्मेदार नही हैं और जिनपर मुकदमा नही चलाया जाना है, रिहा कर दिया जाय।

इस महाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बंगलादेश और वियतनाम की घटनाओं के पश्चात जो एक विशिष्ट पृष्टभूमि तैयार हो गयी है उससे जो निक्सन तथा उनके अनुयायी अनिवार्यतः अपनी राजनैतिक और आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए नये रूप से प्रयत्न करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में गडबड़ी और आन्दोलन हो रहे हैं उन्हें इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिये। विघटनकारी मामले, चाहे वे भाषायी, धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक हों उन्हें पूर्व योजना के अनुसार देश का विघटन करने और उसे कई खंडों में बांटने के लिये कराये जाते है। लोगों में असंतोष होना स्वाभाविक ही है और उसके लिये बहुत हद तक सरकार की नीतियों ही उत्तरदायी हैं। परन्तु लोगों की इन शिकायतों का लाभ उठाकर कुछ विघटनकारी शक्तियां भाई द्वारा भाई की हत्या कराने की भावना पैदा कर रही हैं और हिंसात्मक घटनायें घट रही हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नही किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में वर्तमान उपद्रवों का कारण वहां का पिछड़ापन नही है। इस आन्दोलन का केन्द्रबिन्दु न तो रायलसीमा है और न ही तेलंगना। इसका केन्द्र तो वहा के चार जिले हैं। यह वह क्षेत्र है जहां आंध्र प्रदेश के धनवान जमींदार रहते हैं। अतः नये सिरे से सिमाओं का अंकन जो जनता के हित में तो है लेकिन जिस प्रकार का हो हल्ला मचाया जा रहा है उस प्रकार नहीं होना चाहिये।

कुछ वर्ष पहले नगालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणीपुर राज्यों का गठन हुआ था। इन पहाड़ी क्षेत्रों में एकता की भावना पैदा करने के लिये इन राज्यों का गठन किया जाना उचित ही था। उस समय जनसंघ के नेताओं ने इन राज्यों के गठन का विरोध किया था लेकिन आज वही इसी दल के नेता यह कह रहे हैं कि भारत में और पचास राज्यों का गठन हो सकता है। प्रतिक्रियावादी इस प्रकार के आन्दोलन को चलाकर लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्तारूढ कांग्रेस एक खतरनाक नीति का पालन कर रही है। कल सदन में प्रधानमंत्री के उस प्रेस वक्तव्य पर हल्लागुल्ला हुआ जिसमें उन्होंने विरोधी दलों को राष्ट्रविरोधी कहा है। चूंकि इस प्रेस वक्तव्य का खंडन नही किया गया अतः इसे मैं ठीक ही समझता हूं।

प्रधान मंत्री, परमाणूउर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने इस वक्तव्य का खंडन नही किया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) आप अपनी स्थिति को सदन में स्पष्ट कर सकती थीं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : बहुत से लोग जोर जोर से शोर मचा रहे थे। ऐसे शोर में मैं कभी खड़ी नही होती।

श्री इंद्रजित गुप्त : प्रधानमंत्री अपने दल के उन लोगों के नामों का जिक्र करना क्यों भूलती है जिन्होंने .... **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : मैंने किसी दल का नाम नही लिया। मुझे-खेद है कि इसमें मेरे अपने आदमी भी थे लेकिन ये सब बातें निराधार हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : खेद प्रकट करने मात्र से काम नही चलेगा।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : जो कुछ मैंने कहा उसका मुझे दुख नही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कांग्रेस को आन्ध्र को आन्ध्र प्रदेश में कुछ समय पहले जो व्यापक बहुमत मिला था वह अब कांग्रेस के विधायकों और संसद सदस्यों द्वारा कांग्रेस से व्यापक त्याग-पत्र देने में बदल गया है। यह प्रश्न कांग्रेस दल का सिरदर्द होना चाहिय (**व्यवधान**)...आपने सिन्डीकेट के भूतपूर्व लोगों तथा स्वतंत्र दल के लोगों का अपने दल में स्वागत किया है। प्रो० रंगा आपके दल के सदस्य बन गये हैं (**व्यवधान**)। आपने इनको अपने दल से बाहर क्यों नही निकाला ?

सरकार ने इस मामले को खुला छोड़ दिया है। इस बारे में सरकार ने कोई कड़ा रुख नही अपनाया और इसलिये पृथकता वादियों का साहस बढ़ गया है और उन कांग्रसजनों का अपमान हुआ है जो सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आन्ध्र की एकता के लिये क्षमतावादी तत्वों का मुकाबला करते रहे।

मुसलमानों तथा हरिजनों के साथ साम्प्रदायिक अत्याचार हो रहे हैं। जिन राज्यों में पृथक राज्य बनाने के लिये आन्दोलन चलाये जा रहे है वहां हरिजनों पर अधिक अत्याचार हो रहे हैं। गोदावरी नदी के गांवों में इस प्रकार के अत्याचार अधिक हो रहे हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं इस बात से बिलकुल इनकार करता हूं ।

श्री इंद्रचित गुप्त : मैं इस बात से इनकार करता हूं कि यदि सी० आर० पी० अत्याचार करती है तथा महिलाओं को सताती है तो उसकी निंदा की जानी चाहिये तथा जांच होनी चाहिये लेकिन साथ साथ आन्दोलन के उन नेताओं की निंदा की जानी चाहिये जो कि महिलाओं तथा विधायकों को सताते हैं जैसे कि काकीनाडा में किया गया है। इस सदन में उन लोगों की निंदा नही की जाती केवल सी० आर० पी० की निंदा की जाती है । हमें दोनों पक्षों की निंदा करनी चाहिये । क्या उनके पास कोई शिष्टता शेष है ? यदि होती तो इस प्रकार की बातें न होती (**व्यवधान**)

आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुये यदि इस मांग को पूरा किया गया तो कई राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया होगी ।

श्री पीलू मोदी : किस प्रकार की प्रतिक्रिया ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक विघटनकारी तथा प्रतिक्रियावादी आन्दोलन है।

श्री पीलू मोदी : इनके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल उन्ही आन्दोलनों का समर्थन करना चाहिये जिनका नेतृत्व ये करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने कई आन्दोलन देखे हैं .... (**व्यवधान**)

श्री जो० विश्वनाथन (वाण्डीवाश) : जब आन्दोलन उत्तर-पूर्व से होता है तो यह एकता के लिये होता है, जब दक्षिण से होता है तो विघटन के लिये होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहां उत्तर और दक्षिण का प्रश्न न लाये।

श्री पीलू मोदी : श्री इन्द्रजीत गुप्त अब भी देश में आन्दोलन चलाने की आशा रखते हैं । वे अपनी आशा जारी रखें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम ऐसे आन्दोलन नही चलाते जिसमें बहुमूल्य आभूषण तथा रेशमी साड़ी पहने महिलाऐं कारों में जलती हैं (**व्यवधान**) । इसी कारण ये कृषि श्रमिकों पर निर्भर नही कर सकते (**व्यवधान**)

आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये हमें देश की एकता के लिये ठोस राजनैतिक उपाय करने चाहिये।

प्रो० नारायन चंद पाराशर (हमीरपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की उन सभी उपलब्धियों का उल्लेख हैं जो पिछले एक वर्ष में प्राप्त की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया गया है।

प्रधान मंत्री नेपाल गयी थी और विदेश मंत्री जापान गये थे। न सब बातों से पता चलता है कि हमारे देश ने काफी सद्भावना बनाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्रमिकों के भागीदार बनाये जाने का उल्लेख भी किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के आयोजन का भी उल्लेख है। देश के उन क्षेत्रों जहां विकास का काम नही हुआ है, की ओर ध्यान दिया गया है। जो लोग आन्दोलन चलाते हैं वास्तव में वे ही देश के विकास के दुश्मन हैं।

आज आन्ध्र की समस्या देश की सब से बड़ी समस्या है आन्ध्र के विभाजन के पीछे स्वार्थी तत्व हैं जो नये राज्यों में सत्ता हरियाना चाहते हैं।

चेयरमेन माऊ के चेले कहते हैं कि वास्तविक शक्ति बंदूक की नाली से आती है। बंदूक चलाये और महात्मा गांधी के दर्शन का नाश करे, यही कुछ ये लोग चाहते हैं। देश के बेधानी और पिछड़े क्षेत्रों में लोग रेलों और भत्तो की परजोर मांग करते आ रहे हैं लेकिन आंध्र में इन्हें जलाया तथा लूटा जा रहा है। इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी शक्तियां देश के विकास और इसकी रक्षा की शत्रु हैं।

इतना ही नही ये आन्दोलनकारी दूसरे राज्य पुर्नगठन आयोग की मांग भी कर रहे हैं ताकि नये राज्यों में वे सत्ता हाथ ले सके और अपने तीन्हीं स्वार्थों को पूरा कर सकें।

आन्ध्र के लोगों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आस्था होनी चाहिये। उन्हें हिंसा का द्वार बंद करके सरकार से बाते करनी चाहिये। मैं प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हिंसा फलाने वालों के विरुध सख्त कायवाही की जाय ताकि एक ईमानदार आदमी अपने को सुरक्षित अनुभव कर सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से हमें आशा मिलती है कि हम शांतिपूर्ण वार्ता के मार्ग को अपनायेंगे। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रतिक्रियावादी तत्वों पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ेगा।

SHRI JAMBUWANT DHOTE (Nagpur) : Our democracy is facing danger in the absence of any alternative to the Congress. How far has the ruling party contributed towards making democratic rule a success? The number of people killed with the bullets of police is greater than the people killed by the agitators. Economic problem is not the only problem of the country. We are also facing the problems of language and re-organisation. There would not have been smaller administrative units or smaller states, had we adopted unitary form of Government but we are having federal system of Government.

MR. CHAIRMAN : You may continue your speech tomorrow.

इसके पश्चात लोक-सभा गुरूवार, 22 फरवरी, 1972/3 फालगुन 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thurs day, February 22, 1973/Phalguna 3, 1894 (Saka)

GIPN—SI—20 L S S/72—21-4-72—490